खण्ड-472, अंक-9
सोमवार, 19 माघ, शक संवत् 1931
(8 फरवरी, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर (जारी) ..	7–17
विधान मण्डल सदस्यों एवं पदाधिकारियों तथा मंत्रिगण के वेतन, भत्तों एवं सुविधाओं में बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा ...	17–19
बुन्देलखण्ड में विद्युत कनेक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	19
प्रश्नोत्तर	19–117
विधान मण्डल सदस्यों के लिए लंच की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	118
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	118
जनपद बलरामपुर के फरेन्दा जरवल मार्ग पर भांभर नाले पर बना पुल ध्वस्त होने के कारण बौध परिपथ पर आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
सहारनपुर के मुजफ्फनगर विधान सभा क्षेत्र में चाण्डीघेर, शाहजहांपुर दतौली मुगल के समस्त मजरों का एल0टी0 लाइन बनवाकर 100 के0 वी0 ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाकर पुनः विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद उन्नाव की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम रउतापुर व पहाड़ापुर के मध्य 11 के0 वी0 ए0 की विद्युत् लाइन टूटने से हुई जनहानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
जनपद मुजफ्फरनगर में खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120–121
इलाहाबाद जनपद के करैलाबाग श्रमिक आवासीय बस्ती को पशुपालन व अवैध कारोबार का केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद बागपत के पूर्वी यमुना नहर के राजवाहे अल्पकाओं की सिल्ट सफाई तथा टूटे हुए जर्जर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के ग्रामीण मार्ग तथा सम्पर्क मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	122–123

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड 39 से सम्बद्ध बारी रजवाहा नहर पर स्थित ग्राम सेमरी के सामने नहर की ध्वस्त पुलिया का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के कारण प्रदेश में डिस्टिलरी उद्योग के बन्द होने की स्थिति में पहुंचने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	123–124
उ0 प्र0 कोषागार में 36 वर्षों से निरन्तर कोषागार कैश शाखा में कार्यरत कैशियर का मुख्य रोकड़िया पद पर प्रोन्नति से वंचित रह जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	124
जनपद खीरी के उप स्वास्थ्य केन्द्र नरी विकास खण्ड फूलबेहड़ में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद बुलन्दशहर में पवसरा रजवाहे पर कड़कौड़ा के पास पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रवक्ता/सहायक आचार्य के वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125–126
महिला कल्याण निदेशालय के अधीन उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ के 23 कैन्ट रोड टिकरा हाउस कार्यालय में नई दिशाओं स्वयं सेवी संगठन को आवंटित कक्ष तत्काल खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	126–127
बागपत विधान सभा क्षेत्र सहित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रदेश की कतिपय सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	128
देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की लगातार हो रही उपेक्षा से प्रदेश की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	129–131
कार्यपालिकीय आदेश के माध्यम से विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय विकास निधि को वित्तीय वर्ष की सीमा में बांधने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131–135
भाजपा सांसद श्री वरूण गांधी द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2010 को बुलन्दशहर के शिकारपुर की जनसभा में भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 के विरुद्ध अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	136–142

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	142
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	142
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	144
लोक आयुक्त, उ0 प्र0 के विशेष प्रतिवेदन सं0 5/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	144
परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना सं0 1994/30–4–2009 /67/89 टी0सी0, दिनांक 9 नवम्बर, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	144
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये) ...	144
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 क0नि0 2–258/ग्यारह–9(1)/08–309 अधि0 5–2008–आदेश 52/2009, दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)	145

विषय	पृष्ठ–संख्या
गृह पुलिस अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 1535/छःपु0–2–2009-1100(63)–09, दिनांक 28 अगस्त, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	145
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 4-2006 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखे गये) ...	145
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	145
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	146
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	146
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 121वां (एक सौ इक्कीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	146
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 122वां (एक सौ बाइसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	147
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 123वां (एक सौ तेइसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	147
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 124वां (एक सौ चौबीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	147
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 125वां (एक सौ पच्चीसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)..	147–148
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010-2011 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना ...	148–149
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	149–173
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010-2011 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	174–175

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	175–218
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	218–220
जनपद मथुरा स्थित गोकुल बैराज पर बने पुल पर वसूले जा रहे टैक्स को बन्द न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	220–221
प्रदेश में अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	221
लखनऊ में चारबाग से आलमबाग मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	221–222
जनपद जे0पी0 नगर में मोहल्ला दानिस मन्दान निवासी मोहम्मद अजीम की नाबालिग पुत्री का हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	222–223
जनपद गोण्डा में सरयू नहर खण्ड-2 में निर्माण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	223–224
प्रदेश में अनुदानित संस्कृत विद्यालयों एवं महा विद्यालयों की सूची प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	224–226
जनपद मुजफ्फरनगर में नरेगा के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	226–228
प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य	228–230

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में ग्राम सभा निधि के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	230
जनपद गाजीपुर के ग्राम तराय और देवकली के मध्य गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	231
जनपद आजमगढ़ में गयासपुर सहयदा मार्ग पर बने अधूरे पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	231–232
देवरिया के राम आसरे कुशवाहा के घर से आर0एस0एस0 कान्वेन्ट स्कूल तक विद्युत तार एवं पोल लगाने में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	233
जनपद उन्नाव के देवराघाट में सई नदी पर निर्मित पुल का सम्पर्क मार्ग न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	233–234
जनपद जे0 पी0 नगर के अमरोहा में सीवर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	234–235
अनुपस्थित सदस्यों की नियम 51 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	235
नत्थियां	236–250

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 08 फरवरी, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–322

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय यादव, श्री — एटा
7. अजय सिंह, श्री — जालौन
8. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
13. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
18. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
19. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
20. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
21. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
22. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
23. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
29. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
31. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
32. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
35. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
38. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
39. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
41. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
43. आर0 ए0 उस्मानी डा0, श्री — लखीमपुर खीरी
44. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
45. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
46. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा
47. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
48. आसिफ, श्री — हरदोई
49. इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
50. इमरान महसूद, श्री — सहारनपुर
51. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री — सिद्धार्थनगर
52. उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद

53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
55. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
56. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
57. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
58. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
59. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
60. काशीराम, श्री रामपुर
61. कुंवर सिंह, श्री एटा
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
65. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
66. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
67. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
68. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
69. कैलाश साहू, श्री झांसी
70. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
71. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
72. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
75. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
76. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
78. घूराराम, श्री बलिया
79. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
80. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
81. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
82. छोटे सिंह, श्री जालौन
83. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
86. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
87. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
88. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
89. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
90. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
91. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
92. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
93. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
94. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
96. ददन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
97. ददू प्रसाद, श्री चित्रकूट
98. दयाराम, श्री कौशाम्बी
99. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
100. दाउद अहमद, श्री हरदोई
101. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
102. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
103. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
104. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झांसी
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. दूधराम, श्री बस्ती
107. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
108. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूं
109. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
110. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
111. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
112. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
113. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
114. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
115. नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री इलाहाबाद
116. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा

117. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
118. नारायण सिंह, श्री आगरा
119. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
120. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
121. पशुपति, श्री गाजीपुर
122. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
123. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बांदा
124. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
125. प्रजापालन, श्री एटा
126. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
127. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
128. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
129. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
130. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
131. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
132. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
133. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
134. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
135. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी), श्रीमती देवरिया
136. फागू, श्री मऊ
137. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
138. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
139. बिरजू राम, श्री जौनपुर
140. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
141. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
142. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
143. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
144. भगवती प्रसाद सागर, श्री झांसी
145. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
146. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
147. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
148. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
149. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
150. मंजू, श्रीमती बलिया
151. मदन चौहान उर्फ मदन भैया, श्री गाजियाबाद
152. मदन गोपाल, श्री बागपत
153. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
154. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
155. ममतेश शाक्य, श्री एटा
156. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
157. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
158. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
159. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
160. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
161. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
162. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
163. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
164. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
165. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
166. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
167. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
168. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
169. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
170. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
171. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
172. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
173. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
174. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
175. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीर नगर
176. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
177. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
178. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
179. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
180. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
181. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूं
182. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
183. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)

184. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
185. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुं0 प्रतापगढ़
186. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
187. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
188. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
189. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
190. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
191. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
192. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
193. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
194. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
195. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
196. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
197. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
198. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
199. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
200. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
201. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
202. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
203. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
204. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
205. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
206. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
207. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
208. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
209. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
210. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
211. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
212. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
213. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
214. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
215. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
216. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
217. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
218. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
219. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
220. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
221. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
222. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
223. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
224. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
225. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
226. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
227. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
228. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
229. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
230. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूं
231. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
232. रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
233. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
234. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
235. लखीराम नागर, श्री मेरठ
236. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
237. लालजी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
238. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
239. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
240. वारिस अली, श्री बहराइच
241. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री बुलन्दशहर
242. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
243. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
244. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
245. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
246. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
247. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
248. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
249. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर

250. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
251. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
252. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
253. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
254. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
255. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
256. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
257. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
258. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
259. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
260. शहनवाज, श्री बिजनौर
261. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
262. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
263. शिव गणेश "लोधी", श्री रायबरेली
264. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
265. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
266. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
267. शीशराम, श्री बिजनौर
268. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
269. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
270. शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
271. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
272. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
273. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
274. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
275. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
276. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
277. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
278. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
279. संजय कपूर, श्री रामपुर
280. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
281. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री कानपुर नगर
282. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
283. संध्या, कुमारी मैनपुरी
284. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
285. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
286. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
287. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
288. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
289. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
290. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
291. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
292. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
293. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
294. सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
295. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
296. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
297. सुखलाल, श्री पीलीभीत
298. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
299. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
300. सुभाष, श्री बलिया
301. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
302. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
303. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
304. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
305. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
306. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
307. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
308. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
309. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
310. सुल्तान बेग, श्री बरेली
311. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
312. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
313. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
314. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
315. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर

316. सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी	320. हसरत उल्ला, श्री	एटा
317. हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर	321. हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
318. हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	322. होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
319. हरिओम, श्री	जालौन		

नोट :–लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में विद्युत् मांग के सापेक्ष वितरण हेतु बिजली की उपलब्धता

**1–श्री सतीश महाना तथा श्री राजाराम त्यागी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में विद्युत मांग के सापेक्ष प्रदेश में वितरण हेतु कितनी बिजली की उपलब्धता है तथा वर्तमान समय में कितने समय की कटौती शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित की गई है ? क्या उक्त कटौती को समाप्त करने एवं मांग के सापेक्ष आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास कोई कारगर कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

(क) वर्तमान में विद्युत् मांग के सापेक्ष प्रदेश में वितरण हेतु विभिन्न स्रोतों से 6550 मे0वा0 बिजली की उपलब्धता है।

वर्तमान समय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित कटौती का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	क्षेत्र का विवरण	विद्युत कटौती
1–	ग्रामीण एवं तहसील स्तरीय क्षेत्र	14 घन्टे
2–	जनपद व समकक्ष स्तरीय नगर	09 घन्टे
3–	मण्डल स्तरीय नगर	07 घन्टे
4–	महानगर	05 घन्टे
5–	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	09 घन्टे

(ख) जी हां।

(ग) प्रदेश में मांग के अनुसार विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में प्रदेश की विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नवत् है :–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत :–

1–राज्य क्षेत्र	2000 मे0वा0
2–निजी क्षेत्र	2130 मे0वा0
योग . .	**4130 मे0वा0**

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत :–

1–राज्य क्षेत्र	2230 मे0वा0
2–संयुक्त क्षेत्र	3320 मे0वा0
3–निजी क्षेत्र	3900 मे0वा0
योग . .	**9550 मे0वा0**

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्यारहवीं/पंचवर्षीय योजना काल में 25000 मे0 वा0 की अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसमें 5000 मे0वा0 क्षमता राज्य क्षेत्र में तथा 20000 मे0 वा0 क्षमता निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजाराम त्यागी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के जवाब में यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तहसील क्षेत्र में 14 घण्टे कटौती की जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ 10 घण्टे आपूर्ति हो रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि इन क्षेत्रों में मात्र 6-7 घण्टे से अधिक आपूर्ति नहीं होती। मान्यवर, मा0 मंत्री जी पहले यह इस उत्तर को दिखवा लें क्योंकि यह उत्तर सही नहीं है। हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह आया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2000 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 2130 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि कब तक आप 14 घण्टे कटौती से निजात दिलाने के लिए 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मा0 अध्यक्ष जी, 14-15 घण्टे बिजली मिलने लगे किसानों को, उसके लिए 2012 तक हमारी शुरू की हुई परियोजनाएं आ जायेंगी और किसानों को हम कम से कम 15-16 घण्टे विद्युत देने लगेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि महानगरों में पांच घण्टे की कटौती सुनिश्चित है। आगरा, इलाहाबाद और कई अन्य शहरों में कटौती नहीं की जाती है। हालांकि मा0 मंत्री जी का यह उत्तर आयेगा और सही भी है कि सुप्रीमकोर्ट का कोई आदेश है, उसके कारण नहीं हो रहा है, इलाहाबाद मा0 उच्च न्यायालय का आदेश है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं और अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वाराणसी जो एक धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है, पर्यटन नगरी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी भी है और हेरिटेज सिटी भी घोषित है तो क्या मा0 मंत्री जी इन विशेषताओं के कारण विशेष परिस्थिति में वाराणसी जैसे नगर को विद्युत कटौती से मुक्त करने अथवा जब तक मुक्त करने की स्थिति में नहीं आते हैं तब तक इस पांच घण्टे की कटौती को कम करके दो-तीन घण्टे करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 चौधरी साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है बार–बार कई मा0 सदस्य एक ही बात कह रहे हैं और कहते आये हैं कि साहब बिजली की बहुत कटौती हो रही है, किसानों को बिजली, उद्योपतियों का बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, यह सवाल रोज

उठते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मा0 चौधरी साहब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं हम उनसे रोजाना सीखते हैं लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इस सदन में कौन जिम्मेदार है मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आज हमें बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है। मैं बता रहा हूं कि आप कैसे जिम्मेदार हैं, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसलिए है कि वर्ष 1989 में आनपारा-बी लगा था 1000 मेगावाट का, जिसका कमीशन 1994 में हुआ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, यह बात कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर वह अक्षम थे तो चले गये, आप सक्षम हैं, आपको जनता ने सत्ता सौंपी है और अब आप अपनी सक्षमता कैसे साबित करते हैं आज यह सवाल है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब का केवल यह प्रश्न है कि बनारस शहर में जो कटौती है, उसको कम कर सकते हैं या कटौती से मुक्त कर सकते हैं, इस तरह का कोई विचार है या नहीं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी वर्ष 2011 से पहले सम्भव नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा हुआ, मा0 ऊर्जा मंत्री जी इतिहास में जाते–जाते रुक गये, नहीं तो बड़ी कष्टकारक स्थिति होती। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उन्हीं के लिए सप्लीमेंटरी पूछा है, उन्होंने साफ किया है कि उनके यहां कटौती के बाद 10 घण्टे बिजली जानी चाहिए वह उनके बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में नही जा रही है। मेरा बहुत साधारण सा सवाल है, इसमें हां करने के अलावा मंत्री जी कें पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि विचार कर लें, आप देख लें कि रायबरेली जनपद में उद्योगों को देखते हुए विद्युत् कटौती से मुक्त करेंगे या कम से कम इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे, क्या इसका वायदा आप करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, हम तो पूरे प्रदेश को बिजली देना चाहते हैं। माननीय तिवारी जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और केन्द्र में सरकार भी तिवारी जी की है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं तो वही पूछ रहा हूं कि जो आपने अपने उत्तर में कहा है कि इतने घण्टे आपूर्ति होगी और माननीय सदस्य ने कहा कि नहीं हो रही है तो इतना तो आप स्पष्ट करा दो कि जो आपने जवाब दिया है इसका अनुपालन रायबरेली में सुनिश्चित करायेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मिनिमम 10 घण्टे तो वहां पर करा ही देंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उनका जो जवाब आया है कि ग्रामीण और तहसील क्षेत्र में 14 घण्टे बिजली कटौती की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्र से चीनी मिलों द्वारा उत्पादित बिजली कहां भेजी जा रही है ? चीनी मिलों द्वारा उत्पादित की जा रही है वह बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे करके इस कटौती को समाप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चीनी मिलों के उत्पादन की जानकारी कैसे दे पायेंगे ? मा0 मंत्री जी ने जो अपना सेटअप है उसको बता दिया।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, किसानों के गन्ने से जो बिजली उत्पादित करते हैं वह चीनी मिल मालिक कहां बेच रहे हैं ? मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अनुपूरक किया है उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि जो किसान चीनी मिलों को गन्ना देते हैं उससे चीनी मिल मालिक बिजली पैदा करते हैं। वह जो 14 घण्टे की कटौती ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है उस बिजली को इन कटौती क्षेत्रों में ट्रांसफर करके इस बिजली कटौती को मा0 मंत्री जी समाप्त करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, चीनी मिलों से जो बिजली पैदा होती है वह सीधे ग्रिड में जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अलग से वह बिजली उसी क्षेत्र के किसानों को मिलेगी।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसको किसको दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब मा0 मंत्री जी ने दे दिया है कि सीधे ग्रिड में जाती है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मा0 अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट नहीं हुआ, बहुत विद्वान मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप उनसे ज्यादा विद्वान हैं। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि सीधे ग्रिड में जा रही है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, प्रदेश की 80 फीसदी जनता से जुड़ा हुआ यह सवाल है, अब बोर्ड की परीक्षायें होने वाली हैं, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हैं ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत

उपेक्षा हो रही है इसलिए यह बहुत जनहित का अनुपूरक किया है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि 450 मेगावाट बिजली हमें को-जनरेशन से, चीनी मिलों से उपलब्ध होती है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, बोर्ड की परीक्षायें शुरू हो रही है और यदि बिजली नहीं होगी तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, जो जवाब यहां आया है, मुझे बहुत खुशी है कि मा0 मंत्री जी सिर्फ प्रदेश के द्वारा उत्पादित बिजली के आधार पर विद्युत की आपूर्ति को ठीक करना चाहते हैं।

इनके संज्ञान में सम्भवतः केन्द्र सरकार से जो बिजली मिलती है वह नहीं है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। नार्दन ग्रिड से दिल्ली की जनसंख्या 2.4 प्रतिशत है उसे 10 प्रतिशत बिजली मिलती है हरियाणा की जनसंख्या 7 प्रतिशत है उसे 19 प्रतिशत बिजली मिलती है। राजस्थान की जनसंख्या 5.6 प्रतिशत है उसे 18 प्रतिशत बिजली मिलती है जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 56 प्रतिशत है उसे सिर्फ 22 प्रतिशत बिजली मिलती है। केन्द्रीय सेक्टर के बारे में सम्भवतः मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है इसलिए उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की होगी। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सेक्टर से मिलने वाली बिजली में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर जितना हक बनता है उस हक को प्राप्त कराने के लिए जो मंत्री जी की संवेदनहीनता है, लापरवाही है उससे उतरकर यह बिजली हम लोगों को मिल सके इसके लिए आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मैं आपके माध्यम से अग्रवाल साहब को बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से जितनी बिजली हमको जनसंख्या के आधार पर मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इसके लिए कई बार हमने लिखा है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि 700 मेगावाट बिजली दीजिए। हमने भी जब भी केन्द्रीय बिजली मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई उस बैठक में इस बात को रखा है व तीन बार बैठक में गया हूं मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ा दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 700 मेगावाट बिजली दी जाए लेकिन हमें मात्र 100 मेगावाट बिजली मिलती है। हम लगातार प्रयासरत हैं व लिख रहे हैं कि हमें ज्यादा बिजली दी जाय लेकिन मिल नहीं पा रही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

बच्चों की परीक्षा चल रही है अतः परीक्षा के दौरान रात्रि में विद्युत की कटौती न हो इसके लिए मंत्री जी घोषणा करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

परीक्षा के समय में पूरी कोशिश यह की जायेगी कि जिस समय विद्यार्थी पढ़ें उस समय उनको बिजली उपलब्ध हो सके।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

प्रमोद जी से अनुरोध करें कि वह प्रधानमंत्री जी से कहें कि 700 मेगावाट की बिजली उत्तर प्रदेश को दी जाय जिससे रायबरेली को भी बिजली मिले, बनारस को भी मिले और गोरखपुर को भी मिले।

श्री रामवीर उपाध्याय–

हमने प्रधानमंत्री जी से, केन्द्रीय विद्युत् मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया है। 28 मई 2007 की बैठक में मैंने प्रधानमंत्री जी से खुद अनुरोध किया था माननीया मुख्यमंत्री जी ने भी कहा तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि हमारी सिफारिश भारत सरकार से करिए जिससे उत्तर प्रदेश को ज्यादा बिजली मिले।

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारी और आपकी सोच एक ही तरह की है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं और विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रदेश के हित में साथ रहेगी। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं चौधरी साहब ने जो सुझाव दिया है उन्होंने मेरा नाम भी लिया तो ऊंचाहार और टांडा जिस समय बेचा गया उस समय इन्होंने सुझाव क्यों नहीं दिया ?

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

उत्तर प्रदेश के साथ जो सौतेला व्यवहार है उसके सम्बन्ध में मेरा प्रश्न था। अब प्रमोद जी सवाल को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ केन्द्र सरकार का सौतेला व्यवहार है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ऊंचाहार और टांडा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और दोनों पावर हाउस किसके शासन काल में बिके हैं ? मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

जब बिक गये तो बिकने दीजिए। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार है और उसको ढकने के लिए प्रश्न को दूसरी ओर मोड़ रहे हैं माननीय प्रमोद जी। उत्तर प्रदेश के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। चाहे पैकेज दिये जाने की बात हो, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव करती है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ऊंचाहार की अधियाचन क्षमता क्या थी और टांडा की क्या थी ? और यह दोनों पावर हाउस जो बिके हैं वह किस शासन काल में बिके हैं बस यह बता दें।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये, जिसको मैं बुलाऊं वहीं पूछे। किस लिए खड़े हैं ? चौधरी साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जायं, सिस्टम से रहें। जिसको मैं आमंत्रित करूं, वह ही बोले। आप बैठ जायं माननीय मंत्री जी। दो चार अनुपूरक और करने दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। यदि जानकारी हो तो बता दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे इनको क्या मिलेगा ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब इनको, मिलेगा कि हमको मिलेगा। यह अपनी देखें, हमको अपनी देखने दें। मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूं, (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर) हम आपसे सम्बोधित कर सकते हैं, इनको थोड़ी कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं। हम मान्यवर, मंत्री जी से पूछ रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब आ जाय। बिजली की बात हो रही है और करेन्ट इनको लग रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

हमको कोई करेन्ट नहीं लग रहा है, यह उत्तर प्रदेश की जनता को करेन्ट लग रहा है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं लगेगा, बीच में खन्ना साहब बैठे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं तब तक खड़ा रहूँगा जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रश्न पूछा है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं सीधा सा एक प्रश्न कर रहा हूं कि ऊंचाहार की क्षमता कितनी है, टांडा की क्षमता कितनी है और यह दोनों विद्युत केन्द्र उत्तर प्रदेश की मिल्कियत से किस सरकार में गये, बस इतना बता दें ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है इसका।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, क्षमता के बारे में पूछा है, बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, ऊंचाहार की क्षमता 440 मेगावाट थी और 925 करोड़ में मान्यवर, 13 फरवरी, 1992 को एन0टी0पी0सी0 को बेचा गया। उस समय शायद मेरे ख्याल से माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 14 जनवरी, 2000 को मान्यवर, टांडा को जिसकी क्षमता 420 मेगावाट थी 1000 करोड़ में एन0 टी0 पी0 सी0 को बेचा गया।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या ? माननीय हुकुम सिंह जी, मदन चौहान को बहुत पहले बुला लिया था। आपको फिर बुलाते हैं।

श्री मदन चौहान–

मैंने बहुत सरल सा वैसे पूछा।

(श्री मदन चौहान के बैठने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप हुकुम सिंह जी के अनुरोध पर बैठे हैं। हमको मत कहियेगा।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, आपके अनुरोध पर बैठेगें नही तो पूरा दिन खड़े रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, चलिए, अब बैठ जाइये। वरिष्ठ सदस्य हैं हुकुम सिंह जी।

श्री हुकुम सिंह–

बहुत बड़ी उपलब्धि रही मान्यवर, शायद आज यह पता चला कि ऊंचाहार कब बिका, कब गया। इनको पहली बार लगी यह जानकारी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

इसका मूल प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं था।

श्री हुकुम सिंह–

मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिस समझौते के तहत दोनों पावर हाउस एन0टी0पी0सी0 को स्थानान्तरित किये गये, अगर उसका अवलोकन किया तो उसमें क्या प्राविधान था कि प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो बिजली उत्पादित होगी वह दी जायेगी ? अगर यह प्राविधान था तो क्या उस प्राथमिकता का पालन किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर यह जानकारी हो कि विद्युत् उत्पादन केन्द्र से प्राथमिकता के आधार पर आपको कुछ बिजली मिलने की व्यवस्था थी कि नहीं। इसकी जानकारी है कि नहीं है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है। इन्होंने जब बेच ही दिये और काफी दिन हो गये इसको बेचे हुए तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, कहेंगे तो दे देंगे।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी से कह दिया है कि दे देंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री के पास उस समझौते की सूचना नहीं है जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान था मान्यवर कि प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश को बिजली दी जायेगी। उस समझौते की शर्तों का पालन न केन्द्र सरकार कर रही है और न आप पालन करा पा रहे हैं और यह हमारी कमजोरी है कि हम केन्द्र सरकार से उसका पालन नहीं करा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आधा घंटा केवल एक प्रश्न पर हो गया है।

श्री हुकुम सिंह–

हमने किसी को नहीं बेचा था, हमने देश की सरकार को दिया था मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न विद्युत की उपलब्धता और शहरों में कटौती कितनी कम की जाएगी इससे संबन्धित मूल प्रश्न था। श्रीमान माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर देते समय दूसरों की तरफ इशारा किया कौन पावर हाउस कहां बिक गया और फिर मान्यवर, केन्द्र सरकार की तरफ इशारा किया कि केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश को जितना हिस्सा मिलना चाहिए उसके हिसाब से केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को हिस्सा नहीं दे रही है। तो मान्यवर, चाहे केन्द्र सरकार जिम्मेदार हो या राज्य सरकार जिम्मेदार हो, प्रदेश की जनता को विद्युत की कटौती से जो कठिनाई हो रही है, यही मूल उद्देश्य था यह प्रश्न पूछने का। केन्द्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में, वह तो राज्य सरकार की हर मुश्किल में पूरी मदद करते है। कुछ नहीं छोड़ते हैं मदद करने में, जितनी भी वह कर सकते हैं, करते हैं, तो क्या सचमुच में जितनी मदद सदन के भीतर वह करते हैं प्रदेश की जनता की मदद करने के लिए क्या वह सचमुच बाहर जाकर भी करेंगे, और यह बात मंत्री जी को बता देंगे, मंत्री जी क्या इसके बारे में आश्वासन सदन को देंगे कि विद्युत के बारे में जितनी मदद प्रमोद तिवारी जी ने सदन में की है उतनी मदद क्या वह आपकी दिल्ली में भी करेंगे क्या इस बारे में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब आप बैठ जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा सीधा प्रश्न है इससे सरल कोई प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

सीधा प्रश्न नहीं है आप सहयोग करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसके दो उत्तर हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी या विद्युत मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं। हमारा भी सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

हाँ कह दें, या ना कह दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया था अनुपूरक में....

श्री अम्बिका चौधरी–

केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार जो मिलकर दुर्दशा कर रही है तो मान्यवर, खुलासा हो जाए, हाँ या ना में जबाव दे दीजिए।

प्रमोद तिवारी–

मेरा नाम लिया गया है मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस का नाम आया है आपका नाम कांग्रेस हो तो आप खड़े हो जाइए। आप सभी बैठें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अभी चौधरी साहब ने प्रश्न पूछा था कि क्या भारत सरकार से आप मदद मांगेंगे ? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की बैठक में गया हूं, दो बार पत्र लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र गया है निर्देशानुसार गया है। शासन ने बराबर प्रयास किया है भारत सरकार से कि हमको इतना मेगावाट विद्युत दें, तो सब तो आ गया चौधरी साहब।

(नत्थी 'क' का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0–2 पुकारा गया।) (शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

सीधे प्रश्न का उत्तर दे दें हाँ या न में आश्वासन देंगे या नहीं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

इसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, परीक्षायें चल रही है.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन है सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप लोग बैठ जाएं। अभी अनुपूरक करा लेते है। आप लोग बैठ जाएं। अगर आप एक ही प्रश्न 12.20 तक करना चाहते है तो करें।

विधान मण्डल सदस्यों एवं पदाधिकारियों तथा मंत्रिगण के वेतन, भत्तों एवं सुविधाओं में बढ़ोत्तरी किये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं पहले उसको सुन लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन कुछ जानकारी सदन में देना चाहते हैं।

(मेजे थपथपाई गई)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी आपके माध्यम से, सम्मानित सदन को देना चाहती हूँ जैसा कि आप सभी जानते है कि हमारी सरकार सम्मानित इस सदन तथा सम्मानित उच्च सदन अर्थात् विधान परिषद् के माननीय सदस्यों का पूरा–पूरा सम्मान करती है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों की प्रत्येक जायज माँग को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया गया। जैसा कि सम्मानित सदन को याद होगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए, मैने पिछले महीने 29 जनवरी, 2010 को यह भी कहा था कि विधान सभा सत्र समाप्त होने से पहले विधायकों की सुविधाओं को बढ़ाये जाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा जरूर सकारात्मक कदम उठाया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसकी विस्तार से जानकारी आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्यों को देना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी विदित है कि वर्तमान में प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् के मा0 सदस्यों को प्रति माह 3 हजार रुपये वेतन अनुमन्य है, इसके अलावा 15 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 6 हजार रुपये चिकित्सा भत्ता तथा 6 हजार रुपये

सचिवीय भत्ता भी मा0 सदस्यों को अनुमन्य है। इस प्रकार वेतन तथा भत्तों के रूप में मा0 सदस्यों को प्रति माह 30 हजार रुपये प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने विधान परिषद् तथा विधान सभा के मा0 सदस्यों के वेतन और भत्तों में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है (मेजें थपथपाई गई) और राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के परिणाम स्वरूप मा0 सदस्यों का वेतन बढ़ाकर 8 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी बढ़ा दिया गया है जो अब 22 हजार रुपये प्रतिमाह हो गया है। इसके अलावा चिकित्सा भत्ते में वृद्धि कर इसे 10 हजार रुपये प्रतिमाह तथा सचिवीय भत्ता भी बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस प्रकार विधान सभा तथा विधान परिषद् के मा0 सदस्यों को अब प्रत्येक माह 50 हजार रुपये कुल धनराशि का वेतन एवं भत्ते प्राप्त होगें। (मेजें थपथपाई गई) मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने मा0 मंत्रियों अर्थात् मा0 कैबिनेट मंत्रियों तथा मा0 राज्य मंत्रियों के वेतन में भी वृद्धि की है और अब मा0 कैबिनेट मंत्रियों एवं मा0 राज्य मंत्रियों को प्रत्येक माह वेतन के तौर पर 12 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पूर्व में मासिक वेतन की धनराशि 5 हजार रुपये थी। इसके अलावा मा0 उप मंत्रियों के मौजूदा 4 हजार रुपये के मासिक वेतन को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। मा0 अध्यक्ष जी, आपकी सहमति के अधीन राज्य सरकार ने विधान सभा के मा0 अध्यक्ष तथा मा0 उपाध्यक्ष का वेतन भी बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने का फैसला लिया है, जबकि पूर्व में यह धनराशि 5 हजार रुपये प्रति माह थी। इसी प्रकार विधान परिषद् के मा0 सभापति तथा मा0 उपसभापति का मासिक वेतन भी 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर देया गया है। इसके अलावा मा0 विधान सभा अध्यक्ष तथा मा0 विधान परिषद् के र भापति के गृह जनपद के निजी निवास स्थान के रखरखाव हेतु भत्ते को 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि विधान सभा के मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा विधान परिषद् के नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी 5 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह हो जायेगा। इसके अलावा मा0 विधान सभा तथा मा0 विधान परिषद् के पूर्व सदस्यों की पेन्शन राशि को भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। प्रथम वर्ष के लिए अब 7 हजार रुपये की मासिक पेन्शन मा0 पूर्व सदस्यों को प्राप्त होगी जो कि पूर्व में 6 हजार रुपये प्रतिमाह थी। इसके साथ ही प्रतिवर्ष की पेंशन की बढ़ोत्तरी को 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने एक यह भी अभूतपूर्व निर्णय लिया है कि विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की मृत्यु की दशा में उनको तत्समय अनुमन्य पेंशन की 50 प्रतिशत की धनराशि की पेंशन उनके पति अथवा पत्नी को दी जाएगी। इसी प्रकार विधान सभा एवं विधान परिषद् के भूतपूर्व माननीय सदस्यों की मृत्यु की दशा में भी उनको प्राप्त होने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत धनराशि की पेंशन उनकी पत्नी अथवा पति को दी जाएगी। और अंत में मुझे यह विश्वास है कि वेतन और भत्तों में हुयी बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप माननीय सदस्यगण और बेहतर ढंग से जनता की

सेवा करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इन्ही लफ्जों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।

बुन्देलखण्ड में विद्युत कनेक्शन काटे जाने के सम्बंध में सदन का ध्यानाकर्षण

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, पूरा बुन्देलखण्ड 4 साल से सूखे से पीड़ित है। इस साल पानी बरसा है तो कुछ रबी की फसल दिखायी दे रही है और इस समय वहाँ के किसानों के विद्युत के कनेक्शन धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं। जब 4 साल से वहाँ के किसानों को कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से अदा करेंगे। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें कि वहाँ के किसानों के कम से कम दो महीने तक विद्युत कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और फसल आने के बाद उनके विद्युत की भरपायी करने के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इन्होंने एक अनुरोध किया है तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो तो देख लें। माननीय मंत्री जी आप दिखवा लीजिएगा। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) पर नियंत्रण हेतु निर्धारित नीति

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

**2–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से फैली हुई इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) पर नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)–

जी हां, मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु शासन द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष जे0 ई0 नियंत्रण कार्ययोजना बनायी जाती है जिसमें निर्धारित रणनीति के अनुसार वाहक मच्छर पर नियंत्रण, जे0 ई0 टीकाकरण स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोगियों के त्वरित उपचार की निःशुल्क व्यवस्था सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला–चिकित्सालयों पर किये जाने का प्राविधान किया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इंसेफेलाइटिस जैसा प्रश्न इस सदन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भी दो हजार मरीज सिर्फ मेडिकल कालेज में ही भर्ती हुए है और सिर्फ मेडिकल कालेज में ही 400 मरीजों की मौत हुयी है। अन्य जहाँ जो जैसे मरा हो उसका कोई रिकार्ड नहीं है। इन 400 मौतों में से 50 प्रतिशत मौतें ऐसी है कि अगर मरीजों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्रों पर इलाज हुआ होता तो यह बच्चे नहीं मरे होते। यह बच्चे इंसेफेलाइटिस के काम्प्लीकेशन के नाते हाइपोक्सिमियाँ हाइपोग्लाइसिमियां और हाइपोकेल्शिमियां के नाते मरते है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हम लोगों ने इंसेफेलाइटिस के इलाज की व्यवस्था की होती तो यह दो सौ मौतें नहीं हुयी होती। इसलिए मैं यह प्रश्न लेकर आया हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह परिस्थितियों के ठीक विपरीत है। इंसेफेलाइटिस का जो भी इलाज होता है वह मेडिकल कालेज में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इंसेफेलाइटिस के मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी ने कहा यह कि सारी व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इंसेफेलाइटिस के कितने मरीज भर्ती किये गये, उनमें कितने ठीक हुए और कितने की मौत हुयी ? क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई इलाज नहीं होता, कोई मरीज भर्ती नहीं होता। माननीय मंत्री जी से पहला सवाल कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने मरीज भर्ती हुए, कितने की मौत हुयीं ? क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अपना मूल प्रश्न पढ़ लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी अध्यक्ष महोदय, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न क्या है आपका ? केवल एक नीति के बारे में जानना चाहते हैं, उसको रोकने के लिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह जवाब पढ़ लें। जवाब क्या कह रहा है ? जवाब कह रहा है कि निर्धारित रणनीति के अनुसार वाहक मच्छर पर नियंत्रण, जे0ई0 के टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, रोगियों के त्वरित उपचार की निःशुल्क व्यवस्था, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किये जाने का प्राविधान है। मैं यह कह रहा हूं कि यह उत्तर सत्य से बिल्कुल विपरीत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक मरीज भी इन्सेफेलाइटिस का भर्ती नहीं हुआ होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अब तक कितने मरीज भर्ती हुये इन्सेफेलाइटिस के, सिर्फ इन्सेफेलाइटिस के, और कितने ठीक होकर गये, कितने मरे यह पहला सवाल और दूसरा सवाल टीकाकरण के बारे में, टीकाकरण में हम लोग बार–बार कह रहे हैं कि इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम के लिये टीकाकरण किया जाना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2005-06 के बाद कोई टीकाकरण नहीं हुआ है। मुझे सूचना है कि सरकार ने आये हुये टीके भी लौटा दिये, मैं इन दोनों सवालों का जवाब जानना

चाहूंगा कि क्या इलाज वास्तव में हो रहा है ? और क्यों टीकाकरण नहीं किया जा रहा ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो यह इन्सेफेलाइटिस है, यह दो प्रकार की इन्सेफेलाइटिस है। एक जैपनीज इन्सेफेलाइटिस और एक अक्यूट इन्सेफेलाइटिस। ए0ई0एस0 जो वायरस है, इसका शोध है और इसके इलाज का एक सिस्टम है। इसमें मूल तीन बिन्दु हैं पहली प्रिवेन्टिव होता है, दूसरा क्योर होता है। प्रिवेन्टिव में जो हमको वैक्सीन मिलती है उसके लिये हम भारत सरकार पर निर्भर है, यह चाइनीज वैक्सीन होती है जो इम्पोर्ट भारत सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को देती है। क्योर के लिये हमारे पास मेडिकल कालेजेज हैं, हमारी ही सरकार में उत्तर प्रदेश में पहली बार जब जैपनीज इन्सेफेलाइटिस का वायरस सिर्फ था, उस समय हम लोगों ने सतर्कता बरती और तराई के क्षेत्रों में जहां पर यह इन्सेफेलाइटिस का वायरस पाया जाता था, वहां पर सारे जिला अस्पतालों में आइसोलेटेड इन्सेफेलाइटिस वार्ड बनवाया। माननीय सदस्य गोरखपुर के हैं, ये जानते हैं बेहतर रूप से कि इन्सेफेलाइटिस वार्ड तराई के हर क्षेत्र में बना। मेडिकल कालेजेज में एक क्षमता है जहां पर हम करते हैं और उसका परिणाम भी आया, ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम नहीं आया, उसका परिणाम यह आया कि 2005 में जैपनीज इन्सेफेलाइटिस के मरीजों का 36.99 प्रतिशत था जो 2009 में 9.83 हो गया और हमको पूरी आशा है कि इस पर हम लोग पूर्णतया नियंत्रण कर लेंगे। अक्यूट इन्सेफेलाइटिस जिसका ये कह रहे हैं उसमें 8 प्रकार के प्रमुखतया वायरस है और उसमें सबवायरस भी है हरपीज वायरस, एन्ट्रो वायरस, अल्फा वायरस, इन्फ्लुएन्जा वायरस, रैबीज वायरस, एच0आई0वी0 वायरस, प्लेवी वायरस, चांदपुरा वायरस। मान्यवर, इतने वायरेसेज के शोध के लिये हमको जो वैक्सीन चाहिए वह वैक्सीन हमको भारत सरकार उपलब्ध कराती है और वैक्सीन जब शोध करके बनी ही नहीं है तो हम बच्चों का टीकाकरण कैसे करें ? हमको जो भी उपलब्ध हुआ है उसे हम आपको डेटवाइज बता देना चाहते हैं कि 11 सितम्बर, 2008 को हमको 9 लाख 26 हजार डोज मिली, वह खराब थी, वह हम लगा नहीं सके। यह हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन था जो प्रिवेन्टिव था। उसके बाद हमको 25 मार्च, 2009 में 8 लाख 4 हजार 760 डोज प्राप्त हुयी, एक डोज में करीब 6 बच्चों को लगाया जा सकता है और वह लगायी जा रही है। उसके बाद फिर हमने पुनः मांगा तो 25 सितम्बर, 2009 को 16 लाख 90 हजार डोज प्राप्त हुयी, जो खराब थी, हमने भारत सरकार को वापस कर दी। जो कैम्पेन चल रहा है हमारा उसमें हमको एक एक करोड़ इक्कीस लाख चौसठ हजार चार सौ तेरह जो हमारी लक्षित जनसंख्या थी एक करोड़ आठ लाख छत्तीस हजार पांच सौ सतहत्तर के विपरीत, हमने एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार नौ बच्चों को लगाया। 2009–2010 में हमको जो प्राप्त हुआ था उसमें हमने एक करोड़ बासठ हजार तीन सौ तेरह डोज प्राप्त हुए थे लक्षित हमारी जनसंख्या बान्नबे हजार करीब थी, हम साढ़े अठहत्तर हजार लोगों

को कम से कम लगा चुके हैं। अब जब इसमें नियंत्रण के लिए तीन हैं, भारत सरकार, मेडिकल कालेजेज और जिला चिकित्सालय, इसमें एक भी अगर डगमगाता है तो निश्चितरूप से उसका प्रभाव आता है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हमारी सरकार ने इस इन्सेफेलाइटिस बीमारी हमको वैक्सीन मिलेगी जो एक्यूट इन्सेफेलाइटिस आप भी जानते हैं आप तो डाक्टर हैं हम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक्यूट इन्सेफेलाइटिस का आज वैकसीन है प्रिवेन्ट के अन्दर बताइये, नहीं है। जब हमको भारत सरकार इसका शोध करके देगी, वायरोलॉजी इन्स्टीट्यूट हमको खोलना था, वह हमारी ही सरकार ने, वायरोलॉजी इन्स्टीट्यूट हमने नेशनल वायरोलॉजी इन्स्टीट्यूट पुणे से कह कर वहां पर शोध कार्य किया, जिसकी आईएसएमआर को रिपोर्ट चली गई है वह इस पर रिसर्च कर रहे हैं वैकसीन बनने की सम्भावना है, धन्यवाद।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने इस सदन को भ्रमित करने का काम किया है और इनके किसी भी जवाब में सत्यता नाम की कोई चीज नहीं है। मेडिकल कालेज में इलाज होता है, मैं यह खुद कह रहा हूं, मेरा यह प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न चिकित्सा शिक्षा मंत्री से है ही नहीं। इसलिए उधर डायवर्ट करने का मा0 मंत्री जी का यह प्रयास उचित नहीं है। मेरा सवाल सीधे इनसे है और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था से हैं सच्चाई यह है कि किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, यह कहते हैं कि इलाज हो रहा है, मैं पूछता हूं कि कितने मरीज इन्होंने भर्ती किये, उसका आंकड़ा दीजिए, यह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यह बतता है कि इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में और इनके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इन्सेफेलाइटिस के किसी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। अगर मरीजों का इलाज गांव में हुआ होता तो यह मरीज मेडिकल कालेज में नहीं आते और देरी होने के नाते उन चार सौ मौतों में से तकरीबन दो सौ मौतें नहीं हुई होती। मा0 मंत्री जी को जवाब इस बात का देना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने मरीज भर्ती किये गये ? आपने उस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया है। दूसरी चीज टीकाकरण, हमको सब पता है अध्यक्ष महोदय कि टीकाकरण जलजनित इन्सेफेलाइटिस का नहीं होता है, किताब पढ़कर दस ठौ वायरस का नाम बताने से सच्चाइयां नहीं बदलती हैं। इम लोग यहां टीकाकरण की बात कर रहे हैं तो सीधी–सीधी जापानी इन्सेफ्लाइटिस की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अगर टीकाकरण 2005–06 में हुआ था उसके बाद आप इतनी बड़ी संख्या बता रहे हो आखिर कहां है, वह बच्चे जिनको आपने टीके लगाये हैं ? हम लोगों ने स्वयं इस बात की मांग की है। अगर लगाये होते तो मेडिकल कालेज में इतने बच्चे बिना टीका लगे हुए कहां से आ रहे होते। भारत सरकार नहीं दे रही है, जैसे बिजली नहीं दे रही है, टीका नहीं दे रही है, आप स्टैण्ड लीजिए भारत सरकार के मुद्दे पर हम इसके लिए नहीं हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे टीकाकरण न होने के नाते जो जापानी इन्सेफेलाइटिस से मर रहे हैं, यह सरकार उन पर कब तक प्रभावी रोकथाम करेगी और यह विषय

आपका है, अगर भारत सरकार नहीं दे रही है तो आप इसका अनुसंधान कराइये, आप इसे जापान से मंगाइये, आप इसे नागरिकों को दीजिए, आप इन्हें मरने से बचाइये। दूसरी चीज, टीकाकरण की मौतें एक अलग विषय है, आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अगर मरीजों को भर्ती कर रहे होते तो आधे से अधिक बच्चे मरे नहीं होते। चूंकि आपने भर्ती किया ही नहीं, कोई सुविधा है ही नहीं, इसलिए वह बच्चे मर रहे हैं। आप बतायें कितने मरीज भर्ती हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, यह सवाल है ? आप इस सवाल का अनुपूरक तैयार कर के आये होंगे। जब आप वायरस का नाम रट कर के आये होंगे तो कम से कम मरीजों की संख्या जो आपका काम है, वह तो ले कर आये होंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जब मैं कह रहा हूं कि जिला चिकित्सालय में इन्सेफेलाइटिस वार्ड हमारी सरकार ने बनाया है तो वह इन्सेफेलाइटिस वार्ड रोगियों के उपचार के लिए ही बनता है। पी0एच0सी0 जो हैं वह रेफरेल यूनिट हैं। मान्यवर, इसके पहले चूंकि इन्सेफेलाइटिस का जब इलाज होता था तो मेडिकल कालेज में ही होता था, क्योंकि सीधे आदमी मेडिकल कालेज चला जाता था। मान्यवर, हमारी सरकार आने के बाद हमने यह प्रयास किया कि जिला चिकित्सालयों में जो मरीज पहुंच जाते हैं उनका इलाज हो। यह भी सोचा गया कि कुछ बेड्स बढ़वाये जायें। हम और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी वहां पर गये थे, बेड बढ़वाये गये। मान्यवर, एक वार्ड इसका खोला गया। मान्यवर, गोरखपुर में ही नहीं, तराई क्षेत्र में भी इसका इफेक्ट है और वहां पर मरीज क्रिटिकल स्टेज में इलाज के लिए जाते हैं। वहां नेपाल से बिहार से लोग जाते हैं वहां बहुत भीड़ हो जाती है। मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं। एक्युरेट इन्सेफेलाइटिस में पिछली बार 17 प्रतिशत थी इस बार 18 प्रतिशत रही। क्योंकि एक्युरेट इन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन नहीं है। मान्यवर, इस तरह से जहां 18 प्रतिशत इसकी मृत्यु दर हो इससे तो स्पष्ट है बाकी जो मरीज है उनका इलाज तो होता ही है। चाहे वह मेडिकल कालेजों में होता हो या अन्य जगहों पर। यह मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि इस दिशा में हम और ज्यादा प्रयास करेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, आप प्रयास करते रहे हैं और मरीज मरते रहे हैं। मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इसका इलाज नहीं होता हैं यह उत्तर में आपने असत्य कथन कहा हैं मैंने तो पूछा है कि बताइये कितने मरीज भर्ती हैं। मान्यवर, मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में एक पूरी कार्य योजना बनाकर दी हुई है आपको। आप गोरखपुर गये थे तो मैं मंत्री जी से खुद वहां पर मिला भी था। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक भी मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भर्ती नहीं होता है। जिला अस्पतालों में एक भी मरीज नहीं जाता है

इसका। मेरा सवाल यही है कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस सम्बन्ध में मरीजों की भर्ती की सुविधा कब से प्रदान कर देंगे।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

मान्यवर, जो इन्सेफेलाइटिस के मरीज हैं उसके सम्बन्ध में मैंने बताया कि पीएचसी रेफरल यूनिट हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, शहर का मरीज इस बीमारी से कोई नहीं मरता है, गांव के लोग इसमें मरते हैं। यह गांव की बीमारी है। गांवों में इलाज की कोई सुविधा नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इलाज होगा नहीं तो आखिर उनका कहां पर इलाज होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, गत वर्ष भी यह प्रकरण सदन के समक्ष आया था। उसमें यह मांग की गयी थी कि जो रिसर्च यूनिट बनने वाला है वह गोरखपुर में बने। क्योंकि गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में इसका इफेक्ट ज्यादा हैं बिहार और नेपाल से भी लोग वहां पर इलाज के लिये आते हैं। वहां पर ध्यान केन्द्रित करके शोध केन्द्र बनाया जाय। लेकिन अब यहां किसी पांच सितारा होटल में उसके बनने की बात हो रही है उसका ताना–बाना बुना जा रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से आश्वासन देंगे कि जो रिसर्च सेन्टर पंच सितारा होटल में बनने की बात है वह गांव में ही बनेगा जहां पर एक्चुअल मरीज रहते हैं। दूसरा सवाल है मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं, ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी वहां पर उस सरकार ने जो पीड़ित लोग थे इन्सेफेलाइटिस से जो विकलांग हो गये थे उनके लिए 50 हजार रुपया, जो मर गये थे उनके लिए 50 हजार रुपया और जो इफेक्टेड गांव हैं उनमें मच्छरदानी बटवाने का काम किया था। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि यह सरकार भी उस जनकल्याणकारी कार्य का अनुसरण करेगी और जो, वह शब्द तो हम नहीं कहेंगे असंसदीय हो जायेगा, लेकिन जो इन्होंने उन सुविधाओं को वापिस लेने का काम किया है वह अच्छा नहीं है क्या उसको फिर से यह सरकार बहाल करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि वहां पर क्या उपचार होता है ? अब इन्सेफेलाइटिस का जो बुखार होता है, मैं तो डाक्टर हूं नहीं, लेकिन जाते–जाते इतना समझ गया हूं कि जो यह पीएचसीज में कह रहे हैं, जिला चिकित्सालय में कह रहे हैं, सीएचसीज में कह रहे हैं, पैरासिटामाल की गोली दी जाती है सीरप दिया जाता है जो बुखार में ट्रीटमेन्ट होता है चूंकि यह ब्रेन फीवर है और यह सम्भव ही नहीं है कि इसका इलाज पीएचसीज में हो सके तो जो मरीज सीएचसीज में पहुंच जाते हैं उसको जो फर्स्ट एड दी जा सकती है वह देकर प्रयास किया जाता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

धीरे–धीरे आ रहा है उत्तर आ रहा है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का मामला है, वह इनकी सरकार ने ही वापस ले लिया था हमारी सरकार ने नहीं वापस लिया है, इनकी सरकार ने ही वापस ले लिया था।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक जानकारी दी। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही मुआवजा देने की शुरुआत हुई आप वह तिथि देख लीजिए और बता दीजिए, आज नहीं आप निर्देश दे दीजिए, तीन दिन में बता दें कि किस तिथि को मुआवजा देने का आदेश हुआ और किस तिथि को वापस करने का आदेश हुआ यह सदन में किसी दिन बता दें। यह प्रश्न से अलग बीच में इन्होंने यह बात बताई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि यह तिथि वह बताने की कृपा करेंगे ? आज नहीं बताइये चाहे जब बताइये, इसी सत्र में बता दीजिएगा, कल बता दीजिएगा।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कल बता देंगे।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से केवल एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इन्सेफेलाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1978–79 से है, और मैं तो पीएमएस0 सर्विसेज में रहते हुए लखनऊ से जब ट्रांसफर हुआ था गोरखपुर के लिए तो जिला अस्पताल गोरखपुर में भी इन्सेफेलाइटिस के मरीजों का इलाज हुआ करता था। जिला चिकित्सालय में ही पहले से इन्सेफेलाइटिस के मरीजों का ज्यादातर इलाज होता रहा है और माननीय अध्यक्ष जी, इन्सेफेलाइटिस पर कई बार चर्चा इस सदन में हुई है और सारे सदस्यों ने अपनी चिन्ता भी जाहिर की है। इन्सेफेलाइटिस के मरीज का इलाज फिक्स्ड है आलमोस्ट करीब–करीब फिक्स्ड है और जो उसकी आवश्यकताएं हैं कि सेक्शन मशीन होनी चाहिए, ट्रांसमीशन के लिए होना चाहिए, आक्सीजन होनी चाहिए यह सब चीजें जिस भी अस्पताल में रही हैं और उस वक्त यह बिलकुल उसका ट्रीटमेन्ट का पैटर्न भी निर्धारित था। धीरे–धीरे जब डाक्टरों की कमी हुई है, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत हद तक सही भी है लेकिन थोड़ा हकीकत से परे है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों जगहों पर इसका इलाज हो सकता है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि मैंने इन्सेफेलाइटिस वार्ड खोला है जिला अस्पताल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आपने इसके इलाज के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराई

है उसके लिए आपने इन्सेफेलाइटिस के रोगियों के इलाज के लिए उन जगहों पर अलग से क्या इंतजामात किये हैं जो सामान्य तौर पर दूसरे मरीजों से अलग हट करके होते हैं, एक प्रश्न तो मेरा यह है ? दूसरा यह कि जो अभी आपने कहा कि हमने शोध संस्थान की स्थापना करायी, मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में इन्सेफेलाइटिस शोध संस्थान की स्थापना इसके पहले की पूर्ववर्ती सरकार में मुख्यमंत्री रहे मा0 मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा करायी गयी थी और उनके द्वारा वहां पर धन अवमुक्त किया गया था वर्तमान समय में वहां पर वाइरोलोजी इन्स्टीट्यूट पूना से आकर के और एक साइंटिस्ट वहां पर कार्यरत है, पूरे स्टाफ की अभी स्वीकृति नहीं प्राप्त हो पायी है, अब चूंकि यह प्रकरण चला जायेगा मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के पास लेकिन मेडिकल कालेज की बात आयी है, मेडिकल कालेज ही केन्द्र रहा है इलाज के लिए, मैं केवल आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि जिला अस्पतालों में या मेडिकल कालेज जिला अस्पतालों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मूलतः तो प्रश्न यह है कि मा0 आर0एम0डी0 अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज की बात जबकि हकीकत यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की उपलब्धता ही नहीं है तो वहां पर इलाज क्या हो पायेगा, लेकिन जहां पर चिकित्सक होंगे वहां पर निश्चित तौर पर जो सेट गाइडलाइन्स है, उसके हिसाब से उसका इलाज हो सकता है, तो कृपया इस प्रश्न का जवाब दे देंगे और दूसरा ये जो टीकाकरण आपका है इसी बजट मैनुअल में जो बजट भाषण है मा0 मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर दिया गया है उसमें आपने कहा है कि एक से 15 वर्ष आयु के बच्चों को 34 जनपदों में साढ़े तीन करोड़ बच्चों का टीकाकरण टीका लगा के सुरक्षा प्रदान की जा चुकी हैं ये आंकड़े चूंकि ये वार्षिक बजट है, ये इस साल का बजट है तो क्या ये जो आंकड़े हैं साढ़े तीन करोड़ हैं, ये साढ़े तीन करोड़ केवल एक वर्ष के आंकड़े हैं या ये साढ़े तीन करोड़ कब से कब तक आपने इतने लोगों का टीकाकरण कराकर के और उनको ये सुरक्षा प्रदान की है और अंतिम प्रश्न मा0 अध्यक्ष जी जिसको बार–बार मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इन्सेफेलाइटिस जैसा रोग और बराबर इस बात को मैं मांग करता रहा हूं कि क्या उसके टीकाकरण को राष्ट्रीय टीकाकरण, मा0 अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का एक अंग बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी या नहीं, बस मेरे इतने छोटे से प्रश्न हैं और नहीं अगर हो सकते हैं तो नियम 49 में चर्चा के लिए स्वीकार कर लीजिए ?

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं आप अनुपूरक करिए।

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

सबसे पहले तो जिस वाइरोलाजी इन्स्टीट्यूट की अभी बात की बिल्कुल सत्य है कि आपके समय बना था बिल्डिंग बनी थी, भवन बना था, लेकिन वह भवन बनने के बाद 2 साल तक आपकी ही सरकार में बनने के बाद भी बंद पड़ा रहा।

प्रयास करके 2007 के बाद 2008 में डा0 मिलिंद गोरे वहां पर आये थे, वे वाइरोलॉजी इन्स्टीट्यूट गये थे हमारी सरकार ने कम से कम 5 बार प्रयास किया था मैं भारत सरकार में जाकर स्वयं अंबूमणि रामदास से मिलकर चूंकि बाइरोलॉजिस्ट की बहुत कमी होती है उसके बाद उन्होंने हमको स्वीकृति दी उसके बाद प्रोफेसर मिलिन्द गोरे की वहां पर पोस्टिंग हुयी, मैं पहले भी बता चुका हूं। आपकी बात सही है आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास कमी है चिकित्सकों की और धीरे–धीरे बीच में जो जिला चिकित्सालय से विश्वास और भरोसा उठ गया था। जब किसी चीज से भरोसा उठ जाता है तो पुनः स्थापित करना यह बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आयी थी, 100 परसेन्ट इमुनाइजेशन किया, जितना भी हमारे पास सामान है आपके सुझाव से क्योंकि आप लोग हमको सुझाव देते हैं, हम आपका सुझाव लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए श्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं। आपके ही सुझावों से आपने ही कहा था कि वहां पर इन्सेफेलाइटिस वार्ड होने चाहिए उसकी स्थापना हुयी और जहां तक आपने इमुनाइजेशन के लिए कहा है। जितनी हमको वैक्सीन मिली है जबसे हमने जितने लोगों को वैक्सीन दी है प्रवेन्टिव, रूटीन में हो या चाहे हमने ऐसे दिया हो, हां पूरा ये मैं आपको बताना चाहता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्सेफेलाइटिस के मरीजों के पुनर्वास के संबंध में वर्ष 2007 में इसी तरह के एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि पुनर्वास का इलाज इसमें सम्मिलित है और 2010 में आज जवाब आया कि पुनर्वास इसमें शामिल नहीं है। ठीक ही किया क्योंकि पुनर्वास इसमें वस्तुतः गायब हो गया हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्सेफेलाइटिस से जो बच्चे मरने से बच जाते हैं और अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे व काने हो जाते हैं उनको पुनर्वास की बहुत जरूरत है तो क्या माननीय मंत्री जी पुनर्वास की व्यवस्था की दृष्टि से पुनर्वास केन्द्र पुनः प्रारम्भ करेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा–

निश्चित रूप से करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश को चार भागों में विभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार

*1–डा0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश को चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव/सुझाव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा–

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित कर, बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पृथक नये राज्यों के गठन हेतु सहमति प्रदान करें। पुनः राज्य सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 2009 द्वारा भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित कर पृथक पूर्वान्चल राज्य के गठन हेतु सहमति प्रदान करें। संविधान के अनुच्छेद–2 एवं 3 में नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में निहित है।

विषय पर प्रगति केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में ही है।

डॉ0 अजय तोमर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, दो अलग–अलग तरह की स्थिति इसमें है। वर्ष 1920 से उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात विभिन्न स्तरों पर उठती आ रही है। मान्यवर, 1946 में देश की आजादी के पहले भी बापू महात्मा गांधी जी ने, जननायक जयप्रकाश जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छोटे प्रदेशों का पक्ष लिया था उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी भी लगातार छोटे प्रदेशों के पक्षधर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में बांटने की बात और वह चार हिस्से भी कोई केरल, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल की तरह बिल्कुल छोटे प्रदेश नहीं हैं। यह जो उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की बात है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, हरित प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के नाम से हिस्सा बनेगा, यह राजस्थान, कर्नाटक या मध्य प्रदेश के बराबर या उनसे बड़े राज्य होंगे। केवल हमारा बुन्देलखण्ड अवश्य कुछ छोटा हिस्सा होगा लेकिन बुन्देलखण्ड की मांग लगातार लम्बे समय से चली आ रही है। मध्य प्रदेश का हिस्सा मिलकर बुन्देलखण्ड भी बड़ा हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी में आकर घोषणा करते हैं कि प्रदेश सरकार अगर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का काम करेगी तो हम छोटे प्रदेश के प्रस्ताव पर विचार करने का काम करेंगे। प्रदेश की मुखिया माननीया बहन मायावती जी अपने जन्मदिन पर छोटे प्रदेश के संबंध में घोषणा कर चुकी हैं। अभी जब सारा देश तेलगांना की आग देख रहा था तो उस समय प्रदेश की मुखिया के द्वारा छोटे प्रदेश का पक्ष लिया गया था। मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि एक ओर जहां उत्तर प्रदेश की मुखिया द्वारा भारत सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही है वहीं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है यह कहकर, इस छोटे प्रदेश की बात का मखौल उड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रदेश के विभाजन के लिये वर्तमान सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार

है, राष्ट्रीय लोकदल भी छोटे प्रदेश का पक्षधर है और अन्य दल भी छोटे प्रदेश के पक्षधर हैं तो क्यों नहीं, इस प्रदेश की विधान सभा में छोटे प्रदेश का प्रस्ताव लाकर भारत सरकार को भेजने का काम किया जाता। तो क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश विभाजन का प्रस्ताव पास कराकर भारत सरकार को भेजने का काम करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह भारत का संविधान है और भारत के संविधान के अनुच्छेद–3 में नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्रों के सीमाओं के परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। मान्यवर, यह अधिकार केवल संसद को है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा को यह अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक हमारी सरकार का विचार है उस विचार के परिपालन में ही माननीया मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह पत्र लिखा था 11 सितम्बर को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मान्यवर, पूरा पत्र है अगर आप चाहें तो मैं पढ़कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा–

और इसके साथ साथ यह फिर 13 दिसम्बर, 2009 को भी लिखा गया। तो मान्यवर, हमारी सरकार की जो चाहत है हमारी पार्टी की सरकार की, वह छोटे राज्यों के पक्ष में है। लेकिन अधिकार क्षेत्र हमारा नहीं है, अधिकार क्षेत्र संसद को है और भारत की संसद ही किसी क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, इसलिये हमारे विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता और न हमारे यहां विचाराधीन है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर स्थिति प्रदेश में है। एक तरफ केन्द्र सरकार है जो प्रदेश की जनता को यह बताने का काम करती है कि हम प्रदेश का बंटवारा चाहते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार की वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में यह घोषणा की जाती है कि हम भी प्रदेश का विभाजन चाहते हैं। इस देश की दोनों सरकारें प्रदेश का विभाजन चाहती है लेकिन प्रदेश के विभाजन की बात आगे नहीं बढ़ रही। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानना चाहता लेकिन इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इन दोनों सरकारों की मंशा क्या है ? भारत के संविधान की अभी तक बात हुयी। जहां तक मेरी जानकारी में है भारत के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा कि प्रदेश सरकार को विधान सभा में प्रस्ताव पास करने के लिये हिन्दुस्तान की सरकार से कोई अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं हैं और आप प्रदेश का विभाजन भी चाहते हैं और आप केन्द्र सरकार को पत्र भी लिख रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी आप विधान सभा में प्रस्ताव लाकर पास करके केन्द्र सरकार को भेजने का काम करेंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, कोई प्रस्ताव विधिसम्मत होता है। हमारा जो संविधान है इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि पूर्व में कोई प्रस्ताव पास होने की आवश्यकता है। प्रस्ताव पास होने की आवश्यकता पड़ेगी तब जब राष्ट्रपति यहां पर भेजेगें। इसी संविधान में उसकी प्रक्रिया दी गयी है और उसमें भी आवश्यकता नहीं है अगर निर्धारित समय के अंदर विधान सभा का प्रस्ताव नहीं जाता तो संसद में बिल पुर्नस्थापित हो सकता है। वहां से जब हमसे नियमों के अनुसार इच्छा चाही जायेगी तब हमारे प्रस्ताव का कोई औचित्य होता है उसके पूर्व के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिये मान्यवर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(डा0 अनिल चौधरी तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

निश्चित तौर पर मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव का औचित्य बता दिया है, इसके बाद और किसी अनुपूरक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक प्रक्रिया बता दी कि इस प्रकार से आयेगा तो हम करेंगे, अलग से कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात रखी जा रही है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। अभी उत्तरॉचल का बंटवारा हुआ है और उस बंटवारे का जो संदेश मिला है, वहां के लोगों में पछतावा है कि यह गलत हो गया जो यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। मान्यवर, आज हमारे सामने मंहगाई है, हमारे प्रदेश की जनता के सामने मंहगाई है, आज हमारे सामने तमाम योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उसमें पैसे का अभाव बताया जा रहा है। इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सारे मुद्दे छोड़कर आज जरूरत इस बात की है कि प्रदेश का विकास किया जाये और इस तरह से चिट्ठी–पत्री लिखना केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। आज कोई जरूरत नहीं है बंटवारे की, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रदेश के बंटवारे के विरुद्ध है।

श्री हुकुम सिंह–

मा0 मंत्री जी ने प्रक्रिया बतायी कि संविधान में क्या प्रक्रिया है। मैं प्रक्रिया के बारे में नहीं जाना चाहता हूं, मान्यवर, यह नीति और नीयत का प्रश्न है कि आपकी नीति क्या है नीयत क्या है। मान्यवर, आपने पत्र लिख दिये तो बिना विचार किये लिख दिये क्या ? आपने पहले कहा कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अगर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो पत्र आपने क्यों लिख दिये ? मान्यवर, एक तरफ तो पत्र लिख रहे हैं और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो क्या बिना विचार के पत्र लिखते हैं आप ? पहले ही हिस्से का जो उत्तर आया है कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अगर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो आपकी नीयत क्या है और नीति क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न अगर कोई दूसरा मा0 सदस्य करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मा0 हुकुम सिंह जैसे जानकार व्यक्ति, जिनको संविधान के एक–एक अक्षर की जानकारी है। मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा प्रदेश सरकार का विषय है, क्या उत्तर प्रदेश की विधान सभा बंटवारा कर सकती है, अगर नहीं कर सकती है तो यह विषय विचाराधीन नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी की सरकार की नीयत का सवाल है उसके संबंध में मैंने यहां पर उल्लेख किया कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर आप सहमति दें तो तत्काल हम प्रस्ताव के रूप में भी जब आपकी अपेक्षा होगी, हम विधान सभा से भी प्रस्ताव पास करके भेज देंगे लेकिन सहमति दें क्योंकि यह प्रदेश सरकार के विचाराधीन प्रश्न नहीं है क्योंकि यह प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और जो कारण बताये हैं, मैं पूरी स्पष्टता से यह बात बताना चाहता हूं कि भाषा, धर्म और क्षेत्रीयता के सवाल पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश के बॅटवारे के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खिलाफ है। इसका परिणाम हमने देखा है असम में, इसका परिणाम हमने देखा है बम्बई में और उत्तर प्रदेश के इसी सदन में हम एक दुर्भाग्यशाली प्रस्ताव पारित कर रहे थे और उत्तरॉचल अलग हुआ। आज उत्तर प्रदेश के लोगों की उत्तरांचल में जो स्थिति है उसके बारे में मा0 अवधेश प्रसाद जी ने बताया है, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह सरकार एक ओर तो अपनी नीयत बता रही है कि छोटे–छोटे प्रदेश हों क्योंकि पूर्वांचल का भी भला चाहते हैं, बुन्देलखण्ड का भी भला चाहते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो चाहते ही हैं। मान्यवर, दोनों स्थितियों में भिन्नता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वह आरोप लगाते हैं कि हमारी कमाई पूर्वांचल को चली जाती है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्वांचल के पिछड़े होने के आधार पर उसे अलग करने की बात कर रही है लेकिन श्रीमन् जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें पूर्वांचल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न पूछें, बजट की चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, प्रश्न पूछिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्वांचल के पिछड़ेपन के आधार पर अलग प्रदेश बनाने की बात कर रही है, लेकिन श्रीमन् बजट प्रस्तुत हुआ है पूर्वान्चल के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है और श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष–

आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप हर पार्टी की आइडियोलॉजी बता रहे हैं। यह कहां प्रश्न है ? समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इन्होंने अपनी नीयत उजागर कर दी, यह पक्ष में नहीं हैं, दूसरे का समय भी ले रहे हैं। बजट में जब चर्चा होगी तो आप अपनी बात रखियेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चूँकि आप भी पूर्वान्चल से आते है, आप पूछ नहीं सकते, मैं आपकी भी बात रखना चाहता हूँ। पूर्वान्चल में इतना पिछड़ापन है और सरकार पूर्वान्चल के विकास के लिए कुछ करना नहीं चाहती। पूर्वान्चल के विकास के लिए प्रदेश को टुकड़ों में बाँटना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी साहब आप मेरी बात मत रखिये, अपनी रख लें। वरिष्ठता का लाभ मत लीजिए, कोई फैसला जोर से बोलने से नहीं हो जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा प्रश्न है कि जो पत्र आपने लिखा है पूर्वान्चल के विकास का प्रयास करेंगे और प्रदेश को बाँटने के अपने पहले वाले पत्र से वापस लौटने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह क्या प्रश्न है, वापस लौटने का प्रयास करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या आप अपना पत्र वापस लेने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा प्रश्न करिये जिससे सदन में आप लोगों का सम्मान हो। पत्र लिख दिया है, पत्र लिख दिये है तो अब वापस लेने की बात कर रहे है।

डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ। मुझे अवसर दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। पूर्वान्चल के पिछड़ेपन के सवाल पर यह सरकार मजाक कर रही है और प्रश्न का उत्तर तक नहीं दे रही है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। पूर्वान्चल विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मान्यवर, सरकार पूर्वान्चल विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष–

चिट्ठी वापस होगी या नहीं लेकिन आप तो वापस हो जायं।

डा0 अनिल चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन नियमों के अलावा परम्पराओं से भी चलता है। मेरे संज्ञान में दो बातें आती हैं, जब पंजाब का विभाजन हुआ था और उससे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बनाये गये थे तब यह बात आयी थी, संविधान में व्यवस्था नहीं थी लेकिन यह बात आयी थी कि विधान सभा से भी इस पर सहमति ले ली जाए। इसी सदन के अन्दर जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ था तो इस प्रदेश की सरकार प्रस्ताव लायी थी और उस प्रस्ताव पर विचार करके केन्द्र की सरकार ने उत्तराखण्ड बनाने का काम किया था। मैं आपको इस सदन की महान परम्परा की ओर ले जाता हुआ मा0 मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न मेरा यही है कि क्या उस परम्परा का पालन करते हुए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को इस सदन से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब स्पष्ट उत्तर आ गया है, अब कितनी बार आयेगा।

डा0 अनिल चौधरी–

मैं परम्परा का उल्लेख करके कह रहा हूँ जो परम्परा है इस आदरणीय सदन की।

श्री अध्यक्ष–

परम्पराओं का पालन करना, न करना अलग विषय है, आप परम्पराओं के आधार पर कराना चाहते है। यह अलग विषय है, इस पर नहीं हो पायेगा।

डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, अभी मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार की साफ सोच है, साफ नीयत है कि हम छोटे प्रदेश के पक्षधर है, अगर सरकार की सीधी सोच है और सरकार छोटे प्रदेश की पक्षधर है तो क्या आज सदन में प्रस्ताव ला करके, छोटे प्रदेश का प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसके बारे में दसों बार उत्तर आ गया है, वही अनुपूरक आपने पूछा है। प्रस्ताव के बारे में तीन–चार माननीय सदस्य पूछ चुके है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मान्यवर, यह सरकार प्रस्ताव भेजना नही चाहती है और टालमटोल कर रही है। बार–बार पूछे जाने पर भी कोई स्पष्ट बात नहीं बता रही है। सरकार के इस रवैये के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रक्रिया भी बता दी है। अब बैठ जाइये, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :–नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये उपाय

*1--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वायु प्रदूषण की दृष्टि से प्रदेश के कौन--कौन से शहर "टाप 5" घोषित किये गये है ? प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से इन शहरों के प्रदूषण में क्या कोई कमी आयी है। यदि नहीं, तो क्यों ?

(नगर विकास एवं पर्यावरण, वाणिज्य कर तथा मनोरंजन कर) श्री नकुल दुबे--

प्रदेश में वायु प्रदूषण की दृष्टि से लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी एवं गाजियाबाद को चिन्हित किया गया है।

जी हाँ।

लखनऊ शहर की वायु गुणता में वर्ष 2005 व वर्ष 2009 के मध्य अनुश्रवण परिणामों के अनुसार एस0 पी0 एम0 में लगभग 2 से 3 प्रतिशत एवं सल्फर डाई आक्साइड में लगभग 33 से 37 प्रतिशत का सुधार कुछ अनुश्रवण स्थलों पर पाया गया है।

कानपुर शहर की वायु गुणता में वर्ष 2005 वर्ष 2009 के मध्य सल्फर डाई आक्साइड में लगभग 30 से 62 प्रतिशत का सुधार पाया गया है।

आगरा शहर में वर्ष 2005 से वर्ष 2009 के मध्य वाहनों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु वायु गुणता में प्रदूषणकारी तत्वों में वृद्धि नहीं पायी गयी है।

गाजियाबाद शहर की वायु गुणता में वर्ष 2005 व वर्ष 2009 के मध्य एस0 पी0 एम0 की मात्रा में 04 प्रतिशत का सुधार पाया गया है।

वाराणसी शहर में वर्ष 2005 से वर्ष 2008 के मध्य वायु गुणता में एस0 पी0 एम0, आर0 एस0 पी0 एम0, सल्फर डाई आक्साइड में कतिपय अनुश्रवण स्थलों पर सुधार पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के संगम तट पर माघ मेला हेतु शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराने की मांग

*2--श्री जोखू लाल यादव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इलाहाबाद के संगम तट पर सम्पन्न होने वाले माघ मेला के लिये शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के निराकरण हेतु योजना

*3–श्री उदयभान करवरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जनपद नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित है ? क्या इलाहाबाद जनपद के यमुनापार क्षेत्र में लालसलाम नामक संगठन के द्वारा चलाई जा रही नक्सलवादी गतिविधियों की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर नक्सलवाद से प्रभावित है।

जनपद इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में लालसलाम नामक किसी नक्सली संगठन की सक्रियता प्रकाश में नहीं आयी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) के सहसंगठनों "अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा" एवं "लाल झंडा मजदूर यूनियन" आदि के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के दौरान लालसलाम का अभिवादन एवं नारेबाजी की जाती है, जिससे लोग इसे लालसलाम नामक संगठन के रूप में पुकारने लगे हैं। उक्त संगठन के सदस्य/कार्यकर्ता धरना, प्रदर्शन, सभा के दौरान तमंचा, गड़ासा, बल्लम, तलवार, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष आदि लिये रहते हैं। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा वन, पहाड़ एवं गांव समाज की जमीन को उनका बताते हुए उस पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नक्सलवाद की समस्या एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है और इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास की रणनीति अपनायी है। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जनमानस में प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास की भावना पैदा हुई है।

केन्द्रीय सचिवालय की भांति प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता, शिक्षा भत्ता एवं ग्रेड-पे परिवर्तित किये जाने की मांग

*4–श्री सुधीर कुमार–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय की भांति प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों को परिवहन भत्ता एवं शिक्षा भत्ता दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के परिवर्तित ग्रेड-पे के अनुसार प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों का भी ग्रेड-पे परिवर्तित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों के लिये वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों/सुविधाओं का लाभ केन्द्रीय कर्मचारियों की समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये जाने की राज्य सरकार की वचनबद्धता नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए, विभिन्न प्रकार के भत्तों/सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाते है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के जिन पदों जैसे समीक्षा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, की समकक्षता केन्द्रीय सचिवालय से निर्धारित है, के सम्बन्ध में दिनांक 01-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन में संशोधन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेन्च खोले जाने की मांग

*5–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट की बेन्च पश्चिमी उ0प्र0 में खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार पश्चिमी उ0प्र0 में बेन्च स्थापित होने तक पश्चिमी उ0प्र0 के जिलों व रुहेलखण्ड के जिलों को न्यायिक प्रक्रिया के लिये लखनऊ खण्ड-पीठ से जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है। परिणामस्वरूप भारत सरकार से इस विषय में आवश्यक निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

उ0 प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत होने वाले चुनावों में तीन से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर विचार

*6–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या निर्वाचन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत होने वाले चुनावों में ऐसे व्यक्ति जिनके तीन से अधिक बच्चें हैं, को चुनाव लड़ने से रोक लगाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्वाचन, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री (श्री राम हेत भारती)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर में बस दुर्घटना में मृतक आश्रितों को सहायतार्थ की गयी घोषणा के सम्बन्ध में पत्र

*7–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 19-2-08, जो लच्छेडा रजवाहे के पास पीनन, थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर में बस सं0 यू0पी0 12-0-5011 के दि0 09-09-05 को दुर्घटना ग्रस्त होने के उपरान्त प्रशासन द्वारा एक–एक लाख रुपये मृतक आश्रितों को दिये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में था, संलग्नक सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैंको द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में बल प्रयोग पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही

*8–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि बैंक द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में जोर जबरदस्ती तथा बल प्रयोग करने पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद भी घटनायें रुक नहीं रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में बल प्रयोग पर रोक लगाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक द्वारा प्रदत्त कर्ज की वसूली में प्रदेश के किसी भी जनपद में जोर जबरदस्ती की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील संख्या (क्रिमिनल) 267/2007 मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक लि0 बनाम प्रकाश कौर एवं अन्य के मामले में दिनांक 26-2-2007 को पारित निर्णय के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को अपने परिपत्र दिनांक 7-7-2007 द्वारा आदेशित किया गया है कि बैंक कर्ज की वसूली में बल प्रयोग व अवैधानिक कृत्य करने के संबंध में संबंधित एजेण्ट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कठोर वैधानिक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नक्सलवाद पर नियंत्रण हेतु नीति

*9–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नक्सलवाद पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। प्रदेश में नक्सलवाद के नियंत्रण हेतु एक सुविचारित कार्ययोजना बनाई गयी है। नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए जहां एक ओर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की गयी है, वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास की रणनीति अपनाई गयी है।

सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संदर्भ में सूचना एकत्रीकरण, सुरक्षाग्रिड की स्थापना सुरक्षा बलों का व्यवस्थापन, प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा प्रबन्धन एवं अर्न्तप्रदेशीय समन्वय तथा एरिया डौमिनेशन की कार्यवाही प्रमुख रूप से की गयी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास की रणनीति के तहत क्षेत्रीय निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है और यहां के लोगों को विकास परक योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है।

कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता में पैठ बनाई गयी है।

प्रदेश में स्थानीय निकायों में गृह कर व जल कर निर्धारण के शासनादेश

*10–डा0 अजय तोमर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) में गृह-कर (आवासीय/व्यावसायिक) व जल-कर निर्धारण का कोई शासनादेश अथवा मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

नगर निगमों में उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 173 एवं 174 के अन्तर्गत गृह-कर आरोपण हेतु प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित है। आवासिक एवं अनावासिक भवन/भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना की व्यवस्था धारा–174 में है, जिसके आधार पर सम्पत्ति-कर (गृह-कर) निर्धारित किया जाता है। आवासिक भवन/भूमि के गृह-कर निर्धारण हेतु धारा 174, 207 क, 221 ख के अधीन स्व–कर निर्धारण हेतु उ0 प्र0 नगर निगम (सम्पत्ति-कर) नियमावली, 2000 (यथा संशोधित) वर्तमान में प्रभावी है।

नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत में गृह-कर के निर्धारण/आरोपण की व्यवस्था उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 में है। जल-कर का निर्धारण/आरोपण उ0 प्र0 जल सम्पूर्ति एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 52 के अधीन किया जाता है।

नगर निगमों में अनावासिक भवन/भूमि के सम्पत्ति स्व–कर निर्धारण हेतु नियमावली बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*11–श्री मदन चौहान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधायकों एवं सचिवालय कर्मियों के आवागमन हेतु भूमिगत पथ बनवाये जाने की मांग

*12–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों एवं सचिवालय कर्मियों के लिए ट्रैफिक समस्या के दृष्टिगत विधान भवन से दारुलशफा सचिवालय एनेक्सी, बापू भवन, राजभवन, रायल होटल चौराहा, हजरतगंज चौराहा आदि के आवागमन हेतु भूमिगत पथ बनाने की कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं ? नगर निगम, लखनऊ द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर में अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1–श्री लाल जी यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0अ0सं0–127/09, धारा–395/397, थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर में कौन कौन से लोग अभियुक्त हैं और इन लोगों की गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मुकदमें में वांछित लोगों की गिरफ्तारी करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 19-3-09 को पंजीकृत मु0अ0सं0–127/09, धारा–395/397 भादवि0, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर में 1–श्री बृजेश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष व नायब दरोगा व 04 कान्स्टेबल थाना नेबुआ नौरंगिया, 2–सुरेन्द्र पुत्र लाल बचन, 3–सीता पुत्र लगन, 4–लाल बचन पुत्र रमई, 5–धर्मेन्द्र पुत्र लाल बचन, 6–रूदल पुत्र जगत, 7–सुरेश पुत्र परमहंस, 8–गब्बू पुत्र राजेन्द्र, 9–राम अवध पुत्र सीता, 10–रामप्यारे पुत्र चिलई, 11–मोहन पुत्र भगवान, साकिन, नौरंगिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद–कुशीनगर अभियुक्त हैं।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0ना0पु0 श्री वीरेन्द्र नाथ तिवारी को सुपुर्द किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा झूठा पाये जाने के कारण विवेचक द्वारा दिनांक 20-3-09 को मुकदमा एक्सपोज कर दिया गया तथा अंतिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। इसलिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय खुर्शीद जुबैर, प्रिन्सिपल खुनखुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ की पारिवारिक पेंशन पर देय मंहगाई भत्ते के संबंध में पत्र

2–श्री लाल जी यादव–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 27-8-09, जो मोहम्मद जुबैर हसन, 2/40, विराट खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को दिनांक 1-7-2002 से उनकी पत्नी स्वर्गीय खुर्शीद जुबैर, प्रिन्सिपल खुनखुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ की पारिवारिक पेंशन पर देय मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर में हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग कराये जाने की मांग

3–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर में सूखा पड़ने के कारण जल स्तर गिरने से मई, 2007 से सितम्बर, 2009 तक कितने हैण्डपम्प फेल हो गये हैं तथा कितने हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया गया है ? क्या पठारी क्षेत्र के सभी फेल हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

ग्राम विकास मंत्री (श्री ददू प्रसाद)–

दिनांक 31-3-2009 तक जनपद बांदा में 3166, जनपद चित्रकूट में 1637, जनपद महोबा में 769 तथा जनपद हमीरपुर में 2612 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य चिन्हित किये गये थे, जिन्हें सितम्बर, 2009 तक रि-बोर कराकर चालू कर दिया गया है।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में रि–बोर योग्य चिन्हित हैण्डपम्प को अगले वित्तीय वर्ष में रि-बोर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता

नगर निगम, इलाहाबाद के अन्तर्गत नजूल भू–खण्ड डी0डी0/1 सिविल लाइन में अवैध कब्जा हटाने की मांग

4–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, इलाहाबाद के अन्तर्गत नजूल भू–खण्ड डी0डी0/1 सिविल लाइन, में स्टेनली रोड, इलाहाबाद पर स्थित बंगला नं0–6 के आंशिक क्षेत्रफल 156.80 वर्गमीटर दिनांक 31–3–08 को विधिक रूप से फ्री होल्ड किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भू–खण्ड से अवैध कब्जेदार हटाने के लिये शासन द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 09 को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भू–खण्ड से अवैध कब्जा हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अवैध कब्जा कब तक हटवा दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 के पत्र संख्या 2276/आठ-4-2008-213-एन/2005, दिनांक 07 जनवरी, 2009 द्वारा जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्रकरण में पत्र दिनांक 28-08-2008 के क्रम में की गयी कार्यवाही की जानकारी मांगी गयी है।

जी नहीं।

नगर निगम, इलाहाबाद के नजूल भूखण्ड संख्या डी0डी0/1, सिविल स्टेशन से फ्री होल्ड डीड के मानचित्र में प्रदर्शित आन्तरिक रोड है। दिनांक 05.08.2009 को पुनः निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि अतिक्रमण प्राईवेट भूमि पर है जो सार्वजनिक सरकारी मार्ग नहीं है। ऐसी भूमि से अतिक्रमण हटाने का दायित्व नगर निगम की परिधि में नहीं आता है।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत पट्टी के सभी वार्डों में खराब हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग कराये जाने की मांग

5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के सभी वार्डों में दिनांक 20-05-2008 तक कुल कितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? क्या सरकार उक्त खराब हैण्डपम्पों की रिबोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

नगर पंचायत, पट्टी के 10 वार्डों में दिनांक 20-05-2008 तक कुल 7 हैण्डपम्प खराब थे, जिनमें एक हैण्डपम्प विशेष मरम्मत का एवं 6 हैण्डपम्प रिबोर योग्य थे।

जी हां।

वर्ष 2007-08 में उपलब्ध धनराशि से 2 हैण्डपम्प रिबोर कराये गये एवं 01 विशेष मरम्मत वाले हैण्डपम्प को ठीक कराया गया। शेष 4 हैण्डपम्पों को दिनांक 24-03-2010 तक रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड आसपुर देवसरा के कतिपय ग्रामों में हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कराने की मांग

6–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम कोटिया, मरगूपुर, महुली, रमगढ़ा, विकास खण्ड आसपुर देवसरा में लगे हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराकर ठीक करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

ग्राम कोटिया में 02, मरगूपुर में 02, महुली में 01, तथा रमगढ़ा में 02 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं।

रिबोर योग्य हैण्डपम्प को रिबोर कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी के किरायेदारों से जलकर की वसूली पर रोक लगाये जाने की मांग

7–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम की लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी के अध्यासियों से किरायेदारी के आधार पर किराया जमा कराया जाता है ? यदि हां, तो किरायेदारों से किस आधार पर जलकर की वसूली प्रतिवर्ष की जाती है ? क्या सरकार उक्त कालोनी के किरायेदारों से जलकर की वसूली पर रोक लगाते हुए उसे समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

जी नहीं, किरायेदारों से जलकर की नहीं बल्कि जल मूल्य की वसूली वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवर्ष की जाती है। किरायेदारों से वसूली इसलिये की जाती है, क्योंकि वे उसके अध्यासी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी के पते दर्शाने हेतु नक्शा/बोर्ड कालोनी में स्थायी रूप से लगाने की मांग

8–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ स्थित रिवर बैंक कालोनी के निवासियों के पते दर्शाये जाने से सम्बन्धित कालोनी का नक्शा/बोर्ड

जुलाई, 2009 में सी 1/1 स्थित चौराहे पर लगाया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त नक्शा/बोर्ड मात्र एक सप्ताह के भीतर ही हटा दिया गया ? क्या उक्त नक्शा/बोर्ड कालोनी में स्थायी रूप से लगाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

जी नहीं, नगर निगम, लखनऊ द्वारा नहीं हटाया गया है।

जी हां, वर्तमान में पुनः प्रश्नगत नक्शा/बोर्ड स्थायी रूप से लगवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग

9–श्री सुधीर कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु राजकीय अध्यापकों की भांति 62 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो इसका शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायादती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति इसका औचित्य नहीं है।

जनपद बांदा में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम सभा जौहरपुर को चयनित किये जाने संबंधी जानकारी

10–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 से सितम्बर, 2009 तक डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा जौहरपुर को चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सभी मजरों, पुरवों सहित सभी बिन्दुओं से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)–

जनपद बांदा में ग्रामसभा जौहरपुर को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में चयनित किया गया है।

ग्रामसभा जौहरपुर को निर्धारित मानकों के अनुसार योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से संतृप्त किया गया है। तत्समय उनके कार्यक्रमों से समस्त मजरों/पुरवों को संतृप्त किये जाने की नीति निर्धारित नहीं की गयी थी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी, कमासिन में हरियाली व अन्य कार्यक्रम हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी डी0पी0ए0पी0 घाटमपुर को प्राप्त धनराशि

11–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी, कमासिन में हरियाली व अन्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006–07 से सितम्बर, 2009 तक बैचवार कुल कितनी धनराशि किन-किन ग्रामों के लिये कार्यदायी संस्था–भूमि संरक्षण अधिकारी डी0पी0ए0पी0 घाटमपुर को प्राप्त हुई है ? क्या कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व से हुए कार्यों की फर्जी एम0बी0 बनाकर सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)–

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा भूमि संरक्षण इकाई डी0पी0ए0पी0 घाटमपुर के नाम से कोई भी इकाई सृजित नहीं है और न ही कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर, थाना कल्यानपुर में दर्ज मुकदमों के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

12–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर, थाना कल्यानपुर में दिनांक 27-11-08 को मु0अ0सं0 334/08, धारा 377/302/201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज हुआ है यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार मु0अ0सं0 334/08 धारा 377, 302, 201 भा0द0वि0 के अन्तर्गत स्वंयवर सिंह, शिवाधार सिंह व राम प्रकाश चौहान के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है।

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन एवं अन्य तथ्यों के आधार पर पाया गया है कि मृतक प्रेम प्रकाश शर्मा पढ़ने में कमजोर होने के कारण हीन भावना से ग्रसित होकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर लिया था। विवेचना से लगाये गये आरोप असत्य पाये जाने के फलस्वरूप एफ0आर0 सं0–14, दिनांक 28-11-08 को लगा दी गयी थी किन्तु उक्त रिपोर्ट को रोककर पुनर्विवेचना दूसरे थानाध्यक्ष से भी करायी गयी। किन्तु उक्त विवेचना से भी पूर्व तथ्य ही प्रकाश में आये, अतएव अन्तिम रिपोर्ट व समस्त केस डायरी न्यायालय प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी तथा कल्याणपुर आदि में डी0पी0ए0पी0 योजनान्तर्गत प्राप्त हुयी धनराशि के भुगतान की जांच

13–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा डी0पी0ए0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से सितम्बर, 09 तक भूमि संरक्षण अधिकारी, डी0पी0ए0पी0 चित्रकूट द्वारा ब्लाक नरैनी में तथा कल्याणपुर गुढ़ाकला प्रसिद्धपुर/पियार सिरसौना में हरियाली कार्यक्रम के तहत कुल कितनी धनराशि बैचवार प्राप्त हुई है ? क्या कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में हुये कार्यों के ऊपर ओवर लैपिंग कर फर्जी भुगतान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार दोहरे–

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण इकाई डी0पी0ए0पी0 चित्रकूट के अन्तर्गत विकास खण्ड नरैनी में डी0पी0ए0पी0 की मात्र छः परियोजनायें आवंटित की गयी जिनका नाम गुढ़ाकला सिरसौना, प्रसिद्धपुर, कल्याणपुर, पियार एवं बरसड़ा मानपुर है। ग्राम सभाओं में हरियाली योजनान्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। प्राप्त धनराशि वर्ष 2003–04 से 2008–09 तक हरियाली योजनान्तर्गत विकास खण्ड नरैनी में कार्य कराये जाने हेतु परियोजनाओं पर प्रसिद्धपुर रु0 26.043 लाख, कल्याणपुर रु0 25.628 लाख, पियार रु0 25.836 लाख, गुढ़ाकला रु0 26.327 लाख, सिरसौना रु0 24.260 लाख तथा बरसड़ा मानपुर रु0 26.841 लाख प्राप्त हुये थे।

प्रकरण में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 24-1-05 पर जांच कार्यवाही प्रचलित है।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत चयनित मार्गों का विवरण व निर्माण कार्य

14–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किन–किन मार्गों का चयन किया गया था ? क्या उक्त मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का विवरण निम्नवत् है–

वर्ष 2007–08 (फेज–6) में

पैकेज सं0 यू0पी0–5755 के अन्तर्गत पट्टी चॉदा से दाउदपुर मार्ग लम्बाई 14 किमी0 एवं लागत रु0 316.32 लाख है।

वर्ष 2008–09 में फेज–7 में

1–पैकेज सं0 यू0पी0–5768 के अन्तर्गत रखटा बाजार से कोहडौर मार्ग लम्बाई 15 किमी0 एवं लागत रु0 336.80 लाख है।

2–पैकेज सं0 यू0पी0–5769 के अन्तर्गत हल्लूपुर सीएमएस से अमरी मार्ग लम्बाई 15 किमी0 एवं लागत रु0 336.80 लाख है।

जी नहीं।

उक्त स्वीकृत मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

जनपद उन्नाव में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के कार्यालय में श्री सुरेश गुप्ता, स्टेनो की सम्पत्ति की जांच की मांग

15–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुख्य अभि0 पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय में स्टेनों के पद पर कार्यरत रहे श्री सुरेश गुप्ता जिनका कार्यकाल 30 जून, 2009 को समाप्त हुआ है, ने अपने कार्यकाल में अवैध कमाई करके अकूत सम्पत्ति अर्जित की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सम्पत्ति की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठा0 जयवीर सिंह)–

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) का कार्यालय स्थापित नहीं है। मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उ0 प्र0, लखनऊ का कार्यालय इन्दिरा नगर, लखनऊ में स्थापित है। श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, स्टेनो अधिवर्षता आयु पूरी कर दिनांक 30–06–2009 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री गुप्ता के कार्यकाल में अवैध कमाई एवं अकूत सम्पत्ति अर्जित किये जाने से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध अवैध कमाई एवं अकूत सम्पत्ति अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त न होने के कारण जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों में ग्रामीण सेवा विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य

16–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में कितने जनपदों में आर0ई0एस0 द्वारा सड़क निमा।ण कराया गया ? क्या यह सही है कि जनपद उन्नाव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का कार्य ग्रामीण अभि0 सेवा, उन्नाव द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 2008–09 में किन–किन सड़कों का निर्माण कराया गया ? क्या उन सड़कों का निर्माण समय–सीमा में पूर्ण हुआ ? यदि नहीं, तो समय वृद्धि देने में किन–किन सड़कों में कितने प्रतिशत पेनाल्टी लगाई गई ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

2008–09 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 31 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराया गया है।

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में वर्ष 2008–09 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निम्न सड़कों का निर्माण कराया गया है–

1–बीयूए रोड से फतेहपुर खालसा (0.675 किमी0)।

2–हिलौली करदहा खानपुर रोड से सरामुबारक (2.25 किमी0)।

3–बीयूए रोड से धमनीखेड़ा (2.45 किमी0)।

4–पुरवा अचलगंज रोड से सरसो (3.65 किमी0)।

5–एनएच 25 किमी0 76 से रजुवाखेड़ा (2.65 किमी0)।

6–अजगैन वीरसिंहपुर से मुंडेरा वाया झटकुटी (4.30 किमी0)।

7–बांगरमऊ संडीला रोड से गंभीरपुर वाया मदारपुर (1.70 किमी0)।

8–सुरौती मार्ग से अर्जुनामऊ (0.875 किमी0)।

9–अजगैन मुंशीगंज रोड से बघारी (1.40 किमी0)।

10–एनएच 25 किमी0 57.9 से रूपऊ पुल (6.35 किमी0)।

11–नवाबगंज से बिछिया (10.25 किमी0)।

12–एमएमयू रोड वाया मोहद्दीनपुर (10.905 किमी0)।

उपरोक्त अंकित 12 मार्गों में से 8 मार्गों (क्रमांक–1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 व 12) का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया गया है एवं क्रमांक–3, 4, 5 व 6 पर अंकित सम्पर्क मार्ग समय से पूर्ण नहीं हुये हैं।

क्रमांक–3, 4, 5 व 6 पर अंकित सम्पर्क मार्ग समय से पूर्ण नहीं किये गये हैं, जिनमें समयवृद्धि स्वीकृत की गयी है तथा सम्बन्धित पैकेज संख्या–यू0पी0 6934 व 6935 पर 0.10 प्रतिशत की पेनाल्टी लगायी गयी है।

जनपद उन्नाव के ग्राम मवइया माफी, थाना अचलगंज की ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी रैदास द्वारा दबंगों द्वारा किये गये आतंक विषयक प्रेषित शिकायती–पत्र

17–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम मवइया माफी, थाना अचलगंज की ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी रैदास ने दबंगों द्वारा किये जा रहे आतंक व जाति सूचक गाली देकर मारना–पीटना से सम्बन्धित शिकायती–पत्र दिनांक 10–6–09 पुलिस अधीक्षक, उन्नाव तथा पत्र दिनांक 15–6–09 मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना–पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रेषित बताया गया पत्र दिनांक 15–06–09 प्राप्त होना नहीं गया, परन्तु पत्र दिनांक 10–06–09 पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुआ है।

पत्र की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गयी तथा उभयपक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 का निरोधात्मक कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त उक्त घटना/तथ्यों के सम्बन्ध में श्रीमती राजरानी के प्रार्थना–पत्र दिनांक 1–6–09 के आधार पर थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव पर मु0अ0सं0–1061/09 धारा 352/504/506 भा0दं0वि0 व 3(1) एससी/एसटी एक्ट विरुद्ध रजोल बाजपेयी, वीरेन्द्र शुक्ला, शिवकरन तिवारी एवं मनैयालाल तिवारी दर्ज होकर चारों अभियुक्तों को दिनांक 15–7–2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनोपरान्त साक्ष्य के आधार पर दोनों के विरुद्ध दिनांक 16–7–09 को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा पीड़िता श्रीमती राजरानी एवं उनके पति श्री विश्राम को दिनांक 7–8–09 को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद उन्नाव प्रियदर्शिनी नगर में भूखण्ड सं0–22 के सामने स्थित पार्क को विकसित करने की योजना

18–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव के प्रियदर्शिनी नगर में भूखण्ड सं0–22 के सामने स्थित पार्क को विकसित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां, मो0 प्रियदर्शिनी नगर मं भूखण्ड सं0–22 के सामने स्थित पार्क उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कराया गया था। नगर पालिका परिषद् उन्नाव को हस्तान्तरित होने के उपरान्त पार्क की मरम्मत हेतु आगणन तैयार किया गया था किन्तु धनाभाव के कारण कार्य सम्पादित नहीं कराया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों की जांच

19–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत बंगलादेशी घुसपैठिये अवैध रूप से रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों की पहचान कराकर दोषियों के खिलाफ जांच करवा कर कड़ी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी बंगलादेशी अभी तक अवैध रूप से वास नहीं कर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे महिला बलात्कार की थाने में दर्ज घटनायें

20–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2008 से मई, 2009 तक प्रदेश में महिला बलात्कार की कितनी घटनायें थानों में दर्ज हुई तथा कितनी घटनाओं पर अब तक क्या–क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश में दिनांक 01–01–2008 से 31 मई, 2009 तक महिला बलात्कार की कुल 2061 घटनायें थानों में दर्ज हुई। इनमें से 1846 घटनाओं मे आरोप पत्र प्रेषित किये गये, 214 घटनाओं में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई। 01 अभियोग विवेचनाधीन है। कुल 1852 घटनाओं में 2984 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 घटना में 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में प्राचार्यों की तैनाती

21–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद चयनित प्राचार्यों की तैनाती करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में पूर्व से ही तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौतें

22–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे 01 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक पुलिस हिरासत में कितनी मौते हुई हैं ? उक्त मौतों के लिये दोषी लोगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में 01 जनवरी, 2009 से 31 मई, 2009 तक पुलिस हिरासत में कोई मौत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज, बिछिया तथा सिकन्दरपुर में जल निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति

23–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल हेतु ब्लाक नवाबगंज, ब्लाक बिछिया व ब्लाक सिकन्दरपुर में कुल कितनी पानी की टंकियों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि टंकियों से नेवरना, सिकन्दरपुर में कितने दिनों से पानी का संचालन नहीं हुआ ? क्या सरकार खराब टंकियों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

विकास खण्ड नवाबगंज, बिछिया तथा सिकन्दरपुर कर्ण में जल निगम द्वारा 16 टंकियों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

लगभग 3 वर्ष से ट्रांसमिशन लाइन चोरी हो जाने के कारण पर्याप्त वोल्टेज पर विद्युत न मिलने के कारण नेवरना ग्राम समूह पेयजल योजना का पम्पिंग प्लान्ट नहीं चल रहा है, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है।

सिकन्दरपुर कर्ण ग्राम समूह पेयजल योजना में विद्युत उपलब्धता के अनुसार ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

टंकियों का रखरखाव आवश्यकतानुसार समय–समय पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री छोटेलाल, सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच

24–श्री लालजी यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री छोटेलाल सेवा निवृत्त एवं वरिष्ठ नागरिक इन्दिरा नगर, लखनऊ के प्रार्थना–पत्र दिनांक 01–06–09, 09–07–09 तथा 09–09–09 के क्रम में प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) उ0 प्र0 शासन द्वारा भेजी गई आंशिक सूचना से सम्बन्धित पत्र दिनांक 01–07–09 के आधार पर मामले में उत्तरदायी एवं दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मियों को निलम्बित करके अन्यत्र स्थानान्तरण करने के संबंध में था, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण में दोषी अधिकारी, अनु सचिव प्राविधिक शिक्षा, निजी सचिव, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं मुख्य प्रवेश पत्र कार्यालय के दोषी कर्मी को नियमानुसार दण्डित करते हुये सचेत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही

25–श्री लाल जी यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल सेवानिवृत्त, उ0 प्र0 सचिवालय एवं वरिष्ठ नागरिक इन्दिरा नगर, लखनऊ का उ0 प्र0 पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 13–3–2009 तथा 23–9–09 जो उनके अधीनस्थ एल0आई0यू0 से श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय, निवासी बी–255, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ के पद पर दिनांक 30–7–08 को पद पर तैनात न होते हुये उक्त पद का फर्जी मुहर लगाकर असत्य एवं गुमराह करके सरकारी गनर दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय दिनांक 30–07–08 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ के किसी भी पद पर तैनात नहीं थे। फलस्वरूप श्री एस0 पी0 वार्ष्णेय के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है।

अध्यक्ष नगर पंचायत नवाबगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

26–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद उन्नाव की नगर पंचायत नवाबगंज में सभासदों द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत के विरुद्ध शिकायती–पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ 27–2–08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां।

अध्यक्ष, नगर पंचायत नवाबगंज, जनपद उन्नाव के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, उन्नाव से करायी गयी। जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त जांच आख्या पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण की जांच उच्च स्तर से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुध अधिनियम, 1959 एवं अधिनियम, 1962 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनपद उन्नाव में कितने आग्नेयास्त्र लाइसेंस मई, 2007 से 31 अक्टूबर, 2008 तक निर्गत किये गये ? क्या यह सही है कि लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदकों के हजारों प्रार्थना–पत्र जनपद स्तर पर अभी भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद उन्नाव में मई, 2007 से 31 अक्टूबर, 2008 तक कुल 54 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं।

उक्त अवधि में प्राप्त 720 शस्त्र आवेदन पत्रों में से 95 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है। अवशेष 625 आवेदन पत्रों पर जांच आख्याएं प्रतीक्षित होने के कारण लम्बित है।

अद्यतन जांच आख्याएं प्राप्त होते ही उपरोक्त 625 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

28–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र, हड़हा-79 में चयनित ग्राम सभायें

29–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र, हड़हा 79 में वर्ष 2007–08 व 2008–09 में कौन कौन से ग्राम डा0 अम्डकर ग्राम के नाम पर विकास हेतु चयनित किये गये ? क्या यह सही है कि वर्ष 2007–08 में ग्राम पोटरिहा को भी चयनित किया गया था ? यदि हां, तो इसके मजरे हुलासखेड़ा तक डामरीकरण व विद्युतीकरण कराने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार--

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा--79 में वर्ष 2007--08 व 2008--09 में निम्नलिखित ग्राम सभायें चयनित की गयी हैं--

चयन वर्ष	ग्राम सभा का नाम
2007--08	1--तौरा।
	2--पोटरिहा।
	3--ओरहर।
	4--भितरेपार।
	5--धन्नीखेड़ा।
2008--09	1--कुइथर।
	2--सरायकटियान।
	3--गोडवा विशुनपुर।
	4--बरूवा।
	5--परसन्दन।
	6--मौहारी।
	7--गोरिन्दा।
	8--सुपासी।
	9--भदोही।
	10--बरूआ।

वर्ष 2007--08 में ग्राम सभा पोटरिहा को चयनित किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्नगत योजनान्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्राम के मजरों तक इन कार्यों से संतृप्तीकरण कराने हेतु तत्समय निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्यता नहीं थी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज बिछिया व सिकन्दरपुर कर्ण में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य

30--श्री सुन्दर लाल लोधी--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज बिछिया व सिकन्दरपुर कर्ण के अन्तर्गत वर्ष 2007 से वर्ष 2009 में कितनी सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का लोकार्पण सदस्य, लोक सभा के द्वारा एवं क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में शिलालेख लगाने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो उक्त निर्मित सड़क में से कितनी सड़कों का लोकार्पण सदस्य, लोक सभा व क्षेत्रीय विधायक द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज, बिछिया व सिकन्दरपुर कर्ण में वर्ष 2007 से वर्ष 2009 में कुल 10 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों का लोकार्पण मा0 सदस्य लोक सभा द्वारा किये जाने हेतु भारत सरकार के निर्देश हैं।

निर्मित मार्गों में से 4 सम्पर्क मार्गों का लोकार्पण मा0 क्षेत्रीय सांसद द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के थाना नाका में दर्ज गुमशुदा नवयुवक की बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग

31–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना नाका में दर्ज मुकदमा अपराध सं0 224, दि0 3-6-2009 में त्वरित विवेचना करते हुए गुमशुदा नवयुवक की बरामदगी सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 03-6-09 को श्री फिरोज आलम पुत्र स्व0 मो0 असगर, नि0 278/84घ राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ द्वारा थाना नाका पर सूचना दी गयी कि उसके भाई सलीम खां, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, दिनांक 30-5-09 से लापता है। इस सूचना पर थाना नाका पर मु0अ0सं0–297/09 धारा 364 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। इसी मध्य गुमशुदा मो0 सलीम खां के बड़े भाई मो0 साहिल पुत्र मो0 असगर ने लिखित रूप से यह तहरीर दी कि उसका लापता भाई सलीम करीब एक माह पूर्व घर वापस आ गया है और घर पर सकुशल रह रहा है। विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट दिनांक 1-7-09 को न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद बागपत के ग्राम व फतेहपुर पुट्ठी के हैण्ड पम्पों के रि-बोर के संबंध में पत्र

32–डा0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, बागपत को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1090/रालोद विमदल/विस/008–क–3 नं0 251973, दिनांक 4-6-08 जो जनपद बागपत के ग्राम व फतेहपुर पुट्ठी के खराब/बन्द पड़े इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रिबोर के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में प्राप्त सभी खराब 27 हैण्डपम्प को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा स्थित आलमगंज में क्षतिग्रस्त शौचालय का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

33–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा स्थित आलमगंज में कोलियों की बस्ती में डूडा द्वारा एक शौचालय का निर्माण कराया गया था जो क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त शौचालय का निर्माण पुनः करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री (डा0 यशवन्त सिंह)–

जी नहीं।

नगर निगम अधिनियम की धारा–114 के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय आदि जन सुविधायें उपलब्ध कराने व उनके रख रखाव का अनिवार्य दायित्व नगर निगम का है, जो एक सांविधिक स्वायत्त शासी निर्वाचित संस्था है।

जनपद आगरा स्थित आनन्द बिहार, गंगे गौरी बाग, बल्केश्वर तथा मोतीकुंज कालोनी थाना, लोहामण्डी की गड्ढायुक्त एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

34–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित आनन्द बिहार, गंगे गौरी बाग, बल्केश्वर तथा मोतीकुंज कालोनी थाना लोहामण्डी की आंतरिक सड़कें विगत छः वर्षों से गड्ढायुक्त एवं जर्जर हैं, जिसके कारण दिन भर सड़क पर पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

आनन्द बिहार नगर निगम, आगरा की हस्तान्तरित नहीं है। इस कालोनी के समस्त विकास कार्य का मूल दायित्व संबंधित कालोनाइजर का है। गंगे गौरी बाग एवं बल्केश्वर क्षेत्र में जनहित के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराये जाते रहते है।

मोतीकुंज कालोनी की आन्तरिक सड़कों में से ज्यादा क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर विगत वर्ष में कराया जा चुका है। शेष आन्तरिक मार्गों के निर्माण की कार्य योजना तैयार की गयी है। धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

जनपद आगरा के जवाहर नगर खन्दारी में दूषित पार्क को स्वच्छ बनाने की मांग

35–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जवाहर नगर खन्दारी, आगरा में ए0डी0ए0 द्वारा छोड़ी गई पार्क की जगह में गन्दा पानी भरा रहता है जिससे मच्छर व गन्दगी के कारण वहां के निवासियों का रहना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान को स्वच्छ करा कर पार्क बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

सन्दर्भित स्थल पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 20 सफाई श्रमिक लगाकर सफाई कार्य कराया जा रहा है व रोस्टर के अनुसार मच्छर मारक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है।

नगर निगम, आगरा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जवाहर नगर कालोनी, नगर निगम, आगरा की हस्तगत नहीं है। यह प्राइवेट कालोनी है जिसमें नगर निगम द्वारा पार्क नहीं बनाया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर एवं मथुरा में दलित उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण

36–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर एवं मथुरा में 01 जनवरी, 2007 से 15 सितम्बर, 2009 तक दलित उत्पीड़न की कितनी घटनायें दर्ज हुई ? जांचोपरान्त कितनी सही व कितनी असत्य पाई गई ? क्या दलित उत्पीड़न की घटनाओं में असत्य पाई गई घटनाओं में शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दिनांक 01 जनवरी, 2007 से 15 सितम्बर, 2009 तक दलित उत्पीड़न की जनपद बागपत में 53, जनपद मुजफ्फरनगर में 125 तथा जनपद मथुरा में 466 घटनाएं दर्ज की गई।

जांचोपरान्त जनपद बागपत में 52 सही तथा 01 असत्य, जनपद मुजफ्फरनगर में 107 सही तथा 18 असत्य तथा जनपद मथुरा में 338 सही तथा 128 असत्य पाई गई।

जी हां।

असत्य पाये जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ 182 भा0द0वि0 की कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

37–श्री सत्येन्द्र सोलंकी–

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0–164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

38–डा0 अनिल चौधरी–

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खण्ड सहपऊ, जनपद महामायानगर के ग्राम बहादुरपुर देवकरन से एटा जनपद की सीमा तक (ग्राम ऊंचा गांव) जिला पंचायत द्वारा लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की मांग

39–डा0 अनिल चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सहपऊ जनपद महामायानगर के ग्राम बहादुरपुर देवकरन से एटा जनपद की सीमा तक (ग्राम ऊंचा गांव) कई वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा एस0जी0आर0वाई0 में अर्द्ध निर्मित मार्ग का पूर्व निर्माण लेपन स्तर तक क्या सरकार द्वारा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

विकास खण्ड सहपऊ जनपद महामायानगर के ग्राम बहादुरपुर देवकरन से एटा जनपद की सीमा तक (ग्राम ऊंचा गांव) कई वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा एस0जी0आर0वाई0 में अर्द्ध निर्मित मार्ग का पूर्ण निर्माण लेपन स्तर तक कार्य कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

40–श्री अब्दुल वारिस खां–

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत लखीमपुर खीरी में चयनित गांव

41–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट योजना के अन्तर्गत नेपाल सीमा से लगे "नोमेंस लैण्ड" के उपेक्षित लखीमपुर खीरी, जनपद में कौन कौन से गांव हैं जिनका चयन सरकार द्वारा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विकास हेतु कुल कितना धन लखीमपुर खीरी जनपद को आवंटित किया गया है ?

सुश्री मायावती–

बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किमी तक की दूरी में पड़ने वाले ग्राम आच्छादित है। इस योजना में लखीमपुर खीरी के पलिया, निघासन एवं रमियाबेहड़ विकास खण्डों के जो राजस्व गांव एवं उनके मजरे सम्मिलित है उनकी कुल संख्या 159 है। विकास खण्डवार सूची† संलग्न है।

---

†छापी नहीं गयी।

वर्ष 2009–10 के लिये अनन्तिम रूप से रु0 684.01 लाख की धनराशि का आवंटन हुआ है।

जनपद इलाहाबाद स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क तथा महर्षि भारद्वाज आश्रम के विकास एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने की मांग

42–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क तथा महर्षि भारद्वाज आश्रम देश प्रदेश के पर्यटन स्थलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इन स्थलों को विकसित व सौंदर्यीकरण करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)–

जनपद इलाहाबाद में स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क तथा महर्षि भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में सम्मिलित है। विभागीय प्रचार साहित्यों एवं वेबसाइट पर इन स्थलों का विवरण उपलब्ध है। शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क स्वाधीनता संग्राम के समय से ही प्रसिद्ध हैं तथा महर्षि भारद्वाज आश्रम प्राचीन काल से आस्था का केन्द्र है।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद पार्क उद्यान विभाग, उ0प्र0 सरकार के अधीन है। इस स्थल का रखरखाव एवं विकास कार्य उद्यान विभाग द्वारा किया जाता है।

महर्षि भारद्वाज आश्रम के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2001–02 में पर्यटन विभाग द्वारा प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया है। इस समय भारद्वाज आश्रम के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर में हत्या, डकैती, बलात्कार की घटनायें

43–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर मे जनवरी, 2009 से सितम्बर, 09 तक कुल कितनी हत्या, डकैती, बलात्कार तथा लूट की घटनायें घटित हुयी हैं ? बुलन्दशहर जनपद को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2009 तक जनपद बुलन्दशहर में हत्या की 75, डकैती 01, बलात्कार की 26 व लूट की 31 घटनाएं घटित हुई है।

जनपद बुलन्दशहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए संगीन अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम, गुण्डा अधिनियम, एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के राइफल क्लब को प्राप्त शुल्क/राजस्व तथा व्यय

44–डा0 अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के राइफल क्लब को विगत 5 वर्षों में कितना शुल्क/राजस्व प्राप्त हुआ तथा तथा प्राप्त धन का किस किस मद में कितना व्यय किया गया ? वर्तमान में राइफल क्लब बागपत में कितना धन अवशेष है ?

सुश्री मायावती–

जिला रायफल क्लब बागपत को लाइसेंसियों से स्वैच्छिक योगदान के रूप में विगत 5 वर्षों में रु0 20,29,716.09 प्राप्त हुआ, जिसके व्यय के विवरण की सूची संलग्न†है।

रायफल क्लब बागपत के पास वर्तमान में रु0 11,94,393.09 अवशेष है।

विशालखण्ड–I गोमती नगर, लखनऊ के भवन सं0–1/843 से 1/848 के सामने स्थित जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

45–श्री सुखलाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन सं0–1/843 से 1/848, विशालखण्ड–I गोमती नगर, लखनऊ के सामने स्थित सड़क जो इस समय जर्जर हालत में है, की मरम्मत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

विशालखण्ड–I गोमती नगर, लखनऊ मं0 सं0–1/843 से 1/848 के सामने स्थित सड़क ठीक अवस्था में है, मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल के रासायनिक, प्रदूषित जल उत्प्रवाह को रोकने हेतु उपाय

46–श्री मदन चौहान–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल के रासायनिक, प्रदूषित पानी को फुलडहरा ड्रेन व सेहल स्केप के द्वारा पूठ नामक स्थान पर पवित्र गंगा में गिराये जाने से राष्ट्रीय जलीय प्राणी डाल्फिन को संकट पैदा हो गया है तथा अन्य जलीय प्राणी व पशुओं की मृत्यु हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदूषित जल उत्प्रवाह रोकने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 236–237 पर।

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की तोता का ताल से न्यू राजा मण्डी होते हुए बेसन बस्ती, लोहा मण्डी तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

47–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा की तोता का ताल से न्यू राजा मण्डी होते हुए बेसन बस्ती, लोहा मण्डी तक की सड़क विगत 7 वर्षों से बहुत ही जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

सन्दर्भित मार्ग आवागमन हेतु संतोषजनक था विगत 1 वर्ष पूर्व जल निगम द्वारा सीवर लाइन डालने के लिए ट्रेन्ग खोदी गयी थी जिसके रेस्टोरेशन की कार्यवाही जल निगम द्वारा करा ली गयी है। मार्ग आवागमन के लिए सुगम है नगर निगम द्वारा समय समय पर मार्ग को पैच रिपेयर के माध्यम से गड्ढा मुक्त किया जाता है। सड़क के उच्चीकरण हेतु नगर निगम द्वारा रु0 72.77 लाख की कार्य योजना तैयार की गयी है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

जनपद आगरा की सड़कों के फुटपाथों को साफ कराये जाने की मांग

48–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा शहर की सड़कों के दोनों ओर के फुटपाथों पर गन्दगी और मलवे के ढेर लगे हुए हैं जिन पर चलना मुश्किल है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन फुटपाथों को साफ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं। वर्तमान में आगरा शहर की सड़क के दोनों ओर के फुटपाथों पर गन्दगी अथवा कूड़े के ढेर नहीं है। नियमित सफाई करायी जा रही है।

जनपद आगरा की मालवीय कुंज तथा एन0 एच0-2 से महिला अस्पताल तथा गधा पांडे की लगड़े की चौकी वाली जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

49–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की मालवीय कुंज तथा एन0 एच0-2 से महिला अस्पताल तथा गधा पांडे की लगड़े की चौकी वाली सड़कें विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

वर्तमान में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जर्जर सड़कों पर स्थल की आवश्यकतानुसार पैच मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न में वर्णित स्थल के सभी सड़कों के निर्माण हेतु आगणन तैयार करा लिये गये है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा अवैध कब्जे हटाने की मांग

50–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जनपद के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? ऐसी कितनी सम्पत्ति बुलन्दशहर नगरपालिका परिषद् के पास उपलब्ध है तथा कितनी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है ? क्या सरकार अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर द्वारा ग्राम हीरापुर के गाटा संख्या 235 से रकबई 13-2-6 बीघा अर्थात 3.318 हे0 एवं कस्बा बरन के गाटा संख्या 1508 के रकबई 1-4-0 व गाटा संख्या 1509 के रकबई 0-8-0 तथा गाटा संख्या 1510 के रकबई 5-13-0 बीघा जिसका कुल क्षेत्रफल 7-5-0 बीघा तथा धमैडा रोड पर गाटा संख्या 122 में 100 वर्ग गज भूमि, इस प्रकार कुल 20-7-6 बीघा तथा 100 वर्ग गज भूमि अधिग्रहीत की गयी है।

रकबई 10-5-6 बीघा भूमि तथा 100 वर्ग गज भूमि नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर के पास उपलब्ध है। शेष रकबई 10-2-0 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे है।

जी हां।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में विधि संगत धाराओं के अन्तर्गत वाद योजित किये जायेंगे। न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

नगरपालिका परिषद् को नगर निगम बनाये जाने की मांग

51–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् को नगर निगम बनाये जाने के मानक क्या हैं ? क्या नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर का सीमा विस्तार करके नगरीय क्षेत्र से सटे ग्राम सरपट, शेरपुर, मिभलाना, अलमासपुर, कूकड़ा, शेरनगर, बिलासपुर व सूजडू को नगर क्षेत्र में सम्मिलित कर नगर निगम का दर्जा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां, शासनादेश संख्या–2896/नौ-8-2001-94 ज/2001, दिनांक 01 अगस्त 2001 द्वारा नगर पालिका को नगर निगम में उच्चीकृत किये जाने संबंधी निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृषितर कार्यकलापों में सेवायोजन

का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के गठन की कार्यवाही की जाती है।

सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-जी0आई0 165/तीन-09-15 (1)/2009 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा जनगणना को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्देश निर्गत किये गये है कि नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमें

52–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में 01 मई, 2009 से 15 अक्टूबर, 2009 तक पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर विभिन्न थानों में मुकदमें पंजीकृत कराये गये हैं ? यदि हां, तो इनका क्या विवरण है ? क्या सभी पंजीकृत मुकदमों की विवेचना पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जनपद मेरठ में पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने 01 जून, 2009 से 15 अब्टूबर, 2009 तक कितने मुकदमों की विवेचना का स्थानान्तरण किया है तथा विवेचना स्थानान्तरण करने के क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

थानेवार विवरण संलग्न†है।

जनपद मेरठ में पंजीकृत कराये गये उक्त अभियोगों में से 27 अभियोगों की विवेचनाएं पूर्ण कर ली गयी है, 02 अभियोगों की विवेचनाएं प्रचलित है जिनमें साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही करायी जा रही है।

जनपद मेरठ में पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने 01 जून, 2009 से 15 अब्टूबर, 2009 तक 34 मुकदमों की विवेचनाओं का निष्पक्ष एवं साक्ष्य के क्रम में शीघ्र विवेचनाओं के निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया है।

जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमें एवं कृत कार्यवाही

53–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में 01 नवम्बर, 2008 से 15 अक्टूबर, 2009 तक कितने मुकदमें धारा–302, 376, 363, 364, 452, 498, 366, 307 व 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विभिन्न थानों में पंजीकृत हुए हैं व प्रत्येक क्षेत्रवार इनका क्या विवरण है ? क्या सभी पंजीकृत मुकदमों में विवेचना पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? विवेचना पूर्णोपरान्त कितने मुकदमों में आरोप–पत्र दाखिल किये गये व कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ? जिन पंजीकृत मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी उनका क्या कारण था ?

---

†देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 238–239.पर।

सुश्री मायावती–

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 01 नवम्बर, 2008 से 15 अक्टूबर, 2009 तक धारा–302, 376, 363, 364, 452, 498, 366, 307 व 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विभिन्न थानों पर पंजीकृत मुकदमों एवं कृत कार्यवाही का विवरण मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

जनपद वाराणसी में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की मांग

54–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि वाराणसी सहित प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी के थाना लंका, भेलूपुर, चोलापुर, मडुवाडीह आदि विभिन्न थानों के अन्तर्गत बड़ी व छोटी चोरी की घटनायें लूट की घटनायें, वाहनों की चोरी आदि की घटनायें आये दिन घटित हो रही हैं ? क्या यह सही है कि थाने के प्रभारी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक थाना क्षेत्र में अपराध कम दर्शाने की प्रक्रिया में पीड़ित लोगों की रिपोर्ट दर्ज करने में आना कानी करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी में लगातार हो रहे अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश, पीड़ित की रिपोर्ट तुरन्त दर्ज करने, जनप्रतिनिधियों से शालीन एवं संसदीय परम्परानुसार आचरण करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद वाराणसी में वर्ष 2008 के सापेक्ष वर्ष 2009 में विभिन्न प्रकार के अपराधों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, अपितु कमी आयी है।

जनपद वाराणसी के थाना लंका, भेलूपुर, चोलापुर व मडुवाडीह सहित समस्त थानों में विगत वर्षों के सापेक्ष चोरी सहित अन्य अपराधों में काफी कमी आयी है। अपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

जनपद वाराणसी के समस्त थाना प्रभारियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट शत प्रतिशत अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसका सम्यक अनुपालन किया जा रहा है। जनपद के प्रत्येक थाना/कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। लिखा हुआ बोर्ड लगाया गया है। जिसके क्रम में जनप्रतिनिधियों से शालीन एवं संसदीय परम्परानुसार आचरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक थानों में पुलिस बल की तैनाती की मांग

55–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर जो अपराध की दृष्टि से संवेदनशील है, में पुलिस अधीक्षक अपराध का पद सृजित कर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या जनपद मुजफ्फरनगर में मानक के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो

क्यों ? वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक थाने में कितना पुलिस बल तैनात है व मानक के अनुरूप कितने की व्यवस्था होनी चाहिए ? उक्त जनपद में मानक के अनुसार पुलिस बल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद मुजफ्फरनगर में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध का पद शासनादेश दिनांक 26-11-2007 द्वारा सृजित किया गया है। पिछले लगभग 10 माह से राज्य स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक के 16 पद रिक्त होने के फलस्वरूप अधिकारियों की कमी के कारण अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध, मुजफ्फरनगर का उक्त पद रिक्त चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है। प्रोन्नति के उपरान्त इस पद पर तैनाती संभव हो सकेगी।

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 11-12-2008 द्वारा प्रदेश में नागरिक पुलिस के विभिन्न श्रेणी के पदों के नियतन में 2,04,081 नये पद सृजित किये गये हैं, जिसके कारण रिक्तियों की संख्या अधिक परिलक्षित हो रही है, जिन्हें भरे जाने की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जा रही है। अतः वर्तमान में पुलिस बल की कमी होने के कारण जनपद मुजफ्फरनगर में मानक के अनुरूप पुलिस बल तैनाती नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक थाने में तैनात पुलिस बल तथा शासनादेश दिनांक 11-12-2008 के अनुसार स्वीकृत पदों का निर्धारित मानक के अनुसार विभाजन से संबंधित तालिका संलग्न†है।

उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस बल उपलब्ध होने पर रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति की जायेगी।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में खराब/ निष्प्रयोज्य हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कराये जाने की मांग

56–डा0 अनिल चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद एवं सहपऊ में स्थापित सरकारी हैण्डपम्पों की कुल संख्या कितनी है ? इन हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्प खराब/निष्प्रयोज्य हैं ? क्या सरकार सभी खराब हैण्डपम्पों को रिबोरिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

विकास खण्ड सादाबाद में 3122 एवं सहपऊ में 1685 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

दिनांक 31-3-09 तक रिबोर योग्य पाये गये क्रमशः 365 व 155 हैण्डपम्प को रिबोर करा दिया गया है। वर्ष 2009-10 के रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में तथा अगले वित्तीय वर्ष में रिबोर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 240–241 पर।

थाना खीरी, जनपद इलाहाबाद में दर्ज अपराध संख्या 130/09 के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी विषयक पत्र

57–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2009 जो थाना खीरी, जनपद इलाहाबाद में दर्ज अपराध संख्या 130/09 के नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी विषयक था, संलग्नकों सहित प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

थाना खीरी पर मु0अ0सं0–130/09 धारा 147/148/149/307/323/504 भादवि दिनांक 07-07-09 को श्री सत्यराज सिंह, पुत्र स्व0 अमर बली सिंह, निवासी ग्राम हरहन, थाना खीरी, इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त पुष्पराज सिंह एवं 07 अन्य नफर निवासीगण ग्राम इटवा खुर्द, थाना खीरी, इलाहाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना से जुर्म धारा 147/148/149/307 भादवि का होना नहीं पाया गया। मात्र 323/504 भादवि जुर्म होना पाया गया। विवेचना से 05 अभियुक्तगणों की नामजदगी गलत पायी गयी। अभियुक्त पुष्पराज सिंह एवं राजू के विरुद्ध धारा 323/504 भादवि में आरोप पत्र संख्या 58, दिनांक 29.08.09 को न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में बंगलादेशियों की घुसपैठ रोकने हेतु कार्यवाही

58–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में बंगलादेशियों की घुसपैठ रोकने के सम्बन्ध में जनवरी, 1990 से अब तक कितने बंगलादेशी घुसपैठिये चिन्हित किये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार इस गम्भीर समस्या को रोकने हेतु कोई रूपरेखा तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 1990 से अब तक कुल 105 बंगलादेशी राष्ट्रिक चिन्हित किये गये जिनमें से 104 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को नियमानुसार उद्वासित किया गया। एक बंगलादेशी राष्ट्रिक श्री इदरीस बर्नी का मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जो वर्तमान में जमानत पर है।

अवैध वास/अवैध घुसपैठ कर रहे बंगलादेशी राष्ट्रिकों को भारत से उद्वासित करने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 14011/55/09/एफ-6, दिनांक 23/25-11-09 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रियान्वयन हेतु शासन के पत्र दिनांक 21-12-2009 द्वारा आवश्यक निर्देश विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्गत कर दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुषमा देवी, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर को मारे जाने की दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

59–श्री लाल जी यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुषमा देवी पत्नी कैलाश बेड़िया, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर को गांव के ही हरिओम, दुर्गेश आदि लोगों द्वारा मारा गया जिसकी एफ0आई0आर0 दिनांक 3–5–09 में थाना सरपतहा में दर्ज करायी गयी है, यदि हां, तो मुल्जिमानों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कराने का निर्देश दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी कैलाश बेड़िया, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर की लिखित सूचना पर दिनांक 05-05-09 को मु0अ0सं0–284/09 धारा 352/325/506 भादवि व 3 (1) 10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग में नामित अभियुक्त दुर्गेश तिवारी हरिओम तिवारी पुत्रगण गौरीशंकर तिवारी निवासी सारी जहांगीर पट्टी थाना सरपतहा, जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग के नामित अभियुक्तों दुर्गेश तिवारी एवं हरिओम तिवारी को दिनांक 7-5-09 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 42 दिनांक 17-5-09 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। सन्दर्भित अभियोग में पीड़िता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार आर्थिक सहायता भी प्राप्त करायी गयी है। साथ ही श्रीमती सुषमा के कमजोर वर्ग का होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से विपक्षी दुर्गेश तिवारी एवं हरिओम तिवारी के विरुद्ध एकपक्षीय 107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही दिनांक 12–7–09 को तथा 151/107/116 द0प्र0सं0 की एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.7.09 को स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में खोड़ा ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

60–श्री मदन चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद में खोड़ा ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0 आई0 165/तीन-09-15(1)/2009 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में बड़ौत देहात व रटौल में नये थाने खोलने की मांग

61–डॉ अजय तोमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार बड़ौत देहात व रटौल में नये थाने खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बागपत में बड़ौत देहात में नया थाना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकार किया जा चुका है। जहां तक रटौल में नया थाना खोलने का प्रश्न है, जनगणना के कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन पर भारत सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है। अतः फिलहाल नया थाना खोला जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा स्थित आलमगंज में कोलियों की बस्ती से तोता का ताल तक सीवर लाइन को जोड़े जाने की मांग

62–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित आलमगंज में कोलियों की बस्ती से तोता का ताल तक विगत पांच वर्ष पूर्व सीवर लाइन डाली गयी थी, जिसको जोड़े नहीं जाने के कारण बेकार पड़ी हुई है ? यदि हां तो क्या सरकार इस सीवर लाइन को जुड़वायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ। उक्त सीवर लाइन का कार्य 5 वर्ष पूर्व कराया गया था जिसे अब यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत तोता का ताल पर निर्माणाधीन पम्पिंग स्टेशन (पी–11) से जोड़कर चालू किया जाना लक्षित है।

जी हाँ। उपरोक्तानुसार।

जून, 2011 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कब्रिस्तान के बाहर तोता का ताल मेन रोड पर खुली मांस की दुकानों को हटवाये जाने की मांग

63–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तोता का ताल आगरा के कब्रिस्तान के बाहर बगैर चिक डाले मेन रोड पर खुले में मीट की दुकानें चल रही हैं तथा इसके पास ही दोनों तरफ सतीमाता का मन्दिर, दाऊजी का मन्दिर व

बच्चों का टोरोन्टो स्कूल भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मेन रोड से मीट की दुक़ानों को हटवायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

कब्रिस्तान के बाहर तोता के ताल पर मीट (मांस) की दुकानें कब्रिस्तान की जगह में है, जिनको पिछले कई वर्षों से अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों पर बगैर चिक के खुला मांस नियम विरुद्ध बेचते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर चालान किये जाते हैं।

चूंकि दुकानों को नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त है इसलिए इन्हें बन्द नहीं कराया जा रहा है।

प्रदेश नगर निगमों में लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों के सृजन की मांग

64–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 12 नगर निगमों में कितने पद लेखाधिकारी एवं कितने पद सहायक लेखाधिकारी के सृजित हैं ? क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी नगर निगमों में लेखाधिकारी के पद सृजित नहीं हैं ? यदि हां, तो उक्त नगर निगमों की निधियों का संचालन कैसे किया जा रहा है ? क्या सरकार उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के अनुसार सभी नगर निगमों में निधियों के संचालन हेतु लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों का सृजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

प्रदेश के नगर निगमों में लेखाधिकारी के 08 पद तथा सहायक लेखाधिकारी के 05 पद सृजित हैं।

जी हाँ।

वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहल्लों की ध्वस्त सीवर लाइन को बदलने एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने की मांग

65–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व का प्राचीनतम नगर वाराणसी के पक्के मोहल्लों विशेषकर गंगा तट पर आबाद दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मोहल्लों की ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलने एवं पेय जलापूर्ति लाइनों को शिफ्ट करने की कोई योजना बनायेंगे व उसे लागू करेंगे ? क्या सरकार की जानकारी में है कि ध्वस्त सीवर लाइनों से दूषित एंवं गन्दा पानी अगल–बगल जा रही पेय जलापूर्ति पाइपों के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनायें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बनारस नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित पेयजल की 2 परियोजनायें स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं जिनके पूर्ण होने पर जलापूर्ति की समस्या का निदान हो जायेगा। सीवर प्रणाली हेतु प्राक्कलन/आगणन तैया किया जा रहा है जिसके विवेचन का कार्य माह मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

यदाकदा शिकायत प्राप्त होने पर जल संस्थान वाराणसी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उनका निराकरण करा दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग में फार्मेसिस्ट/चीफ फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों के भरे जाने की मांग

66–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 तक आयुर्वेदिक विभाग में फार्मेसिस्टों के कितने पद सृजित थे तथा उनके सापेक्ष कितने चीफ फार्मेसिस्ट के पद सुजित थे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक चीफ फार्मेसिस्ट के सामान्य एवं बैकलॉग के कितने–कितने पद सृजित थे ? क्या सरकार कार्यहित में रिक्त पदों को भरने हेतु डी0पी0सी0 कराकर दिसम्बर, 2009 तक पदोन्नति की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

वर्ष 2008 तक आयुर्वेदिक विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 2098 पद एवं आयुर्वेदिक चीफ फार्मासिस्ट के 155 पद सृजित थे।

दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक चीफ फार्मासिस्ट के सामान्य श्रेणी के 120 पद, अनुसूचित जाति के 32 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 03 पद सृजित थे। बैकलॉग का कोई पद सृजित नहीं था।

पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एलोपैथ चिकित्सा विभाग) में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों एवं आयुर्वेद फार्मासिस्टों की नियुक्ति की मांग

67–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एलोपैथ चिकित्सा विभाग)में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों (थर्ड एम0ओ0) की संख्या क्या है तथा उनकी संख्या के अनुसार आयुर्वेद फार्मेसिस्ट के कितने पद सृजित हैं ? स्वीकृत पदों पर कब तक फार्मेसिस्टों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

वर्तमान में प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (एलोपैथ चिकित्सा विभाग) में तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों (थर्ड एम0ओ0) की संख्या शून्य है अतः आयुर्वेद फार्मेसिस्ट के कोई पद सृजित नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संतृप्त किये गये ग्रामों के कार्यों के लोकार्पण हेतु क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था की जानकारी

68–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत सन्तृप्त किये गये ग्रामों के कार्यों के लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायकों को सम्मिलित किये जाने का कोई शासनादेश है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जी नहीं।

संसदीय कार्य अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 2 अप्रैल, 1993 में राजकीय कार्यालयों द्वारा आयोजित किसी सार्वजनिक समारोह में उस क्षेत्र के संसद तथा विधान मण्डल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के थाना मीरगंज के उप निरीक्षक श्री आर0 के0 त्यागी व सिपाही नारायण सिंह द्वारा रिश्वत लेने के आरोप की जांच

69–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के थाना मीरगंज के हल्का नं0 तीन के दरोगा त्यागी व सिपाही नारायण सिंह द्वारा रिश्वत लेने तथा क्षेत्रीय जनता से अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम–210389/2009, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

उक्त पत्र की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपद बरेली के माध्यम से करायी गयी। प्राप्त आख्यानुसार एस0टी0 नं0 397/07, धारा 307 भादवि में आवेदक भूरा का गिरफ्तारी वारण्ट जारी हुआ जिसकी तामील हेतु उ0नि0 श्री आर0 के0 त्यागी मय हमराह के आवेदक के घर गये और उसे गिरफ्तार कर

दिनांक 17 सितम्बर, 2009 को थाना मीरगंज पर दाखिल किया गया। आवेदक लकड़ी काटने का काम करता है जिसे दिनांक 5 अगस्त, 2009 को चोरी की लकड़ी काटने पर जेल भेजा जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जांच से लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी। इस संबंध में पुलिए उप महानिरीक्षक, जनपद बरेली द्वारा मा0 विधायक को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

70–श्री सुल्तान बेग–

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर (हाथरस) में मानक के अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारियों के तैनाती की मांग

71–डा0 अनिल चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर (हाथरस) में चार पुलिस सर्किल के सापेक्ष मात्र तीन पुलिस क्षेत्राधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद महामायानगर में मानक के अनुसार क्षेत्राधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद महामायानगर (हाथरस) में तीन पुलिस सर्किल स्वीकृत हैं। उक्त के सापेक्ष मानक के अनुसार जनपद महामायानगर (हाथरस) में तीन क्षेत्राधिकारी तैनात हैं।

मानक के अनुसार तैनाती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर, विकास खण्ड सादाबाद के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग

72–डा0 अनिल चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामों के लिए जल निगम द्वारा टी0टी0एस0पी0 योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई इस योजना की प्रगति किस चरण में है ? क्या वर्ष 2009–2010 में योजना क्रियान्वित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सामान्यतया योजना 02 वर्ष में पूर्ण कर ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत ठिरियां बुजुर्ग में दलितों की भूमि पर अवैध कब्जा करने संबंधी-पत्र

73–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत ठिरियां बुजुर्ग में दबंगों द्वारा दलितों की 300 (तीन सौ बीघा) भूमि पर अवैध कब्जा करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम–210393/2009, दिनांक 12–10–09, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ज़ी हाँ।

उक्त पत्र के साथ प्रार्थी श्री फूल सिंह का शिकायती पत्र संलग्न था, जिसमें पट्टेदारों की आवासीय भूमि पर अवैध कब्जा हटवाकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार मीरगंज, बरेली से करायी गयी। जांच आख्यानुसार पट्टेदारों व शिकायतकर्ता श्री फूल सिंह के बयान लिये गये। उन्होंने अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 18 अगस्त, 2007 को ग्राम ठिरियां बुजुर्ग के चार व्यक्तियों को आवासीय पट्टा आवंटन किया गया था। आवंटन के समय वर्तमान ग्राम प्रधान श्री संतोष शर्मा व उनके आदमियों के कब्जे थे। अब वर्तमान में पट्टे वाली भूमि पर आवंटियों का कब्जा है। प्रार्थना-पत्र जो लगभग दो वर्ष से अधिक पुराना था पर वांछित कार्यवाही पूर्व में ही पूर्ण की जा चुकी है। आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा पूर्व में ही दिलाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम पंचायत सल्था–पल्था में असामाजिक तत्वों द्वारा आम रास्ते को बन्द करने सम्बन्धी शिकायती–पत्र

74–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम पंचायत सल्था–पल्था में असामाजिक तत्वों द्वारा आम रास्ते को बन्द करने से सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम–210392/2009, दिनांक 12–10–2009, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

उक्त पत्र की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, जनपद बरेली से करायी गयी। प्राप्त आख्यानुसार विपक्षी राम गुलाम के मकान की दीवार बरसात के मौसम में गिर गयी थी जिसके कारण आवेदक द्वारा रास्ते की मांग की गयी। इस संबंध में उप

जिलाधिकारी व पुलिस को प्रार्थना-पत्र दिये गये, जिसकी जांच उपजिलाधिकारी मीरगंज द्वारा मौके पर जाकर की गयी। मौका मुआयना किये जाने पर दीवार सही बनना पाया गया। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0फौ0 की कार्यवाही की गयी। जांच से लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

75–श्री अनिल कुमार सिंह–

[2सरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0–145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भ्रष्टाचार में लिप्त आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की सी0बी0आई0 जांच विषयक-पत्र

76–श्री अनिल कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 23–9–2009, 30–9–2009 एवं 13–10–2009 जो मुख्य मंत्री/प्रमुख सचिव, नियुक्ति–5 उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त आई0ए0एस0 अधिकारियों की सी0बी0आई0 जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद के पत्र दिनांक 23–9–2009 30–9–2009 एवं 13–10–2009 प्राप्त हुये हैं।

उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतें ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित की गयी है।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

77–श्री अनिल कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 11–10–09 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह)/प्रलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित है तथा जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा भ्रामक असत्य एवं जबरन साक्ष्य समीक्षा विवेचना अधिकारी से बदलवाने के कारण बर्खास्त करने विषयक है, प्राप्त हुआ है , यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा0 पूर्व सांसद, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का पत्र दिनाकं 11–10–2009 मुख्य सचिव को दिनांक 30–10–09 को तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को दिनांकं 3–11–2009 को प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायती-पत्र में वर्णित शिकायतों के बारे में जांच आख्या अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से प्राप्त हुई। प्राप्त आख्या के अनुसार मूल प्रकरण की जांच आख्या बदले जाने की पुष्टि नहीं हुई है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

78–श्री उदयभान करवरिया–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में बन्द/खराब पड़े इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों को रि–बोर कराये जाने की माँग

79–डॉ0 अजय तोमर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009–10 में प्रदेश के बन्द/खराब पड़े इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रि–बोर कराने का क्या कोई लक्ष्य (संख्या) निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो लक्ष्य के सापेक्ष कितने हैण्डपम्प अब तक रि–बोर किये जा चुके हैं ? शेष खराब हैण्डपम्पों को कब तक रि–बोर कर दिया जायेगा ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हां। 89,607

दिसम्बर, 2009 तक 89185

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक।

जनपद बांदा के थाना बिसन्डा में दलित नाबालिग लड़की के अपहरण एवं बलात्कार की नामजद प्राथमिकी

80–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना बिसन्डा में दलित नाबालिग लड़की के अपहरण की दिनांक 17–7–09 को बलात्कार किये जाने की नामजद प्राथमिकी मु0अ0सं0 243/09, धारा 450/366(क)/376/506 आई0पी0सी0 थाना विसन्डा में दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो क्या सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

नामजद अभियुक्त दिनेश कुमार दिनांक 19 जुलाई, 2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नामित अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता नहीं पाई गयी। वाद विवेचना अभियुक्त दिनांश कुमार के विरुद्ध धारा 450/366क/376/506/511 भा0द0वि0 में दिनांक 24 जुलाई, 2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद हमीरपुर में नरेगा द्वारा मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने संबंधी-पत्र

81–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2009 जो जनपद हमीरपुर में नरेगा द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराने की मजदूरी, मजदूरों को न दिये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य सचिव, उ0 प्र0, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हाँ।

शासन के पत्र संख्या सी0एस0–39/38–7–08–37एनआरईजीए/09, दिनांक 06–04–09 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया तथा मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2009 की प्रति वन विभाग को भी प्रेषित की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर के पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2010 द्वारा प्राप्त प्रमाण–पत्र के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत दिनांक 26 फरवरी, 2009 या उसके पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की कोई मजदूरी भुगतान हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मेडिकल कालेजों में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

82–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के विभिन्न राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में वर्तमान समय में कितने पद लाइब्रेरियन के रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

राजकीय मेडिकल कालेजों में लाइब्रेरियन के पांच पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय निर्माणों के शिलान्यास, उद्घाटन एवं भूमि पूजन आदि के शिलान्यास जन प्रतिनिधियों से कराये जाने के संबंध में शासनादेश

83–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय निर्माणों के शिलान्यास, उद्घाटन, एवं भूमि पूजन आदि माननीय सांसद, माननीय विधायक, स्थानीय निकाय से निर्वाचित तथा गैर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक

अधिकारियों द्वारा कराये जाने के विषय में कोई नियमावली/शासनादेश जारी किया गया ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में यह व्यवस्था है कि स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है "मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण का कार्य" लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जाय।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्ग निर्देशों में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के शिलान्यास मा0 क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में मा0 सांसद से कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अधिकारियों द्वारा शिलान्यास एवं उद्घाटन न किये जाने के विषय पर कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर शासनादेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अधिकारीगण किसी भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोहों, विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग नहीं लेंगे। अपितु शासन की स्पष्ट मंशा है कि ऐसे सभी समारोहों में मुख्य अतिथि/अध्यक्ष यथासंभव जनप्रतिनिधि ही रहेंगे तथा सरकारी कर्मचारीगण द्वारा इन समारोहों को हर संभव सहयोग देकर सफल बनाया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

84–श्री सुन्दर लाल लोधी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद रामपुर, कस्बा कमेरी को ट्रांसपोर्ट नगर बनवाये जाने की मांग

85–श्री संजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर के कस्बा कमेरी में 800 (आठ सौ) से अधिक ट्रक हैं, जिनको खड़ा करने की कोई जगह न होने के कारण मिलक–बिलासपुर मार्ग पर जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा कमेरी, जनपद रामपुर को ट्रांसपोर्ट नगर बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी जनपद रामपुर के अभिलेखों के अनुसार कस्बा कमेरी के पते पर छोट–बड़े कुल 350 ट्रक दर्ज हैं। उपयुक्त जगह न होने के कारण काफी संख्या में ट्रक सड़क के किनारे खड़े रहते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा कमेरी में कोई उपयुक्त शासकीय भूमि ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए उपलब्ध नहीं है।

जनपद रामपुर में स्वीकृत शस्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकृत कराये जाने की माँग

86–श्री संजय कपूर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में वर्ष 2006–07 में 750 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये थे जिनका वर्तमान में नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शस्त्र लाइसेन्सों को नवीनीकृत कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 2006–07 में तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा गैर निषिद्ध बोर के 741 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये थे। उक्त स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसों की विधिक मान्यता का बिन्दु शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा यथासंभव शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में बजेटरी कमेटी बनाये जाने की माँग

87–श्री उदयभान करवरिया–

क्या संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कोई बजेटरी कमेटी नहीं है क्या बजेटरी कमेटी बनाये जाने की योजना पर विचार करके अगले बजट सत्र के पूर्व इसकी स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी हाँ।

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की वर्तमाने कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त मांग पर विचार किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जनपद पीलीभीत के ब्लाक अमरिया के कार्यालय की जमीन एवं पशु चिकित्सालय, अमरिया की जमीन पर दुकानों का निर्माण एवं आवंटन

88–श्री रियाज अहमद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पीलीभीत के ब्लाक अमरिया के कार्यालय की जमीन एवं पशु चिकित्सालय अमरिया की जमीन पर कुल कितनी दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है एवं निर्माण की कार्यदायी संस्था कौन है ? क्या सरकार उक्त दुकानों का आवंटन खुली नीलामी के द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हाँ।

जनपद पीलीभीत के ब्लाक अमरिया की जमीन पर 07 दुकानों के निर्माण का आदेश खण्ड विकास अधिकारी, अमरिया के आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के द्वारा किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 2009 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था क्षेत्र पंचायत थी। उक्त निर्माण हेतु राजकीय कोष से धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। निर्माण कार्य वर्तमान में स्थगित है, किन्तु बिना शासन की स्वीकृति के सरकारी भूमि पर दुकान का निर्माण कार्य कराये जाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी, अमरिया को दोषी पाया गया एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जी नहीं।

चूंकि दुकानों का निर्माण विधि सम्मत नहीं है, अतः दुकानों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजियाबाद में फुलडहरा ड्रेन द्वारा प्रदूषित पानी गंगा नदी में डालने से रोकने की माँग

89–श्री मदन चौहान–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में फुलडहरा ड्रेन के द्वारा स्याना कस्बे से गोपाल मिल्क डेरी, मिलन डेरी का प्रदूषित पानी गंगा नदी में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर पुलिस द्वारा श्री शिव कैलाश, निवासी ग्राम सुजानपुर, थाना सजेती को फर्जी मुठभेड़ में बन्द करने की जांच

90–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा मु0अ0 सं0 185/09 व 186/09 में शिव कैलाश पुत्र इन्दल प्रसाद, निवासी ग्राम सुजानपुर, थाना सजेती (कानपुर नगर) को फर्जी मुठभेड़ में बन्द करने की जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 प्रमुख सचिव (गृह) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर नगर के माध्यम से क्षेत्राधिकारी घाटमपुर से कराये जाने पर पाया गया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती/वादी श्री भगवती प्रसाद मिश्रा द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 19 अगस्त, 2009 को मु0अ0 सं0 185/09 धारा 307 भादंवि, पुलिस मुठभेड़ व मु0अ0 सं0 186/09, धारा 25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कराया था, जिसमें अभियुक्त शिव कैलाश को मुठभेड़ के दौरान थानाध्यक्ष सजेती द्वारा घटनास्थल से गिरफ्तार किया जाना दर्शाया गया था। प्रारम्भ में उक्त विवेचना उ0नि0 हरप्रसाद तत्पश्चात् थानाध्यक्ष सजेती श्री आर0 के0 सक्सेना द्वारा सम्पादित की गयी। आरोप प्रमाणित न होने पर क्रमशः अन्तिम रिपोर्ट संख्या 24 व 25 दिनांक 25 नवम्बर, 2009 को प्रेषित की गयी।

संदर्भित प्रकरण में जांच के बाद दोषी पाये जाने पर आवेदक के प्रतिपक्षी के विरुद्ध थाना सजेती पर मु0अ0सं0 189/09, धारा 323, 504, 506, 342 भादंवि बनाम विजय सिंह पुत्र फूल सिंह चन्देल एवं सौरभ सिंह पुत्र शिव विजय सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना से आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र संख्या 141, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 को प्रेषित किया गया।

प्रकरण में दोषी उ0नि0 श्री बी0 पी0 मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती को तत्काल पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर नगर द्वारा निलम्बित किया गया तथा पत्र संख्या 697/09, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 के माध्यम से उन्हें परिनिन्दा लेख प्रदान किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कानपुर नगर के थाना सजेती में आई0पी0सी0 में दर्ज मुकदमें के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

91—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के थाना सजेती में मु0अ0सं0 189/09, धारा 323/504/506/342 आई0पी0सी0 में दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? क्या मु0अ0सं0 189/09 में वांछित अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

दौरान विवेचना अभियुक्तगण की मा0 उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे आदेश होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

विवेचना से दोनों अभियक्तगण के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर द्वारा आरोप पत्र संख्या 141/09, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 को चालान न्यायालय किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर में कृषकों श्याम फर्टीलाइजर्स लि0, पिपरोला से प्रदूषित पानी को रोके जाने की माँग

92–श्री राजेश यादव–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कृषकों श्याम फर्टीलाइजर्स लि0, पिपरोला से प्रदूषण युक्त गन्दा पानी निकलने के कारण जानवर एवं मछलियां मर रही हैं तथा प्रदूषण से गांव वालों को बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की इसे रोकने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगम व नगर पालिका परिषदों द्वारा संचालित होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय

93–श्री राजेश यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन–कौन से नगर निगमों व नगर पालिका परिषदों द्वारा होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है ? इन चिकित्सालयों में सेवारत चिकित्सकों व कम्पाउन्डरों को किस मानदण्ड के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुरूप वेतन दिये जाने की कोई योजना बनायेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

प्रदेश के नगर निगम व नगर पालिका परिषदें जो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय संचालित करते हैं, की सूची संलग्न† है।

इन चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक, पालिका केन्द्रीयित सेवा अकेन्द्रीयित सेवा तथा दैनिक वेतन पर वर्गीकृत हैं। जहां तक कम्पाउण्डरों का संबंध है यह अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त के अन्तर्गत नगर निगमों के चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्ट (कम्पाउण्डरों) को राज्य सरकार के फार्मासिस्टों की भांति वेतनमान देने के संबंध में आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के चिकित्सा सेवा संवर्ग को शासनादेश संख्या 5287/9–4–94 जनरल/91, दिनांक 17 जनवरी, 1995 द्वारा मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है। अतः इस संवर्ग में दैनिक वेतन पर कार्यरत चिकित्सकों को समान वेतन दिया जाना सम्भव नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 242 पर।

94–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विकलांगों को दी जा रही विकलांग पेंशन में वृद्धि की मांग

95–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को दी जा रही विकलांग पेंशन महंगाई को देखते हुये कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

विकलांग पेंशन की पूर्व में अनुमन्य दर रु0 150/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी को शासनादेश दिनांक 13-8-2007 द्वारा बढ़ाकर रु0 300/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की जा चुकी है जो दिनांक 01-4-2007 से लागू है।

प्रश्न नही उठता।

96–श्री उदयभान करवरिया–

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपंचायत शंकरगढ़, इलाहाबाद के विकास की मांग

97–श्री उदयभान करवरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत शंकरगढ़, इलाहाबाद के विकास से सम्बन्धित संलग्न प्रस्ताव सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–3/706395 दिनांक 19.9.09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड बछसंवा में क्षेत्र पंचायत द्वारा इसिया से ठकुराइन खेड़ा चक मार्ग पर खड़ंजा का कार्य

98–श्री राजाराम त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के वि0 खण्ड बछरांवा में क्षेत्र पंचायत द्वारा इसिया से सुदौली वाया ठकुराइन खेड़ा चक मार्ग पर वर्ष 2007–08 में खड़ंजे का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो उसकी लम्बाई कितनी है और कितना चौड़ा खड़न्जा लगाया गया है ? क्या सरकर उक्त खड़न्जा में पुरानी ईंट लगाकर नयी ईंट का भुगतान दर्शाने की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हां।

चक से इसिया खड़ंजा कार्य 1200 मीटर लम्बा व 3.30 मीटर चौड़ा लगाया गया है।

खड़न्जा कार्य की स्थलीय जांच खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड–बछरॉवा से करायी गयी। जांच के अनुसार खड़न्जा निर्माण में नई ईंट लगायी गयी है, पुरानी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए पुनः जॉच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

99–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

[दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0–162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

100–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

जिला सीतापुर के ग्राम भदेभर, ब्लाक मछरेहटा में श्रीमती आराधना तिवारी, सहायक अध्यापिका की हत्या तथा आश्रितों को आर्थिक सहायता.

101–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के भदेभर ब्लाक मछरेहटा में दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को श्रीमती आराधना तिवारी, सहायक अध्यापिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या हत्यारों की गिरफ्तारी कर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ। दिनांक 10 सितम्बर, 2009 को वादी श्री भारत भूषण तिवारी, नि0 जनपद लखनऊ द्वारा श्रीमती आराधना तिवारी, अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय ग्राम भदेभर, थाना मछरेहटा, जनपद सीतापुर की हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में थाना मछरेहटा, जनपद सीतापुर में मु0अ0सं0 849/09, धारा 302 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान मृतका के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की पुष्टि होने पर अभियोग में धारा 376 भा0दं0वि0 की बृद्धि की गयी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त राजकुमार, रामशंकर, चिरंजीव व पप्पू को दिनांक 17 सितम्बर, 2009 को जेल भेजा गया तथा इनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी। अभियुक्त चैम्पियन उर्फ बाबा उर्फ सुरेश की थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 25 दिसम्बर, 2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में भी कार्यवाही की गई है तथा एक अभियुक्त चेम्पियन उर्फ बाबा के विरुद्ध रासुका के भी अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है। गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के हत्या, बलात्कार, पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान नहीं है, इस कारण प्रश्नगत प्रकरण में आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की गयी है।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अकबरपुर में वृक्षारोपण तथा उस पर व्यय

102–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर के गाटा सं0 668 में नरेगा के अन्तर्गत वर्ष

2007 में वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गाटा संख्या में लगे वृक्षों को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त गाटा संख्या में लगें पेड़ों की संख्या कितनी है एवं ग्राम्य सभा द्वारा इस पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर के गाटा संख्या 668 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में न तो वृक्षारोपण कराया गया है न ही कोई धनराशि व्यय की गयी है।

सचिवालय में सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को भेजा गया अधियाचन

103–श्री लालजी यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय में सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में वर्ष 2001 के पश्चात् उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को कोई अधियाचन नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में उ0 प्र0 सचिवालय में पदोन्नति कोटे के समीक्षा अधिकारियों की संख्या, सीधी भर्ती सेवा के समीक्षाधिकारियों से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 सचिवालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाने एवं कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु, सीधी भर्ती सेवा के समीक्षाधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

निर्णयोपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बदमाशों तथा पुलिस में हुई मुठभेड़ों का विवरण

104–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2009–10 में बदमाशों तथा पुलिस में कुल कितनी मुठभेड़ें हुई हैं ? उनका विवरण क्या है ? क्या जांच के बाद कुछ मुठभेड़ें फर्जी पाई गई हैं ? क्या थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा शिव कैलाश को फर्जी मुठभेड़ में मारने की जांच डी0 आई0 जी0, कानुपर के आदेश अपर एस0 पी0 कानपुर देहात द्वारा कराया गयी ? जो झूठी पायी गयी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रंदेश में वर्ष 2009–10 (1–1–2009 से 15–1–10 तक) कुल 2216 मुठभेड़ें हुई हैं जिनका विवरण निम्नवत् है–

विवरण	वर्ष 2009	वर्ष 2010
डकैतों से मुठभेड़ की संख्या	2140	74
मारे गये डकैतों की संख्या	82	03
पकड़े गये डकैतों की संख्या	5060	179
बरामद आग्नेयास्त्र	3503	157
आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ की संख्या	02	00
मारे गये आतंकवादियों की संख्या	02	00
पकड़े गये आतंकवादियों की संख्या	02	00
बरामद आग्नेयास्त्र	05	00

प्रदेश में वर्ष 2009–10 के मध्य मात्र 01 मुठभेड़ प्रथम दृष्टया संदिग्ध पायी गयी है।

थाना सजेती जनपद कानपुर नगर पुलिस द्वारा शिव कैलाश को फर्जी मुठभेड़ में मारा नहीं गया था, अपितु दिनांक 18/19–8–2009 को कथित रूप से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के आदेश दिनांक 20–8–09 प्राप्त होने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कानपुर नगर द्वारा जांच क्षेत्राधिकारी, घाटमपुर से करायी गयी। जांच से मुठभेड़ संदिग्ध पायी गयी।

तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती श्री भगवती प्रसाद मिश्रा द्वारा थाना सजेती पर पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0 185/09 धारा 307 भा0दं0वि0 (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0 186/09 धारा 25 शस्त्र अधि0 जिसमें अभियुक्त शिव कैलाश को गिरफ्तार किया गया था, में विवेचना से आरोप प्रमाणित न पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

प्रतिपक्षी विजय सिंह पुत्र फूल सिंह चन्देल एवं सौरभ सिंह पुत्र शिव विजय सिंह के विरुद्ध थाना सजेती पर मु0अ0सं0 189/09 धारा 323, 504, 506, 342 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया। जिसमें उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त किया गया। उक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है।

उपनिरीक्षक श्री बी0 पी0 मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती को पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर नगर द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में नरेगा श्रमिकों के लिये बाजार मूल्य से अधिक पर घटिया किस्म के सामानों की खरीददारी की जांच

105–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 से मई 2009 तक नरेगा श्रमिकों के लिये बाजार मूल्य से

अधिक पर घटिया किस्म के सामानों पर खरीददारी तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बिना टेण्डर के की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में आपूर्ति किये गये क्षतविक्षत सामान का स्थलीय सत्यापन भी करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

प्रकरण की जांच संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा से करायी गयी है। जांच आख्या दिनांक 20–01–2010 को प्राप्त हो गयी है जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

जनपद गोण्डा में नरेगा में विभिन्न विकास खण्डों में श्रमिकों का जॉब कार्ड का भौतिक सत्यापन

106–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में नरेगा के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों में कितने श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाया गया तथा उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है ? अब तक कितने श्रमिकों को 100–100 दिन का कार्य दिया गया है ? क्या श्रमिकों के बच्चों को सामग्री एवं खिलौने प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के विभिन्न विकास खण्डों में 2,19,734 श्रमिकों का जॉब कार्ड बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की संख्या 16,880 है। अब तक 10,794 श्रमिकों को 100–100 दिन का रोजगार दिया गया है।

बच्चों के खेलने के लिये बतख, झूला, गेंद, फुटबाल छोटी एवं बड़ी तथा बच्चों के खेलने के लिये साइकिल का क्रय किया गया है, खिलौनों तथा साइकिल के क्रय में अनियमितता की शिकायत शासन के संज्ञान में आने पर प्रकरण की जांच संयुक्त विकास आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा से करायी गयी है। जांच आख्या दिनांक 20–01–2010 को प्राप्त हो गयी है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के बृजमनगंज को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग

107–श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद महराजगंज के बृजमनगंज को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बृजमनगंज को कब तक नगर पंचायत बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां।

उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0 आई0 165/तीन–09–15(1)/2009, दिनांक 22–12–2009 द्वारा नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकें

108–श्री लालजी यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में विभिन्न योजनाओं से विकास कार्यों को ओर गतिशील बनाने के लिये जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कितनी समीक्षा बैठकें की गयीं ? यदि नहीं, तो बैठकें न बुलाने के लिये जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

वर्ष 2008–09 में कुल 06 बैठकें तथा वर्ष 2009–10 में 06 बैठकें, कुल 12 बैठकें आयोजित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा स्थित बजाज शुगर मिल, कुन्दरकी के प्रदूषित जल की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग

109–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा स्थित बजाज शुगर मिल, कुन्दरकी का प्रदूषित जल चमवई नदी में गिर रहा है तथा प्रदूषित जल के साथ मलवा बहने से नदी पूर्ण रूप से पट गयी है जिससे आस–पास के गांवों में संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाचं करवाकर प्रदूषित जल को रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी स्थित ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर के समस्त मजरों में विकास कार्य कराने की मांग

110–श्री सुखलाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के पहले सोम के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 148 के उत्तर के संदर्भ में क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासनादेश दिनांक 10–7–2009 एवं 22–7–2009 के तहत जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के ग्राम लखनी मुबारकपुर के मजरे बनही, टेढ़वा, सिधारी का पुरवा सहित समस्त मजरों में भी विकास कार्य कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जी नहीं।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी स्थित ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर को वर्ष 2008–09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है। तत्समय निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त ग्राम सभा को डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2009 एवं 22 जुलाई, 2009 द्वारा वर्ष 1995–96 एवं वर्ष 1997–98 के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से चयनित 2195 ग्रामों एवं उनके मजरों को ही चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर इस श्रेणी के अन्तर्गत चयनित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ की तहसील घोसी की ग्राम सभा लखनी के मजरे बनही एवं मुरुहर बस्ती में शौचालय निर्माण की मांग

111–श्री सुखलाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के पहले सोम0 के लिये उत्तरित अता0 प्र0 सं0 151 के उत्तर के संदर्भ में क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के मजरे बनही एवं मुसहर बस्ती में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन/जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जनपद मऊ की तहसील घोसी की ग्राम सभा लखनी के मजरे बनही एवं मुसहर बस्ती में निर्मित शौचालयों का पुनः भौतिक सत्यापन कराया गया है। उक्त सत्यापन के अनुसार मजरे बनही में 6 शौचालय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत तथा 10 शौचालय इन्दिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा इन्दिरा आवास में सम्मिलित शौचालय की धनराशि से एवं 4 शौचालय लाभार्थियों द्वारा स्वयं के संसाधन से निर्मित कराये गये हैं। इसी प्रकार मुसहर बस्ती में 4 शौचालय सम्पूर्ण

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत तथा 2 शौचालय इन्दिरा आवास में सम्मिलित शौचालय की धनराशि से निर्मित कराये गये हैं। उक्त बस्तियों में शौचालय निर्माण के संबंध में पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने के लिये उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है तथा मुख्य विकास अधिकारी मऊ द्वारा तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी को निलम्बित करने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति पंचायती राज विभाग को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम लखनी मुबारकपुर में स्वीकृत इन्दिरा आवास तथा पात्रता की जांच

112–श्री सुखलाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के पहले सोम0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 116 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी मुबारकपुर में जिन 71 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं, उनके नाम व पते क्या हैं ? क्या यह सही है कि आवास प्राप्त करने वालों में सभी पात्र नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के ग्राम लखनी मुबारकपुर में वर्ष 2004–05 मे 26 तथा वर्ष 2008–09 में 45 इस प्रकार कुल 71 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न† है।

उक्त 71 व्यक्तियों जिन्हें इन्दिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं, की पात्रता की जांच हेतु संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षाणोपरान्त गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकें

113–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों को और गतिशील बनाने के लिये जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ कितनी समीक्षा बैठकें की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बैठक न बुलाने के लिये जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 243–246 पर।

श्री ददद्दू प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, गोण्डा द्वारा वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में 03 बैठकें की गयीं। वर्ष 2009–10 में मा0 अध्यक्ष, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, गोण्डा से बैठक बुलाने हेतु निरन्तर पत्राचार किया जा रहा है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गोण्डा की शासी निकाय की बैठक दिनांक 29–11–2007 एवं 5–1–2008 को सम्पन्न हुई है, जिसमें विकास कार्यों को और गतिशील बनाने के लिये जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच समीक्षा की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि तथा रिक्शे, ठेले का क्रय

114–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर में वर्ष 2005–06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के 22.5 प्रतिशत धनराशि से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभार्थ कितने रिक्शे, ठेले क्रय किये गये ? क्या सरकार को जानकारी है कि उच्चाधिकारियों द्वारा जांच के दौरान क्रय किये गये रिक्शे, ठेलों की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्रय किये गये सभी रिक्शे तथा ठेलों को पात्र व्यक्तियों में ही वितरित किया गया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हां।

वर्ष 2005–06 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत 22.5 प्रतिशत धनराशि से 100 अदद रिक्शे/ठेले क्रय किये गये।

वितरण के दौरान प्राप्त शिकायत पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा की जांच में कुछ ठेलों की गुणवत्ता खराब होने के कारण 33 अदद ठेले संबंधित फर्म को वापस कर दिये गये।

33 अदद खराब रिक्शों, ठेलों को संबंधित फर्म द्वारा वापस न करने के कारण संबंधित फर्म के खिलाफ आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही की गई है।

जी हां।

शेष 67 अदद ठेलों का वितरण पात्र लाभार्थियों में कर दिया गया है।

विकास खण्ड पर कोई ठेला वितरण हेतु अवशेष नहीं है। पुनः ठेले वापस प्राप्त होने पर लाभार्थियों को वितरित करा दिया जायेगा।

जनपद गोण्डा की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

115–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपर गोण्डा की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध योजनाओं को सही ढंग से

क्रियान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 26--2--2008 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में क्या सरकार को यह जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा उच्च अधिकारियों से जांच न कराकर आरोपित खण्ड विकास अधिकारी से ही जांच करवाकर आख्या शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर से टीम गठित कर जांच करवाकर विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद--

जी हां।

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 26--02--2008 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में दिनांक 03--07--2008 को उत्तर दिया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा से प्राप्त जांच आख्या सन्तोषजनक न पाये जाने के दृष्टिगत प्रकरण की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराये जाने के निर्देश आयुक्त ग्राम्य विकास को दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना है कि मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 20--08--2009 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में दिनांक 20--08--2008 को विधान सभा की कार्यवाही में भी यह आश्वासन दिया गया कि प्रकरण की जांच अपर आयुक्त मुख्यालय से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। इस प्रकार प्रश्नगत विषय/प्रकरण मा0 विधान सभा आश्वासन समिति को विधान सभा आश्वासन संख्या 327/2008 के रूप में पूर्व से ही संदर्भित है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर छात्र एवं छात्राओं हेतु मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

116--श्री राम बिशुन आजाद--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवी पाटन मण्डल मुख्यालय पर छात्रों एवं छात्राओं हेतु मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा 06 राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा झांसी में पूर्व में स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में 06 राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज तथा मेडिकल कालेज, जालौन (उरई), कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर एवं बांदा में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। नये मेडिकल कालेज की स्थापना का औचित्य नहीं है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति एवं तैनाती की जानकारी

117–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद गोण्डा के समस्त क्षेत्र पंचायतों मे खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

प्रदेश में 907 खण्ड विकास अधिकारी के पदों के सापेक्ष 556 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत आने वाले अवशेष पदों में से सीधी भर्ती के 29 पदों तथा प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत 151 पदों पर अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुतियां प्राप्त हो जाने पर इनकी तैनाती विभिन्न जनपदों में की जायेगी।

इसके अतिरिक्त सेवा स्थानान्तरण पर भी खण्ड विकास अधिकारियों को लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में 16 विकास खण्डों के सापेक्ष 08 खण्ड विकास अधिकारी एवं 02 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं, जिन्हें विकास खण्डों का प्रभार निकट के खण्ड विकास अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से चयन/पदोन्नति के परिणाम प्राप्त होन पर नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

118–श्री जोखू लाल यादव–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर, थाना ढेबरुआ में पुलिस चौकी, बढ़नी के स्वीकृत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

119–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में थाना ढेबरुआ के अन्तर्गत पुलिस चौकी, बढ़नी के स्वीकृत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो वर्तमान में संचालित पुलिस चौकी, बढ़नी कब तक अपने नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन में स्थापित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना ढेबरुआ के अन्तर्गत पुलिस चौकी, बढ़नी के लिये भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

120–श्री मदन चौहान–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह–

किसी स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की पर्यटन विभाग की नीति नहीं है। ब्रजघाट–गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन विकास की निम्नांकित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्य योजना के अन्तर्गत ब्रजघाट–गढ़मुक्तेश्वर के विकास हेतु रु0 100.47 लाख की योजना कार्यान्वित की गयी है, जिसमें घाट का सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण, तीन महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष का निर्माण, घंटाघर का निर्माण, आरती प्लेटफार्म का निर्माण, पार्किंग स्थल का विकास, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में रु0 39.46 लाख एवं वर्ष 2004–05 में रु0 1.32 लाख के पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं। इसमें गढ़ चौपला स्थित शहीद पार्क का सौन्दर्यीकरण, राही पर्यटक आवास गृह, गढ़मुक्तेश्वर का उद्यानीकरण, नेशनल हाईवे–24 से गढ़ चौपला पर जाने वाली सड़क/तिराहा स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण, गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुआं पर यात्री छादक का निर्माण, गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुआं का सौन्दर्यीकरण तथा गढ़मुक्तेश्वर स्थित सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण सम्मिलित है।

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ब्रजघाट–गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन विकास की रु0 457.00 लाख की लागत से वर्ष 2005–06 में स्वीकृत योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें परिक्रमा पथ, घाट, जेट्टी सुलभ शौचालय, महिला चेन्जरूम यूरिनल्स का निर्माण एवं श्मशान घाट तथा लैण्ड स्केपिंग के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

गढ़मुक्तेश्वर–ब्रजघाट में कार्यान्वित की गयी एवं कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम कगलापुर की अनुसूचित जाति महिला सीमा देवी के उत्पीड़न के संबंध में जांच

121–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत हरनाटायर के ग्राम कगलापुर की अनु0 जाति महिला सीमा देवी पत्नी श्री परशुराम के उत्पीड़न के सम्बन्ध में जांच आख्या जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही हेतु खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर को दिनांक

30–6–2009 को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर द्वारा दिनांक 9–7–2009 को उक्त प्रकरण की जांच आख्या गायब होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मनकापुर को पत्रांक/जांच अधि0/2009–10, दिनांक 9 जुलाई, 2009 को कार्यवाही करने हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मनकापुर द्वारा सहायक विकास अधिकारी (उद्योग सेवा एवं व्यवसाय) से कराई गई।

जी हां, जिलाधिकारी, गोण्डा की सूचना के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर, गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली, मनकापुर को दिनांक 09–07–09 को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि जांच आख्या गायब हो गई, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग कहीं भी किया जाता है तो उसे निराधार व असत्य माना जाय। उक्त पत्र में जांच आख्या गायब होने के लिये किसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) की समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की मांग

122–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की भांति क्या समीक्षा अधिकारी (कम्प्यूटर) की भी समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जा सकती है ? यदि हां, तो सेवा नियमावली के किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में अवैध रूप से लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्ठियों के विरुद्ध जांच

123–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में अवैध रूप से लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्ठियां चल रही हैं जिससे उस क्षेत्र

का वातावरण प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध रूप से संचालित कोयला भट्ठियों को बन्द कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में अवैध रूप से लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्ठियों के विरुद्ध प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई द्वारा कार्यवाही करते हुये सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील शोहरतगढ़ के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा सी0 सी0 रोड एवं नाले के निर्माण में अनियमितता की शिकायत

124–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील शोहरतगढ़ की ग्राम सभा भड़ाकुल में वित्तीय वर्ष 2008–09 में आर0ई0एस0 द्वारा सी0सी0 रोड एवं नाले के निर्माण के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, शोहरतगढ़ द्वारा कराई जांच के सम्बन्ध में दिनांक 7–6–09 को अवर अभियन्ता द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो घटिया कार्य कराये जाने से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

जी हां।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत गड़ाकुल विकास खण्ड शोहरतगढ़ में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में कराये गये सी0सी0 रोड एवं नाले के निर्माण में अनियमितता की शिकायत श्री कृष्णदेव सिंह, निवासी ग्राम गड़ाकुल द्वारा तहसील दिवस के माध्यम से की गयी थी, जिसकी जांच खण्ड विकास अधिकारी, शोहरतगढ़ के द्वारा अवर अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 सिद्धार्थनगर से कराया गया था। कार्यों का प्राक्कलन न होने के कारण विस्तृत जांच नहीं की जा सकी है। विभाग द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में बल्केश्वर स्थित आनन्द बिहार गिर्राज एन्क्लेव, उत्तमपुरी एवं आनन्दपुरी कालोनी की सड़कों की मरम्मत की मांग

125–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बल्केश्वर स्थित आनन्द बिहार में डा0 अशोक अग्रवाल के निवास से लेकर कोल्ड स्टोर व गिर्राज एन्क्लेव होते हुये सीता राम कालोनी तक तथा उत्तमपुरी से लेकर आनन्दपुरी

बल्केश्वर तक की सड़कें विगत चार वर्षों से जर्जर एवं गड्ढायुक्त हैं, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

आनन्द बिहार, गिर्राज इन्क्लेव उत्तमपुरी एवं आनन्दपुरी कालोनियां नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित नहीं हैं। इन कालोनियों के अन्दर के समस्त विकास कार्यों को पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित कालोनाईजर का है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में कमला नगर स्थित न्यू लायर्स कालोनी, वैशाली इन्क्लेव की सड़कों की मरम्मत की मांग

126–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कमला नगर स्थित दुष्यन्त स्कूल के सामने न्यू लायर्स कालोनी की सड़क वैशाली इन्क्लेव आदर्श नगर से शिवनगर होते हुये अनुराग नगर बल्केश्वर तक तथा बल्केश्वर स्थित आदर्शनगर टीले से गोपाल परमार्थ धर्मशाला होते हुये मिनी इन्क्लेव तक की सड़कें विगत छः वर्षों से जर्जर एवं गड्ढायुक्त हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दूबे–

जी हां।

न्यू लायर्स कालोनी, वैशाली इन्क्लेव नगर निगम आगरा को हस्तान्तरित नहीं हैं। ये प्राइवेट कालोनियां हैं। उक्त कालोनियों के अन्दर के विकास कार्य कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर का है।

आदर्श नगर से शिवनगर होते हुये अनुराग नगर बल्केश्वर तक तथा बल्केश्वर स्थित आदर्शनगर टीले से गोपाल परमार्थ धर्मशाला होते हुये मिनी इन्क्लेव तक की सड़क निर्माण के आगणन तैयार कराये जा रहे हैं। धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नियंत्रक, बांट माप द्वारा विभाग में प्रहरी चौकीदार के स्वीकृत पदों में पद परिवर्तन

127–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रक, बांट माप द्वारा विभाग में प्रहरी चौकीदार के 149 स्वीकृत पदों में से 51 प्रहरियों के पद परिवर्तन कर उन्हें अप्रैल, 2005 से पूर्व प्रयोगशाला परिचर/संदेशवाहक बनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि लगभग 19 वर्षों से प्रहरी के पत्र पर कार्यरत श्री कपिल कुमार के पद परिवर्तन के सम्बन्ध में मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री एवं उप सचिव खाद्य एवं रसद अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन ने क्रमशः अपने पत्र सं0 3396/वी0आई0पी0/खा0र0वि0/2001, दिनांक 28–8–01 एवं सं0 4828/वी0आई0पी0/

खा0र0वि0/2001, दिनांक 26–11–2001 व सं0 3068/ 29–2–2003 बा0 मा0/83/03, दिनांक 20–8–2003 द्वारा नियंत्रक बांट माप को आदेशों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामहेत भारती–

वर्ष 1997 के पूर्व तत्कालीन नियंत्रकों/उप नियंत्रकों/सहायक नियंत्रकों द्वारा प्रहरी/चौकीदार के मूल पद पर नियुक्त 51 प्रहरियों/चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य पदों यथा प्रयोगशाला परिचर, संदेश वाहक, हेल्पर के पदों पर तैनात करते हुये कार्य कराया गया है।

श्री कपिल कुमार, प्रहरी विधिक माप विज्ञान के पद परिवर्तन के संबंध में मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी के पत्र संख्या–785/सां0खा0र0वि0/2001, दिनांक 01–03–2001 एवं पत्र संख्या–3396/वी0आई0पी0/खा0र0वि0/2001, दिनांक 28–8–01 द्वारा श्रीमती सहोदरा देवी का प्रार्थना–पत्र नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था।

कार्मिक अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 16 मार्च, 1985 द्वारा प्रख्यापित समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 1985 एवं यथा संशोधित में पद परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः श्री कपिल कुमार को संदेश वाहक/प्रयोगशाला परिचर के पद पर पद परिवर्तन किया जाना संभव नहीं पाया गया।

प्रदेश में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती कराने की मांग

128–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार सब इंस्पेक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में प्रदेश में सब इन्सपेक्टरों के कुल 6301 पद रिक्त हैं।

जी हां। सब इन्स्पेक्टर नागरिक पुलिस के पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के माध्यम से चयन कराने की कार्यवाही चल रही है।

जनपद बलरामपुर के उतरौला हटई मैदा चीनी मिल द्वारा छोड़े जाने वाले जहरीले पानी को रोके जाने की मांग

129–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के उतरौला हटई मैदा चीनी मिल द्वारा जहरीला पानी छोड़े जाने से पास पड़ोस की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार सुआंव नाले में शुगर फैक्ट्री का

गन्दा एवं प्रदूषण युक्त जहरीले पानी को गिरने से रोके जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देवी पाटन मण्डल के थाना तथा कोतवाली में आरक्षण नीति के अनुसार सब–इंसपेक्टरों की तैनाती की मांग

130–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवी पाटन मण्डल के थाना तथा कोतवाली में अनु0 जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के आरक्षण के अनुसार सब-इंस्पेक्टरों की तैनाती की गयी है ? यदि हां, तो इनमें से कितने थानों के प्रभारी किन-किन वर्ग के लोगों को बनाया गया है ? क्या उक्त मण्डल में सब-इन्सपेक्टरों का आरक्षण कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

थाना प्रभारियों का विवरण निम्नवत् है :

गोण्डा	बहराइच	बलरामपुर	श्रावस्ती
कुल थाना–18	कुल थाना–21	कुल थाना–13	कुल थाना–06
सामान्य–08	सामान्य–10	सामान्य–07	सामान्य--02
पिछड़ी–06	पिछड़ी–05	पिछड़ी–01	पिछड़ी--01
अनु0 जाति–04	अनु0 जाति--05	अनु0 जाति–04	अनु0 जाति–02
	अल्प सं0–01	अल्प सं0–01	अल्प सं0--01

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में बजाज चीनी मिल कल्दुआ द्वारा प्रदूषित जल को कहोबा नाले में गिरने से रोके जाने के आदेश

131–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बजाज चीनी मिल, कल्दुआ (कुंदरकी) द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से पड़ोस के गांवों में व्यापक बीमारी से जन मानस ग्रसित हो रहा है एवं कहोबा नाले में अनधिकृत रूप से शुगर फैक्ट्री का गन्दा पानी बहाया जा रहा है ? क्या सरकार प्रदूषण फैलाने वाले गन्दे

पानी को कहोबा नाले में गिरने से रोके जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत इफको फूलपुर से आरा खुर्द तक मार्ग निर्माण की मांग

132–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत इफको फूलपुर से (वीरकाजी, महुलिया धुर्वा, गुलचपा, चांदोपारा होते हुए आरा खुर्द पक्की सड़क तक) आरा खुर्द तक मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वीरकाजी, महु धुर्वा, गुलचप्पा, चांदोपारा होते हुए आरा खुर्द पक्की सड़क तक का मार्ग जनपद के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार वे ही कार्य कराये जा सकते हैं जो जनपद के कोर नेटवर्क का भाग हों। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग में पड़ने वाले गांव वीरकाजी, महु धुर्वा, गुलचप्पा तथा चांदोपारा पूर्व से ही अन्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एकल सम्पर्कता ही अनुमन्य है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में प्रतापपुर बीबीपुर उर्फ अग्रसेनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

133–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर, बीबीपुर उर्फ अग्रसेनपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण (पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत प्रतापपुर, बीबीपुर उर्फ अग्रसेनपुर सम्पर्क मार्ग जनपद के कोर नेटवर्क में अरईया से बीबीपुर सम्पर्क मार्ग के नाम से अंकित है, जो कि लिंक रूट है। भारत निर्माण के अन्तर्गत 1000 से अधिक आबादी के सर्वऋतु मार्ग से गैर जुड़ी ग्रामीण बसावटों को सर्वऋतु मार्ग से संतृप्त करने तथा तत्पश्चात् थ्रूरूट्स के उच्चीकरण का कार्य कराये जाने की ही अनुमन्यता हैं चूंकि प्रश्नगत मार्ग लिंक रूट है अतः भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अधीन वर्तमान में उक्त मार्ग का उच्चीकरण कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना की मांग

134–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला पर फायर बिग्रेड स्टेशन की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला पर फायर स्टेशन की स्थापना हेतु निर्विवादित निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्विवादित निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती की मांग

135–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक लाख की आबादी पर मात्र लगभग सौ (100) पुलिस कर्मी ही तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लूट, अपहरण, चोरी तथा डकैती की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानक के अनुसार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश संख्या 4147/6–पु–1–08–120/08, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 द्वारा नागरिक पुलिस के विभिन्न पदों के कुल 2,04,021 पद स्वीकृत किये गये हैं। इन नये पदों के सृजन से प्रदेश में पुलिस जनसंख्या अनुपात प्रति लाख 150 से ऊपर हो गया है।

इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष चरणबद्ध रूप से भर्ती एवं प्रोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रचलित है।

जनपद आगरा के अन्तर्गत हनुमान नगर, सीतानगर, नबलगंज, पालिका नगर, कटरा वजीर खां, रामनगर क्षेत्रों में पानी की सप्लाई चालू कराने की मांग

136–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत हनुमान नगर, सीतानगर, नबलगंज, पालिका नगर, कटरा वजीर खां, रामनगर के

क्षेत्रों में पाइप लाइन तो है लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं है ? क्या सरकार पानी की सप्लाई चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

प्रश्नगत क्षेत्रों में पेयजल की आंशिक जलापूर्ति हो रही है।

जी हां।

दिसम्बर, 2012 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पर्यटकों के मनोरंजन हेतु लाल किला, ताजमहल, एत्माद्उद्दौला को विकसित करने की नीति

137–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लाल किला, ताजमहल एवं एत्माद्उद्दौला के बीच जमुना नदी में नाव चलाने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु रोपवे बनाये जाने व यमुना नदी के किनारे के खाली पार्कों में बम्बई की चौपाटी की भांति विकसित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह–

जी नहीं।

लाल किला, ताजमहल एवं एत्माद्उद्दौला के मध्य नाव चलाने हेतु यमुना में स्थायी रूप से पर्याप्त जल स्तर न होने से नाव संचालन सम्भव नहीं हैं इन स्मारकों के मध्य रोपवे बनाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे स्मारकों की स्काई लाइन प्रभावित होती है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सहमत न होगा।

यमुना नदी के किनारे के खाली पार्कों को बम्बई की चौपाटी की भांति विकसित किया जाना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ विकास खण्ड जोगिया स्थित ग्राम सभा नदवलिया का अम्बेडकर ग्राम सभा के रूप में चयन तथा आवंटित धनराशि

138–श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के विकास खण्ड जोगिया, ग्राम पंचायत, नदवलिया अन्तर्गत ग्राम नदवलिया में वर्ष 2008–09 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया है ? यदि हां, तो उसके विकास के लिए अभी तक कितना धन आवंटित किया गया तथा कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये ? क्या सरकार को जानकारी है कि अभी तक विकास कार्य नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो उसके दोषीजनों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार–

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ विकास खण्ड जोगिया स्थित ग्राम सभा नदवलिया को वर्ष 2008–09 में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा के रूप में चयनित किया गया।

डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजनान्तर्गत संचालित विकास कार्यक्रमों को सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय बजट से क्रियान्वित कराया जाता हैं अतएव उक्त चयनित ग्रामसभा नदवलिया में विकास कार्यों हेतु डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास विभाग द्वारा पृथक् से कोई धनावंटन नहीं किया गया हैं उक्त ग्रामसभा को योजनान्तर्गत संचालित निम्न कार्यक्रमों से तत्समय निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त कराया जा चुका है–

1–92 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण।

2–सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यक्रम।

3–सी0सी0रोड/के0सी0ड्रेन निर्माण हेतु निर्धारित नीति से आच्छादित न होने पर उक्त ग्रामसभा में 355 मीटर खड़न्जा, 404 मीटर नाली एवं 4 मीटर की पुलिया का निर्माण।

4–विद्युतीकरण कार्यक्रम।

5–स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम।

6–आवासहीन को आवासीय पट्टा एवं भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा मद में उक्त ग्रामसभा चयन के समय ही संतृप्त थी। आवासहीन को आवास मद के अन्तर्गत 53 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा तहसील मनकापुर की अनुसूचित जाति की गरीब महिला के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

139–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरनाढायर के ग्राम कमलापुर की सीमा देवी पत्नी श्री परशुराम द्वारा दिनांक 30 जून, 2009 को पत्र प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को जो तहसील मनकापुर अनुसूचित जाति गरीब महिला के उत्पीड़न के सम्बन्ध में था, दिया गया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि 30 जून, 2009 को बी0डी0ओ0 मनकापुर द्वारा उत्पीड़न के सम्बन्ध में जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हां।

तहसील दिवस में पत्र दिया गया।

प्रकरण की जांच प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी/सहा0 वि0अ0 (आई0एस0बी0) विकास खण्ड मनकापुर से करायी गयी। जांच आख्या उनके पटल से गायब हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2009 को थाना कोतवाली, मनकापुर में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। प्रकरण की पुनः जांच करायी जा रही हैं जांच में हुये विलम्ब हेतु दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को निर्देश दिये जा रहे है।

जी हां।

जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा स्थित बलकेश्वर महादेव मन्दिर के बगल में दुर्गा एन्क्लेव की जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत की मांग

140–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित बल्केश्वर महोदव मन्दिर के बगल में दुर्गा एन्क्लेव की सड़क विगत पांच वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

दुर्गा एन्क्लेव कालोनी, नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित नहीं है। यह प्राइवेट कालोनी है। कालोनी के आन्तरिक समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने का दायित्व कालोनाइजर का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बल्केश्वर से पुलिस चौकी बल्केश्वर होते हुए जी ब्लाक, कमला नगर तक की सड़क की मरम्मत करवाये जाने की मांग

141–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बल्केश्वर से पुलिस चौकी बल्केश्वर होते हुए जी ब्लाक, कमला नगर तक की सड़क विगत दस वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

'नगर निगम, आगरा द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बल्केश्वर से पुलिस चौकी बल्केश्वर होते हुए जी–ब्लाक, कमलानगर, आगरा तक के मार्ग का निरीक्षण कराकर आगणन तैयार कराया जा रहा है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम नेवादा में इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प से आ रहे खारे पानी की जांच

142–श्री जोखू लाल यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम नेवादा जंघई निवासी श्री राम मिलन पुत्र श्री शिवनाथ के दरवाजे पर लगे हुए इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प से आ रहे खारा पानी से निजात पाने हेतु जल निगम, इलाहाबाद द्वारा माह अक्टूबर, 2009 में डीप बोरिंग करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्डपम्प का पानी अब भी खारा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हां।

जी हा।

प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिये गये हैं। जांचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मेरठ में समस्त थानों में दर्ज महिलाओं की चेन एवं पर्स लूट की घटनाओं का विवरण

143–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक मेरठ जनपद के समस्त थानों में महिलाओं के साथ कितनी चेन एवं पर्स लूट की घटनाएं दर्ज हुई हैं ? इनमें से कितनी घटनाओं में पुलिस द्वारा खुलासा किया गया तथा कितने अपराधी जेल भेजे गये तथा किसी लूट की चेन एवं पर्स बरामद किये गये ? क्या उनका ब्योरा थानेवार उपलब्ध करायेंगे ?

सुश्री मायावती–

जनपद मेरठ में दिनांक 01 जनवरी, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक महिलाओं के साथ चेन एवं पर्स लूट की 42 घटनाएं दर्ज हुई है।

जनपद में पुलिस द्वारा 32 घटनाओं का खुलासा कर 58 अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये तथा 22 चेन एवं पर्स बरामद किये गये।

जी हां।

थानेवार ब्योरा संलग्न† है।

---

†देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 247–248 पर।

मेरठ नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम इकाई मेरठ द्वारा अधिष्ठापित हैण्ड पम्प

144–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक मेरठ नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल निगम इकाई, मेरठ द्वारा कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? क्या लगाये गये हैण्डपम्प जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक जनप्रतिनिधि द्वारा लगवाये हैण्ड पम्प की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में मेरठ नगर निगम क्षेत्र में 107 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये थे जिनमें से 93 हैण्डपम्प मा0 जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर लगाये गये थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक मेरठ नगर निगम क्षेत्र में कुल 88 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये है जिनमें से 74 हैण्डपम्प मा0 जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर लगाये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र खुटहल के तहसील मुख्यालय बदलापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

145–श्री शैलेन्द्र यादव "ललई"–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र खुटहन के तहसील मुख्यालय बदलापुर को नगर पंचायत बनाने हेतु क्या प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो नगर पंचायत का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हां।

चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के शा0 संख्या जी0आई/165/तीन–09–15 (1)/2009, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 द्वारा नगरपालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, अतः वर्तमान में इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र महाराजगंज, बछरावां तथा शिवगढ़ में पी0आर0डी0 जवानों को मेट के पद पर नियुक्ति

146–श्री राजाराम त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास ने गत 11 नवम्बर, 2008 को प्रत्येक ग्राम के पी0आर0डी0 स्वयं सेवक/महिला

मंगल दल को प्राथमिकता के आधार पर नरेगा में मेट के पद पर रखने का आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या उसी क्रम में जिलाधिकारी, रायबरेली ने भी अपने पत्र संख्या 108/प्रा0वि0द0/नरेगा 2008–09, दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा जिले के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को नरेगा में मेट के पद पर रखे जाने का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या उसी क्रम में जिलाधिकारी, रायबरेली ने भी अपने पत्र संख्या 108/प्रा0वि0द0/नरेगा 2008–09, दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा जिले के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को नरेगा में मेट के पद पर रखे जाने का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जनपद के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के विकास खण्ड महाराजगंज, बछरावां तथा शिवगढ़ में कितने और किन-किन को इस आदेश के अनुसरण में नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

जी हां।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र महाराजगंज में 02, बछरावां में 28 तथा शिवगढ़ में 10 पी0आर0डी0 जवानों को मेट के पद पर नियुक्ति किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, थाना शेरगढ़ के हिस्ट्रीशीटर श्री जलील अहमद के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की भ्रष्टाचार निवारण संगठन, बरेली से जांच कराने सम्बन्धी शिकायती–पत्र

147–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली, थाना शेरगढ़ के खतरनाक हिस्ट्रीशीटर और सक्रिय अपराधी जलील अहमद उर्फ बाबू, निवासी थाना व नगर पंचायत शेरगढ़ के विरुद्ध वैधानिक, कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने तथा जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन की शाखा बरेली से कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 जो पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, 1–तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों/आरोपों की जांच मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 के शिकायत प्रकोष्ठ से करायी गयी। प्राप्त आख्यानुसार जलील अहमद उर्फ बाबू, निवासी कस्बा व थाना शेरगढ, जनपद बरेली के विरुद्ध अभिलेखों के अनुसार कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं। मु0अ0सं0–91/95 व 97/95, थाना सीलमपुर, दिल्ली में पंजीकृत हुए हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा उन्हें बरी किया जा चुका है तथा मु0अ0सं0–413/09 में विवेचनोपरान्त झूठा पाये जाने पर जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। मु0अ0 संख्या 145/01 एवं मु0अ0 संख्या

146/01, थाना कृष्णानगर, दिल्ली विचाराधीन न्यायालय है। जलील अहमद उर्फ बाबू डीबीबीएल गन का लाइसेन्सी है जिसके विरुद्ध उक्त दो अभियोग न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र लाइसेन्स के निलम्बन की रिपोर्ट थानाध्यक्ष शेरगढ़, जनपद बरेली द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बरेली को प्रेषित की गयी थी जिस पर ए0डी0एम0 प्रशासन, बरेली द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को जमील अहमद उर्फ बाबू को नोटिस जारी की गयी है, जिसे थानाध्यक्ष शेरगढ़ द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2009 को तामील कराया गया है। शस्त्र निलम्बन की प्रक्रिया ए0डी0एम0 प्रशासन, बरेली के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाई कोर्ट की खण्डपीठ आगरा में स्थापित किये जाने पर विचार

148–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट की खण्डपीठ आगरा में स्थापित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को कब तक संस्तुति कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु संदर्भित है।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्टि संख्या 78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः गठन और स्थान के बावत अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प को ठीक कराये जाने की मांग

149–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में इस समय कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब हैं ? इन हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद–

दिसम्बर, 2009 तक विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में 344 हैण्डपम्प को स्थाई रूप से खराब चिन्हित किया गया, जिनको रिबोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में सुपर स्पेशलिस्ट श्रेणी के न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरासिक सर्जन, नफ्रोलोजिस्ट के रिक्त पद

150–डा0 राजेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में सुपर स्पेशलिस्ट श्रेणी के न्यूरोसर्जन, कार्डियोथोरासिक सर्जन,

नफ्रोलोजिस्ट के रिक्त पद वर्षों से खाली हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? क्या सरकार सुपर स्पेशलिस्ट के लिये अलग से वेतनमान दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा–

जी हां।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को उक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन दिनांक 31 मई, 2005 तथा दिनांक 18 सितम्बर, 2008 को भेजा गया।

जी नहीं

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों के विभिन्न विशिष्टताओं में कार्यरत प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के पद के अनुसार वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनु सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के रिक्त पदों पर डी0 पी0 सी0 कराकर पदोन्नतियां कराने की मांग

151–चौ0 रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में वर्तमान में अनु सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर डी0पी0सी0 कराकर पदोन्नतियां प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में अनुसचिव के 01 पद, उप सचिव के 15 पद तथा संयुक्त सचिव के 09 पद रिक्त हैं।

उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु आयु की गणना से सम्बन्धित शासनादेश

152–श्री प्रदीप माथुर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु यदि कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2005 मानी गई हो, तो शासनादेश संख्या 1315–89–का0–1–1989, दिनांक 6 फरवरी, 1989 कार्मिक अनुभाग–1 के पैरा–3 के अनुसार उसकी गणना आलोच्य वर्ष 31 मार्च, 2004 से 31 मार्च, 2005 या 31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2006 होगी ? यदि गणना आलोच्य वर्ष 31 मार्च, 2004 से 31 मार्च, 2005 है तो क्या अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले कार्मिक की आयु गणना 50 वर्ष 31 मार्च, 2004 को गिनी जाएगी या 31 मार्च, 2005 को गिनी जायेगी ? यदि उपरोक्त कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2005 मानी जाए तो क्या 31 मार्च, 2005 को जो आयु की गणना की जायेगी वह उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप है ?

सुश्री मायावती–

शासनादेश संख्या 13/5–89–का0–1–1989, दिनांक 6 फरवरी, 1989 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि प्रतिवर्ष ऐसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की स्क्रीनिंग की जाय, जिन्होंने उस वर्ष की 31 मार्च तक 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यदि कट ऑफ डेट (जिस तिथि को कोई प्रकरण प्रभावी माना जाय) 31 मार्च, 2005 मानी गयी हो, तो शासनादेश संख्या 13/5–89–का0–1–1989, दिनांक 6 फरवरी, 1989 के पैरा–3 के अनुसार उक्त कट ऑफ डेट दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि हेतु स्क्रीनिंग के लिए होगी।

आलोच्य वर्ष 31 मार्च, 2004 से 31 मार्च, 2005 नहीं होगा, बल्कि 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 होगा। आलोच्य वर्ष 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 के लिए 50 वर्ष की आयु की गणना हेतु कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2004 होगी।

1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक की अवधि हेतु स्क्रीनिंग के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च, 2005 के आधार पर आयु की गणना किया जाना उपरोक्त शासनादेश के अनुसार होगा।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में शासनादेश तथा निर्धारित समय सारणी

153–श्री प्रदीप माथुर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के कार्मिक अनुभाग–2 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 13/48/85–कार्मिक–1, दिनांक 20 अक्टूबर, 85 द्वारा विभागों के अनुपालन हेतु समय सारिणी निर्गत की गयी हैं ? यदि हां, तो समय सारिणी के अनुपालन न करने पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के परिणाम मान्य होंगे या नहीं ? क्या उपरोक्त शासनादेश के पैरा–3–1 (2) के अनुसार नामित अधिकारी स्क्रीन किये जा रहे अधिकारी से भी वरिष्ठ होंगे ? यदि नामित अधिकारी स्क्रीन किये जा रहे कार्मिक के बराबर हैं तथा विभागीय हैं अथवा उस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए हों तथा वरिष्ठता में स्क्रीन किये जाने वाले कार्मिक के ज्येष्ठता में बराबर हों तो क्या वह प्रक्रिया विधिमान्य होगी ? यदि नहीं, तो ऐसे संदर्भ के होते हुए स्क्रीनिंग प्रकरण का परिणाम निक्षेप माना जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग–1 द्वारा शासनादेश संख्या 13/48/85–का–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 जारी किया गया है शासनादेश की तिथि 20 अक्टूबर, 85 नहीं है। उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 के प्रस्तर 6 में स्क्रीनिंग की कार्यवाही की समय सारिणी निर्धारित की गयी है।

समय सारिणी का अनुपालन न होने की दशा में भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के परिणाम मान्य होंगे।

जी नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य शासनादेश के पैरा 3–1(2) के अनुसार ही नामित किये जाने का प्राविधान है। उसमें ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि नामित अधिकारी स्क्रीन किये जा रहे अधिकारी से वरिष्ठ हों।

शासनादेश संख्या 13/48/85–का–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 के अनुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सम्पन्न की जाने वाली प्रक्रिया उस दशा में भी विधिमान्य होगी, जब नामित अधिकारी स्क्रीन किये जा रहे कार्मिक के बराबर है तथा विभागीय हैं अथवा उस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए हों तथा वरिष्ठता में स्क्रीन किए जाने वाले कार्मिक से ज्येष्ठता में बराबर हो।

प्रश्न नहीं उठता।

स्क्रीनिंग कमेटी केवल सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी की सहायता के लिये होती हैं मूल नियम 56 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय लिये जाने का प्राविधान हैं शासनादेश में प्रक्रियात्मक व्यवस्था नियम में व्यवस्था के सहायतार्थ है।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम खोड़ा कालोनी को नगरपालिका परिषद् बनाये जाने की मांग

154–श्री मदन चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम खोड़ा कालोनी को नगरपालिका परिषद् बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0आई0165/तीन–09–15 (1)/2009, दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा नगरपालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम मेरठ में उद्यान विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

155–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, मेरठ में उद्यान विभाग में कितने कर्मचारी किस–किस पद पर कार्यरत हैं तथा इनकी नियुक्ति किस–किस स्थान पर है ? क्या इसका पूर्ण विवरण सदन को उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शास्त्रीनगर एवं जागृति बिहार पार्कों में कितने माली तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

उद्यान सुपरवाइजर	01
हेडमाली	01
माली	16
वाहन चालक	01
चौकीदार	07
हेडमाली	टाउन हाल पार्क
दो माली	टाउन हाल पार्क
चार माली	लेडीज पार्क
चार माली	गांधी पार्क, सूरजकुण्ड
दो माली	हंस चौराहा पार्क
एक माली	बैंक कालोनी पार्क
एक माली	सद्भावना पार्क एल–ब्लाक
एक माली	अम्बेडकर पार्क
एक माली	कचहरी पार्क
एक चौकीदार	सूरजकुण्ड पार्क
एक चौकीदार	गांधी पार्क
एक चौकीदार	लेडीज पार्क
चार चौकीदार	टाउनहाल पार्क

शास्त्रीनगर एवं जागृति बिहार पार्कों में कोई माली तैनात नहीं है। क्योंकि जागृति बिहार एवं शास्त्री नगर दोनों योजनाएं आवास विकास की थीं। आवास विकास से नगर निगम की योजनाएं हस्तान्तरित करते समय कोई माली नगर निगम उद्यान विभाग को हस्तान्तरित नहीं कियें गयें है। इसलिए नगर निगम के उद्यान विभाग में पूर्व में जो कर्मचारी थे वही कार्यरत हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण शास्त्रीनगर एवं जागृति बिहार के पार्कों में कर्मचारी तैनात नहीं किए जा सके हैं। लेकिन शास्त्रीनगर व जागृति बिहार के पार्कों की सफाई आदि के लिए मांग की जाती है तो गैंग भेजकर कार्य करा दिया जाता है। अभी हाल में ही सेक्टर 8, शास्त्रीनगर स्थित भगत सिंह पार्क की स्थानीय नागरिकों की समिति की मांग पर पार्क में कार्य कराया गया है।

ग्राम ठिरिया बुजुर्ग में असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों से अवैध वसूली

156–श्री सुल्तान बेग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम–211029/2009, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 जो असामाजिक

तत्वों द्वारा जबरन सरकारी सस्ते गल्ले के कोटेदारों इत्यादि से रंगदारी (गुण्डा टैक्स) वसूलने विषय था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच उपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी, मीरगंज, बरेली द्वारा करायी गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम ठिरिया बुजुर्ग में पूर्व प्रधान की मृत्यु होने पर माह जून, 2009 में ग्राम प्रधानी के हुए उप चुनाव में विपक्षी श्री सन्तोष शर्मा की मां श्रीमती धनवती शर्मा व इसी ग्राम के श्री अशोक कुमार उपाध्याय, एडवोकेट की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी उप चुनाव लड़ रहीं थी, जिसमें आवेदक श्री महेन्द्र सिंह व श्री अतेन्द्र सिंह द्वारा श्री अशोक कुमार उपाध्याय का समर्थन किया गया था। श्री सन्तोष शर्मा की माता चुनाव जीत गयी थीं। आवेदक श्री महेन्द्र पुत्र श्री बाबू सिंह ने आरोपों का खण्डन करते हुए अंकित कराया है कि उसको श्री सन्तोष शर्मा से कोई शिकायत नहीं है, शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री महेन्द्र सिंह व उनके भाई श्री अतेन्द्र सिंह द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया जाय। थानाध्यक्ष मीरगंज ने अपनी आख्या के माध्यम से आरोपों का खण्डन करते हुए बताया है कि जे0 के0 शुगर मिल व कोटेदारों से कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है। अभिलेखीय साक्ष्य से शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर सिकन्दराराऊ नगरपालिका परिषद् में पेयजल आपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यवस्था की मांग

157–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर सिकन्दराराऊ नगरपालिका परिषद् में पेयजल आपूर्ति हेतु कितने नलकूप एवं पानी की टंकियां उपलब्ध हैं तथा उनमें से कितने नलकूप एवं पानी की टंकियां कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा कितने घण्टे प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार सिकन्दराराऊ नगर पालिका परिषद् में समुचित पेयजलापूर्ति हेतु कोई अतिरिक्त व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जनपद महामायानगर के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ नगर पालिका परिषद् में कुल 7 नलकूप हैं जिनमें से 2 कार्यरत हैं तथा 2 अवर जलाशय उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से 2 घन्टे प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है।

2 अवर जलाशयों से 0.96 एमएलडी जलापूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त 49 हैण्डपम्पों से 0.73 एमएलडी जलापूर्ति हो रही है। इस प्रकार कुल 1.71 एमएलडी जलापूर्ति की जा रही है जबकि नगर पालिका की वर्तमान पेयजल

की मांग लगभग 5.85 एमएलडी है। सिकन्दराराऊ नगर पालिका परिषद् की समुचित पेयजलापूर्ति हेतु पुनर्गठन पेयजल योजना का प्रस्ताव पालिका द्वारा जल निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना के अनुमोदन एवं धनावंटन होने के उपरान्त 2 वर्ष के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम इकाई मेरठ द्वारा मेरठ जनपद में लगाये गये हैण्डपम्प

158–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम इकाई मेरठ द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक मेरठ जनपद में कितने हैण्डपम्प लगाये गये ? क्या हैण्डपम्प मा0 विधायक/सांसद/अन्य किसी जनप्रतिनिधि की संस्तुति पर प्रत्येक विकास खण्ड में कितने–कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद–

दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 अक्टूबर, 2009 तक 1274 नये हैण्पम्प अधिष्ठापित किये गये तथा 548 हैण्डपम्प रिबोर किये गये।

मा0 विधायक/सांसद/अन्य जनप्रतिनिधि का हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कोई कोटा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मुख्यालय मनकापुर में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की माँग

159–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मुख्यालय, मनकापुर में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ और गोण्डा में महराज देवी बक्श सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित किये जाने की मांग

160–श्री बिशुन आजाद–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महराज देवी बक्श सिंह की आदमकद प्रतिमा जनपद लखनऊ और गोण्डा में लगवाने का कोई प्रस्ताव शासन

के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिमा कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय (संस्कृति मंत्री)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

161–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

[2सरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ज़नपद महामायानगर के सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्डों/ग्रामों में मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की मांग

162–डा0 अनिल चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के सादाबाद एवं सहपऊ विकास खण्डों के खारे/गुणवत्ता विहीन पानी की समस्या से ग्रस्त ग्राम/मजरों की कोई सूची शासन में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार इन ग्रामों में मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

जी हाँ। संलग्न† है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ज़नपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू हास्पिटल में जूनियर डाक्टरों एवं मरीजों के मध्य दुर्व्यवहार एवं मारपीट के प्रकरण की जांच

163–श्री जोखू लाल यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू हास्पिटल में माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2009 में जूनियर डाक्टरों एवं मरीजों व उनकी देखभाल करने वालों के मध्य दुर्व्यवहार एवं मारपीट के प्रकरण की जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 249–250 पर।

जांच जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। जूनियर डाक्टरों के बयान नहीं लिये जा पाने के कारण जांच पूरी नहीं हुई है।

जनपद प्रतापगढ़ में विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के लम्बित प्रकरण

164– श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में 31 अक्टूबर, 2008 तक विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने कि कितने मामले लम्बित हैं ? उपरोक्त लम्बित प्रकरणों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 में दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 तक कुल 1659 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के मामले लम्बित हैं।

उक्त सभी 1659 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कर प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित मसकनवां बाजार एवं वजीरगंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

165–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित मसकनवां बाजार एवं वजीरगंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0आई0 165/तीन–09–15(1)/2009, दिनांक 22–12–2009 द्वारा नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है।

जिला पंचायत गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को पम्पिंग सेट का वितरण

166–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2007–08 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का साढ़े बाइस प्रतिशत अनुसूचित जाति अंश से कितने पात्र व्यक्तियों को पम्पिंग सेट (डीजल इंजन) वितरित किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि वितरित किये गये सूची के क्रमांक 285 पर नरेश पुत्र श्री बीफई, क्रम सं0 594

पर पाटनदीन पुत्र श्री राम प्रसाद और 388 पर धनीराम पुत्र श्री मुन्ना लाल ग्राम (विकास खण्ड मनकापुर) पंचायत बीरेपुर का नाम दर्ज है ? यदि हां, तो क्या ये अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो इनकी जाति क्या है ? क्या सरकार उक्त क्रमांक में दर्शाये गये व्यक्तियों की जाति एवं पम्पिंग सेट का सत्यापन करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जी हाँ।

जनपद गोण्डा में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा वर्ष 2007–08 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 की मात्राकृत 22.5 प्रतिशत धनराशि से अनुसूचित जाति के 935 पात्र व्यक्तियों को पम्पिंग सेट (डीजल इंजन) वितरित किये गये।

जी हाँ।

जी हाँ।

अनुसूचित जाति।

उपरोक्तानुसार औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में बी0पी0एल0 सर्वे के आधार पर बनाई गयी सूची से इन्दिरा आवास का आवंटन

167–श्री अमर मणि त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में वर्ष 2009–10 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों सहित अन्य ग्रामों में बी0पी0एल0 सर्वे सूची वर्ष 2002, के अनुसार पात्रों को आवास आवंटन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बी0पी0एल0 सर्वे की पुष्टि कराकर आवास आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर में वर्ष 2009–10 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों सहित अन्य ग्रामों में बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर बनाई गई इन्दिरा आवास की स्थाई पात्रता सूची से पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास एवं महामाया सर्वजन आवास आवंटन किया जा रहा है। महामाया आवास योजना में आवास आवंटन हेतु बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध होने की शर्त को हटा दिया गया है।

बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर बनाई गई इन्दिरा आवास की स्थाई पात्रता-सूची की जांच करके ही पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास एवं महामाया सर्वजन आवास आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में सर्वे के आधार पर अपात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किये जाने की मांग

168–श्री संजीव दरियाबादी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में सर्वे के आधार पर जिन अपात्र बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किये गये हैं उनकी संख्या कितनी है ? क्या पात्रता रखने वालों के बी0पी0एल0 कार्ड कब से पुनः बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद–

कानपुर नगर में सर्वे के आधार पर कुल 2142 अपात्र बी0पीएल0 कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किये गये हैं।

जनपद कानपुर नगर हेतु 1,02,161 बी0पी0एल0 कार्डों का लक्ष्य निर्धारित है जो पात्रता के आधार पर जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नुनिहाई, आगरा की श्मशान जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

169–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नुनिहाई आगरा की श्मशान जाने वाली सड़क की बहुत ही खराब स्थिति है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 1 वर्ष पूर्व लगभग 30 लाख रुपये का इस्टीमेट भी बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार शमशान की उक्त सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

आगर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वर्ष 2009 में सड़क की मरम्मत हेतु व्ययानुमान तैयार कराया गया था परन्तु अवस्थापना/पथकर समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

सन्दर्भित स्थल पर सड़क निर्माण कराये जाने हेतु नगर निगम द्वारा आगणन तैयार कराया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ?

नोएडा से ग्रेडर नोएडा एक्सप्रेस–वे पर होने वाले हादसों को रोकने हेतु उपाय

170–श्री मदन चौहान–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस–वे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिये कुछ उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस–वे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए जगह–जगह पर स्पीड के बोर्ड, रात्रि में चमकने वाले साइन बोर्ड लगवाये गये हैं।

सड़क पर 24 घण्टे एक छोटी क्रेन व एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त 06 पेट्रोल पुलिस कार 24 घण्टे सड़क पर रहती है तथा रात्रि में कोहरे के समय गाड़ियों पर लगी लाल–नीली फ्लेशर लाइट जलाई जाती है एवं स्पीड की चेकिंग स्पीडोमीटर से तथा शराब की चेकिंग ब्रेथ एनालाईजर से यातायात पुलिस द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ कैंट विधान सभा क्षेत्र ग्राम देवपुर सोनियानगर, चन्द्रोदयनगर आदि गांवों/मोहल्लों में खड़न्जा तथा नाली की व्यवस्था की मांग

171–श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कैंट, विधान सभा क्षेत्र के ग्राम देवपुर सोनियानगर, चन्द्रोदयनगर आदि अनेक गांवों/मोहल्लों में कच्चे मार्ग होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में खड़न्जा तथा नाली की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

जी हाँ।

उपलब्ध धनराशि के आधार पर नगर निगम लखनऊ द्वारा ग्राम देवपुर में सड़क/नाली के कुछ कार्य कराये गये हैं। प्रश्नगत मोहल्ले सोनियानगर, चन्द्रोदयनगर प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाइजर द्वारा अनियोजित रूप से बसाये गये हैं। ऐसे क्षेत्रों में खड़न्जा एवं नाली तथा अन्य नगरीय सुविधाओं की व्यवस्था कराने का दायित्व संबंधित कालोनाइजर का है।

प्रदेश के कतिपय शहरों में रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध तथा जीविकोपार्जन हेतु नयी कार्य योजना

172–श्री मदन चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन–किन शहरों में रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध है ? क्या नोएडा में भी रिक्शा चलाने हेतु प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो रिक्शा चालकों के जीविकोपार्जन हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे–

प्रदेश के किसी शहर में रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

नोएडा अथारिटी से प्राप्त सूचना के अनुसार नोएडा में भी रिक्शा चलाने हेतु प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल नोएडा शहर के मुख्य छः मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने हेतु जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिक्शा चलाने को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल के सदस्यों के लिए लंच की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं। आपकी जो कैंटीन है वहां पर सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था है एक बजे से तीन बजे के बीच में।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 फरवरी, 2010 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री नितिन अग्रवाल की है।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

दूसरी सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की जनपद बलरामपुर के फरेन्दा जरवल मार्ग पर भाँभर नाले पर बना पुल ध्वस्त होने के कारण बौद्ध परिपथ पर आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री इमरान मसूद की विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फराबाद के ग्राम फतेहपुर पोलियो चॉडीघेर, शाहजहांपुर, कोठगी, बहलोलपुर, दौतली, मुगल के समस्त मजरों में एल0टी0 लाइन बनाकर 100 के0बी0ए0 ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम रउतापुर व पहाड़ापुर के मध्य 11 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) की है।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

छठीं सूचना श्री अशोक कंसल की जनपद मुजफ्फर नगर से खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम मुजफ्फर नगर में छात्रावास न होने के संबंध में है।

सातवीं सूचना डा0 राम सिंह की है।

(सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

आठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद जनपद के करैलाबाद श्रमिक आवासीय बस्ती को पशुपालन व अवैध कारोबार का केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना डॉ0 अजय तोमर की बागपत के पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र इसके रजवाहे अल्पिकाओं खास पर बने नालों पर पुल पुलिया, पशुघाट, पिचिंगवाल आदि अधिकतर टूटे एवं खराब होने के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खाँ की जनपद मुजफ्फर नगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण के ग्रामीण मार्ग व ग्राम सम्पर्क मार्गों को पुनः निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड 39, इलाहाबाद नहर बारी रजबहा पर स्थित ग्राम सेमरी व छतवना के सामने ध्वस्त पुलिया उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मेरा नाम जोखू प्रसाद यादव नहीं जोखू लाल यादव है। सूचना में गलती से जोखू प्रसाद छप गया है। इसको ठीक कराइये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

बारहवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के कारण प्रदेश के डिस्टेलरी उद्योग के बन्दी के कगार पर पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की उ0प्र0 कोषागार में 36 वर्षों से निरन्तर कोषागार कैश शाखा में कार्यरत कई कैशियर, मुख्य रोकड़िया के पद पर प्रोन्नति से वंचित रह जाने के संबंध में है।

चौदहवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की उप स्वास्थ्य केन्द्र नरी विकास खण्ड फूलबेहड़, जनपद लखीमपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में अकौला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पवसरा रजवाहा गाँव कड़कोड़ा विकास खण्ड अकौता की भूमि रजबहे पर कोई पुल न होने के संबंध में है।

श्री नितिन अग्रवाल, श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर), डा0 राम सिंह के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से श्री बैजनाथ दुबे, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

(सदन की अनुमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद बलरामपुर के फरेन्दा जरवल मार्ग पर भांभर नाले पर बना पुल ध्वस्त होने के कारण बौद्ध परिपथ पर आवागमन अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महन्त कौशलेन्द नाथ योगी–

[महोदय, जनपद बलरामपुर के फरेंदा–जरवल मार्ग पर भांभर नाले पर बना पुल ध्वस्त होने के कारण बौद्ध परिपथ पर आवागमन अवरुद्ध हो जाने से स्थानीय जनता सहित विदेशी अतिथियों एवं पर्यटकों को आने–जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण किसानों के उत्पाद एवं अन्य सामग्रियों की कीमतों में, आवागमन अवरुद्ध होने के कारण बेतहाशा वृद्धि हो रही है।

बौद्ध परिपथ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर बने पुल के टूट जाने के कारण बौद्ध तीर्थ स्थलों पर आने वाले हजारों पर्यटकों को काफी असुविधा हो रही है एवं क्षेत्रीय जनता भी परेशानी का सामना कर रही है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहारनपुर के मुजफ्फराबाद विधान सभा क्षेत्र में चण्डीघेर, शाहजहाँपुर, दतौली मुगल के समस्त मजरों का एल0टी0 लाइन बनवाकर 100 के0वी0 के ट्रांसफार्मर लगाकर पुनः विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इमरान मसूद–

[मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर पलियो चाण्डीघेर, शाहजहाँपुर, कोठडी बहलोलपुर, दतौली मुगल के समस्त मजरों का विद्युतीकरण 11 हजार की लाईन बनाकर उस पर 10 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाकर कर दिया गया है। उक्त ग्रामों में अधिकांश घर फूस के बने हैं इस कारण उक्त ग्राम में छोटी सी चिंगारी भी भीषण अग्निकांड का रूप ले लेती है। उक्त ग्राम के निवासियों द्वारा एल0टी0 लाईन बनाकर 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर लगाकर पुनः विद्युतीकरण करने की अनेक बार मांग करने के उपरांत भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः मैं अविलम्बनीय इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए व्यापक चर्चा की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम रउतापुर व पहाड़ापुर के मध्य 11 के0वी0ए0 की विद्युत लाइन टूटने से हुई जनहानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर लाल लोधी–

[महोदय, दिनांक 26 अगस्त, 2009 को उन्नाव के ग्राम रउतापुर, थाना गंगाघाट निवासी राम स्वरूप पुत्र डिगई दवा लेने जा रहे थे, कई दिन पूर्व से पहाड़ापुर के पास 11 के0वी0ए0 पावर की विद्युत लाइन टूटी पड़ी थी जिसमें चिपककर राम स्वरूप उम्र 21 वर्ष की मृत्यु हो गयी, जिसका मुकदमा भी दिनांक 26 अगस्त, 2009 को ही थाना गंगाघाट में पंजीकृत हुआ, पोस्टमार्टम भी उन्नाव में उसी दिन हुआ और दोषी विद्युतकर्मी को विभागीय सजा मिली। परन्तु आज तक विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा एवं सरकार द्वारा राम स्वरूप के पिता श्री डिगई, निवासी थाना गंगाघाट को कोई भी जनहानि की एवं सान्त्वना की सहायता न मिल सकी। पत्रावली विद्युत सुरक्षा में विचाराधीन है। परिवार में असन्तोष व्याप्त है। कृपया कार्यवाही कराने हेतु ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक कंसल–

[मान्यवर, मुजफ्फरनगर जनपद का खेल कार्यालय स्पोर्ट्स स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है इस स्टेडियम में कबड्डी, वालीवाल, कुश्ती, क्रिकेट एवं एथलेटिक्स खेल हेतु बड़ी मात्रा में खिलाडी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लेकिन स्टेडियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

में छात्रावास न होने के कारण जनपद के दूर-दराज से आने वाले खिलाड़ियों को आवास की समस्या उत्पन्न हो रही है, छात्रावास न होने के कारण खिलाड़ियों का ध्यान खेल पर पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है जिसके कारण प्रतिभाओं का निखार नहीं हो रहा है। छात्रावास का निर्माण तत्काल होना चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खिलाड़ियों हेतु छात्रावास बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के करैलाबाग श्रमिक आवासीय बस्ती को पशुपालन व अवैध कारोबार व केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया–

[मान्यवर, करैला बाग अन्तर्गत श्रमिक बस्ती का निर्माण सन् 1955 में शासन द्वारा श्रमिकों को आवास मुहैया कराने के लिए किया गया था तथा उसमें कुल 504 फलैटनुमा क्वार्टर निर्मित है। जिसमें श्रमिकों के नाम आवंटित हैं तथा उसमें रहते भी हैं किन्तु कुछ क्वार्टर ऐसे भी हैं जिसमें दूसरे लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके अपना आवास बना रखा हैं इस कालोनी में स्थित मकान नं0 39/6 जो कि राकेश श्रीवास्तव के नाम आवंटित है किन्तु न उसमें श्रीवास्तव जी रहते हैं न उनके परिवार का कोई सदस्य रहता है तथा इसी पर श्री अर्जुन पाल ने अवैध रूप से कब्जा करके भैसों का तबेला बना रखा है जो कि कालोनी के एकदम बीचो–बीच है तथा दर्जनों की संख्या में पली हुई भैसों के कारण पूरी कालोनी में भयंकर गन्दगी तथा मच्छरों का प्रकोप है काफी आवंटियों द्वारा उसकी शिकायत किये जाने पर सत्ता पक्ष के राजनैतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पायी तथा आज भी उक्त स्थान पर दूध का व्यवसाय किया जा रहा है। इतनी संख्या में भैसों के कारण भयंकर बदबू तथा गन्दगी का साम्राज्य पूरी श्रमिक बस्ती में रह रहे परिवारों को सहन करना पड़ रहा है। अवैध ढंग से कब्जा करके विगत तीन वर्षो से पशुपालन का कारोबार चलाया जा रहा हैं पशुपालन किये जाने के कारण यहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा आस–पास भयंकर गन्दगी का अम्बार रहता है और आये दिन संक्रामक बीमारियों के फैलने से नौनिहालों के जान का खतरा उत्पन्न होता है सरकार की उक्त आवासीय योजना औद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिक के लिए आवास मुहैया कराने के लिए थी लेकिन प्रशासनिक लापरवाही व देख–भाल के अभाव में यहां के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्रमिक आवासीय कालोनी करैलाबाग, इलाहाबाद में अवैध रूप से भैसों के पालने से हो रहे गन्दगी और संक्रामक बीमारियों से बचाने हेतु भैंसों से दूध का व्यापार वहां से हटाये जाने हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत के पूर्वी यमुना नहर के राजवाहे अल्पिकाओं की स्लिट सफाई तथा टूटे हुए जर्जर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अजय तोमर–

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद बागपत एक कृषि प्रधान जनपद हैं कृषकों को फसल की सिंचाई के लिये केवल एकमात्र साधन नहर/राजवाहे हैं इस जनपद को पूर्वी यमुना नहर इसके राजवाहे व अल्पकाओं के द्वारा सिंचाई हेतु पानी मिलता है परन्तु पूर्वी यमुना नहर में यमुना में पानी के कमी के उपरान्त पानी की उपलब्धता के लिये गंगा का पानी लाने के लिये समानान्तर देवबन्द चैनल का निर्माण कराया गया था परन्तु समानान्तर देवबन्द चैनल के द्वारा इसकी क्षमता के सापेक्ष गंगा का पानी पूर्वी यमुना नहर को नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण पूर्वी यमुना नहर में इसकी राजवाही खन्दरावली, बराल, बावली, मीरापुर, इदरीशपुर, नाला, बिहारीपुर आदि को इनके रोस्टर के अनुसार तथा इनकी क्षमता के अनुसार टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है इन राजवाहों की अल्पकाओं की यही स्थित है दूसरी ओर अगर पानी आता भी है तो पूर्वी यमुना नहर सहित सभी राजवाहों, अल्पकाओं में सिल्ट की अधिक्ता होने के कारण सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी के साथ–साथ यह भी अवगत कराना है कि समानान्तर देवबन्द चैनल से चौधरी चरण सिंह हिण्डन कृष्णा नहर परियोजना में पिछले तीन वर्षों से कभी भी पानी नहीं छोड़ा गया है। इसी के साथ यह भी सूच्य है कि जनपद बागपत के पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र, इसके राजवाहे, अल्पकाओं, खास नालों पर बने पुल/पुलिया, पशुघाट, पीचिंग वाल आदि अधिकतर टूटे हुये हैं या आंशिक खराब हो चुके हैं। क्षेत्रीय जनता इन सब मांगों के लिए आन्दोलनरत है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

अतः निश्चित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त पूर्वी यमुना नहर इसके राजवाहे, अल्पकाओं के शिल्ट सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुये समानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाना निश्चित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के ग्रामीण मार्ग तथा सम्पर्क मार्गों का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अब्दुल वारिस खाँ–

[जनपद मुजफ्फरनगर के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण मार्ग व ग्राम सम्पर्क मार्गों का पुनः निर्माण व नवनिर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

1–ग्राम मसावी से थाना भवन–चरथावल मार्ग को जोड़ने वाले लिंक मार्ग का नवनिर्माण।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–ग्राम चौसाना से ग्राम भढी (भरतपुरी) की ओर जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण।

3–ग्राम अम्बेटा से ग्राम सिम्हालका तक जाने वाले मार्ग का नवनिर्माण।

4–दिल्ली–यमनोत्री राजमार्ग से वाया ग्राम हीड, धनेना व जनधेड़ी से कस्बा गढ़ीपुख्ता तक के मार्ग का पुनः निर्माण।

5–कस्बा झिनझाना में बिडोली बस स्टैण्ड वाया चन्दनपुरी मेरठ–करनाल राजमार्ग की ओर जाने वाला मार्ग का नवनिर्माण।

6–ग्राम आमवाली से ग्राम मछरौली तक मार्ग का पुनः निर्माण।

7–ऊन–चौसाना मार्ग से वाया ग्राम दथेडा व शामली शामला से गंगोह मार्ग तक का निर्माण।

अतः उपरोक्त लिखित सभी मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में शारदा सहायक खण्ड–39 से सम्बद्ध वारी रजवाहा नहर पर स्थित ग्राम सेमरी के सामने नहर की ध्वस्त पुलिया का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड–39 इलाहाबाद से सम्बद्ध वारी रजवाहा नहर पर स्थित ग्राम सेमरी तथा ग्राम छतौना के सामने नहर की पुलिया टूट जाने के कारण क्षेत्रीय जनता का आवागमन बाधित हो रहा है तथा क्षेत्रीय जनता को असुविधा हो रही है जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है यह अत्यन्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः आपसे इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के कारण प्रदेश में डिस्टिलरी उद्योग के बन्द होने की स्थिति में पहुंचने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 320 ई-2, 13–2009 115/2008 दिनांक 11 फरवरी, 2009 के द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए घोषित आबकारी नीति की तरफ शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उक्त नीति के तहत अधिकांश डिस्टेलरियां बन्दी के कगार पर है तथा श्रमिकों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2009-10 को नयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आबकारी नीति के द्वारा प्रदेश में पहले से स्थित एल्कोहल उत्पादक मदिरा के निर्माता इकाइयों को थोक देशी शराब की आपूर्ति आवेदन के लिए अयोग्य घोषित करके बाहर कर दिया गया है और पूरे प्रदेश में थोक आपूर्ति का कार्य एक निजी ठेकेदार के हाथ में सौंप कर गलत कार्य किया गया है। इस एकाधिकार के कारण जहां एक ओर ठेकेदार को मनमाने मूल्य और अपनी शर्तों पर डिस्टेलरी इकाइयों से शराब खरीद की छूट मिल गयी है वहीं दूसरी ओर आबकारी नीति में संशोधन कर ठेकेदार को प्रदेश के बाहर से भी शराब खरीद कर आपूर्ति करने की छूट मिली है जिससे काला बाजारी को बढ़ावा मिल रहा है और देशी शराब की डिस्टेलरियां बन्दी के कगार पर है। अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 कोषागार में 36 वर्षों से निरन्तर कोषागार कैश शाखा में कार्यरत कैशियर को मुख्य रोकड़िया पद पर प्रोन्नति से वंचित रह जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[उ0 प्र0 कोषागार (रोकड़ शाखा) मुख्य रोकड़िया सेवा नियमावली, 2008 के नियम 5 व नियम 8(2) में व 9(1) में विरोधाभास है। नियम (5) में पांच साल की रोकड़िया पद की रोकड़ शाखा में सेवा होनी चाहिए जबकि नियम 8(2) अध्यारोही प्रभाव की नियमावली, 1986 के आधार पर दिया गया है कि मुख्य रोकड़िया के पद पर प्रोन्नति के उद्देश्य से रोकड़िया राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची रोकड़ शाखा में उनकी प्रथम मौलिक नियुक्ति के आधार पर तैयार की जायेगी तथा नियम 9(1) में नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम (8) के अधीन तैयार की गई सूची में आये हैं, नियुक्ति करेगा।

नियमावली की भाषा शैली में भ्रमवश निदेशालय के अधिकारी पांच वर्ष की सेवा का कैशियर पद पर आंकलन करने से 36 वर्ष से निरन्तर कोषागार कैश शाखा में सेवारत कई कैशियर मुख्य रोकड़िया के पद पर प्रोन्नति से वंचित रह जायेंगे।

अतः ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार पात्रता सूची में जारी की गई रोकड़ियों में मुख्य रोकड़िया पद पर प्रोन्नति हेतु नियम 5 में संशोधन कराने के पश्चात् ही प्रोन्नति की जावे।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर नियमावली में उक्त संशोधन की मांग आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के उप स्वास्थ्य केन्द्र नरी विकास खण्ड फूलबेहड़ में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उप प्रा0 स्वा0 केन्द्र नरी वि0 खं0 फूलबेहड़, जनपद खीरी की तरफ दिलाना चाहता हूं। नरी ग्राम के चारों तरफ दलितों, पिछड़ी, अल्पसंख्यकों की हजारों लोगों की आबादी है। उप स्वा0 केन्द्र पर न तो दवायें हैं न ही डाक्टर है जिससे दबे कुचले लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है। ऐनम सेन्टर पर दवायें व चिकित्सक न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोष व्याप्त है ग्राम नरी में ऐनम सेन्टर को बढ़ाकर अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना अति आवश्यक जरूरी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ग्राम नरी में चिकित्सक/दवायें सरकार उपलब्ध करायें।]

जनपद बुलन्दशहर में पवसरा राजवाहे पर कड़कौड़ा के पास पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर में अगौता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मध्य गंग नहर निर्माण खण्ड 10 पवसरा रजवाहा, गांव कड़कौड़ा, विकास खण्ड अगौता की भूमि रजवाहे के दोनों ओर पड़ती है। आने–जाने के लिए रजवाहे के ऊपर कोई पुल नहीं है, वहां पर प्राइमरी स्कूल भी है जिससे बच्चों को भी आने-जाने में कठिनाई होती है। वर्षा के दिनों में और भी अधिक गम्भीर मामला हो जाता है जिसके कारण कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। पवसरा राजवाहे पर कड़कौड़ा के पास एक पुल की निर्माण की मांग करते हैं।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पवसरा राजवाहे पर कड़कौड़ा के पास पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रवक्ता/सहायक आचार्य के वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बैजनाथ दूबे–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

छत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में छठे वेतन आयोग के लागू होने से सहायक आचार्यों का मूल वेतन अन्य "एपेक्स मेडिकल इन्स्टीट्यूट" (एस0जी0पी0जी0आई0, ऐम्स) के सहायक आचार्यों से कम हो गया है। सहायक आचार्यों का कुल वेतन पंचम वेतन आयोग के कुल वेतन से भी कम हो गया है जिसके कारण सहायक आचार्यों में गहरा असन्तोष व्याप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित तथ्य भी उल्लिखित करना आवश्यक है जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि वेतन की विसंगतियों को दूर करना अति आवश्यक है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासनादेश संख्या 2242/71-3-08 सी0एम0यू0 34/2008, दिनांक 30-07-09 के अनुसार छ0श0म0चि0वि0वि0 की स्थापना "एपेक्स मेडिकल इन्स्टीट्यूट के रूप में करते हुए चिकित्सकों का वेतनमान उच्चीकृत करके अन्य "एपेक्स मेडिकल इन्स्टीट्यूट" के शिक्षकों के समतुल्य कर दिया गया था। चि0वि0वि0 द्वारा चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन में यह भी स्पष्ट लिखित आश्वासन है कि शिक्षकों का वेतनमान एम्स नई दिल्ली के शिक्षकों के समतुल्य होगा। चि0वि0वि0 में छठे वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् आचार्यों एवं सह आचार्यों का मूल वेतन अन्य एपेक्स मेडिकल इन्स्टीट्यूट के समतुल्य कर दिया गया है परन्तु सहायक आचार्यों के मूल वेतनमान में भारी विसंगति हो गयी है।

चि0वि0वि0 में सहायक आचार्यों का प्रवेश बिन्दु पर मूल वेतन (बेसिक+ग्रेड पे) अधिक से अधिक 25,350 रुपये बन रहा है। चि0वि0वि0 के प्रवक्ताओं का प्रवेश बिन्दु पर मूल वेतन 15,910 रुपये होने स्थान पर 15,600 रुपये निर्धारित किया गया है। एम्स नई दिल्ली में सहायक आचार्यों का प्रवेश बिन्दु पर मूल वेतन 38,000 रु0 है। एस0जी0पी0जी0आई0 में सहायक आचार्यों का प्रवेश बिन्दु पर मूल वेतन 29,360 रु0 है। संघ लोक सेवा आयोग के अनुसार सहायक आचार्यों के प्रवेश बिन्दु पर मूल वेतन 28,194 रु0 है। चि0वि0वि0 में प्रवक्ता/सहायक आचार्य के वेतन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चि0वि0वि0 के सहायक आचार्यों के वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महिला कल्याण निदेशालय के अधीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ के 23 कैण्ट रोड, टिकरा हाउस कार्यालय में नई दिशाओं स्वयं सेवा संगठन को आवंटित कक्ष तत्काल खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से महिला कल्याण के अधीन उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मैं 23 कैण्ट रोड, टिकरा हाउस भवन के परिसर में महिला परामर्श केन्द्र चलाये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं इस कार्यालय में नई दिशाओं स्वयं सेवा संगठन को कक्ष आवंटित अवैधानिक रूप से किया गया है। इस सम्बन्ध में कई बार उक्त संस्था को भवन खाली करने के लिए निर्देश भी जारी किये गये। लेकिन अभी तक भवन स्वयं सेवी संगठन द्वारा रिक्त नहीं किया गया है। भवन में सरकारी फर्नीचर बिजली आदि का भी इस्तेमाल स्वंय सेवी संगठन द्वारा किया जा रहा है। जिससे उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ के कर्मचारियों को बैठने व कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त भवन को नई दिशाओं स्वयं सेवी संगठन द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है इस भवन को तत्काल पुलिस द्वारा खाली कराकर उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को पूर्व की भांति कार्य करने हेतु दिया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ताकि वे अपना कार्य पूर्व की भांति बैठकर निपटा सके तथा उक्त संस्था से अब तक का किराया भी वसूल किया जाय। इस सम्बन्ध में अनेकों बार निदेशक द्वारा संस्था को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नोटिस दी गयी है। लेकिन एन0जी0ओ0 द्वारा भवन को खाली नहीं किया गया है। यह सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा बनाये हुए है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त भवन को बलपूर्वक तत्काल खाली कराये जाने हेतु कार्यवाही करने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करें।]

बागपत विधान सभा क्षेत्र सहित लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रदेश की कतिपय सड़कों की जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्येन्द्र सोलंकी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्ग अत्यन्त खराब हैं। सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है। मैंने कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात किया, परन्तु स्थानीय स्तर पर धन उपलब्ध न होने के कारण सड़क की मरम्मत नहीं करायी जा सकती है। लोगों को आने-जाने के लिए अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान वर्ष के माह अक्टूबर में अत्यधिक वर्षा हुई थी, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर जाने से सड़क जगह-जगह टूट गयी है, यदि जल्दी मरम्मत करके ठीक नहीं किया गया तो सड़कों की स्थिति अधिक खराब हो जाने से अधिक धन व्यय होगा। प्रकरण लोकहित का है, जो सड़कें खराब हैं, नाम निम्न है।

1– पिपरा पदुम से परसिया रानी मार्ग लम्बाई 4 किमी0
2– रामापुर दुबहा बाजार मार्ग से कोटिया मदारा लम्बाई 4 किमी0
3– दुबहा बाजार नरायनपुर कला होते हुए कटुआ नाला सम्पर्क मार्ग कुल किमी0 खराब है।
4– कटरा बाजार से राजगढ़ अमीनपुर होते हुए दुबहा मार्ग लम्बाई 6 किमी0
5– करनैलगंज कटरा मार्ग पर धोबियानपुरवा से सेल्हरी मण्डप, वटपुरवा होते हुए खेमपुर तक लम्बाई 4 किमी0
6– दुबहा बाजार नरायनपुर मार्ग से चींटीपुर होते हुए मनकापुर तक लम्बाई 4 किमी0
7– कटरा आर्यनगर मार्ग से शास्त्रीनगर लम्बाई 1 किमी0
8– हलधरमऊ से मैगापुर मिल तक लम्बाई 3 किमी0
9– दुबहा बाजार से कटुवा नाला लम्बाई 8 किमी0
10– रामापुर से दुबहा बाजार लम्बाई 3 किमी0
11– गोण्डा बहराइच मार्ग से परसा फरेदा शुकुल लम्बाई 2 किमी0
12– दुबहा बाजार नरायनपुर कला मार्ग से भगहरिया गांव होते हुए भगवानपुर तक लम्बाई 1 किमी0

अतः इस अवलिम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 08 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुयीं :–

पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की लगातार हो रही उपेक्षा से प्रदेश की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की कार्य पालिकीय आदेश के द्वारा विधान मण्डल द्वारा क्षेत्रीय विकास निधि को वित्तीय वर्ष की सीमा में बांधने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की दिनांक 6 फरवरी, 2010 को श्री वरूण गांधी, सांसद, भाजपा द्वारा बुलन्दशहर के शिकारपुर की जनसभा में भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं माननीया मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिह वर्मा की जनपद सीतापुर की नगर पालिका परिषद, लहरपुर में नगर पालिका निधि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की दिनांक 4 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक सम्बन्धी घोषणाओ के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री प्रदीप माथुर की माननीय विधायकों के विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उदघाटन विधायक द्वारा ही कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की दिनांक 4 मार्च, 2008 को नेता सदन द्वारा सदन में कहार, केवट, मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जाति में शर्त सहित सम्मिलित करने की घोषणा एव केन्द्र सरकार को विधिवत् प्रस्ताव भेजने की बात कहे जाने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध मे है, आठवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की दिनांक 3 फरवरी, 2010 को नियम 300 के अन्तर्गत भाषण के अंश को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में है। इसके लिए निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध याचनाएं नहीं ली जाती इसके बारे में उनसे अलग से वार्ता कर ली जायेगी।

देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की लगातार हो रही उपेक्षा से प्रदेश की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रदेश की बराबर उपेक्षा हुई है। चाहे विकास कार्य हो, उसमें उपेक्षा हुई है। बिना धन के तो कोई काम हो नहीं पायेगा और केन्द्र सरकार जिस प्रकार से लगातार हर वर्ष उपेक्षा कर रही है। उसके कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 2008-2009 में जो उम्मीद थी केन्द्र सरकार से धन की उसमें मान्यवर, 47,897 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध केवल 40 हजार 821 करोड़ उपलब्ध हुआ। 5 हजार 73 करोड़ की कमी आई मान्यवर, वर्ष 2009-2010 का जो अनुमान आपने दिया था 56,359 करोड़ का दिया था और मिला है, 48,945 करोड़ अर्थात् 7,414 करोड़ की कमी आई है उसमें। मान्यवर, आखिर ऐसा क्यों ? इसके अलावा जितनी भी केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं उनकी हालत यही है और एक सबसे बड़ी उपेक्षा मैं यह सोच रहा हूं कि जब कभी भी पूरे देश के बारे में कोई समिति का गठन होता है, जैसे अभी हुआ, आपने भी पढ़ा होगा मान्यवर, समाचार पत्रों में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक उप समिति का गठन किया गया मान्यवर। छोटे–छोटे राज्य उसमें हैं मान्यवर, लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें नही है जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसके महत्व में भी कही कमी नहीं है। आखिर उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं ? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है जो कि पूरे देश का 1/5 भाग प्रतिनिधित्व करता है।

मान्यवर, इसके पीछे कारण क्या है ? कहीं कारण ऐसा तो नहीं कि संवादहीनता आपस में इतनी बढ़ गई हो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ध्यान ही मान्यवर, इस पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित न हों। आखिर क्या कारण है ? क्या वजह है इस बात की। मैं मानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे तरीके से पक्ष रखते होंगे उत्तर प्रदेश का। इसमें कोई संदेह की बात नहीं लेकिन पद का अपना महत्व होता है। उस बैठक में मंत्री होने के नाते मेरा भी जाने का सौभाग्य मिला। सदैव मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहते थे और हमको साथ में ले जाते थे। हम बराबर में बैठते थे जाकर के। एक मुख्यमंत्री की उपस्थित वहां पर प्रदेश के गौरव और गरिमा को बढ़ाती थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां किसी बैठक में उपस्थित न हों और लगातार अनुपस्थित उनसे रहें तो निश्चित रूप से जो प्रतिनिधित्व का महत्व मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश को वह नहीं मिल रहा है और इसका परिणाम हमारे सामने है। चिट्ठी लिखने से कोई काम नहीं चलता हम यहां बैठकर चिट्ठी लिखते रहे तो काम नहीं चलेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे ? काम चलेगा वहां सम्पर्क रखने से और वहां से सहयोग करने से। मान्यवर, कोई भी कारण हो, आपस में सम्बन्ध अच्छे न हो, कटुता हो लेकिन जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद है प्रदेश के मुख्यमंत्री का और दह पद कहीं न कहीं व्यक्तिगत कारणों से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा हो तो सारे प्रदेश को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सदन जो 17 करोड़ से ज्यादा की जनता का प्रतिनिधित्व करता है क्या हमें यह खुशी नहीं होगी मान्यवर, कि जब यह सदन चलता हो, माननीय नेता सदन की उपस्थित यहां ज्यादा से ज्यादा हो। आज माननीय नेता सदन यहां आई, घोषणा मात्र के लिए तो मुख्यमंत्री नहीं हैं मान्यवर। उनकी उपस्थिति एक पारटीसिपेशन की भावना जगायेगी, भागीदारी की भावना जगायेगी।

मान्यवर, पहली बार चुनकर 1974 में आया हूं। माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री थे, हम देखते थे वह प्रश्नकाल से लेकर अधिक से अधिक समय सदन में लगाते थे। मान्यवर, नारायण दत्त तिवारी जी आये, उनको हमने देखा मान्यवर, मैंने एक दर्जन मुख्यमंत्री कम से कम देखे होंगे जो सदन में आये और सदन में आकर भागीदारी की, उससें सदन का गौरव और गरिमा बढ़ती थी। आज आखिर कारण क्या है क्या कारण है कि नेता सदन यहां से अनुपस्थित रहें। क्या उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है क्या उनका विश्वास इस सदन में नहीं है। मान्यवर, सदस्यों को ठेस पहुंचती है, आखिर हम क्यों आते हैं चुनकर, नेता सदन के बैठने से सदन की गरिमा भी बढ़ती है और जनता की अपेक्षा भी बढ़ती है और उनकी भागीदारी भी क्या सिर्फ बजट भाषण सुनने के लिए है क्या ? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वह बैठे या नेता प्रतिपक्ष बैठें यह पर्याप्त नहीं है। सामान्य सदस्यों की बात सुनें और सामान्य सदस्यों की बात का उत्तर भी दें यह ज्यादा उचित होगा। मेरा कहने का आशय है जिस तरह से लगातार केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की हर स्तर पर उपेक्षा, उस उपेक्षा में कहीं न कहीं कारण यह है कि नेता सदन का वहां पर मीटिंगों में भागीदारी न करना और उपेक्षा का कारण यह भी है कि जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था प्रदेश की है उस संस्था में भी मुख्यमंत्री का अधिक भागीदारी न करना, इन दोनों के कारण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है और हमारे प्रदेश का पिछड़ापन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आज व्यवस्थां यह भी हो कि भागीदारी होगी। यह व्यवस्था हो कि जब भी बैठक होगी केन्द्र में, प्रधानमंत्री वहां होंगे अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां होंगे तो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित होंगी, यह हमारे सबके लिए खुशी की बात होगी। क्या कारण है कि सब नेताओं ने विरोध किया, मुख्यमंत्रियों ने भी विरोध वहां पर किया और अपनी बात नहीं कह सके, कही होगी वर्मा जी ने अपनी बात, पढ़कर भाषण भी दिया होगा जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिखकर गया होगा, लेकिन भाषण पढ़ना और बात है और मुख्यमंत्री जी द्वारा उस विषय को रखना और बात है, मैं चाहूंगा इस पर विचार किया जाये और इस पर कुछ व्यवस्था हो जाये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से प्रदेश के विकास में, प्रदेश के लोगों के हितों के संरक्षण में, पूरी तरह से कारगर हैं और पूरी तरह से देख–रेख कर रही है प्रदेश के लोगों के हितों को, जहां तक यह जो प्रश्न माननीय हुकुम सिंह जी ने उठाया है, इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वयं आपने भी महसूस किया है कि तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब पूरे समय यहां पर वह रहती हैं और समय–समय पर वह आती रहती हैं। दूसरा मान्यवर, जिस बिन्दु को उठाया है उस बैठक में भी प्रदेश की मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मुझे भाग लेने का अवसर मिला और पूरी स्थिति से, पूरी ताकत से हमने उत्तर प्रदेश के जो विचार थे, उस बैठक में हमने रखने का काम किया। जहां तक नियम 300 का सवाल है, यह विषय नियम 300 में सुनने लायक भी नहीं है आपने तो कृपा कर दी कि इसको सुन लिया, यह 300 का जो बिन्दु है मान्यवर। कि दिल्ली में बैठक हो रही है वह नियम 300 में आयेगा क्या ? मान्यवर, आप देख लें नियम 300 का जो नियम है देख लें, 'औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।' दिल्ली की बैठक आपके संज्ञान में है क्या ? मान्यवर, उसका प्रश्न के सम्बन्ध में क्या यहां नियम में परिवर्तन हो रहा है और किस अंश, क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है ? तो मान्यवर, निश्चित तौर से आपने कृपापूर्वक सुनने का अवसर दे दिया मेरा आग्रह है कि इसको अग्राह्य करें और यह भी अनुरोध है कि इस तरह के विषय जो अन्य नियमों में उचित हों उस फोरम से आप उठावें, जैसे सामान्य चर्चा पर चर्चा होगी उसमें प्रदेश के हित में तमाम बातें उठाई जा सकती है उसमें उठा सकते थे।

मान्यवर, नियम 300 में यह सूचना पूरी तरह से नहीं आती, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें और मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश की 17–18 करोड़ जनता के हितों के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और उनके लिए कार्य कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 हुकुम सिंह जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे अग्राह्य करता हूं।

कार्यपालिकीय आदेश के माध्यम से विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय विकास निधि को वित्तीय वर्ष की सीमा में बांधने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की है। अग्रवाल जी, दो मिनट में आप अपनी बात कह लीजिए।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस लोकतांत्रिक अधिकार और विधान सभा की सर्वोच्चता के विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, हम सब इस बात को जानते हैं कि यह सदन सर्वोच्च है और इस सदन के द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय में हम स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं, एक्जीक्यूटिव कार्यपालिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, किंचित मात्र भी नहीं कर सकती, कामा–फुलस्टाप के साथ उसे यहां से लिए गये निर्णयों को स्वीकार करना होता है। मैं विधायक निधि को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रस्तुत प्रकरण, विधायक निधि में अवरोध पैदा किये जाने के सम्बन्ध में है और इसलिए इस सदन के सभी सदस्यों के सन्दर्भ में है, इसका किसी राजनैतिक दल से कोई मतलब नहीं है, प्रशासकीय कार्यवाइयाँ इस सदन में किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही हैं, सीधे उससे सम्बन्धित है। हम सब विधायक निधि के प्राविधानों के बारे में जानते हैं, विधायक निधि कभी लैप्स नहीं करती। हम लोगों के अपने कार्यकाल में किसी भी सत्र में 1 करोड़ 25 लाख रुपया मिलता है, लेकिन अगर हम इसको न प्रयोग कर सकें तो उसके बाद अगले साल के लिए चला जाता है, जब तक कार्यकाल है। कार्यकाल के अलावा भी अगर बीच में कोई मा0 सदस्य, सदस्य न रह जायें तो जो अगला सदस्य आता है, वह अपने पूर्ववर्ती विधायक की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि का जो बचता है, उसका प्रयोग करता है। यही स्थिति पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश की होती है, पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश के बारे में हम लोग अभी तक जानते थे कि यह भी लैप्सेबुल नहीं है। किन्हीं कारणवश अगर ऐसा होता है कि प्रयोग न कर पायें तो हमें अगले वर्ष मिलता है।

मान्यवर, क्षेत्र विकास निधि का प्राविधान बहुत स्पष्ट है, जो अन्य विकास की संस्थाएं अपने क्षेत्र के विकास की योजनायें बनाती हैं, उनमें कहीं–कहीं कमियां रह जाती हैं, जन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती हैं, जनता हम लोगों के पास आती है इसलिए हम लोग फिलिंग दि गैप का काम करते हैं। जो कार्य हमारे क्षेत्र में नगर निगम, क्षेत्र पंचायतें या अन्य संस्थायें न करा पायी हों, जनता हमारे पास आती है और कहती है तो हम उन कामों को कराने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से यह तय करने में कि कौन सा कार्य कराया जाना है, जन अपेक्षा के अनुरूप होना है, आफिस में बैठ करके, फाइल में लिख करके प्राथमिकता तय नहीं करनी है, हम कामों को कराने से पूर्व जाकर के, कार्यकर्ताओं को भेज करके सुनिश्चित कराते हैं, इसलिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस नाते यह व्यवस्था की गई है कि यह निधि लैप्स नहीं होगी। सरकार का एक आदेश है, मैं उस आदेश की प्रति लेकर यहां आया हूं, आदेश सं0-बी2 171/10/2009–244(5)/2008, दिनांक 21 जनवरी, 2010 अभी कुछ दिनों पहले का ही यह आदेश है। यह एक जनरल आदेश है, अगर इसको स्पेशिफिक कर दिया गया होता, इस आदेश से विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि या बुन्देलखण्ड विकास निधि को अलग कर दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता तो इस आदेश पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। यह एक आदेश है जो वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से, राजकोषीय प्रबन्धन की दृष्टि से सरकार के एक प्रमुख सचिव ने सारे जिलों में भेज दिया लेकिन जब यह आदेश वहां प्राप्त हो गया, उसके बाद हम लोगों की विधायक निधि की गतिविधियों में हस्तक्षेप हो गया। जैसे हमारे जनपद में 03 फरवरी, 2010 को यह आदेश प्राप्त हुआ और हमारे यहां जो सीटीओ है, उन्होंने कहा कि हम 03 फरवरी, 2010 से इस आदेश को लागू मानेंगे। आदेश यह हो गया कि दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पीएलए/ डिपाजिट खातों के अन्तरिम धनराशियों के समक्ष अवशेष धनराशि, मैं उनके बहुत से प्राविधानों को नहीं पढ़ रहा हूं, धनराशियों को प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2010 तक राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के विपरीत यदि बैंक और डाकखाने में जमा राशि जमा की गई है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जाये। अध्यक्ष जी, अब समस्या यह है, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिनकी अभी प्रथम किश्त नहीं आयी है या प्रथम किश्त आ गई होगी, दूसरी किश्त नहीं आई होगी। बीच में सरकार की व्यवस्था बदली थी, पहले महीने में 5 परसेण्ट, दूसरे महीने में 10 परसेण्ट, तीसरे महीने में 15 परसेण्ट, उसमें भी अवरोध हो गया। फिर आया कि 60 प्रतिशत दे देंगे और 40 प्रतिशत दूसरी किश्त में देंगे, उससे भी अवरोध हो गया। अब अगर हम लोगों को धनराशि निकालने से रोक दिया जायेगा तो इस सदन में हम लोगों का लिया हुआ निर्णय है कि प्रत्येक विधायक 1 करोड़ 25 लाख रुपये का एक वर्ष में उपयोग करे तो उसमें करीब–करीब कार्यपालिका का यह हस्तक्षेप होगा। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि यह आदेश स्पेसिफिक हो जाये और इसकी परिधि से विधायक क्षेत्र विकास निधि और पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि को अलग किया जाये। जिससे यह लैप्सेबुल न होने पाये। इतना ही आदेश हम लोग चाहते हैं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, हमारा जो संविधान है इसके अनुसार जो वित्तीय प्रबंधन हैं मान्यवर, 31 मार्च तक हमें उसका उपभोग करने की बाध्यता दर्शायी गयी है। मान्यवर, फिर भी विधायक निधि के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष की जो विधायक निधि होगी अगले वर्ष 31 मार्च तक वह लैप्स हो जायेगी, अगर अगले 31 मार्च तक वह नहीं खर्च होगा। एक साल की छूट अलग से इस विधायक निधि के मामले में दी गयी है। लेकिन यह नहीं किया जा सकता कि परमानेंट 10-10, 15-15 साल तक अगर खर्च नहीं हो रहा है, तो उससे वित्तीय अनुशासन नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

5 साल के लिए तो हो सकता है। जों पहले की व्यवस्था थी।

श्री लाल जी वर्मा–

5 साल का नहीं, पहले की व्यवस्था में आप भी तमाम देखे होंगे कि ऐसे–ऐसे पड़े रहे जिसमें लम्बे समय बीत जाने के बाद उसकी स्थिति नहीं रही और मान्यवर, जो वित्तीय अनुशासन है, जो बजटरी व्यवस्था है और जिसमें संविधान के अनुसार जो व्यवस्था की गयी है उसमें इस बात की व्यवस्था है कि 31 मार्च तक उपभोग होना चाहिए। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य विकास को, विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि को इतनी छूट इसमें प्रदान की गयी है कि अगर मान लिया कि वर्ष 2009–10 का बजट है तो वर्ष 2010–2011 के 31 मार्च तक खर्च होना अनिवार्य है। अगर एक साल तक भी नहीं खर्च हो सकता तो मान्यवर, निश्चित रूप से उसको बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इसलिए वित्तीय अनुशासन के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब चलिये बैठ जायें, यह चर्चा नही हो रही है। चलिए इस साल नहीं दूसरी साल खर्च कर लीजिए। आपको खर्च कर लेना चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह कर लिया जाये कि इन प्राविधानों से पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि को भी आच्छादित किया जाये जिससे कि इन दोनों का एक साल तक अगले वित्तीय वर्ष तक उपयोग हो, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अधिकार है, लेकिन यहां तो हम लोगों को दिये गये पैसे का आहरण जमा होगा इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा जैसा आपने क्षेत्रीय विकास निधि के बारे में कहा वही पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि के बारे में कहें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी व माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह नियम 300 की बात नहीं है। मान्यवर, इसका औचित्य देख लें। आपने ठीक बात कही कि वित्तीय अनुशासन के लिए आवश्यक है कि एक साल का पैसा 5 साल तक पड़ा रहे तो वित्तीय अनुशासन नहीं होगा, यह बात आपकी सही है। हम स्वीकार करते हैं। माननीय मंत्री जी अनुरोध यह है कि जिस पर प्रस्ताव आ गया और उसकी पहली किश्त जारी हो गयी, दूसरी किश्त किन्हीं कारणों से नही जारी हुई तो आप उन तिथियों का भेद करके अगर उनको रोक लेंगे तो यह तो बड़ी गम्भीर स्थिति हो जायेगी। मैं इसमें स्पष्टता चाहता हूं। आप निर्देश कर देंगे। हम आपकी मंशा के विपरीत नहीं है। समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस पर पहली किश्त जारी हो जाये उसकी दूसरी किश्त के लिए यह प्रावधान लागू नहीं होगा कि 31 मार्च की जो तिथि आपने बतायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है तब तक वह लागू है, इसको स्पष्ट कर देंगे। ताकि वह कार्य पूरा हो सके। कई कारणों से दूसरी किश्त रुकी रह जाती है। आपको बहुत लम्बा अनुभव है। कभी कोई जांच होने लगी, कभी कोई बात हो गयी दूसरी किश्त रुक गयी और वह तिथि अगर निकल गयी तो आप कहेंगे कि साहब, यह पैसा तो 31 मार्च का फलां बजट का था इसलिए अब नहीं मिलेगा। यह बात मुनासिब नहीं होगी, विकास के प्रतिकूल भी होगी और उस क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान होगा। उसका आधा पैसा फंस जायेगा। उसका और नुकसान होगा। इतना अनुरोध है।

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह दोनों धनराशियां जनहित के लिए हैं। जो नियोजन प्रदेश स्तर पर नहीं हो पाता था। स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे कार्य आवश्यक थे जनहित में, उनको करने के लिए दोनों निधियों की स्थापना की गयी थी, मान्यवर, इनकी कठिनाई होगी या नहीं, अपवाद स्वरूप स्थितियों की जानकारी हो सकती है कि हम लोगों को न हो। लेकिन इसका अगर कोई सीधा–सीधा आदेश लागू कर दिया जायेगा तो जो सामान्य परिस्थितियां हैं, जो सामान्य रूप से धन का उपयोग होना चाहिए, वह भी अवरुद्ध हो सकता है इसलिए मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि आप अपनी अध्यक्षता में नेताओं को और माननीय मंत्री जी की कठिनाई क्या है, यह बुला लें क्योंकि यह सदन की पूरी सम्पत्ति है, दोनों पक्ष के हित अहित का है और उसमें फिर एक निराकरण, जहां इनकी कठिनाई होगी, जहां धन अवरुद्ध हो रहा होगा नियम विरुद्ध, जनहित में उपयोग नहीं हो रहा है, हम सब सहमत हो जायेंगे लेकिन एक जनरल आदेश से इसको रोक लगा देंगे तो जो उपयोगी है, हितकर है वह भी अवरुद्ध हो जायेगा और जो अहितकर है वह तो अवरुद्ध हो ही रहा है। इसलिए मेरा एक आग्रह है, प्रस्ताव है, मेरा एक सुझाव है, प्रस्ताव नहीं एक सुझाव है कि आप सभी को बुला लें फिर अंतिम निर्णय इस पर दें तो ठीक रहेगा मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप बैठक बुला लें इस पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं माननीय सदस्य को कि हो सकता है कि मान्यवर, अगर 2009–10 की विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि है तो 2009–10 का 31 मार्च, 2010 तक स्वीकृति होकर खर्च होना चाहिए था, 31 मार्च, 2011 तक अगर इसको एक साल तक और छूट है तो मान्यवर, यह कोई कारण नहीं है कि एक साल बाद तक भी अगर वह खर्च नहीं होता तो मान्यवर, यह उचित नहीं होगा, संविधान के प्राविधानों के तहत वैसे आप बैठक बुला लें और माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

हम सभी माननीय दलीय नेताओं की एक बैठक कर लेंगे, माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय चौधरी साहब, उसमें दल की बैठक बुला लेंगे और उसमें यह भी विचार कर लेंगे कि आधी स्वीकृतियां हो गयी, शेष जो बची है और किन्हीं परिस्थितियों में जांच मे विलम्ब हुआ है तो उसमें हमारा क्षेत्र प्रतिनिधि दोषी नहीं होगा, ऐसे धन के बारे में उस बैठक में हम लोग विचार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाजपा सांसद श्री वरूण गांधी द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2010 को बुलन्दशहर के शिकारपुर की जनसभा में भारत सरकार के खाद्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 के विरुद्ध अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्ण टिप्पणी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा, इसकी मर्यादा अक्षुण रखना, मर्यादित रखना हम सभी का मान्यवर, पुनीत कर्तव्य है और अगर हम स्वयं इसकी मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरों से अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। मान्यवर, मैं औचित्य के इस प्रश्न को नियमों के अनुसार उठा रहा हूं। इस सदन में तीन महत्वपूर्ण पद हैं मान्यवर, जो संवैधानिक पद है, वैसे तो चार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सर्वोच्च, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का जो फिलहाल इस सदन में अभी खाली पड़ा है, माननीय नेता सदन का और माननीय नेता विरोधी दल। वैसे सभी दलीय नेताओं के सभी विधायकों के अधिकार सुरक्षित हैं, आपके हाथों में है इनकी गरिमा आप सुरक्षित रखें। मान्यवर, मुझे इस प्रश्न को उठाते हुए कुछ पीड़ा भी हो रही है, दुख भी हो रहा है परन्तु मैं इसे अपना नैतिक कर्तव्य मानता हूं मान्यवर, कि आपके संज्ञान में इसे ले आऊं और आपके माध्यम से सम्पूर्ण सदन के संज्ञान में ले आऊं, जिससे सदन की गरिमा की रक्षा हो सके और अगर कोई उसको आघात पहुंचाता है मान्यवर, तो उसे सचेत किया जा सके। मान्यवर, आज से दो दिन पूर्व दिनांक 6 फरवरी, 2010 को बुलन्दशहर के शिकारपुर की घटना है मान्यवर। वैसे भी शिकारपुर एक ऐतिहासिक जगह है, अच्छे–अच्छे भ्रम में पड़ जाते हैं तो अगर कोई पड़ जाये तो उसका भी ध्यान रखना होगा। मान्यवर, मैं पूरी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वही तक है, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। जैसे ही दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगता है, जैसे ही दूसरे की निजता का हनन होने लगता है तो मान्यवर, पहले की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह अपराध की श्रेणी में आ जाता है। मान्यवर, मैंने जैसा आपसे कहा कि 6 फरवरी को उस सभा में एक सदस्य लोक सभा के उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उसमें भारत के कृषि मंत्री और मान्यवर, नेता सदन के प्रति जिस दूषित अव्यवहारिक, अमर्यादित, अमानवीय टिप्पणी की है। मैं कहता हूं भारत सरकार के कृषि मंत्री का प्रश्न तो अध्यक्ष, लोक सभा तय करेंगे, परन्तु नेता सदन का जहां तक विषय है, उसे आपको तय करना पड़ेगा। मान्यवर, मेरी नजरों में उनका आचरण पूरी तरह अवमानना और सिर्फ अवमानना पद की अवमानना नहीं की बल्कि पद के माध्यम से उन्होंने सम्पूर्ण सदन की अवमानना की है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं उसे प्रयोग कर के यहां पर सदन की पवित्र कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को दूषित नहीं करना चाहता, लेकिन सभी ने पढ़ा है, सभी ने देखा है। मान्यवर, अगर ऐसी परिस्थितियां आ जायं तो उस समय क्या करना चाहिए। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि इसे इस रूप में न लें कि एक नियमों के अन्तर्गत मैंने प्रश्न उठाया और इसे अनुत्तरित जाने दें, या मान्यवर, ग्राह्यता के प्रश्न को आप सुन कर बात खत्म कर दें।

मान्यवर, एक विचारधारा है, एक विचार है, अगर यह विचार है तो क्या हम मूक दर्शक बन कर हम साक्षी बनें इस विधान सभा की गरिमा का हनन होते हुए देखते रहें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपसे जो कुछ भी छः फरवरी को कहा गया है वह चूंकि नेता सदन या भारत के खाद्य मंत्री के रूप में कहा गया है तो मान्यवर, दोनों सदनों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। मैं कहना चाहता हूं ऐसी परिस्थितियां कोई पहली बार नहीं उत्पन्न हुई है, इसके पहले भी उत्पन्न हुई है। राज्य सभा में उसी समय हमारे ही दल के एक सदस्य ने मान्यवर, श्री के0 के0 तिवारी जी ने वहां के सभापति के विरुद्ध आचरण किया था और सभापति के विरुद्ध जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी उसमें नियम 72 के अन्तर्गत मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली के नियम 72 के अन्तर्गत जो हमारा है, वहां जो भी उसका इकवैलेण्ट होगा मान्यवर, उसके अधीन श्री शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन सभापति ने कड़ा कदम उठाते हुए श्री के0 के0 तिवारी जी को सदन में बुलाया था। मान्यवर, हमारे यहां नियम 72 के अन्तर्गत यह प्राविधान है, मान्यवर, कृपया देखने की कृपा करें, अध्यक्ष दोषारोपित व्यक्ति को सूचना अथवा बन्दीकरण के अधिपत्र द्वारा कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन के सम्मुख उपस्थित होने के लिए आहूत कर सकेंगे। मान्यवर, आपको लगता है अगर कि यह अमर्यादित टिप्पणी अवमानना के दायरे में आती है, यह आप निर्णय लेंगे, आपकी समिति निर्णय लेगी, मान्यवर, अगर आता है तो आप ऐसे दोषी व्यक्ति को इसी सदन में बुलाने के लिए वारण्ट जारी कर सकते हैं और उसको तामील करा कर पुलिस के माध्यम से दोषी व्यक्ति को इस सदन में बुला सकते हैं और मान्यवर, यहीं कटघरा लगा कर उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने यह अवमानना सदन की क्यों की है ? उन्होंने सदन को इस तरह आरोपित क्यों किया है ?

मान्यवर, इसके अलावा दूसरा विकल्प भी है कि हम भर्त्सना कर सकते हैं। मान्यवर, हम शस्ति कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, मान्यवर, यद्यपि कि इसमें जुर्माने और कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है। मान्यवर, अगर कोई दण्डित हो तो उसे कारावास की सजा भी यह सदन सुना सकता है। मान्यवर, परन्तु इसका जो नियम है, कारावास की सजा भी वह सदन सुना सकता है। मान्यवर, परन्तु इसका जो नियम है, कारावास जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है परन्तु सत्रावसान या विघटन के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती, वह सत्र जब तक चलेगा मान्यवर, या उसका विघटन होगा, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते और मान्यवर, जुर्माने की बात जहां तक है वह यह सदन जो समुचित उचित समझे करे। मान्यवर, इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं, दूसरा रास्ता यह है कि हम

निर्देशित करें पुलिस को कि अगर आरोप बनता है भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तो उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करके उनकी गिरफ्तारी की वैधानिक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, तीसरा यह विकल्प भी बनता है कि यह सदन अगर महसूस करता है तो निन्दा का प्रस्ताव पारित करे। मुझे जितना मालूम था मैंने आपसे कह दिया, लेकिन इस सदन के एक सदस्य और है जो इस समय यहां मौजूद नहीं है, उनकी राय भी महत्वपूर्ण है और वह है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, मैंने तथ्य आपके सामने रख दिये हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि महाधिवक्ता की राय इसमें ले लें। अगर महाधिवक्ता की राय बनती है तो मैं तो पुरजोर सिफारिश करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जिसको पता ही नहीं रहता है कि वह क्या बोल रहा है, जिसे यह पता ही नहीं रहता कि उसके आचरण से देश खण्डित हो रहा है, समाज खण्डित हो रहा है। कभी गीता की कसम खाकर किसी का हाथ काटने लगता है, कभी किसी का पैर काटने लगता है मान्यवर, ऐसी जो बांटने की भाषा बोले उसके साथ क्या व्यवहार किया जाय। जो व्यक्ति मान्यवर, इस सदन की परम्परा को खत्म करना चाहता है उसकी भाषा उचित नहीं है। तो ऐसे में इस सदन का क्या यह कर्तव्य नहीं होगा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मत होकर सदन उस व्यक्ति को यहां पर बुलाने का कार्य करे। उसकी यहां पर भर्त्सना की जाये और उसे दूसरी कार्यवाही से दण्डित किया जाये। ताकि वह एक मिसाल बने।

मान्यवर, सदन के किसी सदस्य की कोई इस तरह से अवमानना नहीं कर सकता है। यह नहीं हो सकता कि कोई तुगलकी भाषा बोले। मान्यवर, ठाकरे की जो विचाराधारा है हमारे उत्तर प्रदेश में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर वरुण गांधी को यहां पर आप सम्मान करें और उनसे यह पूछा जाय कि किन परिस्थितियों में उन्होंने यह अमर्यादित टिप्पणी की है और सदन की अवमानना की है। मान्यवर, आदत के मुताबिक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन बातों को बहुत गम्भीरता से नहीं लेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है इसमें महाधिवक्ता की राय ले ली जाये। मेरी प्रार्थना है कि इसमें आप कोई व्यवस्था देने से पहले महाधिवक्ता की राय ले लें। मान्यवर, जो हमारी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है उसके नियम 72 का यह खुला उल्लंघन है। वह जो व्यक्ति हमारे समाज को तोड़ना चाहता है उस व्यक्ति को यहां पर बुलाया जाय। हम उससे प्रश्न पूछे। सदन से यह निर्देश हो कि वह अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। ताकि उन्हें लगे कि यदि उन्होंने उचित भाषा का प्रयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ यह कार्यवाही हो सकती है। मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, कोई भी असंसदीय भाषा कहीं भी बोले उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, हमारी अपनी एक संस्कृति रही है, परम्परा रही है। मान्यवर, चाहे छोटा व्यक्ति हो या सम्पन्न व्यक्ति हो उसके प्रति आदर की भाषा बोली जानी चाहिए, आदर के भाव रखने चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा सदन के बाहर कोई बात कही तो उसके संदर्भ में अखबार की खबर के आधार पर इतनी लच्छेदार भाषा का प्रयोग हुआ है और बताते–बताते अन्त में उसका नाम भी ले लिया। मान्यवर, यही माननीय सदस्य कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम लेकर उसे आरोपित न किया जाये। ठाकरे का भी नाम ले लिया। वे तो यहां हैं नहीं। मान्यवर, सदन के बाहर कोई टिप्पणी किसी ने कही, अखबार की खबर है उसको सदन की मर्यादा से जोड़ना यह कहां परम्परा रही है। उदाहरण दिया गया राज्य सभा का कि वहां पर यह बात कही गयी। मान्यवर, किसी अशिष्ट भाषा का समर्थन मैं नहीं करता हूं न हमारी पार्टी करती है और न ही यह सदन करता है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह सदन की बाहर की बात है। अखबार की खबर है। किस संदर्भ में वह सदन के लिए प्रयुक्त हुई है नहीं हुई है, अगर हुई है तो नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इससे पहले एक बात रखी थी जब माननीय हुकुम सिंह जी ने नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि यह सदन से सम्बन्धित नहीं है इसलिए इसके अन्तर्गत नहीं आ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सभी पहलुओं पर विचार करके आप अपना निर्णय दें।

*श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस पर माननीय रियाज अहमद साहब भी बोलना चाहेंगे क्योंकि जो घटना है उसके बारे मे वह विशेष रूप से जानते हैं। मान्यवर, आपने नोटिस से आगे निकलकर एक दलीय नेता के विचार सुन लिए हैं। यह नेता सदन के सम्मान का मामला है। इस पर हमारे दल की क्या दृष्टि है इस पर हम अपने विचार रखने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा प्रश्न माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उपस्थित किया है, तकनीकी तौर पर वह क्या है ? संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी यह तीनों लोग बड़े विशेषज्ञ है तकनीकी नियमों के, मैं तो बहुत साधारण सदस्य हूं मैं टेकिनकली उस पर कोई कमेन्ट नहीं कर सकता। आपका निर्णय है आप विचार कर लेंगे नियम 300 में क्या आता है, 72 में क्या आता है, क्या उसकी प्रोसीडिंग है, कितनी सजा होगी, अभी इन सारी चीजों के परे एक बात मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं कि जो तथ्य आपके संज्ञान में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अलग से रखें हों वह हमको पता नहीं किन्तु सदन में जिन विषयों पर चर्चा होती है वह विषय सम्यक् रूप से सम्पूर्ण रूप से जितना सदन के सम्मुख आता है और इन कार्यवाहियों में दर्ज हो करके सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सम्पत्ति बनता है उसी पर मान्यवर, यह कार्यवाही हो सकती है। व्यापक और विस्तृत तौर पर बहुत लम्बी बात नहीं कही जा रही है लेकिन असली बात है क्या–क्या घटना हुई, किन शब्दों का प्रयोग हुआ और किसके लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ इनके आये बगैर जब तक कोई आरोप ही नहीं है तब तक मान्यवर, इस पर लम्बी मांग करना तो अनौचित्यपूर्ण है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं हम अपना दृष्टिकोण सिर्फ तब रखना चाहते हैं जब यह पहले आयें और एक बात पर पहले रख देना चाहते हैं कि नेता सदन या इस सदन के किसी सदस्य के प्रति अगर कोई अनुचित आक्षेपात्मक टिप्पणी कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी हैसियत का हो और श्रीमन्, नियमों में इसकी जितनी गुंजाइश हो उतनी गुंजाइश के तहत कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। अब तो विषय और भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार कर लिया कि अगर अनुचित है तो किसी को नहीं करना चाहिए, अब तो मान्यवर, इसका परीक्षण तो कर ही लें कि अनुचित घटित हुआ कि नहीं हुआ बात इतनी है, पूरा सदन इससे सहमत है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं कह सकते कि अपमान होता रहे हमको कोई चिन्ता नहीं है। सरकार चिन्तित, प्रतिपक्ष चिन्तित, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चिन्तित। अब सिर्फ एक चीज सुनिश्चित होना है कि वास्तव में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इसलिए मेरे दो अनुरोध है मैं फिर स्पष्ट अंतिम वाक्य में कर दूं कि औचित्य का प्रश्न उठाते हुए प्रमोद तिवारी जी ने किसी घटना का उल्लेख किया नहीं, एक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि रखी कि अगर ऐसा हो जाय तो वैसा हो जाना चाहिए, जेल तो जरूर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए हमने उनका विद्वतापूर्ण भाषण सुना कोई तथ्य सदन के सम्मुख नहीं और दूसरी बात कि अगर सचमुच कोई ऐसी बात घटित हो ही गयी है तो यह निराकरण हो जाय कि वास्तव में घटित हुई कि नहीं हुई इन दो बातों पर विचार करके तब इस व्यवस्था पर आप निर्णय देंगे। चूंकि वह घटनास्थल पर थे इसलिए उनकी बात सुन लें।

(श्री रियाज अहमद द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगते रहने पर)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, चर्चा न करायें।

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के नेता बोल लिये, बस हो गया, आप बैठें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नेता सदन के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गयी और उसके बाद भी उनके साथ खड़े हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब साथ खड़े है तो आप तो कह चुके हैं आपके दल का विचार आ गया। आपके द्वारा आपके दल का विचार आ गया।

श्री अध्यक्ष–

दल का विचार आ गया अब उनका कोई औचित्य नहीं बनता। कौन घटना पर वह रहे हैं मारपीट में वह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दल का विचार आ गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया। सैद्धान्तिक तौर पर दल के नेता खड़े हो गये उनको मैंने सुन लिया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक शब्द प्रयोग करने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता।

श्री अध्यक्ष–

यह कहां उस मंच पर रहें हैं या वहां रहे हैं जहां घटना हुई है। ये तो उस मंच पर बैठे भी नहीं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति को,

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट में अच्छा कह लीजिए ज्यादा मत कहिएगा। चर्चा नहीं हो रही है।

श्री रियाज अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश जी ने अभी यह कहा था आपके सामने कि अखबार की बात प्रमोद तिवारी जी ने कही है और ऐसी घटना घटी है कि नहीं घटी है। आपको अवगत होगा कि विगत लोकसभा का चुनाव मैं पीलीभीत से लड़ रहा था और मेरे खिलाफ वही शख्स चुनाव लड़ रहे थे। न सिर्फ जो है मेरे लिए कहा बल्कि सारी कौम के लिए नहीं और मेरे को उन्होंने जो ओसामा लादेन कह कर मुखातिफ किया और तमाम कौम के हाथ काटने की बात कही थी मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं और मैं वहां पर मौजूद था और उसी की वजह से आपकी सरकार ने उन पर एन0एस0ए0 लगाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

यह तो उस समय की बात है।

श्री रियाज अहमद–

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह जो कुछ भी कहते जा रहे हैं वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के आदी है वह हमेशा अमर्यादित करते है और उनको दण्डित किया जाना चाहिए वह दण्ड के ही लायक हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

आदतन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के आदी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

जिन्होंने कम से कम मेरी भावना को समझा है, मान्यवर, मैं सिर्फ भाई ओम प्रकाश सिंह जी को स्पष्ट कर दूं कि नाम नहीं दिया था, अगर आप अपनी सूचना देख लें मान्यवर, उसमें नाम अंकित है, आप देख लें दूसरी कहां अखबार की सूचना है, मेरी अखबार की सूचना नहीं है। मेरी सूचना व्यक्तिगत जानकारी पर है, जब यह भाषण दे रहे थे तो वहां के एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन पर पूरी बात सुनायी है, अगर ये कार्यकर्ता का नाम, पता चाहेंगे तो मैं उस कार्यकर्ता का नाम पता भी दे दूंगा, चाहे तो बता दें उनका नाम, तीसरा मान्यवर, ठाकरे का नाम, इस सदन के सदस्य नहीं हैं, मान्यवर, इस सदन का सदस्य कभी मानसिंह भी नहीं रहा इस सदन का सदस्य कभी कोई डाकू भी नहीं रहा, कोई अपराधी नहीं रहा, तो फिर यह तय हो जायेगा कि मैं किसी अपराधी का नाम नहीं ले सकता, तो डाकू या अपराधी क्या अपराध का नाम लेने के लिए का नाम लेना जरूरी है तो मैं मानता हूं कि यह शख्स किसी भी अपराधी से बड़ा अपराधी है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, हमारा संविधान किसी को भी अमर्यादित और अपमानजनक शब्द प्रयोग करने की इजाजत नहीं देता मान्यवर, निश्चित रूप से अगर इस तरह के जो अमर्यादित लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नियमों के अनुसार की जायेगी। मान्यवर, इस पर जो आप निर्णय लेना चाहें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी को सुना, मा0 चौधरी साहब जी को सुना, मा0 संसदीय कार्यमंत्री को सुना और अन्य सभी दल के नेताओं ने कहा इस विषय पर भिन्न-भिन्न तरह के विचार आ रहे हैं और इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। आप यह दिखवा लें, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए इस सूचना पर मैं अपना निर्णय रिजर्व रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 5/2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 5/2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 के उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1994/30-4-2009-67/89टी0सी0, दिनांक 9 नवम्बर, 2009††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री–(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1994/30–4–2009–67/89टी0सी0, दिनांक 09 नवम्बर, 2009 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री-(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए(3) की उपधारा (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग 2 की अधिसूचना सं0 क0नि0-2-258/ ग्यारह-9(1)/08 उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(52)-2009, दिनांक 4 दिसम्बर, 2009††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-258/ग्यारह-9(1)/08–उ0प्र0अधि0-5-2008 आदेश-(52)-2009, दिनांक 4 दिसम्बर, 2009 को उ0 प्र0 मूल्य संबर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

गृह (पुलिस) अनुभाग 2 की अधिसूचना सं0 1535/छ-पु0-2-2009-1100(63)-09, दिनांक 28 अगस्त, 2009††

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री-(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गृह (पुलिस) अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 1535/छ-पु0-2-2009-1100(63)-09, दिनांक 28 अगस्त, 2009 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन सं0 4/2006 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री-(श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या 4/2006 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 के उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 28 जनवरी, 2010 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 05 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को पारित किया गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 18 फरवरी, 2009 की बैठक मे अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 04 अगस्त, 2009 को उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2009 को पुनः पारित किया था, पारित होने के उपरान्त दिनांक 05 फरवरी, 2010 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 18 में कुछ नहीं है।

उ0 प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 121वां (एक सौ इक्कीसवां) प्रतिवेदन†

सभापति, आश्वासन समिति (श्री लल्लू सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 121वां (एक सौ इक्कीसवां) प्रतिवेदन, जो ऊर्जा, गृह (पुलिस/कारागार), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राज्य सम्पत्ति तथा समाज कल्याण विभागों के वर्ष 1990 से 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 122वां (एक सौ बाइसवां) प्रतिवेदन†

सभापति, आश्वासन समिति (श्री लल्लू सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 122वां (एक सौ बाइसवां) प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा, राजस्व, चीनी उद्योग, पशुधन, सिंचाई, राजनैतिक पेंशन, श्रम, पर्यावरण, नगर विकास तथा कृषि विभागों के वर्ष 1983 से 2008 तक से आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 123वां (एक सौ तेइसवां) प्रतिवेदन†

सभापति, आश्वासन समिति (श्री लल्लू सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 123वां (एक सौ तेइसवां) प्रतिवेदन, जो अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, आबकारी, उच्च शिक्षा, उद्यान, ऊर्जा, खेलकूद, चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, पशुधन, प्राविधिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, भाषा तथा राजस्व विभागों के वर्ष 1983 से 2009 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 124वां (एक सौ चौबीसवां) प्रतिवेदन†

सभापति, आश्वासन समिति (श्री लल्लू सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 124वां (एक सौ चौबीसवां) प्रतिवेदन, जो आवास, कर एवं निबन्धन, कृषि, खाद्य एवं रसद, गृह (पुलिस), नगर विकास, नियुक्ति, पर्यटन, परिवहन, ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण, सहकारिता तथा सिंचाई विभागों के वर्ष 1990 से 2009 तक से आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 125वां (एक सौ पच्चीसवां) प्रतिवेदन†

सभापति, आश्वासन समिति (श्री लल्लू सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 125वां (एक सौ पच्चीसवां) प्रतिवेदन, जो पंचायती राज, भूमि विकास, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण, वन, वित्त, संस्कृति, सार्वजनिक उद्यम, सूचना, होमगार्ड/सैनिक कल्याण, सचिवालय प्रशासन, समन्वय तथा श्रम विभागों के वर्ष 1984 से 2009 तक से आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 24 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010-2011 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010-2011 की "लोक लेखा समिति" "प्राक्कलन समिति" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार, 09 फरवरी, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तिथि तथा समय	बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	सोमवार, 15 फरवरी, 2010 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिए	सोमवार, 22 फरवरी, 2010
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8-2-2010 के नियम 311 में प्राप्त 1 सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिह, श्री पंकज मलिक, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी तथा श्री अशोक सिंह की दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी तथा तीसरी श्री उदयभान करवरिया की। प्रदेश में नकली कारोबार करने वाले कालाबाजारियों एवं जमाखोरों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश में शीतल पेय एवं मिनिरल वाटर निर्माता कम्पनियों द्वारा किये जा रहे भूगर्भ जल दोहन एवं प्रदूषण से भीषण पेयजल संकट एवं खेती की क्षति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर सहित पूर्वांचल में पुलिस की निष्क्रियता से बढ़ती चोरी डकैती एवं हत्या की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के थाना करनैलगंज के ग्राम भोंका में कतिपय लोगों का घर लूटकर जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा टी0टी0जेड0 जोन में होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के उपरान्त भी विद्युत् आपूर्ति नियमानुसार न किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की मान्यवर, कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा घटिया तथा कमजोर आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की लोक निर्माण विभाग, महाराजगंज द्वारा अवैध रूप से निविदायें

कराकर नियम विरुद्ध लोगों को ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में खनन माफियाओं द्वारा गोसाईगंज के सरसवां और उसके आसपास के गांवों से की जा रही मिट्टी की खुदाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा

दसवीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, नेपाल सीमा पर बढ़ते माओवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुना जायगा।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई। अतः अस्वीकृत हुई :–

1–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
2–श्री सर्वेश कुमार सिंह,
3–श्री कुबेर सिंह,
4–श्री जोखूलाल यादव,
5–श्री इमरान मसूद,
6–श्री अब्दुल वारिस खां,
7–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
8–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर),
9–श्री जावेद अंसारी,
10–श्री राजाराम त्यागी,
11–श्री हुकुम सिंह,
12–महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी तथा
13–डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथिलेश पाल।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय, समाज में फैले हुए कैंसर, एक ऐसी जहर जिससे हर वर्ग का व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उस चिन्ता से, इस समस्या को मा0 सदन में उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका जो विषय है, उसकी गम्भीरता को लिया जाए अन्यथा मैं समझता हूँ कि आज बहुत सी बीमारियों का कारण खाद्य पदार्थो में मिलावट है। लीवर पर असर हो रहा है, किडनी पर असर हो रहा है, फेफड़े पर असर हो रहा है और कुल मिलाकर समाज के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। जिस तरीके से पहले कहीं चोरी-छिपे होता था,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रोडक्ट में मिलावट थी आज प्रोडक्ट पैदा करने के लिए, मिलावट पैदा करने के लिए कारखाने लगे हुए हैं। स्थितियों में बड़ा फर्क आ गया है। निकले हुए कारखाने के प्रोडक्ट को पहले मिलाकर बेचा जाता था, अब तो मान्यवर नकली घी बनाने के प्लाण्ट लगे हुए है, वहाँ पर चर्बी से घी बनाया जा रहा है। चर्बी का जहां तक सवाल है, हिन्दु-मुस्लिम समाज के दोनों लोग ऐसे है जिनमें वहुत से जानवरों के चर्बी से परहेज है, धार्मिक रूप से परहेज है, मजहबी रूप से परहेज है। अगर उनको इनका सेवन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक गैर कानूनी काम में सरकार भी बराबर की भागीदारी बन रही है। नकली घी हापुड़ में, आगरा में, मथुरा में बन रहा है। हजारों टिन नकली घी बरामद हुई है और वह चर्बी से बनायी जा रही है। मैं समझता हूँ कि जहां इस चर्बी का प्रयोग हो रहा है उसकी महक एक किमी0, दो किमी0 में जाती होगी। हर आदमी की नजर में है, वह महक देखता है लेकिन अगर कोई नहीं देखता है तो उस इलाके की पुलिस नहीं देखती कि यहां पर नकली प्लान्ट लगा हुआ है। इसी तरीके से देखें तो दूध, दूध में बड़े पैमाने पर यूरिया मिलायी जा रही है, यूरिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस यूरिया को अगर दूध में मिलाकर मानव के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह सरकार की सबसे बड़ी असफलता है। इसके कारखाने राजधानी दिल्ली के चारों तरफ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलन्दशहर में बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरठ इससे अछूता नहीं है तो अनुचित नहीं होगा और अब यह महानगरों के आसपास प्रारम्भ हो गया है। यह दूध कौन सेवन करता है। हर परिवार का लाड़ला या लाड़ली जिसे इस समय स्वास्थ्य पर रेजीस्टेंस भी नहीं रहता है, किसी प्रतिरोध का सामना करने की शक्ति नवजात बच्चे में नहीं होती है। मान्यवर, उसको जो दूध पिलाया जा रहा है उसमें यूरिया है और यूरिया के साथ.साथ और बहुत सी बातें होगी जिसकी जानकारी मुझे है, वह मैं आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके से सरसों का तेल है, सरसों का तेल जो दिया जा रहा है उसमें जो रसायनिक मिलाया जा रहा है और वह असली सरसों के तेल के ब्राँड के नाम पर बेचा जा रहा है। आज ही मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर रहा था तो इसका सीधा प्रभाव लीवर पर पड़ रहा है। नकली तेल बिक रहा है, नकली घी बिक रहा है, नकली दूध बिक रहा है और इससे भी ज्यादा एक और हानिकारक बात हो रही है यह जो दवायें हैं, जो पापुलर ब्रांड की है जो ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी पैरलेल नकली दवा बनाने की कम्पनियाँ चल रही है पचासों छापे हुए उनमें धीरे.धीरे 70 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको नकली बनाने का गोरखधन्धा पैरलेल चल रहा है। वह मरीज जिसका निदान डा0 कर रहे है उन्होंने बीमारी समझ ली है व उसे दवा दे रहे है दवा देने के बाद अगर नकली दवा दी जा रही है तो उसको मारने का इंतजाम हो रहा है नकली दवाइयाँ बन रही हैं। इसके बाद मैं आपको हृदय विदारक घटना बताना चाहता हूँ लखनऊ में एक परिवार में किसी का निधन हो गया मान्यवर, जब निधन हो गया तो जलाने के लिए मृत शरीर पर राल डाली जाती है जिससे शरीर जल्दी जल जाय लेकिन उसके शरीर पर जैसे ही राल डाली जाती है वह बुझ जाती है।

मान्यवर, लाश का बुझ जाना कोई शुभ नहीं माना जाता है उसे अशुभ माना जाता है लेकिन परिवार के लोग राल खरीदकर लाए मृतक शरीर पर डाला लेकिन वह लाश बुझ गयी तो मेरा कहना यह है कि मिलावटखोर साधारण मानव को नहीं छोड़ रहे हैं, रोगी को नहीं छोड़ रहे है वह जीते जी तो छोड़ ही नहीं रहे थे मरने के बाद भी कफन बेच रहे है ऐसे लोगों को समाज में जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको फांसी देने का प्राविधान होना चाहिए। मिलावटखोरों के बारे में आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 की धारा में संशोधन सुनिश्चित करें। दवा में, दूध में, घी में जो मिलावट करे ऐसे लोगों के विरुद्ध फांसी का प्राविधान होना चाहिए इसकी सिफारिश यह सरकार करे। इसके अलावा सीमेंट में भवन सामग्री में मिलावट हो रही है। जिन्दा में तो मिलावट हो ही रही है जो लाश में तब्दील हो चुका है मुर्दा हो चुका है उस मुर्दा में भी मिलावट हो रही है। यह सरकार की असफलता है। यह जिन्दों को तो बचा नहीं सकते मुर्दो को तो बचा लें यह मैं सरकार को भविष्य के प्रति सचेत करना चाहता हूँ। मिलावटखोरी को सामाजिक बुराई के रूप में लिया जाय। मिलावटखोरी को इस दुनियां में घटित होने वाले अपराध के रूप में लीजिए। एक हत्या होती है तो एक व्यक्ति मारा जाता है लेकिन मिलावटखोरी में हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं। यह साइलेंट प्वाइजन है यह धीरे.धीरे दिया जा रहा है यह सरकार इसको रोकने में पूरी तरह से असफल हो गयी है। सरकार के निचले स्तर के अधिकारी पूरी तरह से मिलावटखोरों से मिले हुए हैं। जिस फैक्ट्री में चर्बी और घी बन रहा होता है उसकी महक, बदबू आस पास तक जाती है लेकिन आपके निचले स्तर के अधिकारियों को इसकी बदबू नहीं लगती है। इसी तरह से दवाइयों के बारे में कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि एक समानान्तर उद्योग चल रहा है। मैं मिलावट खोरी के बारे में सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि इसमें सजा का प्राविधान बढ़ाए और एक अभियान चलाकर अगले एक माह तक मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय और इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसी विषय से सम्बंधित दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है।

*श्री अम्बिका चौधरी–

अभी श्री प्रमोद तिवारी जी ने कार्य स्थगन के बारे में सूचना दी है और इस पर सदन में तमाम मिलावट के बारे में उन्होंने जिक्र किया मैं अपने को खाद्य पदार्थों तक सीमित रखूँगा। आज की तारीख में इतनी घटनाएं हो रही है चाहे निर्माण सामग्री की हों या दूसरी चीजों में लेकिन मैं खाद्य पदार्थों तक अपने को सीमित रखूँगा। मनुष्य के खाने के लिए एक भी चीज ऐसी नहीं बची है जिसमें मिलावट न हो रही हो। चाहे दूध से बनी हुई पनीर, खोया में स्वाभाविक है दालों में मिलावट अनाज में, मिलावट आंटा में, मिलावट और कोई भी वस्तु खाद्य की ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट, न हो रही हो। अगर इस मिलावट से कोई बीमारी हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय तो उसमें जो औषधि देनी है उन दवाइयों में मिलावट। दवाइयों की मिलावट यह दोनों बहुत गम्भीर विषय हैं। सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है यह संसदीय कार्य मंत्री या जो संबंधित विभागीय मंत्री हैं वे बतायेंगे। लेकिन ड्रग कन्ट्रोलर के माध्यम से जितना इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए दवाइयों के इस मिलावट खोरी और इस बड़े बिजनेस को मान्यवर वह बहुत चिन्ता का विषय है। खाद्य पदार्थों के पहले मान्यवर, मैं दवाइयों के संबंध में आपसे निवेदन करूँ। वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताविक पूरे देश में प्रतिवर्ष नकली दवाइयों का कारोबार 90 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। श्रीमान थोड़ा नहीं। 90 हजार करोड़ रुपये जैसी बड़ी राशि श्रीमान नकली दवाइयों के कारोबार में हिन्दुस्तान में लगी हुई है और डब्ल्यू0 एच0 ओ0 ने इसकी स्टड़ी कराया, कारण कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने एक बड़ी धनराशि हमारी विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए दिया है। तो उन्होंने यह शोध कराया है। श्रीमान 35 से 40 प्रतिशत जितनी दवाइयों का कारोबार हैं, उसमें 35 से 40 प्रतिशत दवाइयां अपमिश्रित हैं मान्यवर, और नकली दवाइयां हैं, घटिया दवाइयां हैं दूसरी दवाइयों के रैपर में दूसरी दवाइयों के नाम पर दी जा रही हैं।

मान्यवर, मैं बहुत थोड़े में क्योंकि सदन का समय बहुत मूल्यवान है, आपके सामने यह उल्लेख करना चाहूँगा कि इस 90 हजार करोड़ में लगभग 27 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है नकली दवाइयों के कारोबार में। मान्यवर, एक ऐसी संस्था जिसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता होनी चाहिए और यह अपने आप में कितना गम्भीर है। इतना गम्भीर है और हम लोग कार्यवाहियाँ कुछ नहीं करते हैं और उन कार्यवाहियों का परिणाम क्या निकलता है यह ज्यादा उल्लेखनीय बात है। मान्यवर, 2007, 2008, और 2009 में जो कार्यवाहियां हुई उसके पहले की तो हम उल्लेख नहीं करना चाहते हैं इसलिए कि यह सरकार जब आई तो अपराधों पर बहुत मजबूत नियंत्रण के लिए यह भी खोल दिया कि जो पिछली सरकार में जितने अपराध हुए थे उनकी भी एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा सकते हैं आप लोग। दर्ज कराये भी तो पता नहीं किसी में चार्ज शीट गयी कि नहीं गयी मुझे नहीं पता। तो श्रीमान्, जब यह सरकार इतने खुले दिमाग की है कि जितना भी इतिहास में अपराध हुआ हो उसको भी शामिल कर लिया तो बहुत ज्यादा हो जायेंगे। लेकिन श्रीमान्, 2007, 2008, 2009 में मान्यवर, जितने छापे पड़े और जितने लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत हुए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, इसका जब आँकड़ा माननीय मंत्री जी देंगे तो आप स्वयं देख लीजियेगा। यह आँकड़े मान्यवर, 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत भी नहीं 5 प्रतिशत से नीचे ही सभी कुछ हैं। वो इसलिए यह धंधा जोरों पर चल रहा है क्योंकि इसकी सजा नहीं हो पाई। प्रिविंशन आफ फूड डलट्रेशन ऐक्ट में मान्यवर, ड्रग्स से नियंत्रण के बारे में जो एक्ट है मान्यवर और आई0 पी0 सी0 की सुसंगत धाराओं में जिनमें भी अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, कुछ की तफतीश होती है, कुछ की नहीं होती है। आँकड़े दिये जाते हैं कि फलां ने एक हजार छापे मारे। फलां ने डेढ़ हजार छापे मारे। एक वर्ष में हमने एक लाख 48 हजार छापे मारे और 1 लाख 48 हजार

छापे में हमने पाया 50 हजार नकली और 50 हजार में से सजा कितनों को दिलाई तो संख्या 5 की भी इस सदन में नहीं आ पाती। क्योंकि सरकार कर नहीं पाती। मान्यवर, सरकार नकली दवाओं का असाइंटमेंट पकड़वाने वालों को 20 परसेंन्ट केन्द्रीय सरकार राशि दे रही है। जिस तरह से स्मगलिंग का माल पकड़वाने वालों को कस्ट्म्स वाले देते हैं। श्रीमान्, इसकी मात्रा कैसी है आप अंदाजा लगा लेंगे कि 25 लाख रुपये तक एक असाइनमेंट पर। तात्पर्य यह हुआ कि सवा करोड़ तक का एक असाइनमेंट पर। एक असाइनमेंट पर 20 परसेंट, एक असाइनमेंट पर 25 लाख रुपये तक अधिकतम राशि मान्यवर, इस स्कीम के तहत देय है और इन स्थितियों में मान्यवर, जब स्थितियां इतनी गम्भीर है दवाइयों में मिलावट, खाद्य में मिलावट, खून में मिलावट और श्रीमान्, जो खाद्य में मिलावट हो रही है वह एक गम्भीर विषय है, सदन में उठ चुका है। अभी माननीया शादाब फातिमा जी ने एक बार सवाल उठाया। आक्सीटोसिन इन्जेक्शन सब्जियों में दिया जा रहा है जिससे नपुंसकता होती है और दूसरी तमाम गम्भीर बीमारियां हो रही है। दूध निकालने के लिए दुधारू मवेशियों को आक्सीटोसिन दिया जा रहा है। इससे गम्भीर और क्या है कि हमारी अपनी पराग डेरी है जो ऐसी बड़ी डेरी है। निजी क्षेत्र की तो कई डेरियां चल रही हैं उसमें तो घोर मिलावट हो रही है। बुलन्दशहर जैसे छोटे शहर से सबसे ज्यादा दूध सप्लाई हो रहा है एन0सी0आर0 को और उत्तर प्रदेश में भी एन0सी0आर0 के हिस्से को और दिल्ली को। ऐसे मान्यवर, जितना वास्तविक दूध का उत्पादन है उससे कई गुना फर्जी दूध बाजार में आ रहा है। घी की मिलावट मान्यवर, पकड़ी गई। कोई एक टिन, दो टिन 10 टिन 100 टिन नहीं। एक गोदाम पांच गोदाम नहीं। हजारों टिन में इस तरह की मिलावट मान्यवर जारी है। यह वःकायदा आकड़े है मेरे पास है इसको पढ़ूंगा नहीं, वरना सदन का समय जाया होगा, इतने गम्भीर तरीके की मिलावट हो रही है कि सब्जियों में श्रीमन् जो आटा, अरहर, हल्दी, मिर्चा, धनिया, तेल सबमें है, सरसों के तेल में सबसे ज्यादा मिलावट है, सरसों का तेल पूरा का पूरा मिलावट वाला है घी पूरा का पूरा नकली है, और नकली का मतलब यह नहीं कि आधा काम करेगा पूरा नकली है, दूध की मिलावट का मतलब है पानी का मिलाना, दूध में पानी की मिलावट से दूध कम मिल सकता है आपको जितना दूध मिलना चाहिए उसका आधा मिल सकता है, कम फैट मिलेगा, लेकिन।

मान्यवर, दूध में ऐसी मिलावट है जिससे कैंसर हो, जिसमें किडनी की बीमारी हो, जिसमें लीवर का कैंसर हो, लीवर की बीमारी है और श्रीमान् पूरा डायजैस्टिव सिस्टम बेकार हो जाए इस तरह के खतरनाक रसायन मिलाए जा रहे हैं इसलिए श्रीमन् यह अनुरोध हम आपसे करना चाहते है कि एक बात तो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि दवा और खाद्य वस्तुओं में मिलावट होने के खिलाफ अभी कानून में दंड के पर्याप्त प्राविधान नहीं है, ऐसे लोग सीधे–सीधे श्रीमन् सामूहिक हत्याओं के दोषी हैं। एक हत्या के दोषी को मान्यवर, अजीवन कारावास और फांसी की सजा मिलती है और जो सामूहिक हत्याओं का दोषी है, पता नहीं कितने परिवार इलाज कराने में आर्थिक रूप से बरबाद हो गए और उसके बाद पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों

बच्चों की मौत हुई, नौनिहाल और छोटे बच्चों की मौत की तो उसमें गिनती ही नहीं हो सकती है। हम उसका कारण नहीं जान पाते हैं। एक नकली इंजेक्शन लगता है और बच्चा चला जाता है। हम कभी डाक्टरों को दोष देते है कभी व्यवस्था को दोष देते है। लेकिन श्रीमन् इन स्थितियों में यह सामूहिक नरसंहार का अपराधी उसको मानते हुए न्यूनतम फांसी की सजा ऐसे अपराधी को देनी चाहिए और उसकी प्रक्रिया के लिए एक अलग विधि बनाकर ले आइए। इस सदन में पारित करेंगे, समर्थन करेंगे उसका, एक ऐसा कानून बनाकर ले आइए कि जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो जाएगी। अनिवार्य रूप से पास के कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, अलग से अदालत बना दीजिए, मान्यवर, नकली दवाओं के लिए, और नकली खाद्य पदार्थों के लिए अलग से न्यायालय बना लीजिए, और दो तरह का बना लीजिए, जिसमें लगता हो कि अपराध छोटा है तो वह.....

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

इस स्तर पर न ले जाइए, अपराध छोटा है अपराध बड़ा, मैं इसलिए जानबूझकर आंकड़ों पर नहीं गया कि आंकड़ों का कोई विवाद नहीं है। श्रीमन् प्रत्येक जिले में हो रहा है। अधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सबसे ज्यादा लखनऊ, कानपुर की मंडियों के जरिए हो रहा है। मान्यवर, मैं अनुरोध यह कर रहा था आपसे कि मंत्री जी बिल्कुल गम्भीरता से इस पर एक कानून लेकर आइए जिसमें इसकी प्रक्रिया भी अलग हो, पूरी तरह से इन्डिपेन्डेंट कानून हो। आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में आप लगा रहे हैं उसमें मामला लटक रहा है अलग न्यायालय की स्थापना हो और मान्यवर, त्वरित न्याय लेकर ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जब मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जब यह बन्द हो जाएगी तो पूरे देश को हम रास्ता दिखा सकेंगे, ऐसा अनुरोध मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(श्री उदयभान करवरिया का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री उदयभान करवरिया–

मेरा विषय इसमें थोड़ा परिवर्तित है मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है यह सूचना इलाहाबाद जनपद में विशेषकर जो सरकारी वाहनों से तेल की चोरी हो रही है उससे संबंधित है आपने मुझे अवसर दिया है मिलावट पर बोलने का, आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात रख दूँ या फिर इसके बाद रख दूं इसके खत्म होते ही आप मुझे दो मिनट का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अलग से उसको रखिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में शिकायतें मिली हमारी सरकार इस मिलावट को रोकने के लिए गम्भीर है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषध विभाग एक अलग स्थापित करने का काम किया। मान्यवर, खाद्य विभाग के स्तर पर विभिन्न जिलों में मंडलों में मंडलायुक्त के अधीन, सहायक खाद्य निरीक्षक और जिलों में जिलाधिकारी के अधीन रखने का काम किया गया है। जिससे कि नियमित तौर पर वह प्रभावी कार्यवाई करके खाद्य पदार्थों और दवाओं में होने वाली मिलावट को रोकने की प्रभावी कार्यवाई करें। मान्यवर, अपमिश्रित दूध के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु समस्त मण्डलायुक्त और समस्त जिलाधिकारियों, उ0 प्र0 को प्रभावी कार्यवाई सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश दिनांक 30 जून, 2009 द्वारा निर्देश दिए गए। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाये जाने हेतु अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त निरीक्षण टीम गठित कर सेंथेटिक दूध की निर्माण इकाइयों, सम्बन्धित डेरियों, कलेक्शन सेण्टरों तथा दुग्ध वाहन टैंकरों की विशेष सैपलिंग किए जाने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई किया जाना सुनिश्चित किया गया। प्रदेश में त्योहारों की अवधि दिनांक 09 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 2009 तक चलाये गए विशेष अभियान के अन्तर्गत कुल 1677 निरीक्षण, 760 छापे, 1864 नमूना, संग्रह 104 प्राथमिकी दर्ज कराने और 144 कथित मिलावट में संलिप्त व्यावसाइयों की गिरफ्तारी व संदेह के आधार पर अनुमानित रुपये 1 करोड़ 54 लाख 26 हजार 520 मूल्य की सामग्री जब्त की गई। दूध एवं उससे निर्मित ऐसे खाद्य पदार्थों जिनको अभिरक्षा में रखना सम्भव नहीं था, उन्हें नियमों के अन्तर्गत नष्ट किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16 (1) के प्राविधानों के अनुसार साधारण प्रकार की मिलावट व अन्य अपराधों के लिए 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक कारावास तथा न्यूनतम 1 हजार जुर्माना तथा उक्त अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के अन्तर्गत गंभीर प्रकार की मिलावट व अपराधों के लिए एक वर्ष से अधिक आजीवन कारावास तथा न्यूनतम रुपये 2 हजार के अर्थदण्ड का प्राविधान है। समस्त खाद्य पदार्थों के नमूनों का वर्षवार मान्यवर, जो छापा मारा गया और नमूना इकट्ठा किया गया, मान्यवर, नवम्बर, 2009 में प्राप्त नमूने 21662, जांच किए गए 20026, अपमिश्रित नमूनों की संख्या 3175 और दायर वाद किए गये 3104, 266 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई हुई और 12 लाख जुर्माना प्राप्त हुआ। इसी तरह से मान्यवर, दूध के नमूने जो एकत्रित किए गए एक जनवरी, 2009 से पूरे नवम्बर, 2009 तक, 2566 जिसमें 995 अपमिश्रित पाए गए और यूरिया का जो प्रयोग है, वह केवल 4 में पाया गया। प्रदेश में नकली अधोमानक मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यपाई किए जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1945 प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन दिनांक 30-7-09 को किया गया। मान्यवर,

वर्तमान में औषधि अधिनियम से सम्बन्धित 529 आपराधिक वाद प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में विचारण हेतु लम्बित हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है कि वह अपने जनपद से सम्बन्धित वादों की पैरवी हेतु मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए एक सहायक अभियोजन अधिकारी तथा सत्र न्यायालय के लिए एक शासकीय अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को नामित करने की कार्यवाई प्राथमिकता पर कर लें। नकली अधोमानक अपमिश्रित औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के अवैध व्यवसाय को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाई किए जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिया गया है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खाद्य एवं औषधि सतकर्ता समिति गठित कर जनजागरूकता बढ़ाने की कार्यवाई और अनुश्रवण की कार्यवाई का निर्देश दिया गया हैं। नकली अधोमानक व अपमिश्रित औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की जानकारी प्राप्त कर प्रभावी रूप से औषधि निरीक्षकों, सहायक औषधि निरीक्षकों को पुलिस बल की सहायता प्रदान करने के लिए विभाग में एक पुलिस उप महानिरीक्षक की अपर आयुक्त अभिसूचना के पद पर तथा उनके अधीन एक पुलिस उपाधीक्षक, 4 पुलिस निरीक्षकों की तैनाती की गई है। विभाग के गठन के पश्चात् खाद्य एवं औषधि अनुभाग में कार्यरत सहायक आयुक्त औषधि, मण्डलायुक्त के अधीन तथा औषधि निरीक्षकों को जिलाधिकारियों के अधीन तैनात कर पुलिस व प्रशासन के सहयोग से नकली, अधोमानक व अपमिश्रित औषधियों के विक्रय, अवैध कार्य को रोकने को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। विशेष अभियान के दौरान निरीक्षण में पायी गयी कमियों हेतु औषधि निर्माणशालाओं एवं विक्रय संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में अब तक दो निर्माणशालाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 6 को निलंबित किया गया है, इसी प्रकार तीन औषधि विक्रय संस्थान के लाइसेंस को निरस्त तथा 38 लाइसेंस को निलंबित किया गया है।

मान्यवर, इस स्थिति पर हमारा भी यह मानना है कि अधोमानक के अनुसार जो दवायें बनती हैं, या जो खाद्य पदार्थ हैं, इनमें जो अपमिश्रण किया जाता है इस पर प्रभावी रोक लगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें रुचि लेकर इसका एक अलग विभाग गठित किया और जहां भी इस प्रकार का मिश्रण पाया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मान्यवर, जहां तक कार्य–स्थगन का सवाल है, मैं इसमें सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जायेगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है और इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जहां तक कार्य–स्थगन की बात है मैं चाहूँगा कि नियमों की व्यवस्था के अनुसार ऐसे समय में जब हमें बजट की सामान्य चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, इसलिए यह कार्य–स्थगन का विषय नहीं बनता है। इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमारा सुझाव था कि इसमें सजा का प्राविधान मृत्युदण्ड किया जाये उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया है, सुझाव था कि न्यायालय बनाये जायें, विशेष न्यायालय बनाये जायें उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं आया है। मान्यवर,

जिस सरकार के पास सैकड़ों इंस्पेक्टर्स की जगह खाली हों, इनकी यूनिट बहुत जिलों में नहीं है, मान्यवर, इनके पास प्रदेश स्तर का अधिकारी नहीं है, इनके पास टेस्ट करने की लेबोरेटरीज नही है, सालों लग जाता है लेबोरेटरीज से रिपोर्ट आने में। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सामान खरीदकर मिलावट हो रही है मैं तो यह कह रहा हूँ कि मिलावटी घी बनाने के लिए मिलावटी खाद्य बनाने के लिए, मिलावटी तेल बनाने के लिए कारखाने लगे हुए है, अगर यह सरकार सिर्फ प्रोडक्ट को पकड़ रही है फैक्ट्रियों को नहीं पकड़ रही है तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार गंभीर नहीं है। मेरा निश्चित आरोप है कि सरकार और मिलावटखोरों में कहीं न कहीं समझौता है। ऐसी स्थिति में जब सरकार मिलावटखोरों की सुरक्षा कर रही हो तो उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा--

मान्यवर, सरकार गंभीर है और सरकार कार्यवाही कर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है और मिलावटखोरों से इनका जन्म.जन्मांतर से समझौता रहा है। मान्यवर, भारत सरकार का औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 है। मान्यवर, यह भारत सरकार का अधिनियम है और इसमें कोई संशोधन भारत सरकार कर सकती है। मान्यवर, चूंकि इनका उन मिलावटखोरों से समझौता है। इसलिए जब हम कार्यवाही कंर रहे है तो इनको यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मान्यवर, उनके समर्थन में यह वाकआउट करने का काम किये है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैंने जानबूझकर कोई आंकड़े नहीं दिये थे और आपसे मैंने सूचना पर बोलते समय यह बात कही थी। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे आंकड़े दे दिये। इन्होंने दिया कि 21 हजार से ज्यादा छापे पड़े और 20 हजार नमूने धरे गये और 12 लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगा दिया गया। मान्यवर, 20 हजार पर 12 लाख रुपये का मतलब हुआ कि एक पर 60 रुपया।

श्री लालजी वर्मा--

लगता है कि आपने आगे नहीं पढ़ा, तीन हजार एक सौ पचहत्तर जो है, वह अपमिश्रित पाये गये।

श्री अम्बिका चौधरी--

यह आवाज दबाने का तरीका ठीक नहीं है, अब मैं अपनी बात रख लूं। वाक्य आ ज़ाये, बाकी तो आप काट ही देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह इनकी कार्यवाही है कि छापे 21 हजार, नमूना 20 हजार, आर्थिक दण्ड 12 लाख। जोड़ लीजिएगा, 20 हजार पर 12 लाख। 60 रुपये प्रति छापा है आपने इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर इसको आप पर्याप्त समझते हैं, मैं समझता हूँ कि शाम को आईना जाके देखियेगा और उसके सामने बोलियेगा, 20 हजार छापे, 12 लाख दण्ड, आईना आपको डरायेगा, इसलिए आप देख करके अगले दिन ठीक से आंकड़े रखियेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। सरकार के पास फर्जी आंकड़ों के

अलावा कुछ नहीं है। हम इनका अगला दावा भी सुनने को तैयार हैं सदन में बैठे हुए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, माननीय चौधरी साहब को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

*श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, मैं अभी हाल में हुयी अवैध रूप से तेल की बिक्री जो की जा रही थी, उसके विषय में इस सदन में बात कहने के खड़ा हुआ हूँ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से यह कहना है कि 2-2 मिनट आप लोगों को सुन रहा हूँ ताकि जो सामान्य बजट पर चर्चा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को समय से बुलवाना भी है, इसलिए 2-2 मिनट में अपनी बात रख लेंगे तो हम सुन लेंगे और जो ज्यादा भूमिका के आधार पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है।

श्री उदभान करवरिया–

मान्यवर, बस दो मिनट में ही अपनी बात कहूंगा। मान्यवर, आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सरकारी विभाग की गाड़ियों में तेल की व्यवस्था की जाती है और वह मान्यवर, इसलिए की जाती है कि सरकार के कार्य ठीक से चलें जो योजनायें है उनको ठीक से क्रियान्वित किया जाये। लेकिन मान्यवर, अभी इलाहाबाद जिले में बहुत दिनों से पुराना एक अवैध धन्धा चल रहा था, जिसमें पुलिस विभाग से लेकर के नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सभी विभाग शामिल है और इलाहाबाद के ही बीचोंबीच कर्जन पुल स्थापित है उसमें एक कारखाना चलता है और कारखाने के जस्ट पीछे एक कच्चे ईट की दीवार और उसके पीछे एक दूसरा कारखाना जहां ये सभी विभाग की गाड़िया जाकर के तेल की बिक्री किया करती थी। मान्यवर तेल गाड़ियों को इसलिये मिला की शासन की जो मंशा है, जो नीतियां है, जो व्यवस्थायें हैं उसको जनता तक प्रचार के लिए करे, उनकी जांच के लिए पहुंचे। ये अवैध काम तेल की बिक्री का आज से नहीं बहुत वर्षों से चल रहा है और मान्यवर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस काम की किसी प्रशासनिक अधिकारी को खबर भी नहीं है। खबर क्यों लगती क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सबका अपना-अपना हिस्सा, अपनी-अपनी व्यवस्थायें बनी हैं तो जिसे पता भी लगना है वह भी उस पर कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि एक समाचार-पत्र के माध्यम से इस अवैध धंधे का खुलासा किया गया, हिन्दुस्तान अखबार ने स्टिंग आपरेशन किया। मान्यवर, अखबारों में बाकायदा फोटो छपी, उसमें गाड़ियों में यह दिखाया गया कि गाड़ी के टैंक से तेल निकाला जा रहा है, बाकायदा जो कर्मचारी उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिप्त हैं, उनकी फोटो, जो गाड़ी खड़ी हैं जिससे तेल निकाला जा रहा है उस गाड़ी का नंबर, एक विभाग की नहीं मान्यवर, अनेक विभागों की गाड़ियां थी और यह रातदिन चलने वाला धंधा है लेकिन आज तक इलाहाबाद के प्रशासन ने कोई कार्यवाही इस पर नहीं की और यह सारी घटना 3 दिन 4 दिन लगातार अखबारों में आयी और उसके बाद भी मैंने अखबारों में मात्र इतना पढ़ा कि इस पर कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मान्यवर, एक मुकदमा दर्ज नहीं, एक कार्यवाही नहीं, उस कोई गंभीरता नहीं, किसी प्रकार की जांच और कार्यवाही नहीं है।

मान्यवर, आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारा का सारा धंधा सी0डी0 बना करके उस अखबार के लोगों ने डी0एम0 को दी, वहां के और वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन उस पर आज तक की स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। मान्यवर, यह केवल इलाहाबाद का प्रकरण नहीं है क्योंकि इलाहाबाद में ये चीजें पकड़ी गयी है इसलिए मैं इलाहाबाद का जिक्र कर रहा हूँ लेकिन ये जितने भी महकमें हैं, ये सब के सब जनता की गाढ़ी कमाई को जिससे तेल व्यवस्था की जाती है, पूरे प्रदेश में एक अवैध काम चल रहा है। मान्यवर, मैं कार्य–स्थगन के माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह एक बहुत गंम्भीर विषय है, इस पर कुछ न कुछ ठोस कार्यवाही हो कि जो धन काम के लिए मुहैया कराया जाता है उससे कम से कम लोग जेबें भरने का काम न करें और मान्यवर, इस पर कार्य–स्थगन के माध्यम से चाहता हूँ कि कार्यवाही रोककर के पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार का अवैध धंधा चल रहा है, हर जिले की बात उसमें आ जाये और उसमें आपकी तरफ से कोई न कोई व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मैं सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ, मैंने उदयभान जी को सुना, यह नियम 56 में नहीं आता है, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

*श्री अनूप संडा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपने एक ऐसे विषय पर अपनी बात कहने की अनुमति दी कि जो समस्या सिर्फ हमारे प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया आज इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आतंक से आतंकित है। मान्यवर, मेरा कहने का आशय है कि जो शीतल पेय कम्पनियां और मिनरल वाटर बनाने वाली कम्पनियां है जिस तरह से अंधाधुन्ध ढंग से हमारे भू–गर्भ जल का दोहन कर रही है, भूमिगत जल को जिस तरह से निकाल करके उसका इस्तेमाल कर रही है, उसका असर जिस जिस तरीके से हमारी कृषि पर हमारे आम जन जीवन पर हमारी पारिस्थिति पर, हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह कम्पनियां तो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि आज से कुछ साल पहले चिली देश के राष्ट्रपति श्री एलेन्दे ने जब इन कम्पनियों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी गयी और उस हत्या की जांच में पेप्सी कम्पनी का साफ-तौर पर नाम आया था कि पेप्सी कम्पनी के लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अकेले हिन्दुस्तान में शीतल पेय का प्रति वर्ष का कारोबार 32 हजार करोड़ रुपये का है और 12 हजार करोड़ रुपये का कारोबार मिनरल वाटर बनाने वाली कम्पनियों का है और यह आंकड़े भी मैं तीन साल पुराने आपको बता रहा हूँ आज की स्थिति में यह सौ प्रतिशत आंकड़े बढ़ गये होंगे। मान्यवर, हालत यह है कि हमारे प्रदेश में इन शीतल पेय कम्पनियों एवं मिनरल वाटर कम्पनियों के डेढ़ दर्जन से ज्यादा प्लान्ट है जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए है और मान्यवर, प्रतिदिन यह प्लान्ट 15 लाख लीटर से लेकर के 25 लाख लीटर तक भूमिगत जल को निकालने का काम करते हैं, अपने इस्तेमाल में लेते है और मान्यवर, जिन इलाकों में यह प्लान्ट लगे हुए है जो सबसे गम्भीर बात ध्यान देने की बात है कि हमारी सरकार की जो जल नीति है उस जल नीति में जो प्राथमिकताएं तय की गयी है, पहली प्राथमिकता पेय जल की, दूसरी सिंचाई की, तीसरी जो प्राथमिकता है वह है यह जो थर्मल और हाईड्रो पावर लगते है उनकी, चौथी प्राथमिकता कृषि आधारित उद्योगों की और पांचवी प्राथमिकता अन्य उद्योगों की और मान्यवर जब यह प्लान्ट औद्योगिक उद्योग हैं तो साफ बात है कि यह प्लान्ट जहां भी लगें वह आद्योगिक क्षेत्रों में लगने चाहिए, लेकिन मान्यवर होता यह है कि सस्ती भूमि लेने के चक्कर में यह जितने भी वाटरिंग प्लान्ट है, ज्यादातर वाटरिंग प्लान्ट कृषि भूमि पर लगाये जाते है। मान्यवर, हमारे पूर्वान्चल में एक सीहांचवर बलिया में प्लान्ट में लगा हुआ है जो कृषि भूमि पर लगा हुआ है, एक प्लान्ट कोकाकोला का वाराणसी में लगा हुआ है वह भी कृषि भूमि में लगा हुआ है, एक प्लान्ट फैजाबाद में लगा हुआ है, एक प्लान्ट अकेले सतरिया जौनपुर में औद्योगिक क्षेत्र में लगा हुआ है। मान्यवर, इनसे फैलने वाले प्रदूषण के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीपुल्स साईंस इन्स्टीट्यूट और प्रख्यात पर्यावरणविद् राजेन्द्र पचौरी की संस्था टेरी की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार यह कहा गया है कि इन प्लान्टों से जो कचड़ा निकलता है, उस कचड़े में कैडमियम क्रोमियम और लेड भारी मात्रा में पाया जाता है, इससे जहां एक तरफ हमारा भूमिगत जल प्रदूषित होता है, वहीं दूसरी तरफ आस.पास की भूमि के उपजाऊ होने में भी कमी आती है और वह भूमि भी प्रदूषित होती है उस भूमि की भी उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है। मान्यवर, इसके अलावा जिन इलाकों में यह प्लान्ट लगे हुए हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो मेंहदीगंज वाराणसी में कोकाकोला का प्लान्ट लगा है, उसके चार किलोमीटर के दायरे में 15 तालाब आते हैं। मान्यवर, वह 15 के 15 तालाब सूख गये हैं। इन कम्पनियों ने दावा किया है कि रेनवाटर रिचार्जिंग के नाम पर 1728 वृक्ष लगाये गये हैं। मेहदीगंज में कोकाकोला कम्पनी ने 1728 वृक्ष लगाये हैं लेकिन उनमें से मात्र 8 वृक्ष ऐसे हैं जो रेनवाटर रिचार्जिंग काम करते हैं। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि जब हमारे क्षेत्र में वर्षा कम हो तो इन प्लान्टों को बन्द कराया जाय। जो प्लान्ट कृषि भूमि पर लगे हुए है उनको औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाये। जहां यह प्लान्ट है प्रदूषण फैला है तो उसकी जांच कराके नियमानुसार सम्बन्धित कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसमें सम्बन्धित किसानों को मुआवाजा दिया जाये। इसी तरह से कम्पनियों की ज्यादतियों के खिलाफ जिन किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने

आवाज उठायी है और उन पर मुकदमें कायम हुए हैं उन मुकदमों को वापस किया जाय। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है इस पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर श्री अनुप सण्डा जी को सुना। यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है। तब भी चूंकि यह जननीवन से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि वह इस विषय को दिखवा ले।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं बनारस से चुनकर आता हूँ। वहां की समस्याओं को इस सर्वोच्च सदन में रखने में जो आपने सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, मेरी जो यह सूचना है वह लोक महत्व का और अविलम्बनीय है। मान्यवर, इस सरकार के अस्तित्व से भी जुड़ी हुई है। मान्यवर, इस सरकार के अस्तित्व में आने से पूर्व कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वह बिगड़ी हुई थी उसमें सुधार लाने के लिए वर्तमान सरकार को लोगों ने सत्ता सौंपी है। और जिस समय सत्ता सौंपी गयी उस समय प्रमुख मुद्दा कानून-व्यवस्था ही थी। मान्यवर, वाराणसी में रोजाना घटनायें घटित हो रही हैं। वह घटनायें हत्याओं की हों, अपहरण की हों, लूट की हों, वाहन चोरी की हों, छोटी–बड़ी चोरी की हों उनके बारे में अगर दिसम्बर, जनवरी और आज फरवरी की 08 तारीख है तक का विवरण दूँ तो सैकड़ों की संख्या में विवरण पहुंच जायेगा। शायद उसको कहने के लिए आप एलाऊ भी नहीं करेंगे और न ही वह उचित होगा। सूचना से सम्बन्धित नियम भी यही है कि एक निश्चित सूचना पर आधारित होनी चाहिए जो हाल ही में घटित हुई हो। इसलिए मैंने अपनी सूचना में स्पेसिफिक घटना का उल्लेख किया है और दृष्टांतस्वरूप कुछ घटनाओं का भी इसमें उल्लेख किया है। मान्यवर, बी0 एच0 यू0 चिकित्सा संस्थान के मार्डन मेडिसिन संकाय प्रमुख प्रो0 बी0 डी0 भाटिया के लंका थानान्तर्गत सुसुवाही स्थित आवास पर दिन–दिहाड़े लाखों की चोरी की घटना घटित हुई। मान्यवर, इसी तरह से कैन्ट थाना क्षेत्र के हकुलगंज में दिनांक 02 फरवरी, 2010 की रात ताला तोड़कर सर्राफा की दुकान से लाखों का सामान चोरी चला गया। इसी प्रकार दिनांक 03 फरवरी, 20010 की रात कैन्ट थाना अन्तर्गत एक ठेकेदार के घर से भी लगभग ढाई लाख के सामान की चोरी हो गयी। भेलूपूर थानान्तर्गत आशुतोषनगर कालोनी निवासी हरिश्चन्द्र, पी0 जी0 कालेज के प्रवक्ता डा0 एस0 आर0 पाठक के घर में भी कई लाख की चोरी हो गयी। इसी प्रकार चेतगंज थानान्तर्गत काली क्षेत्र में बालाजी ज्वैलर्स के मालिक अजय कुमार को 23 जनवरी, 2010 को रोककर लगभग 50 लाख का सोना चांदी, जेवर आदि लूट लिया गया। दिनांक 06 फरवरी की रात कोतवाली थानान्तर्गत नवापुरा मोहल्ले की ज्वैलरी शाप का ताला तोड़ने की घटना हुई। कोतवाली थानान्तर्गत मध्यमेश्वचर मोहल्ले में विशम्भर सिंह की आढ़त का ताला तोड़कर

लाखों का सामान पार करने की घटना हुई। मान्यवर, इस तरह से अन्य अनेक घटनायें घटित हुई हैं।

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो काशी नगर है, विद्या का नगर है वहां बाहर से तमाम पर्यटक लोग आते है आज वहां के जो निवासी है वे इन घटनाओं को लेकर आतंकित हैं। उनके मन में असुरक्षा का भाव उत्पन्न है। जो शासन और प्रशासन के लिए चिन्ता का विषय है। यह मान्यवर प्रयास होना चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है और जो कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर सत्ता में आयी है, अन्य कारण भी दूसरे लोग बता सकते है उसके सत्ता में आने के, लोग कह सकते है कि ब्राहमणों और ठाकुरों का मत इस सरकार को मिल गया। लेकिन उस समय जो स्थिति थी वह बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा था और उसी आधार पर लोगों ने वर्तमान मुख्यमंत्री मायावती जी को एक सख्त प्रशासक मानकर उनको सत्ता सौंपी। लेकिन मुझे कहने में कोई खेद नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जो वर्तमान में स्थिति है वह कहीं से भी प्रशंसनीय तो है ही नहीं। और न उनके साख के अनुरूप है और न जनता की आशा अपेक्षा के अनुरूप है। एक घटना का मैंने इसमें उल्लेख किया है कि चोरों की इतनी हिमाकत है कि एक सर्राफा की दुकान में घुसे ताला तोड़करके और वहां जो तिजोरी थी उस तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किये और तिजोरी नहीं टूटी तो पूरी तिजोरी उठाकर ले गये और कहीं अन्यत्र उसे तोड़ने का प्रयास किये हलांकि वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी तरह से वाहन चोरियों की घटना में लगातार वृद्धि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार, हम लोगों के द्वारा बराबर हर सरकार में यह आरोप लगता है कि जो घटनाएं होती है उसकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लिखती इसलिए नहीं लिखती कि एक चेन बना हुआ है अगर जो थानाध्यक्ष है अगर उनके यहां अपराध हो रहे है तो इसका जो अल्टीमेट प्रभाव है वह एस0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0, आई0 जी0 रेंज पर पड़ता है और फिर इसका जो गृह सचिव है उन पर प्रभाव पड़ता है तो कुल मिलाकर सब लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो प्राथमिकी है उसको कम करके दर्शाते हैं।

एक घटना का उल्लेख और करना चाहूँगा 12 नवम्बर को एक घटना बनारस में हुई करीब ढ़ाई तीन लाख की चोरी हुई और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए जो तत्कालीन डी0 आई0 जी0 पी0 सी0 मीना साहब थे उनको मैंने तीन बार फोन किया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, तीन बार उन्होंने आश्वासन दिया कि आप पीड़ित व्यक्ति को थाने भेज दीजिए रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जायेगी। अंत में चौथी बार, तीसरी बार जब सफलता नहीं मिली तब मैंने कहा। और सबसे दुखद पहलू यह है कि इस घटना का उल्लेख मैंने प्रमुख सचिव गृह को लिखित रूप से दिया कि यह थानाध्यक्ष है जो औरों से अलग है और अपना हिटलरशाही चला रहा है अधिकारियों की भी नहीं मान रहे। इसलिए लोग कि उनके क्षेत्र में अपराध ज्यादा न हो जाय। जो कार्यस्थगन प्रस्ताव है इसके माध्यम से मैं वर्तमान शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ और मैं पुनः यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जिन कारणों से

अस्तित्व में सरकार आई वह कारण पूरी तरह से यह पुलिस प्रशासन के कारण फेल्योर हो रहा है, जनता की जो सुरक्षा है जानमाल की वह खतरे में है, वह आतंकित है और बनारस एक इतना महत्वपूर्ण नगर है वहां अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और जो वहां की पुलिसिंग है जिन थानों का मैंने इसमें जिक्र किया है उन थानों को विशेष रूप से चिन्हित करके वहां की पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहां के अधिकारियों को सचेत करने के लिए इस कार्यस्थगन के माध्यम से मैंने ध्यान आकृष्ट किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है, हर दृष्टि से कार्यस्थगन प्रस्ताव की जो आधार है उसके अनुसार है। आप कृपापूर्वक इसको स्वीकार कर और चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्याम देव राय चौधरी साहब को सुना। वैसे नियम 56 के अन्तर्गत में इसे अग्राह्य करता हूँ तब भी इतनी घटनाओं का जो क्रम माननीय चौधरी साहब ने इंगित किया है मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि इसको निश्चित तौर पर दिखवा लें। माननीय बैजनाथ दुबे की सूचना पर मैंने ध्यानाकर्षित कर दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे ? ऐसा यह सवाल है इस पर ऐसा उपेक्षित भाव यह सरकार प्रदर्शित करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उपेक्षित नहीं है, आपके द्वारा उल्लिखित घटनाओं के क्रम में मैंने सरकार को कह दिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है यह आपकी कृपा है लेकिन क्या सरकार कुछ भी नहीं कहना चाहेगी।

श्री अध्यक्ष–

बोलेगी, सरकार बोलेगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैंने कहा कि वहां की पुलिसिंग व्यवस्था ठीक करे, जो लोगों के जानमाल के हिफाजत के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वह कदम उठाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

सरकार को बुलवाया जायेगा, आप निश्चिंत रहिये। माननीय मंत्री जी, चौधरी साहब ने बोल दिया है उस पर मैंने ध्यान आकर्षित किया है उसको आप दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो बोल दिया, अब आप बैठें।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड अलग हो जाने के बाद मथुरा का मैप पर्यटन के दृष्टिकोंण से बहुत बढ़ गया है और ताजमहल की सुरक्षा के दृष्टिकोंण से पर्यावरण पर असर न पड़े इसलिए ताज ट्रिपेजियम जोन बनाया गया था और उसमें प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों ने ही एक सामूहिक निर्णय लिया था कि ताज ट्रिपेजियम जोन को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी। मान्यवर, मथुरा जनपद में मथुरा गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल, वृन्दावन, वन्दव ये ऐसे तीर्थस्थल हैं जहां लाखों तीर्थयात्री विदेशों से आते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के कमिटमेंट के बावजूद उन शहरों में तो पांच-छः घण्टे बिजली आती है और देहातों में सात-आठ घण्टे बिजली आ पाती है। मान्यवर, आने वाले तीर्थयात्री त्राहि-त्राहि करते हैं, परिस्थिति यह है कि बिजली न आने के कारण पानी नहीं मिलता है और रोज ही स्थिति बेकाबू हो जाती है और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की स्थिति आ जाती है। आज स्थिति यह है कि कई बार अधिकारियों से कहे जाने के बावजूद भी, आपके यू0 पी0 पांवर कारपोरेशन के एम0 डी0 साहब से भी कहा गया, मा0 मंत्री जी से भी कहा गया, मा0 मंत्री जी भी कहते हैं कि बिजली सप्लाई करूँगा। तारों की स्थिति बहुत खराब है वह बिल्कुल झूल रहे है केन्द्र सरकार ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 से स्वीकृत पैसा आया था लेकिन सरकार द्वारा इसका उपभोग ठीक से नहीं किया जाता है और ताज ट्रेपिजियम जोन के अन्तर्गत यह आपूर्ति पूर्व की सरकारों में मथुरा जनपद में सरकार 24-24 घण्टे होती थी अब पाँच–छः घण्टे हो रही है इससे देश विदेश में सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्य स्थगन कराकर चर्चा कराने की मांग करता हूँ और यह भी अनुरोध करता हूँ कि मथुरा जनपद के सभी वृन्दावन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन क्षेत्रों में बिजली की अबाध आपूर्ति की जाय और मैं यह भी चाहूँगा कि आप इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 प्रदीप माथुर जी को सुना, वैसे इनकी सूचना नियम 56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ फिर भी मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ठीक है।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 मंत्री जी, कुछ तो बोल दें, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद ही मिलेगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, महिलाओं को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

विशेष उल्लेख में तीन लोगों का, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा और जनार्दन प्रसाद ओझा जी का है। फातिमा जी आपको भी विशेष उल्लेख में सुना जायेगा।

*डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का आपने मौका दिया है मैं नियम 56 की ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। हम शहर के विधायक हैं और इसीलिए हम लोग हमेशा परेशान रहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना आदि में गरीबों के लिए आवास बनते हैं लेकिन शहरी क्षेत्र में आवास नहीं बन पाते हैं और इसीलिए जब मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना घोषित हुई थी तो हम लोगों ने तहेदिल से इसका स्वागत किया था।

मान्यवर, अब तो धीरे-धीरे गरीबी का शहरीकरण हो रहा है, इसलिए शहर के गरीबों को इस आवास की सख्त जरूरत है हम सब इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं इस योजना के दो पक्ष हैं, आवास का बनना और आवास का बंटना। आवास के बंटने से भी हम सब पूरी तरह से संतुष्ट थे क्योंकि गोरखपुर में अगर 40 हजार आवेदन आये तो दो बार, तीन बार जांच करा करके जो वास्तविक लाभार्थी थे, उस सूची को जिला प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया। । जिन्हें लाभ मिलना चाहिए था उन्हें लाभ देने का प्रयास किया गया। प्रश्न यह नहीं है प्रश्न यह है कि हम उन्हें दे क्या रहे हैं ? गरीबों को हम आवास देने के नाम पर योजना चला रहे हैं। गोरखपुर में बैठे हुए अधिकारी उसे गरीबों को कब्रदान बनाये दे रहे हैं मेरा विषय यहां तक सीमित है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा, आवास हमारा बन करके मल्टीस्टोरी तैयार हो गया और बहुमंजिली इमारत का एक छज्जा बिना किसी चीज से लड़े अपने आप ढह गया। एक ट्रैक्टर वापस जा रहा था वह लौटते समय एक दीवार से थोड़ा सा छू गया, पूरी दीवार गिर गयी। यह दो खबरें एक हफ्ते के अन्दर जब छपीं तो मैं उनका निरीक्षण करने गया। मैंने स्वयं उस समय के गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय को सूचित किया और वो स्वयं वहां पर थे। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, ईटों का प्रयोग हम लोग भी करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन उन ईटों को तोड़ दीजिए तो पूरी भरभराकर हाथ में आ जाती है। उसके बाद मैं ऊपर बालकनी में चढ़ा, बनी-बनायी दीवार की ईंट को पकड़ करके मैंने हिलाया तो वह ईंट भी चली आयी और उसमें जो मसाला लगाया गया था वह उससे भी घटिया था। बिजली के तार लगाये गये थे उन तारों को मैंने खींचा तो पूरा तार टूटकर हाथ में आ गया। खिड़की लगायी गयी थी, मैंने लोहे के ग्रिल को मोड़ने का प्रयास किया, मैं मजबूत आदमी नहीं हूं लेकिन वह ग्रिल मुड़ने लग गयी। जो वहां के अधीक्षण अभियन्ता थे उनसे मैंने कहा कि इसका मानक बता दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इनकी जांच करा लीजिए क्या कारण है कि यह जो चीज छूते हैं वह टूट जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने उनसे मानक पूछा तो वह लोहे के ग्रिल के मानक बताने की स्थिति में नहीं थे। यही स्थिति पाइप की थी, जब मैंने पता किया तो पता चला कि वह भराई की मिट्टी पर खड़ी हुई बहुमंजिली इमारत है। हम लोगों को जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उसे मैं कह रहा हूं जो उसकी पाइलिंग की गयी है यदि उसकी जांच करा ली जाये तो वस्तुतः बहुमंजिली इमारत के लिए जितनी पाइलिंग होनी चाहिए, उतनी पाइलिंग भी उसमें नहीं है। मान्यवर, गोरखपुर भू-कम्प के क्षेत्र से माडरेट रिस्क जोन में आता है और थोड़ा भी भू-कम्प अगर आ जाये तो गोरखपुर की जो पहली इमारत गिरेगी तो वह काशीराम आवास योजना की गिरेगी। मैंने साफ कहा कि मैं इस योजना का विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि समर्थन कर रहा हूं, मैंने यह भी नहीं कहा कि इसके आवंटन में धांधली हुई, लेकिन जो हम देने का प्रयास कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर हम सभी चिन्तित हैं। होता यह है कि जब अधिकारी वहां से चला जाता है उसके बाद उसकी जांच होती है और जो उसके वास्तविक दण्ड मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिलता है। इसमें मैं मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जांच अभी होनी चाहिए ताकि अधिकारियों के वहां रहते हुए जांच हो और अगर सचमुच जैसा मैं कह रहा हूं वैसा पाया जाये तो उन्हें दण्डित किया जाये जिससे कि एक संदेश जाये कि जिस गुणवत्ता के लिए उन्हें धन दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग न हो।

श्री लाल जी वर्मा–

प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योजना शुरू की है और मैं डा0 अग्रवाल साहब को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित तौर पर इसकी समयबद्ध जांच करायी जायेगी और जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। इसके बाद मैं एक मिनट में श्री अमरमणि त्रिपाठी जी को सुनूंगा।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गुणवत्ता के बारे में आपके समक्ष, पूरे सदन के समक्ष अपनी बात रखी। मान्यवर, इसी प्रकार से हमारे यहां महाराजगंज जनपद, एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ नेपाल, वहां तक हमारी सरकार की दृष्टि ही नहीं पहुंच रही है जिसके कारण जो भी सरकार से पैसा जा रहा है, उसको अभियन्तागण आपस में बंटवारा करके हड़प ले रहे हैं। गत दिनों मान्यवर, सरकार ने 18 करोड़ रुपये बाढ़ राहत के लिए जारी किये कि जो बाढ़ में सड़क पुल, पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, उनकी मरम्मत करा दी जाये। मान्यवर, मरम्मत तो दूर वह 18 करोड़ रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता ने पूरा का पूरा फर्जी भुगतान करके अपनी जेब में रख लिया। हम लोगों ने आदरणीय ओझा जी ने, श्रीपति जी ने, सभी लोगों ने इस विषय को उठाया, लोकायुक्त के यहां उठाया, जांच हुई, उसमें एक तहरीर अधीक्षण अभियन्ता महोदय ले जाकर दे देते हैं और मामूली धारा में एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और दूसरे दिन उन्हें निलम्बित कर दिया जाता है। चौथे दिन बहाल करके फिर उसी पद पर तैनात कर दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं है लेकिन चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है, मा0 कृषि मंत्री जी, पशुधन मंत्री जी व अन्य तमाम लोग बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री (श्री भगवती प्रसाद सागर) जी इधर बैठ जाइये।

(श्री भगवती प्रसाद सागर संसदीय कार्यमंत्री के आसन पर बैठ गये)

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मा0 अध्यक्ष जी, इनका परिचय दे देते तो हम लोग सोचते कि सही आदमी को अपनी बात सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

हम बता देंगे।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, अगर आप उठ करके अपना परिचय दे दें तो हम लोग भी जान लें।..

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री कह करके आमंत्रित किया है तो स्वाभाविक रूप से मंत्री जी हैं। आप अपनी बात कहिये। मा0 मंत्री जी को आमंत्रित किया है, यह बैठे रहेंगे और आपकी बात को सुनेंगे। आप बोलिये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

क्यों मान्यवर, आपको मेरी बात सुनायी दे रही है। (हंसी) अध्यक्ष जी, सरकार सामने बैठी हुई है और इतनी दुर्बल दिखायी दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मा0 कृषि मंत्री जी आपसे आग्रह है कि उस पद को सुशोभित करें ताकि हम लोग अपनी बात को रखें और गरिमा महसूस करें कि सरकार सुन रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात सुनाइये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह गत दिनों जितना भी पैसा हमारे जनपद महराजगंज को करोड़ो-करोड़ प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना व अन्य योजनाओं में दिया गया। अभी पूरी तरह से सड़कें बन करके तैयार नहीं हुई, खाई हो गया है, खन्दक हो गया है कमर भर गड्ढा हो गया है प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना की

सड़कों में। इस तरह की गुणवत्ता की सड़कें बन रही है। इसलिए कि वह निविदायें जो सार्वजनिक रूप से अखबारों में प्रकाशित होनी चाहिए, नियमानुसार उसका टेण्डर होना चाहिए परन्तु हमारे जनपद में नहीं हो रहा है। सारे अभियंतागण अपने भाई-भतीजे, भान्जे और तमाम मित्र, इष्ट को ले गये हैं जिनका फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर, फर्जी तरह से निविदायें कराकर वह सरकार से करोड़ों-करोड़ रुपया जा रहा है, वह हमारे अभियंतागण से ले रहे हैं, अभियंतागण लेकर के आपस में वितरित कर ले रहे हैं। वास्तविक तौर पर जो सरकार की मंशा है, सरकार की अम्बेडकर गांव योजना है, सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना है, सरकार की और तमाम योजनायें हैं जो हमारे जनपद में पूरी तरह से लागू नहीं हो रही है। वहां भ्रष्ट अभियंताओं के कारण, भ्रष्ट ठेकेदार कैसे कहा जाए, उन्हीं के भाई-भतीजे हैं तो आपस में मिलकर यह लोग ले ले रहे हैं। (मा0 संसदीय कार्यमंत्री के अपने आसन पर पधारने पर) मान्यवर, अब तो पूरी सरकार आ गयी है। मैं चाहूंगा, मेरी बात शायद न सुनें हों तो दुबारा नहीं कहना चाहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जनपद महराजगंज में राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, ए0के0 सिंह, अधिशासी अभियंता, अन्य तमाम अधिशासी अभियन्तागण ने जो बिना प्रकाशित हुए टेण्डर कराकर फर्जी तरीके से करोड़ो-करोड़ रुपये का घोटाला किया है, कृपया उसकी जांच करा लें जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप वहां पर निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सके। मै यही आदरणीय मंत्री जी से चाहूंगा कि खड़े हो करके दो मिनट हमारी बात का संज्ञान ले लें और आश्वस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। अतः अग्राह्य करता हूं परन्तु जिस विषय की तरफ इन्होंने उल्लेख किया है, कृपया मा0 मंत्री जी उसे दिखवा लें। अगली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है कृपया दो मिनट में अपनी बात रख दें। 10 मिनट के बाद मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलवाना है, वैसे ही आधा घण्टा लेट हो गये हैं।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मैं लखनऊ जनपद की एक विशेष समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। लखनऊ जनपद में खन्न माफियाओं ने अपना आतंक फैला रखा है कि गोसाईगंज के सरसवां गांव और इसके आस-पास जितनी भी जमीन है वहां पर भू-माफिया मिट्टी का खन्न करने का काम कर रहे हैं और 10–20 फुट तक गड्ढे नहीं खोद रहे हैं बल्कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वह 80-80 फुट तक गड्ढे हो गये हैं जिससे पाताल तोड़ कुएं की तरह पानी निकल रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। पहली बात यह कि लखनऊ के भू-गर्भ विभाग के रीडर हैं उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी रिपोर्ट दी है कि व्यापक पैमाने पर खन्न करने से सरसवां और उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आस-पास के गांवों में आने वाले वर्षों में विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसका सबसे बुरा प्रभाव यह होगा कि मानसून आते ही आस-पास के भूमि की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ इन विकराल गड्ढों में भर जायेगी और आस-पास का बड़ा इलाका कुछ वर्षों में बंजर होने लगेगा। इन्होंने यह भी कहा है कि मिट्टी निकलने से प्राकृतिक भू-दृश्य परिवर्तित होना तय है। भू-तल तक खुदाई करने से गन्दगी और कूड़ा कचड़ा भू-गर्भ जल श्रोत प्रदूषित करेगा जो कभी शुद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ आस पास के लोग इस जल का प्रयोग करेंगे और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आएंगे कुल मिलाकर धरती की कोख बांझ हो जाएगी। यह लखनऊ विश्वविद्यालय के रीडर साहब की रिपोर्ट है इसी संदर्भ में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जहां पर मिट्टी की कटान हो रही थी तो आइसामऊ के किसान भानुप्रताप और उसके मौसेरे भाई विक्रम सिंह सोमवार रात एक बजे अपने खेतों को देखने निकले वहां पर इनको देखकर डम्पर और जे0सी0बी0 वाले भागे उस डम्पर से विक्रम सिंह की मौके पर मौत हो गयी और भानु प्रताप गम्भीर रूप से घायल हो गये डम्पर पकड़ लिया गया लेकिन यह समस्या गम्भीर है। वहां पर हाई टेंशन तारों का टावर लगा हुआ है। अगर इत्तेफाक से यह मिट्टी और कट जाय तो यह जो हाई टेंसन टावर लगे हुए हैं यह सब गिरेंगे तो लाखों करोड़ों की क्षति इसमें होगी और जन-धन की भी इसमें हानि होगी। यह 400 के0वी0ए0 के टावर लगे हुए हैं यह छोटे-मोटे टावर नहीं हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश में जो भू–माफिया हैं इस तरह से मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं इस पर गम्भीर चिन्ता प्रकट करने के लिए यह विषय यहां पर रखा गया है। इसे काम रोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री विद्या सागर गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने काम रोको के रूप में उठाया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार ने लखनऊ जनपद में इसकी खुदाई करने के कोई आदेश नहीं दिए होंगे 70-80 फीट जो यह खुदाई हो रही है। 100 मील दूर दूसरी खुदाई करने की अनुमति दी गई है। लेकिन भू-माफिया जो ठेकेदार हैं वह अपनी मर्जी से लखनऊ जनपद में 70-80 फीट की खुदाई कर रहे हैं जो आने वाले समय में घातक होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करते हुए वहां पर जो इंजीनियर हैं जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय और यह खदान रोकी ज़ाय।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लखनऊ में जो अवैध खनन चल रही है मेरी विधान सभा क्षेत्र की शारदा नहर को नाली बनाया जा रहा है। पूरी नहर को पक्का किया जा रहा है। गोमती नदी के किनारे मिट्टी की पटाई हो रही है उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए पूर लखनऊ में जगह-जगह खदान का कार्य हो रहा है। हजारों ट्रक जे0सी0बी0 और डम्पर खदान कर रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे पूरे लखनऊ का पर्यावरण खराब हो रहा है रोडों पर चलने वाले लोग धूल, गर्द के कारण बीमार हो रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि जे0सी0बी0 और डम्पर से अभी तक लखनऊ में पच्चीसों इंजीनियरिंग के छात्र, सरकारी कर्मचारी व अन्य लोगों की अभी तक मौतें हो चुकी हैं। सरकार द्वारा अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है समय पर अधिकारी जाकर आश्वासन जरूर दे आए हैं लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। आज मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय तिवारी जी को सुना, माननीय गुप्ता जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इसलिये अग्राह्य करता हूं। तब भी दिखवा लिया जायेगा कि अगर कहीं कोई अनियमितता हो रही होगी तो माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

मान्यवर, उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि इसको दिखवा लिया जायेगा। माननीय मंत्री जी, यह अगर कहीं इस तरह से हो रहा होगा तो इसको दिखवा लीजियेगा।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा सरकार के भी संज्ञान में लाना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनमें कक्षा 9 के विद्यार्थियों को आज 8 फरवरी हो गई है अब तक अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें नहीं मिली है। न तो यह वहां पर मिली हैं और न यह बाजार में उपलब्ध है। यह कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। वर्ष 2009-2010 का जब शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था तो उस समय सरकार ने यह नीति बनाई थी कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाय। पहले 3 प्रश्न-पत्र होते थे उनको खत्म करके एक प्रश्न-पत्र कर दिया उसी तरह से 3 पुस्तकों के स्थान पर एक पुस्तक कर दी गई। उस समय छात्रों को यह आश्वासन दिया गया था कि जुलाई माह में ही उन्हें पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेंगी। जुलाई का महीना बीत गया बच्चों को पुस्तकें नहीं मिली। उसके बाद सितम्बर का महीना आया

मान्यवर सितम्बर, 2009 में मान्यवर बच्चों को सिलेबस मिल गया। सिलेबस तो मिल गया परन्तु पुस्तकों का दूर-दूर तक ठिकाना नहीं था। आज 8 फरवरी हो गयी है लगभग डेढ़ महीने के बाद हो सकता है कि उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाय। मान्यवर, वो बच्चे क्या करेंगे ? क्योंकि उन्हीं बच्चों को दसवीं में बोर्ड की परीक्षा भी देनी है और अभी तक पाठ्य-पुस्तकों का पता नहीं है। मैं इसलिये आपसे कह रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा सवाल है और बच्चे निश्चित रूप से किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम सोच सकते हैं कि आने वाली नस्लों का भविष्य क्या होगा। इसी सदन में तमाम सदस्यों ने दलगत सीमाओं से ऊपर उठ करके आत्म हत्या करने वाले बच्चों के विषय में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जरा उन बच्चों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइये मानसिक संताप का। जिनकी परीक्षा सिर पर है और उन्हें आज तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, वे बच्चे परीक्षा में क्या करेंगे। और जब यह बच्चे हाई स्कूल में अनुत्तीर्ण हो जायेंगे फेल हो जायेंगे तो वो बच्चे आत्म हत्या की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित रूप से तब सरकार आत्म हत्या के उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। हालत तो यह है कि बच्चों की मुस्कुराहट लाने के लिये लोग क्या-क्या नहीं करते ? किसी शायर ने कहा था कि घर से मस्जिद तो बहुत दूर हैं चलों यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाय और यह सरकार रोते हुए बच्चे को हंसाना तो दूर। हंसते हुए बच्चे को मालूम नहीं क्यो रुलाना चाहती है। मेरी आपके माध्यम से इन लोगों से यह प्रार्थना है कि कृपया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय। उनको जितनी जल्दी हो सके उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें अविलम्ब उपलब्ध करा दी जायं। देर तो बहुत हो चुकी है। कम से कम जहां भी गलती सुधार ली जाय वहीं समय बहुत होता है। चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को बोलना है इसलिये मैं अपनी बात को, जान रही हूं कि समय ज्यादा हो रहा है, समाप्त करते हुए इतना कहूंगी कि यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सरकार ने अपनी चिन्ता भी इसके प्रति प्रदर्शित की थी, तमाम सदन ने अपनी चिन्ता प्रस्तुत की थी कि बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। लेकिन यह वह रास्ता है जो निश्चित रूप से बच्चों के सुनहरे भविष्य को चौपट कर देगा इसलिये मैं कह रही हूं कि सदन की तमाम कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, सभी माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त पुस्तकें हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शादाब फातिमा जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूं।

*श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं आपके कि आपने हमको अपनी बात रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश की सुरक्षा से संबंधित है। मान्यवर, आज नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा 74 किलोमीटर साथ-साथ जाती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार माओवादियों का एक जत्था प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराजगंज जिले के जंगलों में प्रवेश कर चुका है। कभी नेपाल और भारत के विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में बहुत मधुर थे। रोटी-बेटी का संबंध बना हुआ था। नेपाल को राणाशाही से बचाने के लिए हमारे नेता जय प्रकाश नारायण, डा0 लोहिया रामानन्द जी कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना बलिदान दिया था । बी0 पी0 कोइराला को हमारे शहर में 15 दिन रहना पड़ा था झुककर के, इस सारे रिश्तों को भूल करके आज वहां का पूर्व प्रधानमंत्री प्रचन्ड सीधे-सीधे कहना है कि भारत ने हमारे हिस्से को कब्जा कर रखा है और अकेले महाराजगंज के 126 गांव को वह नेपाल की सीमा में दिखाने का नक्शा बना रहा है। यह गम्भीर मामला है। इसलिए और भी गम्भीर हो गया है कि इस देश का सबसे बड़ा माफिया नाम नहीं लेना चाहता हूं। डी0 एन0 कम्पनी ने भी वहां जाकर नेपाल में अड्डा बना लिया है। डी0 एन0 कम्पनी और प्रचन्ड दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो गई है। दोनों मिलकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। आए दिन विस्फोट हो रहा है अभी पौने दो लाख का कल जाली नोट पकड़ा गया है, सीमेन्ट पकड़ा गया है। जो आपराधिक गतिविधियां हैं वह डी0 एन0 कम्पनी और माओवादी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा जो आपकी व्यवस्था है वह नाकाफी है वह पर्याप्त नहीं है एक एडीशनल पुलिस फोर्स जब तक आप नहीं लगायेंगे, क्योंकि वह खुली सीमा है बंदिश नहीं है, सुबह आदमी उठता है शौच के लिए नेपाल के क्षेत्र में चला जाता है। कोई बंदिश नहीं है आना-जाना लगा है, यहां खाता है वहां जाकर सोता है तो जितने अपराधी हैं उनकी शरणस्थली बनी हुई है। सबसे माओवादियों ने अपना रिश्ता कायम कर रखा है। खतरनाक बात यह है मान्यवर, माओवादी चीन से प्रभावित हैं चीन उकसा रहा है नेपाल को और नेपाल माओवादियों ....

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आ गया, समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माओवादियों को प्रचन्ड बल दे रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस मामले में चर्चा हो और एक अतिरिक्त सुविधा बल प्रयोग होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

जरूरत पड़े तो प्रदेश सरकार को तैयार रहना चाहिए ताकि माओवादी और प्रचन्ड की जो नीयत है उसका पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद ;

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने नियम–56 में इस सूचना को दिया था इसको विशेष उल्लेख में मैंने सुना है। इन्होंने महाराजगंज, सिद्धार्थनगर नेपाल की सीमाओं पर माओवादी गतिविधियों की स्थिति से अवगत कराया है, यह महत्वपूर्ण विषय है इसको दिखवा लें और शेष सूचनायें अग्राह्य की गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010–2011 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अभी मैंने समितियों के गठन के संदर्भ में सूचना दी है इस संदर्भ में आपका कोई प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010-2011 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति" और "मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों" में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त सभी समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2010-2011 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2010"2011 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", तथा "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति" और "मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों" में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक

निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2010-2011 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2010-11 का यह बजट बिल्कुल ही दिशाहीन है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बिल्कुल ही निराशाजनक है और यह भ्रामक और झूठ का एक पुलिन्दा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष का यह बजट है। मान्यवर, इसमें बहुत विचार होना चाहिए था, बहुत सोच-समझ कर यह बजट प्रस्तुत करना चाहिए था और इस बजट में सरकार में बैठे हुए लोगों का संकल्प भी होना चाहिए था। मान्यवर, जब पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया था तो बहुत सी घोषणाएं भी की गई थीं, कहा गया था कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप की नीति के तहत् समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे और कहा गया था कि किसानों की आमदनी को हम दोगुनी करेंगे और कहा गया था, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या को हम आधी करेंगे और प्रदेश की विकास दर को 10 प्रतिशत पर लायेंगे, किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन इस बजट में कहीं पर इस पर विचार नहीं किया। किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। कहा था कि गरीबी का जीवनयापन कने वाले लोगों की संख्या कम करेंगे लेकिन गरीबी का जीवनयापन करने वालों की संख्या और बढ़ी है और मान्यवर, यहीं तक नहीं यह जो पिछले वर्ष बजट पेश हुआ था, उस बजट का अभी तक आधा भी बजट, अब तो दो महीने से भी कम ही समय बचा है, लेकिन अभी तक आधा भी बजट खर्च नहीं हुआ है और जब बजट ही खर्च नहीं हुआ है और अभी आगे का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मान्यवर, वैसे तो मैंने कई बार अधिकारियों से, प्रमुख सचिव, वित्त से भी सूचना मांगी, बात करके भी मांगी, लिखित में भी मांगी लेकिन एक भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी। कहीं पर सूचना प्राप्त नहीं हुयी। मान्यवर, वैसे तो हमारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सामान्य आर्थिक परिदृश्य में यह जो लिखा है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर, यह मेरी समझ में नहीं आया और दूसरा जो यह सेकेण्डरी सेक्टर और तीसरा टरशरी सेक्टर का योगदान, यह मेरी समझ में नहीं आया, अंग्रेजी का शब्द है। माननीय वित्त मंत्री जी, इन शब्द पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें एक मिनट में, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ायें। मेरी समझ में यह नहीं आया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मैं जब आपका उत्तर दूंगा तो उस समय प्रकाश डाल दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अभी डाल दीजिए तो हम आगे बढ़ें। मान्यवर, जब मैंने सूचना मांगी थी तो प्रमुख सचिव, वित्त और आपके अधिकारी के यहां से अगर उसी समय इसकी सूचना आ जाती तो उसी समय समझ में आ जाता तो मैं क्यों यहां पर इस बात को कहता। लेकिन आपने भी अभी तक नहीं बताया। मैंने अपने विधायकों से पूछा, शायद अगर आपका कोई विधायक जानता हो तो वह ही बता दे। हमने तो अम्बिका चौधरी जी से भी पूछा, हम जानते थे कि यह जानते होंगे, वह भी नहीं बता पाये। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी अगर जानते हों तो वह बता दें। जब ऐसे शब्द जो किसी की समझ से परे हैं और अधिकारियों को फुरसत नहीं है, जब अधिकारी बिलकुल निरंकुश हो गये हों, तो देखिये जो बजट पिछले वर्ष प्रस्तुत किया था अभी तक ऊर्जा विभाग का केवल 58 प्रतिशत 25 आबकारी विभाग 76.92, आवास विभाग–48.42, कृषि और सम्बद्ध विभाग 57.94ए भूमि विकास जल संसाधन विभाग 53.55, कार्मिक विभाग 82,88, खाद्य एवं रसद विभाग–103.94 यह तो खर्च हो गया। लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला। आपको पता ही है कि इसमें घोटाले हो गये। इस विभाग में घोटाले हो गये। गेहूं खरीद में घोटाला हो गया। धान खरीद में घोटाला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में कितना धान पैदा होता है, वहां तो खरीद हो गयी और वहां पर, आपके वहां पता है कि चावल की लेवी इस वर्ष हो नहीं रही है, केवल माननीय मंत्री जी होंगे खाद्य और रसद, केवल उन्हीं के आस-पास हो रही है, और पूरे प्रदेश में न अरवा न सैला की कहीं पर भी खरीद नहीं है। धान किसान लुट गया, वैसे भी तो आपको पता है कि धान बहुत कम पैदा हुआ, अगर पूरा धान पैदा हो जाता तो धान में किसान की कितनी बरबादी हो जाती। तुम्हें इसलिये बताना चाहता हूं कि आपने पिछले वर्ष कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, इसलिये मैं बताना चाहता हूं और यहीं पर आपको बताना चाहता हूं कि खेल का बजट अभी तक खर्च हुआ है 36.43, गन्ना और चीनी का भी हुआ है 61.42, गृह/पुलिस का 73.78, राज्यपाल सचिवालय का 51.10 चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण 67.51, नगर विकास 31.29, नियोजन 42.68, न्याय 54.00, निर्वाचन 69.36, परिवहन 63,47, पर्यटन 27.71, पर्यावरण 14.66, प्राविधिक शिक्षा 41.78, मुस्लिम वक्फ 22.14, बाल कल्याण 62.00, दैवीय आपदा 46.98। अब दैवीय आपदा में कितना आपने बांटा है सूखा भी पड़ गया, बाढ़ भी आ गयी और इधर ठण्ड से भी लोग मरे हैं और बजट आपके पास रखा रहा।

मान्यवर, यह तो बजट का हाल है और इसी लोक निर्माण में 78.42, लोक निर्माण विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 43.28, राज्य संपत्ति 70.62, वन विभाग 42.44, वित्त विभाग 77.44, प्राविधिक शिक्षा 61.32, माध्यमिक शिक्षा 66.42, उच्च शिक्षा 53.42, श्रम 75.33, समाज कल्याण 20.88, अनुसूचित जातियों 44.3, सूचना 47.3, संस्थागत वित्त 75.80, सिंचाई 74.59। यह आधा भी बजट आपका खर्च नहीं हुआ तो अब बजट हो गया है आपका 2010 ओर 2011 का और पिछला बजट अभी तक खर्च भी नहीं हो पाया है और डेढ़ महीना बचा है, लगभग डेढ़ महीना से कुछ ज्यादा है लेकिन अब इस बजट का बंदर बांट भी होगा। जब 9 महीने-10 महीने में खर्च नहीं हुआ तो डेढ़ और दो महीनों में अब इस बजट को खर्च किया जायेगा। यह तो भ्रष्टाचार है और इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। मान्यवर, इस सरकार ने तीन वर्ष कर लिये हैं, अब आपको देखना चाहिए था, 3 साल में निवेश कितना हुआ है और हम 3 साल में कहां पर पहुंचे हैं। लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं, अब सामने आना चाहिए था योजनायें जो थी उनकी उपलब्धियां आनी चाहिए था। कुछ नहीं आया और दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास वर्ष 2002-2003 में 5.2 प्रतिशत आंकलन किया गया था और 2006-2007 में 7.2 प्रतिशत और 2007-2008 में 7.2 प्रतिशत आकलन किया गया था और आज की विकास दर आंकलन कितना है, आज का तो आपके बजट में 5.2 तो विकास दर फिर घटा है, बढ़ा नहीं। तीन साल में मान्यवर विकास दर घटी है और इस किताब में तो लिखा है कि हमने बहुत विकास कर लिया। जब विकास दर आपकी घटी है तो फिर केन्द्र से भी जो मदद मिलती है, वह भी नहीं मिलेगी और फिर यहां पर घोषणा हो जायेगी कि मैंने तो पत्र लिख दिया और जब हमारी सरकार थी तब विकास दर 2002-2003 में और हम बढ़ा कर के ले गये थे 7.2 और जब हमने आपको सरकार को दिया था तब 24 हजार करोड़ रुपया छोड़ा था खजाने से और आपने अभी तीन साल होने के बाद घाटे का बजट पेश कर दिया और बजट पूरा खर्च भी नहीं हुआ। अब आ जाइये राजस्व पर, कितना आपने राजस्व बढ़ाया, आपको राजस्व बढ़ाना चाहिए था, हमने बढ़ाया था, हमारी सरकार ने बढ़ाया था राजस्व को। आपने तो राजस्व, विगत इसका लक्ष्य था 21616 करोड़ रुपया और आपने वसूली की है 9037.84 यानी 41.8 प्रतिशत, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क 5351.2 यह था लक्ष्य और प्राप्त किया आपने 1932.16 यानी 36 प्रतिशत, आबकारी शुल्क 5501.43 और आपने प्राप्त किया है 2705.56 यानी 49.2 प्रतिशत, वाहन यात्री कर 1999.89 और आबकारी विभाग में तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, प्रतिदिन राजस्व की हानि हो रही है। 20 करोड़ रुपये प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति आबकारी माफिया को देने से, तो एक महीने में कितना हो रहा है 600–700 करोड़, तो यह राजस्व की हानियां हो रही है। जब राजस्व नहीं बढ़ेगा तो फिर विकास का काम कैसे होगा ? नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरीके से मनोरंजन कर 183.17 और वसूली हुई है 67.42 यानी 36 प्रतिशत, भू-राजस्व 181.2 लक्ष्य, केवल भू-राजस्व में आपने लक्ष्य प्राप्त किया है। मान्यवर, तो इसमें तो आपने जनता को लूट लिया। प्रदेश में इस बार कुछ भागों में सूखा पड़ा था तो कुछ भागों में सूखा पड़ा था तो कुछ भागों में बाढ़ भी आयी थी। इसी में आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। स्टाम्प ड्यूटी में सर्किल रेट चलता है आपने उस सर्किल रेट को भी बढ़ा दिया है जहां पर तीन हजार रु0 था उसको बढ़ाकर दस हजार रु0 कर दिया है या तेरह हजार रु0 कर दिया है। आप एक तरफ जनता को विकास का कोई लाभ भी नहीं दे रहे हैं दूसरी तरफ उनको लूट भी रहे हैं। इसलिए मैं उस दिन कहा था कि यह घोटालों और घपलों की सरकार है। इसमें विकास के नाम पर हम पीछे जा रहे हैं हमारी राजस्व वसूली भी घट गयी है। इसी तरीके से आपकी विभागीय राशि भी घट रही है।

लोक निर्माण विभाग के बजट 2009-10 में सड़कों और सेतु के लिये 7657 करोड़ रु0 का प्राविधान था वह बजट राशि इस वर्ष घटाकर मात्र 5808 करोड़ रु0 कर दी गयी है तो आप बतायें कि कैसे विकास बढ़ेगा जब आपका बजट ही पीछे चल रहा है। आज महंगाई कितनी हो गयी है। मंहगाई के बारे में आप जानते ही हैं कि गिट्टी कितनी महंगी हो गयी है सीमेंट ईंटा कितना महंगा हो गया है। लेबर कितनी महंगी हो गयी है। ऊपर से गुंडा टैक्स एक नया टैक्स चला है वह अलग से वसूला जाता है। वह सहारनपुर में अलग से चल रहा है बुदेलखंड में अलग से चल रहा है। मान्यवर, अभी यहां पर खनन की बात चल रही थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि खनन के संदर्भ में अपने यहां नीवं कोई नहीं खोद सकता है। उसके ऊपर टैक्स लग जायेगा। अगर कहीं अपने खेत से ही मिट्टी की जरूरत पड़ गयी तो मिट्टी भी नहीं ले सकता है। उस पर भी गुण्डा टैक्स वसूला जायेगा। आपका राजस्व घट रहा है और लूट हो रही है। पूरे प्रदेश में इस तरीके से लूट हो रही है। सिंचाई विभाग का बजट ले लें। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 6231 करोड़ रु0 था जो इस बार घटाकर 5485 करोड़ रु0 हो गया है। आपकी नहरें चली कितनी हैं। पिछले वर्ष जब लास्ट पानी की जरूरत थी तो पानी नहीं मिल पाया। इस वर्ष बुवाई के समय तक फसल बोने के बाद तीन माह तक कोई नहर नहीं चली और फसल को पानी भी नहीं मिला। ऊपर से सूखा पड़ा फिर भी पानी नहीं मिल पाया। बिजली नहीं मिली। ऊपर से इस बार आपका सिंचाई विभाग का बजट भी कम हो गया है। इसी प्रकार से बताना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का बजट जो पिछली बार 6503 करोड़ था वह इस बार घटकर मात्र 4758 करोड़ रु0 कर दिया गया है। इसमें भी आपने बजट इस बार घटा दिया है। बीमारियां बढ़ ही रही हैं। स्वाइन फ्लू, मस्तिष्क ज्वर और अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत सी बीमारियों के कारण मौतें भी हुई हैं। अस्पतालों में डाक्टर भी नहीं हैं दवायें भी नहीं हैं। आज कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ी हैं हार्ट की बीमारी है बहुत सी बीमारियां बढ़ी हैं जिसमें अगर डाक्टर हैं तो दवा नहीं और दवा है तो डाक्टर नहीं और सीएचसी और पीएचसी किसी में चले जाइये, किसी भी अस्पताल में दवाएं नहीं और यहां तो बजट घटा दिया गया और इसी

तरह से कृषि और कृषि से सम्बन्धित विभाग का 11 हजार 64 करोड़ जिसको इस वित्तीय वर्ष में घटाकर 4 हजार 125 करोड़ रुपये कर दिया। बताइये, कृषि में, कृषि प्रधान यह देश है और प्राइमरी सेक्टर है तो मुझे तो यही लगता है कि इसीलिए बदल दिया कि कोई समझेगा नहीं और हम लोग तो समझे भी नहीं थे पहले, समझे भी नहीं। तो 11 हजार 64 से घटाकर 4 हजार 125, तो इससे तो यह साबित हो गया कि यह किसान विरोधी सरकार है। सबसे ज्यादा बरबाद किसान ही है इस समय, मंत्री जी सबसे ज्यादा दुखी आपने तो कहा था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे बजट आधा कर दिया तो इस बजट का मतलब क्या है ?

इसी तरह से ऊर्जा का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में 9,846 करोड़ रुपया था इस वित्तीय वर्ष में घटाकर के 7,949 वैसे तो बिजली शायद शहरों में 12 घंटे से ज्यादा नहीं और गांव में, देहात में 4 घंटे से ज्यादा नहीं। परीक्षाएं हो रही हैं तो दिक्कत तो सब है ही। तो इस तरह से बजट सब पर घटा दिया। बिजली के बारे में तो योजनाएं, अभी इसमें आपने कुछ दी हैं योजनाएं और यह तीनों तो पहले हम लोग कर गये थे इसकी शुरुआत कर गये थे। हमारे समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में पिछले 12 वर्षों में विष्णु प्रयाग, पारिक्षा सब लोगों को पता है, अधिकारियों को भी पता है, पारिक्षा की दो परियोजनाओं में 622 मेगावाट का उत्पादन हम लोगों ने बढ़ा दिया था और स0पा0 सरकार ने 3 नई विद्युत् परियोजनाओं हेतु करार कर दिया था। इसमें लिखा है जबकि हम लोग करार भी कर गये थे और काम भी शुरू कर गये थे अगर उन्हीं परियोजनाओं को अगर अभी तक जुलाई तक अगर आप पूरी कर दिये होते तो अभी तक 13 हजार मेगावाट विद्युत् का उत्पादन हो गया होता और मैं पूछना चाहता हूं उत्पादन तो इसमें बुक में दिया नहीं शायद उत्पादन में अभी तक जरूरत है करीब 9 हजार साढ़े 9 हजार मेगावाट की इस समय और शायद आपके यहां उत्पादन 6 हजार मेगावाट से अभी ज्यादा नहीं है। अगर यह हम लोगों के सरकार के समय की परियोजना पर केवल आप उन्हीं परियोजना को पूरा कर दिये होते तो 13 हजार मेगावाट जुलाई तक उत्पादन हो सकता था और बजट तो बजट इसमें भी घट गया हम लोगों ने तो पारिक्षा, हरदुआगंज तापीय बिजली घरों में एक हजार मेगावाट की क्षमता की 4 नई इकाईयां स्थापित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) को प्रारम्भ कर दिया था। 1000 मेगावाट क्षमता की अनपारा-डी की भी शुरुआत हो गयी थी। प्रदेश में पहली बार चीनी मिलों से पहली बार 500 मेगावाट बिजली हासिल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 5500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रख दिया था। इलाहाबाद, शंकरगढ़ क्षेत्र में पिट हेड 1000 मेगावाट की दो, सोनभद्र जिले में पिट हेड पर 2000 मेगावाट का एक बिजलीघर लगाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर दिया था। तापीय बिजलीघर का विस्तार कर वहां 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था और बहुत सी परियोजनायें हैं। आपको पता है पुलों के बारे में। हमारी सरकार ने 3 साल में लगभग 450 पुल तैयार हो गये थे, 58 बड़े पुल। माननीय वित्त मंत्री जी आपके यहां का भी था, कितनी तेजी

से काम शुरू था। घाघरा पर 3 पुल थे और बहुत तेजी के साथ काम चल रहा था अभी तक तैयार हो गया होता। इस बीच में, अब तो वित्तमंत्री हो, तब भी नहीं करवा पा रहे हो, वैसे ही पड़ा हुआ है। सभी 58 पुलों पर काम शुरू था और आप पता लगा लेना 3 साल मे कितने पुल तैयार हुए ? माननीय अध्यक्ष जी, तीन साल में केवल 41 पुल, और हम लोगों ने बनाये थे 450 पुल। बड़े पुल 58 स्वीकृत किये थे, गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, शारदा, जितनी भी बड़ी नदियां थी अगर उन्हीं पुलों पर तेजी के साथ काम कर दिया होता। अब तो बजट भी घट रहा है इसमें।

इसलिए मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जब 2009-2010 का बजट ही नहीं खर्च कर पाये हो तो 2010-2011 के बजट की आपसे क्या उम्मीद की जाती है। अधिकारियों ने जो बजट पेश कर दिया है। मान्यवर, जो बजट 2010-2011 के बजट का कोई मतलब नहीं है जब 2009-2010 का बजट ही नहीं खर्च कर पाये हैं तो 2010-11 के बजट का क्या करेंगे और अब तो बंदरबाट शुरू होगा। फरवरी तो अब निकल ही जायेगी, अब बचेगा मार्च तो फिर आगे फिर इसी बजट को ले लें। इसलिए मैंने पहले भी कहा था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कि यह सरकार घपले और घोटालों की सरकार है। मंत्री और अधिकारियों का, कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, निरंकुश हो चुके हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहते। केवल एक ही काम है, लूटो, खाओ, मौज करो। कोठियों पर कोठियां बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करो लेकिन होशियार हो जाओ। देखिये झारखण्ड का पता ही हो गया। अगर इतना इकट्ठा करोगे जो आधा भी बजट खर्च नहीं हुआ है इसमें भी कमीशन दिया गया है बड़े पैमाने पर कमीशन दिया गया है। हर विभाग में कमीशन लिया जा रहा है। सरकार और मामलों में पारदर्शी हो या न हो लेकिन भ्रष्टाचार और घोंटालों में पारदर्शी है। दूर से जनता और हर व्यक्ति जान गया है पूरा दिखाई दे रहा है। सब काम गुपचुप होते हैं। अभी एक मीटिंग गुप चुप तरीके से बुलाई गई थी कोआपरेटिव विभाग की एल0डी0बी0 की जिसमें हम चेयरमैन थे। मीटिंग में आर0एम0 और मैनेजर व डेलीगेट बुलाए गए कुछ को सूचना दी गई कुछ को सूचना नहीं दी गई हम सबेरे पहुचं गए चिट्ठी भी लिखी थी कि जब सदन चल रहा हो तो बैठक न बुलाई जाए हम भी सदस्य हैं डेलीगेट हैं यह मीटिंग नहीं होनी चाहिए तब भी अधिकारी लोग पहुंच गए फिर जब हम पहुंच गये तो उन्होंने घोषणा की कि अब मीटिंग नहीं होगी अब सेमीनार होगी। पूरे प्रदेश के डेलीगेट बुला लिए। यहां पर हमसे सदन में कहते हैं कि आप तो नेता विरोधी दल हैं ऐसे ही कह देते जबकि हमने पत्र लिखा अधिकारियों से कहा कि सूचना दे दो मगर आज तक सूचना नहीं दी गई। यह घमण्ड में चूर हैं सरकार भी और अधिकारी भी निरंकुश हो गए हैं लोकतंत्र में यह नहीं होता है। पारदर्शी लिखने से पारदर्शी सरकार हो जाएगी काम दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए लेकिन इस सरकार में न काम दिख रहा है न विकास दिख रहा है। केवल भ्रष्टाचार दिख रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी ला एण्ड आर्डर की हालत यह है कि कोई गरीब आदमी मोटर साइकिल से निकलता है और अगर कोई बीमार आदमी उसकी मोटर

साइकिल पर बैठा है तो उससे 500 रुपये और अगर बीमार नहीं है तो 200 रुपये देना पड़ेगा। बीमार आदमी के लिए जल्दी होती है इसलिए 500 रुपया लिया जाता है। यह कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर बिल्कुल ठीक है। जब पुलिस इतनी लूट मार कराएगी तो ला एण्ड आर्डर कैसे ठीक होगा। सुबह से लेकर शाम तक हर जगह सरकारी कार्यालयों में पुलिस से लेकर अधिकारी तक तहसील कार्यालय से लेकर एस0डी0एम0 कार्यालय व जिलाधिकारी के कार्यालय हैं सब जगह लूट चल रही है। बगैर पैसे के लाइसेंस का काम ही नहीं। यह जितना भी बजट यहां से दोगे, पास कराओगे उसमें आधे से ज्यादा कमीशन में खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं इस बजट का कुछ मतलब नहीं समझता हूं। यहां से अगर पास भी करा लिया तो वहां लूट हो जायेगी। इसलिये पहले इसको खर्चा करा लो और बाद में पास करा लेना। इससे आपको पत्र भी नहीं लिखना पड़ेगा। जो रोज रोज पत्र लिखते हैं वह नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन घाटा हो जायेगा, वहां से पैसा आ जायेगा यहां कमीशन कम हो जायेगा। यह सरकार घपले की, घोटाले की सरकार है। मैंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी केन्द्र सरकार को। केन्द्र सरकार के आगे कभी हाथ नहीं फैलाया तब भी इतने विकास कार्य किये जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारी सरकार के समय में हर गांव को कम से कम 14, 16, 20 घंटे बिजली जाती थी और यहां यह हालत है ? यह सरकार घपलों की, घोटालों की सरकार है, खूब मौज मस्ती आपने कर ली है।

श्री लाल जी वर्मा–

नेता प्रतिपक्ष का अनुभव ज्यादा है।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

अनुभव तो अब दूर से दिखाई दे रहा है। इसमें तो आपने खूब प्रगति कर ली है। इसलिये बजट को पास कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपे ऐसे ही काम चला लीजिये, वैसे ही पूरा करा लीजिये। जब खर्च हो जायेगा तो अनुपूरक बजट आप करा ही लेते हैं और वह हो ही जाना है। इसलिये इस बजट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकरे कुछ करना है तो अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाइये। बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइये। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो फिर जनता अंकुश लगायेगी आगे चलकर। मैं समझता हूं कि इस बजट को पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी है। (हंसी) मान्यवर, इसमें हंसने की क्या बात है। उन्होंने बहुत ही ज़मीनी बात कही। उन्होंने प्रदेश में जो असलियत है उसके बारे में बहुत रोचक तरीके से अपनी बात कही। मैं उस बात को बहुत संक्षेप में आगे बढ़ाना चाहूंगा। मान्यवर, बजट जो हम समझते थे, जो हमको पढ़ाया गया था, जो हमने विद्यार्थी जीवन में सीखा था। बजट के महत्व को हम समझते थे कि जितने भी आर्थिक विषय होंगे कर लगाने के। जनता के ऊपर क्या बोझ लगाया जायेगा ? क्या नहीं लगाया जायेगा ? कहां लगाये जाने

की जरूरत है, कहां नहीं है, इन सबके लिसे विधायी स्वीकृति की आवश्यकता होती थी लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वह सारी मान्यतायें समाप्त होती गई और यह लेखा जोखा तक सीमित होकर रह गया। नाम तो बजट इसका आज भी है। अब पहले की तरह मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं मानता हूं। यह प्रौसेस में कहीं न कहीं अवगुण पैदा हुआ है लेकिन उस अवगुण को नियंत्रित करने का किसी ने प्रयास नहीं किया। क्योंकि किसी भी सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, और कोशिश करते हैं कि सारे अधिकारों को हम प्रशासनिक और शासकीय अधिकारों में समेट लें। जितनी उपेक्षा विधान मंडल की हो सके उतनी उपेक्षा हम करें और विधान मंडल केवल एक स्वीकृति देने का औपचारिक फोरम बनकर रह जाए और वही रह गया है। हमें स्मरण है कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगा, जब यह चर्चा होती थी, और बजट के आने के पहले भी कभी समाचार-पत्रों में समाचार छप जाते थे कि फलां चीज पर टैक्स बढ़ने की आशंका है। भाव घटते थे, बढ़ते थे, शायद ही कोई अवसर ऐसा आता हो जब यहां विशेषाधिकार के हनन की बात न आती हो, कि वित्त मंत्री ने लीक किया है, फला ने लीक किया है अब लीक की आवश्यकता नहीं, अब यहां आने की आवश्यकता नहीं, लीक तो तब होगी बात, सोचना यह चाहिए कि विधान मंडल को विश्वास में न लेकर के हमने अच्छा काम किया है या खराब काम किया है।

विधान मंडल को विश्वास में लिया जाता था तो सबकी भागीदारी उसमें रहती थी, लेकिन मान्यवर, जब सरकार और सरकार में भी संयुक्त, हमारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मेरा भी अनुभव इस बारे में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हम अपने हृदय में देख लें आज, इस बजट को बनाने में हमारी किसी की, अपने विभाग के बारे में कितनी भागीदारी रही है। प्रस्ताव मांग लिए जाते हैं, लेकिन प्रस्ताव देना भी खाली औपचारिकता रह गई है। उसी का परिणाम आज यह भी देखने में आ रहा है मान्यवर, कि जो हमारे अनुमान होते हैं कितनी हमारी प्राप्तियां हुई, कितना खर्चा होगा, उसमें अन्तर बराबर बढ़ता जा रहा है। अभी जो आपने प्रस्तुत किए आंकड़े 2009 के, आपके वास्तविक आंकड़े आए, 2009-2010 के अनुमानित आए और 2010-2011 के आप लेकर के आए हैं। अब 2008-2009 के आप दो-चार बिन्दु देखें, कि आपके प्रस्तावित आंकड़ों में और वास्तविक व्यय या उपलब्धियां हुई हैं उसमें हजारों करोड़ का अन्तर है। क्यों है यह, यह इसलिए है कि कोई होमवर्क करके नहीं जाता है हमने छोड़ दिया तो अधिकारियों ने भी छोड़ दिया, खाली फीगर ही तो देनी है खाली वित्त मंत्री से घोषणा ही तो करानी है कि फलां मद पर इतना खर्चा करेंगे। उसके पीछे कोई तर्क तो नहीं है, उसके पीछे उनका कोई काम रहा होता तो बताते। हजारों करोड़ का अन्तर क्यों आ रहा है। आपने 2008-2009 के जो आंकड़े आपने दिए हैं वह मैं प्रस्तुत करता हूं।

अनुमानित घाटा आपने 1644 करोड़ लगाया था 2008-2009 में अनुमानित घाटा गया कहां पर, 10,532 करोड़ पर, यह अन्तर देख लीजिए। कोई होमवर्क था ही नहीं किसी किस्म का भी मान्यवर जो केन्द्र सरकार से प्राप्त होने की आपके

अनुदान की, या जो आपका राज्यांश था उसकी या आपकी कल्पना थी वह, 47 हजार 897 करोड़ 55 लाख की थी, मिला कितना, 42 हजार 826 करोड़, यानि 5 हजार 71 करोड़ कम, उसमें तो कुछ बात होनी नहीं चाहिए थी। सीधा इन्कम टैक्स में कमती बरती बहुत मुश्किल से होती है। उसी में से राज्यांश आता है, अनुदान आपका कम क्यों हुआ। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए, कि अगर हमारा अनुदान कम हुआ है हमारी सहायता कम हुई है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो पुराना पैसा आया था उसका उपभोग प्रमाण-पत्र न भेजा हो, यूटीलाइजेशन प्रमाण-पत्र न भेजा हो, इसकी वजह से बाकी योजना हमारी रुक गई हो। माननीय मंत्री जी बैठे हैं और यह दायित्व बनता है कि समस्त इन बातों पर यह नियंत्रण रखें मुझे अच्छा लगेगा कि किसी रोज इन बिन्दुओं को रख करके एक विभाग की भी समीक्षा कर ली गई, फिर देखिए पिछले एक वर्ष में दो वर्ष में कितना केन्द्र का पैसा, और कितनी केन्द्र के द्वारा पोषित योजनाएं उस विभाग की थी और वह योजनाएं अगर आगे नहीं बढ़ पाई हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केन्द्र जो अपेक्षा करता था प्रमाण-पत्र भेजने की वह नहीं भेजे गऐ हैं। कोई विभाग ले लीजिए, कोई अधिकारी न समीक्षा करता, प्राथमिकता बदल गयी हैं, केवल सेक्शन अफसर तक बात छोड़ दी जाती है, वह आंकड़े एकत्रित करके भेज देते हैं लेकिन कोई देखता नहीं है कि इनमें अन्तर क्यों आ रहा है और उसी का परिणाम इस प्रदेश के लिए घातक हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश बराबर पिछड़ता जा रहा है, इस कारण से पिछड़ता जा रहा है कि जितना पैसा हमें लाना चाहिए, वह नहीं ला पाते और केवल दोष देते रह जाते हैं, इसलिए नहीं आ पा रहा है। मान्यवर, मेरा विश्वास और तजुर्बा जो रहा, सरकार में रहने का, मैंने भी देखने का प्रयास किया, मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के पिछड़ने का यही है कि हमने पैसा प्राप्त करने की सलाहियत ही प्राप्त नहीं की, हासिल ही नहीं की कि पैसा कैसे लायें। केन्द्र में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन कभी हम न जा करके योजनाएं वहां रखी, न परियोजनाए वहां रखी और न कभी यह देखते हैं कि पैसा जो आया था, उसका कितना उपयोग हुआ, कितना उपयोग नहीं हुआ।

मान्यवर, आगे देखें, आपका अनुमान था 32373 करोड़ लेकिन हुई कितनी, 28658, यानी 3654 करोड़ की कमी इसमें भी आई। मान्यवर पूंजी लेखे में हालत यह है। किसी भी सरकार की कामकाज की समीक्षा अगर की जाए तो पूंजी लेखे का सबसे अधिक महत्व होता है, यही एसेट्स वहां पैदा किए जाते हैं, कौन से भवन बने होंगे, कौन से स्कूल बने होंगे, कितने अस्पताल बने होंगे, मान्यवर, उसमें 25021 करोड़ की आपूर्ति थी, 17 हजार करोड़ लगभग आप उसमें ले सके, इसमें भी मान्यवर, 4483 करोड़ का अन्तर आया। मान्यवर, आपने वर्ष 2009-2010 के अनुमानित आंकड़े और पुनरीक्षित आंकड़े, उस पर केवल एक फीगर देना चाहूंगा।, 56359 का आपका अनुमान था और खुद पुनरीक्षण किया अभी और उम्मीद रह गयी कि 48945 पर जाकर टिक जायेंगे। यह मान्यवर, केवल मैंने इसलिए आंकड़े पेश किया कि शायद मैं सरकार की आंख खोलने में थोड़ा सा योगदान दे सकूं। इसको आप गम्भीरता से देखें, इसको हल्केपन से न लें और देखने के बाद प्रदेश

के कल्याण के लिए प्रदेश में कम से कम वित्तीय अनुशासन लाने का प्रयास करें। अब मान्यवर, मैं कुछ घोषणाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिन घोषणाओं को ले करके बजट भाषण के पहले वाले 6 पृष्ठ भरे हुए हैं कि किस-किस क्षेत्र में आपने क्रान्ति पैदा की है, क्या-क्या क्रान्ति पैदा करने की आपकी योजनाएं हैं ? जैसे उत्पादन बढ़ायेंगे और उत्पादन बढ़ाने के उपाय बतायें कि बाजार में खाद की कमी नहीं होने देंगे, किसान को सिंचाई की कमी नहीं होने देंगे, यह सब इसी वर्ष के बजट भाषण में आया है और उस पर तालियां भी बजी थी लेकिन मान्यवर, आप कल्पना कीजिए आगे जो कुछ करेंगे, करेंगे ही, अब क्या किया इन्होंने, दो फसल बराबर गई, रबी की फसल गई और खरीफ की गई और जो अब गेहूं खड़े हुए हैं, उनके परवरिश की बात आई है, बुवाई के समय डीएपी नहीं, सिंचाई के समय यूरिया नहीं और सारे प्रदेश में हाहाकार। मैं आंकडों पर नहीं जाना चाहता हूं और न किसी पर मैं आरोप लगाना चाहता हूं, आप सोंचे कि मैं कृषि मंत्री के बारे में कह रहे हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता सामने है, आप क्यों कह रहे हैं कि हमने खाद उपलब्ध कराया और उपलब्ध करायेंगे हम। आप असलियत पर क्यों नहीं आते ? आप करने की स्थिति में नहीं हैं, आप केन्द्र सरकार को दोष दें या न दें लेकिन देखना आपको है। मान्यवर, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, कैसे दोगुनी करेंगे ? भाषण में यह भी दिया है, दोगुनी कैसे करेंगे, दोगुनी करेंगे, फसल के सही दाम दिला करके। मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

(इस समय 3 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बृजेश सौरभ पीठासीन हुए।)

पीछे धान गया, 3200 रुपये प्रति कुंतल का भाव था और अबकी 1500-1600 रुपये पर आ गया। यह बढ़ाया है आपने, यह आपकी उपलब्धि है क्योंकि आप बाजार में गये ही नहीं। जब धान की लुटायी हो रही थी, किसान की लुटायी हो रही थी तो आपकी खरीदारी शुरू नहीं हुयी जब वह बिचौलियों के यहां चला गया तो आपकी खरीदारी शुरू हुयी। दूसरा गन्ना, आपने वाह-वाही लूटने की कोशिश की, 165 का भाव, 170 का भाव। किसान ने लिया है 260-270 का भाव, वह यह भाव आज भी ले रहा है। लेकिन उसमें आपको योगदान नहीं है। उसमें योगदान है इस प्रदेश के पूर्ण विपक्ष का या किसान के संघर्ष का, किसान ने अपनी मांग के लिए संघर्ष किया, सड़क पर उतरा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, दिल्ली तक जाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया तब जाकर उसको वह भाव मिला। इसमें केन्द्र या प्रदेश दोनों सरकारों का लेष मात्र भी योगदान नहीं है।

मान्यवर, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में सबसे बड़ी बात समाज कल्याण विभाग की आती है। क्योंकि हमारे यहां उपेक्षित, पीड़ित वर्ग बहुत हैं। हमारे यहां करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने साधनों से अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते। अगर उन योजनाओं की समीक्षा करें और देखें कि उन योजनाओं पर हमें और क्या करना चाहिए था, तो मान्यवर, आंखे खुल जाएंगी। मान्यवर, हस बजट भाषण में

योजनाओं की घोषणा की, अच्छा किया कि आपने कुछ योजनाएं चलाने की बात कही। उसमें महापुरुषों का नाम दिया जैसे–सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, यह योजना आपने चलायी है। महापुरुषों के नाम से योजना चले बड़ी अच्छी बात है लेकिन चले तो सही। हम योजनाओं के नाम तो दे देंगे लेकिन चला पायेंगे नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी इंदिरा आवास योजना की मैं बात कह रहा हूं उससे जाहिर हो जाएगा कि हमारे समाज कल्याण विभाग की योजना कितनी सफल हो रही है। इंदिरा आवास योजना में सबसे पहली शर्त यह है कि जिन परिवारों को यह आवास दिये जायेंगे वह बी0पी0एल0 के परिवार होने चाहिए। हमें अपने जनपद में शिकायत मिली कि यह बंदरबांट हो रही है जिसके हिस्ते में आता है वह ले जाता है। मैंने एक विकास खण्ड जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, इंटरनेट से बी0पी0एल0 परिवारों की सूची निकलवायी और इंटरनेट से ही मैंने इंदिरा आवास के लाभार्थियों की सूची निकलवायी। जब दोनों सूचियों की तुलना शुरू की तो जो जानकारी मिली वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। केवल एक ही विकास खण्ड में 10 प्रतिशत भी ऐसे लाभार्थी नहीं थे जो बी0पी0एल0 सूची में हों। जो लाभार्थी दर्शाये गये थे वह बहुत पैसे वाले थे या तो वह थे जिनका नाम वहां पर अंकित था, उनको कोई मकान नहीं दिया गया था, या वह थे जो वहां पर निवास ही नहीं करते थे। मैंने शिकायत की कि दोनों सूची भेजिये। मुझकों विभाग की तरफ से या वहां के सरकारी अधिकारियों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। विकास खण्ड के तीन छोटे कर्मचारी जेल में है। जो घपला करने वाले बड़े-बड़े अधिकारी और राजनीतिक लोग हैं वह ऐश कर रहे हैं।

मान्यवर, एक विकास खण्ड की जांच कराने पर 7 करोड़ का घपला मिला। कैराना विकास खण्ड, जनपद–मुजफ्फरनगर। और आज वह सब कर्मचारी इकट्ठे होकर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि साहब तीन तो गये, हम भी जाएंगे। लेकिन हमारी पीड़ा तो सुन लीजिए। हमारे हिस्से में तो 100 में से 5 रुपये आये होंगे, 95 रुपये खाने वाले तो घूम रहे है। मैं जानता हूं कि वह तो घूमेंगे। उनको आशीर्वाद प्राप्त है, राजनीतिक लेवल लगा हुआ है और राजनीतिक लेवल भी इतना मजबूत लगा हुआ है कि अगर मैं उसको हटाना चाहूंगा तो वह लेवल और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैं शिकायत करुंगा तो वह सोचेंगे कि नहीं भई हमारा आदमी नहीं फंसना चाहिए। वह हमारा आदमी हो जायेगा, वो जनता का दुश्मन नहीं माना जायेगा जिस बेईमान ने उन गरीब लोगों का पैसा, गरीब लोग का धन हड़प कर लिया, वह हमारा आदमी रहेगा। मान्यवर, यह चेष्टा यह मानसिकता क्यों विकसित हो गयी ? क्यों नहीं नियंत्रित हो रही है और विशेष रूप से मान्यवर, मैं उस मुख्यमंत्री की सरकार की बात करता हूं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम उपेक्षित, पीड़ित; दलित की सेवा करने के लिये यहां पर आये हैं, इनकों यहां तक भेंजने में मुख्य भूमिका भी उन्हीं की है, आज वह पिसने के बाद भी इनके लिये खड़ा है। लेकिन उसके लिये यहां कितने खड़े हुये हैं मान्यवर ? उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। डेढ़ साल की लड़ाई के बाद में तीन क्लास 4 या क्लास 3 के कर्मचारियों को जेल में जाना पड़ा, यह उपलब्धि रही

शिकायत की और बाकी लोग आराम से अपने आसन पर बैठे हुये हैं और आगे का इंतजार कर रहे हैं कि कब दूसरी योजना आये और इस गरीबी को अपनी जो मिटाई है हम उसको अमीरी में कैसे बदलें ?

मान्यवर, मैंने यह छोटा सा उदाहरण दिया है। अभी जो योजना चलायी है आपने, अब यह देखें औपचारिकता इनकी कितनी है, जिन बच्चों, जिन बालिकाओं की आप सहायता करना चाहते हैं, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सहायता लेने के लिये उस बच्ची को, उसके माता-पिता को कितनी जगह जाना पड़ेगा प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये और सहायता के बाद में मिलेगी लेकिन चलते-चलते उनके जूते टूट जायेंगे, उनके घुटने थक जायेंगे और मान्यवर, कोई प्रमाण-पत्र का रेट 500 रुपये से कम का नहीं है, उसकी घुटने तक की धोती को कोई नहीं देखेगा, फटे हुये कुर्ते को कोई नहीं देखेगा, वह चाहे उधार लेकर आये, जब तक हाथ में नहीं चला जायेगा तब तक उसका प्रमाण-पत्र बनने वाला नहीं है और बनने के बाद में भी आपका बजट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसकी भी कोई गारण्टी नहीं क्योंकि जितनी भी योजनायें ये चली हैं, आपने भी चलायी थी कन्या विद्या धन योजना एक। मान्यवर, उसका भी हाल यही हुआ है हम कहते थे बराबर यह कि केवल चुनाव में जाने के लिये, अपनी कथित रूप से कान्स्टीचुएंसी को डेवलेप करने के लिये, कान्स्टीचुएंसी को विकसित करने के लिये आप इन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं लेकिन इनके जो लाभार्थी हैं उनका इतना उत्पीड़न होगा, उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे हैं। अगर कुछ देना है किसी को, कोई योजना चलानी है तो उसकी व्यवहारिकता पर पहले विचार होना चाहिए। यह देखना चाहिए कि बिना उत्पीड़न के और बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के उन योजनाओं का लाभ उस गरीब आदमी तक पहुचं पायेगा कि नहीं पहुंच पायेगा। थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये निजी क्षेत्र द्वारा एक तीर और चलाया इन्होंने, अपने पास तो कुछ रहा नहीं। बजट तो यह बास नाम का ही है। विकास जरूर कराना है इनको, पैसा इनके पास में है नही तो निजी क्षेत्र से निवेश करायेंगे अब। मान्यवर जो स्थिति है आज निजी क्षेत्र का आदमी उत्तर प्रदेश की ओर देखकर नहीं सो सकता, उसकी नींद भाग जायेगी, नहीं आ सकता, वह साहस ही नहीं कर सकता, हिन्दुस्तान में तो कोई पैदा हुआ नहीं जो यू0 पी0 आये। आपने कहा, बिजली मंत्री जी यहां हैं नही तो ये निजी क्षेत्र में ही होंगे।

(सदन में हंसी)

23000 करोड़ की लागत की बारा, करछना, मेजा स्वीकृत हो चुकी है, 32000 करोड़ की लागत से 5 अन्य योजनायें प्रस्तावित हैं और पारेषण में, ट्रांसमीशन में 8000 करोड़ का निवेश किया जायेगा। अच्छा खासा एमाउण्ट है, अच्छा लगता है, बिजली आयेगी चमचमाके सबके घर और मान्यवर, अब इनकी हालते देखिये 2008-2009 में, वित्त भी कहीं चले गये निवेश में, 2009 में उनका बजट भाषण पढ़कर आया हूं मैं, बजट भाषण पेज भी बता दूं पेज नंबर 5 है, आपने कहा कि 65000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 2008-2009 में 65 हजार करोड़ के निवेश

का लक्ष्य रखा गया था, 10500 मेगावाट का लक्ष्य रखा था, चलिये छोड़िये इसको अब, यह तो बता दिया 32 हजार बता दिया, वह जो 65 हजार लगाये हैं वह कहां हैं ? प्रदेश की जनता अगर यह पूछे कि दो साल पहले मान्यवर आप आये थे और 65 हजार करोड़ का निवेश आपने बताया था। साढ़े दस हजार मेगावाट का उत्पादन भी था, कहां गया वह उत्पादन, कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई उद्योग लगा हो, दो साल वाले निवेश का तो पता नहीं अब आगे का बता दिया कि हम इतना और निवेश करेंगे, ऐसे ही दो साल और कट जायेंगे। जो बात आपने कही है, मैं इसलिए कह रहा था, अरे आहिस्ता-आहिस्ता इस विधान मण्डल का महत्व आप खोते जा रहे हो। यहां कहने का कोई महत्व होना चाहिए था, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए थी।

मान्यवर, आज विधान मण्डल केवल भाषण सुनने के लिए, भाषण देने के लिए रह गया, यहां सुझाव का कोई पालन नहीं होता, सुझाव का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए पीड़ा यह होती है मेरे जैसे व्यक्ति के मन में कि बजट आया, इसका इन्तजार था कि बजट आयेगा क्या-क्या होगा उस बजट में। अरे आज ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, कोई चिन्ता नहीं करता बजट-बजट की अब। पता है इनका, कह दिया 65 हजार करोड़ रुपया लगायेंगे, पता है नहीं कहां गया 65 हजार करोड़ वह, कह दिया दस हजार मेगावाट होगा, यहां कुल नौ हजार की आवश्यकता है। छः हजार आप बना पा रहे हैं अगर दस हजार आप बना देंगे फिर तो शायद बराबर के प्रदेशों को ही कुछ बेच दें। अब शिकायत केन्द्र की हो रही है, केन्द्र हमें बिजली नहीं दे रहा है। और बहुत खुशी होती है कभी-कभी यहां कि यह कहते हैं कि किसने बेंची थी, वह कहते हैं फला ने बेची थी। अरे बेचने का एग्रीमेण्ट देखो क्या था, उसमें प्राविधान था कि एनटीपीसी जो अच्छी तरह से उपयुक्त है बिजली घर चलाने के लिए उत्पादन के लिए, प्राथमिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश को वह बिजली उपलब्ध करायेगी। जब आप उस एग्रीमेण्ट का पालन न करा सको, अपने निष्क्रियता को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बस थोड़ा हस लिये इधर इशारा कर दिया बस काफी हो गया, कर्तव्य पालन हो गया मान्यवर इनका। सड़कों के ऊपर बड़े भारी निवेश की बात कही भाषण में आपने, एक्सप्रेस-वे, अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, ऐसा लग रहा है।

मान्यवर, जैसे गाड़ी चली यहां से पलिया पहुंची शाम तक आ गई, एक्सप्रेस-वे। अरे, एक्सप्रेस-वे तो जब होगा तक होगा, जो बने हैं उन्हें तो देख लो जाकर के। चलो मेरे साथ मैं दिखाऊंगा आपको एक्सप्रेस-वे, दिल्ली से चलिए स्टेट हाईवे की बात कर रहा हूं, राजकीय राज्य मार्ग की बात मैं कर रहा हूं, खटीमा-पानीपत मार्ग तीन राज्यों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश का राज्य मार्ग हैं, आप हरियाणा से चलोगे, पानीपत से उत्तर प्रदेश में आवोगे, लगेगा हां कि कोई सड़क है और जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, दो-दो फिट के गड्डे, तीन-तीन फिट के गड्ढे मान्यवर, आज कल ट्रैक्टर ट्रालियां चल रही हैं उस पर, न जाने कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने एक्सीडेण्ट होते हैं, यह तो राज्य मार्गों की हालत है।

डी0वाई0 मार्ग दिल्ली यमुनोत्री राज्य मार्ग, दिल्ली से निकलने के बाद में जैसे हम लोनी तक पहुंचेगें, उसके बाद की सड़क की हालत देख लीजिए क्या है ? राज्य मार्ग है। चलने लायक नहीं मान्यवर, कल ही उस रास्ते से मुझे होकर आना पड़ा, मुझकों पता है क्या है उसकी हालत। मान्यवर, मेरठ करनाल मार्ग, मेरठ अम्बाला मार्ग, यह सारी की सारी सड़कें खण्डित हो गई हैं, टूटी पड़ी हैं, एक्सप्रेस-वे बनायेंगे। उसमें आगे प्राविधान क्या ? आगे इसका भी प्राविधान है कि जो राजकीय राज्य मार्ग बने हैं, उनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। अगर सुदृढ़ीकरण करने का आपका आशय यही है कि जिस हालत में वह थे, उस हालत में भी नहीं रह पायेंगे, तो हालत यही होगी। कारण क्या है मान्यवर, यह मार्ग जो मैंने गिनवाये हैं, बहुत पुराने नहीं हैं, यह दो साल, ढाई साल पहले बने हैं, कुछ तो दो साल के अन्दर ही बने हुए हैं अभी डेढ़ साल ही हुआ है शायद उन्हें बने हुए। लेकिन कृपा हो उस बनाने वाले की, उस ठेकेदार की, जिसकी सूची यहां से गई होगी और कहां होगा कि काम यही करेंगे और काम करने के बाद में स्वच्छन्द हैं फिर, जिसकी सूची मान्यवर, मुख्यालय से जायेगी, कि यह काम करेंगे, ठेका इनको दिया जायेगा, नियंत्रण रह जायेगा क्या स्थानीय अधिकारी का।

मान्यवर, अगर उसका नियंत्रण नहीं रहेगा तो काम की गुणवत्ता वह क्या देखेगा। तो फिर उस स्थिति में हर व्यक्ति हर अधिकारी समझौता कर लेता हैं। वह कहता है कि जब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर क्यों न परिस्थितियों के साथ समझौता कर लें। उस समझौते का आशय आप समझते ही हैं कि क्या है। 10 करोड़ जाता है 4 करोड़ भी नहीं लगता है तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। मान्यवर, उसके चलते स्थिति यह है कि तारकोल की जगह काला तेल डाला जा रहा है ताकि उसमें रंग आ सके और सड़कों का रंग दिखना चाहिए। मान्यवर, कोई देखने वाला नहीं है। आपने तो कह दिया कि यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे। लेकिन सड़कों की हालत क्या है वह मैंने बताया। इसीलिए कुछ सड़कों के नाम भी गिनवाये कि उनकी स्थिति आप देख लें।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा संस्थाओं के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस पर इसलिए कहना चाहता हूं कि आज प्रतिवर्ष पांच लाख छात्र प्रतिवर्ष विदेश पढ़ने जा रहे हैं। उसमें एक लाख के भी हो सकते हैं। विदेशों में जो यहां के छात्रों की हालत है वह सबको पता है। कितना शोषण हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। जो हमारे छात्रों को अपमानित होना पड़ रहा है खासकर आस्ट्रेलिया में वह किसी से छिपा नहीं है। हम शिक्षा के स्तर को क्यों नहीं आगे बढाना चाहते हैं। आज नौजवानों को आवश्यकता है कि उनको टैक्नीकल शिक्षा सम्बन्धी अच्छी संस्थायें मिलें ताकि वह उनमें पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। अगर आप उन्हें वह चीज नहीं देंगे तो फिर पिछड़ जायेंगे। कोई व्यक्ति शिक्षा संस्थान बनाना चाहता है उसे यहां से एनओसी लेना है। वह उसके लिये कहां कहां जायेगा कि एनओसी बनवा ले। उसका इलाज तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने में ही हो जाता है। उसके मन में अगर शिक्षा का महत्व होता है तो फिर उन परिस्थितियों से गुजरने पर उसके मन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके मन में बात आयेगी कि जब

सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्यों यहां पर अच्छा स्कूल बनायें। फिर वह सस्ती वाली फैकल्टी तैयार करेगा और बच्चों की मजबूरियों का फायदा उठायेगा। फिर वह यह भी सोचेगा कि उत्तर प्रदेश को छोड़ों कही और चलो। तो इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आप यूपीटीयू को दो भागों में बांटना चाह रहे हैं एक विश्वविद्यालय गौतमबुद्धनगर में बनाने जा रहे हैं। मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। आप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देख लें क्या हालत है। रोजाना अखबारों में आता है कि 65 हजार बीटीसी, बीएड, विशिष्ट बीटीसी शिक्षा प्राप्त लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। आज आप जाकर देख लें कि बीटीसी, बीएड की पढ़ाई की हालत क्या है। पढ़ाने वाला कोई है नहीं। जो स्थिति है वहां पर कोई योग्य आदमी वहां पर पढ़ाने के लिए तैयार होगा नहीं। जो आज प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है उससे देश का भविष्य क्या होगा, कितने बच्चे अच्छा पढ़ पायेंगे। वह बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं उनका भविष्य बरबाद हो रहा है। आपको सोचना चाहिए कि यह नींव मजबूत कैसे बने। इन प्राइमरी स्कूलों की स्थिति को देख लें कही पर चाहारदीवारी नहीं है। अध्यापकों का एटीट्यूड यह हो जाता है कि वह बैठे रहते हैं। चिकित्सा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं आपने चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ अनुदान देने की बात कही है। बीपीएल परिवारों को चिकित्सा बीमा देने की बात कही जा रही है। जो इंश्योरेंस की बात है वह जायेगा कहां इलाज के लिए। यह जितनी योजनायें हैं यह थोड़ा सा सर्टीफिकेट बनाने तक सीमित रह जाती हैं। इस तरह से यह योजनायें जो अच्छा परिणाम देने वाली हो सकती हैं इनका लक्ष्य अभावों के चलते लुप्त हो जाता है। अस्पतालों की हालत आप देख लें कि क्या है। जिला अस्पतालों में जाकर देख लें गरीब आदमी जिसके पास साधन नहीं है किसी तरह से वहां आ जाता है फिर सुबह से शाम तक बरामदों में पड़ा रहता है। उसको वहां इलाज की कितनी सुविधा मिल पा रही है। अगर वहां कोई विदेशी पर्यटक आयेगा तो क्या देखेगा।

इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हंसकर ही जायेगा, उपहास करके जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हुकुम सिंह जी, थोड़ा संक्षेप करें।

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी बात को समझ गया। तो इन शब्दों के साथ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। केवल आलोचना के लिए नहीं बल्कि मेरे कहने का आशय सुझाव अधिक था कोई कमी निकालने की बात नहीं थी तो इसको आप गम्भीरता से लें। इनका सुधार करने का प्रयास करें और जो तथाकथित बजट आया है क्योंकि मैं इसको बजट मानने को तैयार ही नहीं हूं। बजट की तो परिभाषा ही बदल दी आपने। लेकिन जो भी लेखा–जोखा आपका आया है जो भी पैसा आप स्वीकृत कराना चाहते हैं इस विधानमंडल से उस पैसे को जितना सदुपयोग सम्भव हो सके

उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो यह कर रहा हूं कि इस बजट पर चर्चा ही क्यों हो रही है। मैं पूरे सदन के संज्ञान में यह लाना चाह रहा हूं कि यह मृगमारिचिका की तरह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें अभी दो मुख्य बिन्दु बाकी है। तेरहवां वित्त आयोग की संस्तुति अभी संसद में होनी है उसके बाद उत्तर प्रदेश को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके बाद सही स्वरूप बजट का आना था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि 4 फरवरी को बजट पेश करने की, इतनी जल्दी बजट पेश करने की क्या आवश्यकता थी ? यदि बजट यदि वोट आन एकाउन्ट आप ले लेते, काम चला लेते, मार्च के महीने में बजट प्रस्तुत करते तो सही स्थिति परिलक्षित होती आप लोगों के सामने। यह सिर्फ सरकार इस बात से डर गयी है कि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद जो प्रदेश की स्थिति होने वाली है यदि वह प्रदेश की स्थिति पूरे अपने इस विधान सभा के सामने प्रस्तुत होगी तो बजट का क्या हाल होगा ? जो लास जो हानि जो आपने दिखाया है 9022 करोड़ का घाटा का वह घाटा पता नहीं कहां जायेगा और उस समय में सरकार तेरहवें वित्त आयोग की व्यवस्था को देखते हुए सिर छुपाने की कोशिश कर रही है और बहुत एडवांस में यह बजट प्रस्तुत कर दिया गया है।

मान्यवर, स्थिति यह है कि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है पिछले साल की तुलना में 14.6 प्रतिशत का इजाफा है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है उसके बावजूद भी 9022 करोड़ का घाटा। यह सरकार जो बड़ी–बड़ी बाते करती है कि हम गरीबों के और दलितों के रहनुमा हैं उन गरीबों और दलितों ने हमारे आदरणीय बड़े भाई और बहुत वरिष्ठ नेता माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बाते कहीं है, हमारे नेता विरोधी दल ने जो बातें कही, गरीब आदमी की पीड़ा और दुख दर्द के बारे में जो झलक रहा था उनके भाषणों में, उससे भी मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। अच्छा होता कि आप लोग इस समय जो घाटे का बजट पेश किया है इसमें 2–3 हजार का घाटा और जोड़ देते और कुछ टैक्सेज में स्टेट टैक्सेशन की उसमें कुछ कमी करते वैट में कुछ कमी करते और आज तमाम डीजल और पेट्रोल पर आप लोगों ने वैट सरचार्ज लगा रखा है और आपने और टैक्सेशन कर रखा है, आप तमाम खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम करते, और व्यवस्थाओं पर टैक्स करते तो उससे जनता राहत महसूस करती। कोई ऐसा इसमें आपने प्राविधान नहीं किया कि आम आदमी को राहत महसूस हो। कर विहीन बजट, कर विहीन बजट कहने से काम चलने वाला नहीं है। कर विहीन बजट तो जब माना जाता कि जब करों में आप कुछ कमी करते। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं और दूसरी बात कि आपने इन–एन्टीसिपेशन आपका केन्द्रीय योजना आयोग से आपका एनुवल प्लान अभी मंजूर नहीं हुई है। आपने 42 हजार करोड़ की वार्षिक योजना को लक्ष्य मान लिया

और सब लक्ष्य मानते हुए अपने जी0डी0पी0 रेशियों को केन्द्र सरकार के जी0डी0पी0 रेशियों से ज्यादा बता रहे हैं। मतलब अभी न तो आपने एनुवल प्लान पास कराया। 7.4 अपना जी0डी0पी0 बता रहे हैं और कह रहे है कि केन्द्र सरकार के 6.71 जी0डी0पी0 रेशियों से अपने को बता रहे हैं। मतलब आप अपनी मंजूरी तो करा लीजिए एडवांस में ही क्यों ताल ठोक रहे है, हमारी लकीर तुमसे बड़ी, केन्द्र सरकार की लकीर छोटी, तो इस तरह जो बूस्टिंग वाला मामला अपने आपको बूस्ट करने का मामला आपकी सरकार में हैं, बहुत खेदजनक है, स्थिति यह है प्रदेश सामंजस्य से चलेगा, प्रदेश चलेगा ताल से ताल मिलाकर। आप लोगों की तो आदत बन गयी है कि केन्द्र सरकार ने हमें 80 हजार करोड़ का पैकेज नहीं दिया। केन्द्र सरकार हमें समर्थन नहीं कर रही। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी है, चिट्ठी लिखने से ही हम लोग विपक्ष में बैठे हुए पता नहीं कितनी चिट्ठी मा0 मुख्यमंत्री जी को लिखते है। कितनी चिट्ठी सम्मानीय मंत्री जी को लिखते है, पी0डब्लूडी0 मंत्री जी को लिखते है, तमाम मंत्रियों को लिखते हैं, पर मैं। उसी से संदर्भित कर रहा हूं, मान्यवर कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो आप केन्द्र को चिट्ठी लिखकर और जी0डी0पी0 रेशियों 7.4 करके, प्लानिंग कमीशन से अपनी योजना न पास कराते एक परिलक्षित ढांचा ये प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं यह समझता हूं कि एक मृग मारिचिका की तरह आपका ये बजट है, जिसकी सारी यूजलेस फीगर्स हैं सारी की सारी फीगर्स सत्यता से परे है।

मान्यवर, आप देखे बजट को उठाकर देखें तो राज्य ऋण के बोझ से दबा जा रहा है, लगभग 2 लाख करोड़ के लगभग यह पहुंचता जा रहा है आपका लोन और इसमें आपका सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का भी लोन है और वर्ल्ड बैंक का भी उसमें ऐडेड लोन है और आप यह कहते हैं कि जो कि सकल घरेलू उत्पादन का 38.7 परसेन्ट है, पिछले दो सालों में देखें ऋण आपका दोगुना हो गया है। आप ऋण लेकर केन्द्र सरकार की और योजनाओं से लाभ उठाकर आप सरकार चला रहे है और उसके बाद भी आप हड़काते रहते हैं केन्द्र सरकार को। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप केन्द्र सरकार की स्कीमों के फण्डस की बात करें उसका ठीक से यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है, सर्व शिक्षा अभियान को लीजिये 100 परसेन्ट फण्डस का यूटीलाइजेशन गत दो वर्षों में हुआ सिर्फ 80 से लेकर 90 परसेन्ट हुआ। एन0एव0आर0एम0 की स्कीम, रूरल हेल्थ के अन्तर्गत जो आपको केन्द्र सरकार से पैसा मिलता है, उसमें मुश्किल से 70 परसेन्ट आपने यूटीलाइजेशन किया, जवाहर लाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन की स्कीम में जाओ आपकी सरकार को अरबों रुपये, 7 शहरों के लिए केन्द्र सरकार दे रही हैं। वह ग्रांट नहीं ले पाये हैं। आपके 4 कम्पोनेन्ट्स की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डी0पी0आर0 नहीं बन पायी है। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनूअल मिशन के अन्तर्गत सारा का सारा पैसा आप विश्वास मानिए कि उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग और आपका हाऊसिंग विभाग, दोनों मिलकर भी अपना पैसा नहीं उठा पाये और यू0पी0 का जो बजट था, वह समाप्त हो गया, दूसरे राज्य ले गये, जब हम दिल्ली में जाते हैं बात करते हैं तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पैसा ही

नहीं लेना आता। हमने कहा कि वह तो विधानसभा में रोज चिल्लाते हैं रोज आरोपित करते हैं, विजन लाइये आप अपने अधिकारियों से कहिए अपने मंत्रियों से कहिए मान्यवर, मा0 अधिष्ठाता जी आपके माध्यम से कहता हूं विजन लाने के लिए खाली पंचम तल के 5–7 अधिकारियों से आप स्टेट चलवाते हैं। मा0 मंत्रीगणों में भी यह विजन होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, डी0पी0आर0 कैसे बनायी जाती है, केन्द्र सरकार से पैसा कैसे लाया जाता है। मान्यवर, यह बड़ा सोचनीय विषय है। बजट से संबंधित है इसलिए मैं अपनी पीड़ा अवगत करा रहा हूं। मान्यवर, दो बातें आती है यदि आप देखें तो मान्यवर, वित्तमंत्री जी ने विधानसभा में जो बजट पेश किया पिछले सालों में कम्परीजन करिए 1 करोड़ 44 लाख 177.27 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें 1 करोड़ 11 लाख 670.61 करोड़ राजस्व प्राप्तियां है और 32 हजार 556.66 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं, कुल प्राप्तियों में कर राजस्व 77 हजार 823.9 करोड़ है, इसमें केन्द्र से मिलने वाले करांश 33 हजार 517.22 करोड़ सम्मिलित हैं, जहां तक खर्च का सवाल है, खर्च भी आप लोगों का जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। आप दो साल अपनी सरकार को देख लीजिए इस बार आपका खर्चा है 1 करोड़ 53 लाख 199.38 करोड़ और इसमें 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार, 21 करोड़ पूंजीगत और 45643.13 करोड़ आयोजनागत मद में अनुमानित है। इस प्रकार बजट में 9022.11 करोड़ का घाटा है। मान्यवर, मैं एक बात जो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको आप पूरा करेंगे लोक लेखा निधि से 7002 करोड़ रुपये घटाकर, फिर कहते हैं कि 2020.11 करोड़ का अतिरिक्त घाटा शेष रहेगा। मान्यवर, एक प्रथा चला रखी है कि लोक लेखा निधि से पैसा ट्रांसफर करके घाटा कम दिखाने के लिए और उसके बाद उसे ट्रांसफर कर देने के लिए तो यह सिस्टम भी गलत है, आप अपना एक इमेज दिखाते हैं। लोक लेखा निधि में सरकारी कर्मचारियों को प्रॉविडेंट फण्ड, तमाम इस तरह की निधियां हैं, जिन निधियों का अलग से फण्ड बनना चाहिए उसको आप बजट में शामिल करके, माइनस करके अपना लांस कम करके दिखाते हैं यह भी जनता के लिए भ्रामक दिग्दर्शन है।

मान्यवर, स्थिति बहुत गम्भीर है और यह जो लुभावने सपने विधान सभा में सुनते हैं या दिखाये जाते हैं उन्हें आप मैदान मे जा करके देखिये कि क्या हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बुकलेट को पढ़ें जो कि जनता को दिखाने के लिए एक जादुई पिटारा है। इसमें सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय करके जो आपने परियोजनाएं दिखायी हैं आप नहीं समझ पायेंगे कि यह आम गरीब जनता के लिए नहीं है, यह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की व्यक्तिगत योजनाएं हैं। आम आदमी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। अभी हमारे वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। एक आम विधवा, एक आम बुजुर्ग अपनी पेंशन लेने जाता है तो उसको इतनी फार्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं कि वह परेशान हो जाता है। जो भी मामले होते हैं, सभी में रिश्वत ली जाती है, तहसील स्तर पर 5–5 सौ रुपये की रिश्वत ली जाती है। जो गरीब, दलित व्यक्ति लड़की की शादी कराने के लिए जाता है तो कहता है कि हमारे काम तो होते नहीं हैं, नेता जी के पास जाइये कहते हैं कि पार्टी फण्ड में जमा कराइये, तहसीलदार के

पास जाइये तो कहता है कि व्यदस्था लाइये तो किस प्रकार का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। मान्यवर, सोच अच्छी है पर कियान्वयन नहीं हो रहा है। आप अल्पसंख्यकों की शादी के लिए देखिये और कांशीराम आवासों के लिए देखिये, जिसके लिए यह सरकार बहुत प्रसिद्ध है। आप पता करा लीजिए 80 प्रतिशत लोगों से व्यवस्था शुल्क लिया गया है मकानों के एलांटमेंट में। आप डाटा कलेक्शन करा लीजिए, इसी तरह से मान्यवर, कांशीराम आवासीय योजना के अन्तर्गत देखिये कि उसमें किन लोगों को आवास मिला। सही मायने में दलितों को आवास मिला कि नहीं मिला। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन के अन्तर्गत मान्यवर, आप लोग तो मुहर भी अपनी लगा देते हैं केन्द्र सरकार की योजनाओं में। मैंने देखा अभी मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे थे उसमें जे0एन0यू0आर0एम0 का कोई जिक्र नहीं था, बी0एस0यू0पी0 करके लिखा था। मैंने पूछा कि यह बी0एस0यू0पी0 क्या है तो बताया कि यह केन्द्र सरकार की स्कीम है जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन। आप केन्द्र सरकार से कुछ ले रहे हैं तो कम से कम उसका भी नाम डाल दीजिए, 20 प्रतिशत आपका कन्ट्रीब्यूशन है और 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार का है मथुरा के केस् में लेकिन मुहर आपकी लगी हुई है। तो मान्यवर, इस तरह से जनता सब जानती है, बी0पी0एल0 का राशन कार्ड बनवाने के लिए आप हजार–बारह सौ रुपये दे करके आइये तब आपका बी0पी0एल0 कार्ड बनेगा। उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि कौन लोग मर गये हैं। मेरे कहने का मतलब हैं कि जो भी खाद्य मंत्री यहां पर बैठे हों, मैं मान सकता हूं कि आपकी सोच सही है पर ग्रास रूट पर जनता को कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए आपका यह बजट बिल्कुल फेल है। मैं कहना चाहूंगा कि आप बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बातें कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की हालत देखिये, टीचर्स स्कूल बनवाने में लगे रहते हैं और भोजन बनवाने में लगे रहते हैं आप कितने भी स्कूल बनवा दीजिये बच्चे भी उन्हीं के साथ खाना बनाने में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक कालेजों में जाइये, वहां मैनेजमेंट के झगड़े चल रहे हैं और डी0आई0ओ0एस0 उसी में व्यवस्था बटोरता रहता है और इसी तरह से विश्वविद्यालयों की इतनी दुर्गति है, मुझे मौका मिला है कई विश्वविद्यालयों के एक्जीक्यूटिव काउंसिल का मेम्बर होने का। इतना नेट–वर्किंग गलत है कि आपके वाइस चांसलर तो हेल्पलेस हैं। कोई भी फण्ड यदि यहां से एलोकेट होता है तो उसमें लोग चील की तरह, गिद्धों की तरह झपटते हैं कि कितना भारी कमीशन उनको मिल जाए। विश्वविद्यालयों की हाल बद से बदतर होती जा रही है। हमने कई बार कहा, कई बार लिखा कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ वहां तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो टेम्पोरेरी लगाये गये हैं, उनके अनशन चलते रहते हैं। उनको रेगुलराइज करने की कोई स्कीम नहीं है, कोई ऐसा फण्ड नहीं है कि उनकी तनख्वाह दी जा सके। आज स्थिति यह है कि ये शिक्षा संस्थान राजनीति का अखाड़ा बन गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी, आपकी सारी बातें आ गयी है, थोड़ा संक्षेप करें।

श्री प्रदीप माथुर–

अधिष्ठाता महोदय, प्रमोद तिवारी जी का समय मेरे पास है, मैं उन्हीं की बिहाफ पर बोल रहा हूं इसलिए मुझको समय दीजिए, मैं डिप्टी लीडर की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि सरकार सजग है, यदि आप फण्ड का एलोकेशन करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का स्टैण्डर्ड बढ़ाइये। वहां ऐसी इनक्वायरी कमेटियां बिठाईये कि वहां एक मकड़जाल बन गया है, विश्वविद्यालय सुधरते नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए एक नई योजना बनाइये। आज ओपेन एजुकेशन हो गयी है, उस पर आप फारेन युनिवर्सिटीज से टाई अप करिये। नये सिस्टम क्रियेट करिये। इसके अतिरिक्त मैं आप से कृषि के बारे में कहना चाहूंगा, किसानों को खाद नहीं मिलती है। कृषि मंत्री जी हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे बड़े भाई हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। वह मेहनत करते हैं, उनको मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं परन्तु सारे के सारे उत्तर प्रदेश के किसान खाद के लिए तरस गये। नहरों में पानी नहीं आ रहा है, नहरों की खुदाई नहीं हो रही है। केन्द्र सरकार की योजना नरेगा का खिलवाड़ किया जा रहा है, जे0सी0बी0 मशीन से काम कराये जा रहे हैं, जॉब कार्ड प्रधान लोग ले लेते हैं और आप लोग उन सबको संरक्षण देते हैं। जो अभी विधान परिषद् का चुनाव हुआ, वही जॉब कार्ड, वहीं नरेगा और वही प्रधान और वही हैण्ड पम्प, आपने पूरे केन्द्र सरकार की स्कीमों का इन चुनावों में लाभ उठाया और उसका नतीजा क्या हुआ इन चुनावों में कि आज आप बहुमत में हैं और सबके दिमाग में यह है कि यह तो वर्तमान सरकार का खेल है, केन्द्र सरकार की योजनाओं से कोई मतलब नहीं है! हमारे सम्मानित ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुये हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये बांके बिहारी जी के दर्शन भी रोज करने जाते हैं। आज मैंने कहा कि टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत आपकी सरकार ने कहा था और आपकी सरकार बचनबद्ध थी कि मथुरा के अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्द्रग्राम, बरसाना और गोवर्धन को पावर कट से एक्जेम्पट करेंगे। आप तो कृष्ण भक्त हैं, आज सुबह मैंने मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा था, आप अनपारा योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, आप नये विद्युत जनरेशन के प्लान्ट लगवा रहे हैं।

मान्यवर, यह पिछले साल भी आपने कहा था, उससे पहले भी बजट में कहा था पर आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी मथुरा में 6–7 घण्टे बिजली मिलती है, प्रदेश के किसानों को 6–7 घण्टे बिजली मिलती है, शहर में 4–5 घण्टे मिलती है। आप कृष्ण भक्त हैं और आप से मैं कह रहा हूं कि कम से कम मथुरा–वृन्दावन को ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में बिजली कटौती से मुक्ति दिला दीजिए तो बृजवासी आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। मैं सड़क और सेतु की बात भी कह देना चाहता हूं। जहां तक केन्द्र सरकार का मामला है उन्होंने तमाम ओवर ब्रिज सैंक्शन कर दिये। आप आकर के देखिये रेल ओवर ब्रिज के ऊपर आपके प्रदेश सरकार ने पिछले साल कितना धन आवंटित किया और किस रफ्तार से ब्रिज बन रहे हैं ? हमने अपने क्षेत्र में एक ओवर ब्रिज बनवाया, आज सवा दो साल हो गये, इतनी लाल फीताशाही है कि जो वहां पर यूनिट इंचार्ज

जानकी प्रसाद राणा हैं बहुत ही भ्रष्ट आदमी है उसने वहां पर काफी भ्रष्टाचार कर रखा है वह जमा हुआ है, हटने का नाम नहीं लेता, उसने सारा काम बिगाड़ रखा है। मान्यवर, यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे और जो एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं भविष्य में प्रदेश को दिशा दे सकते हैं। पर हाल फिलहाल इनकी वजह से कितने किसानों को नुकसान हो रहा है, कितने किसान लोग विस्थापित हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक्सप्रेस-वे के बनने के बाद जो आपने फंडिग करी है और जे0पी0 ग्रुप के साथ मिलकर टाई अप हुआ है वह किस तरह से उन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। 10 हजार करोड़ का एक्सप्रेस-वे बन रहा है और उसके आसपास की जमीनें इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अध्यापित की जा रही है। मान्यवर, वर्तमान में जो इण्डस्ट्रियल एरियाज हैं, यदि आप देखेंगे तो 100 प्रतिशत रुग्ण इण्डस्ट्रियल एरिया पड़े हुये हैं। आप यदि इतने औद्योगीकरण के पीछे इतना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं। बड़े बड़े विद्युत बिलों को वन टाइम सेटेलमेंट पालिसी करके निपटाना चाहिए जो किसानों को रिकवरी सर्टीफिकेट इशू किए जा रहे है इससे किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। ताज एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे में जबरन किसानों से जमीने ली जा रही हैं उनको डराया, धमकाया जा रहा है थानों पर बिठाया जा रहा है विकास के नाम पर आप विनाश करने का काम कर रहे है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी सोच है जब सरकार के पास पैसा नहीं होता है तो थोड़े बहुत पैसे से पूंजीपतियों के साथ एग्रीमेंट करके काम किया जाता है। यह सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए पिछले दो साल से कार्यरत है। लेकिन दूसरे प्रदेश का पूंजीपति या पार्टियाँ जब यहां आती हैं जो यहां के अफसरशाही के रवैये को देखकर घबरा जाती हैं सिस्टम कैसे ठीक हो हम लोग जो विरोधी दल के लोग हैं वह चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो हम यहां विरोध पक्ष में बैठे है इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी सोच विरोध की है सब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो लेकिन यहां पर विरोध पक्ष में बैठे हुए लोगों की एक भी हैण्ड पम्प, एक भी सड़क या बिजली की लाइन स्वीकार नहीं की जाती है। सरकार चाहती है कि इनकी एक भी विधवा पेंशन, शादी अनुदान की रिकमण्डेशन स्वीकार न की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं प्रमोद तिवारी जी की जगह बोल रहा हूं। केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना बनाने से ही काम नहीं चलेगा इसके लिए जो सेल बनाई गई है उसमें हायली क्वालीफाइड, टेक्नोक्रेट लोगों को बिठाना चाहिए ताकि जो बाहर के जो बड़े बड़े पूंजीपति, इण्टरप्रन्योर आते हैं उनकी वेवलेंथ को यह समझ सकें। पांचवे तल में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वह अधिकारी अच्छे हैं लेकिन जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं उनको जब तक पंच नहीं किया जाएगा तब तक कोई योजना कारगर नही होने वाली है। डेवलपमेंट एथारिटी का हाल यह है कि आपके जो मकान बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या हैं। ठेकेदारों, माफियाओं का कमीशन तय

है। 40 प्रतिशत कमीशन ऊपर जा रहा है 20 प्रतिशत कमीशन ठेकेदारों को जा रहा है, तो सड़कें किस तरह की बनेंगे क्या ओढ़ेंगे क्या बिछाएंगे। इसकी आप कल्पना कीजिए। अफसरशाही कमीशन में लिप्त है अफसरों से जब बात करो तो कहते है कि ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए जब सिस्टम रिलैक्स होगा तो डेवलपमेंट होगा सिस्टम को इतना टाइट मत करिए कि काम करना मुश्किल हो जाय। गन्ना मूल्यों को 25 रुपये बढ़ाकर आपने किसानों को झुनझुना पकड़ा दिया। आप पी0पी0पी0 के अन्तर्गत तमाम गन्ना मिलों को बेचने की बात कर रहे हैं जब सभी चीजें बेच दी जाएंगी तो सरकार के पास क्या होगा सब कुछ बिक जाएगा तो हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा कभी हम इधर होते हैं कभी उधर लेकिन यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। गन्ने के दाम घोषित करने के सम्बन्ध में मंत्री जी बता रहे थे कि शाहजहांपुर में जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो गन्ना पैदा होता है उससे जो चीनी निकलती है उससे लागत का आगणन करके रेट निर्धारित होते हैं। लेकिन गन्ने से जो खोई, मोलासिस निकलता है उसको एड करके दाम तय किया जाना चाहिए। आज किसानों को प्राइवेट क्षेत्र में 270, 280 और 300 रुपये तक गन्ने का दाम मिल रहा है। यह तो आपने प्राविधान किया था कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया कि गन्ने के किसानों को आपने कोई बहुत बड़ा सर्पोटिव प्राइज दे दिया हो। यह तो सिर्फ एक लॉलीपाप पकड़ाया है।

मान्यवर, पर्यटन की बात, माननीय पर्यटन मंत्री जी सामने बैठे हैं। बड़े होनहार है, बड़े होशियार हैं। इनकी भी व्यथा है और हमारी भी व्यथा है। उत्तराखंड और यू0पी0 जब यूनाइटेड था तो बहुत जबरजस्त पोटेंशियल था पर्यटन का। आज उत्तराखंड अलग हो जाने के बाद पिछले साल तो आपने 40–50 करोड़ का बजट था। मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्यटन मंत्री जी आप पर्यटन मंत्रालय को एक नोडल विभाग मानिये। पर्यटन से आपकी बहुत आय होती है। आगरा, मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर यह सब पर्यटन स्थल है। आपने पर्यटन का बजट जो रखा है, कम रखा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बजट भी है तो कैसे पर्यटन को बढ़ावा देंगे। मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि 90 करोड़ का जो बजट आपने पर्यटन विभाग के लिये रखा है। अभी तो वित्त मंत्री जी भी नहीं थे और प्रमुख सचिव, वित्त भी चले गये हैं। देख लीजिये सरकार कितनी गम्भीर है। पर्यटन के लिये आप एक नई पर्यटन नीति बनायें। बजट इसके लिये कम से कम 500, 700 करोड़ रुपये का हो। बाहर के विदेशी लोगों को आप आमंत्रित करें। जिस तरह से गंगा के लिये प्राइमिनिस्टर ने गंगा प्राधिकरण बनाया है उसी तरह से मेरे संज्ञान में आया है कि यमुना के लिये यमुना प्राधिकरण स्टेट में बना रहे हैं। उसमें उसी आधार पर इन नदियों को साफ कराइये। मान्यवर, आज नदियां नाले के रूप में हो गयी हैं। आज स्थिति यह है कि गंगा, यमुना, गोमती तीनों का पानी ऐसा हो गया है कि अगर हाथ उठाकर पानी लें तो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। हमारे मथुरा में तो आचमन करते हैं, गुजराती लोग आते हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, सरकार को गालियां देते हैं और कोसते हैं 'हाय मुई सरकार गंगा, यमुना इतनी मैली हो गयी।'

श्री अधिष्ठाता–

माथुर साहब समाप्त करें। यह बतायें कि प्रमोद जी और आपका मिलाकर कोटा कितना है। यह तो बता दें। दोनों लोग कितने देर में निपट लेते।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, 10 मिनट हुआ है। मान्यवर, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मान्यवर, गंगा, यमुना का आलम यह है कि आप यह देखिये कि यमुना जब उत्तर प्रदेश में चलती है उसकी इतनी दुर्दशा है। हरियाणा का सारा सीवरेज, दिल्ली का सारा सीवरेज, मैं हिन्दुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा था कि यमुना में जो कम्पोनेंट आफ लैटरीन है, बहुत ज्यादा है और ओरिजनल पानी तो है ही नहीं। सरकार क्यों नहीं सजग होती है। किसी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। सरकार यहां बसपा की है इनको डंडा चलाना चाहिए। यमुना में पानी गंदा क्यों आ रहा है ? इस पर सजगता से देखना चाहिए। आज यदि गंगा, यमुना, गोमती मैली है तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार मैली है। सरकार ने कोई बजट यमुना को क्लीन बनाने के लिये नहीं रखा है। जबकि देश विदेश के लोग यहां पर आते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर साहब समाप्त करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कल्चरल विभाग को लेकर। हेरिटेज बिल्डिंग्स, उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। आप ताज महल ले लीजिये, आगरा के किले ले लीजिये, मथुरा, वृन्दावन की हेरिटेज बिल्डिंग ले लीजिये, मिर्जापुर, बनारस की हेरिटेज बिल्डिंग ले लीजिये, बनारस के घाट ले लीजिये। कल्चरल डिपार्टमेंट के लिये बहुत बड़ा बजट रखना पड़ेगा। मान्यवर, बिल्डिंग्स जो कि 400-500 साल पुरानी हैं वह जर्जर अवस्था में हैं। उनका रख रखाव जरूरी है।

डा0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया।

श्री प्रदीप माथुर–

दो मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई है अगर डा0 चौधरी जी सहमत है तो आप बोलिए।

श्री प्रदीप माथुर–

दो मिनट में खत्म कर दूंगा। मान्यवर, चार सौ, पांच सौ साल पुरानी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी, आपकी बात आ गई है। आप बैठ जाएं।

(श्री प्रदीप माथुर एवं डा0 अनिल चौधरी के एक साथ बोलने पर शोर)

डा0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे समय दिया। अधिष्ठाता जी 4 तारीख को यह बजट पेश हुआ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, उन बिल्डिंग को मेन्टेन करने के लिए, कल्चरल डिपार्टमेंट .....

श्री अधिष्ठाता–

यह तो सब मिला जुला चल रहा है। आप बैठें माथुर जी।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इतनी बखूबी से तमाम महापुरुषों की मूर्तियों पर अरबों रुपया खर्चा आपने कर दिया.....

श्री अधिष्ठाता–

आप अब बैठें, बात आ गई है।

डा0 अनिल चौधरी–

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, मान्यवर, विख्यात अर्थशास्त्रियों ने बजट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अभी नेता प्रतिपक्ष भी बोले, माननीय हुकुम सिंह जी बोले और माननीय प्रदीप माथुर जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, सबके विचार आए। पत्रकारों ने, अर्थशास्त्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी लेकिन मैं समझता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह–

मान्यवर, दल की संख्या के अनुसार समय निर्धारित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

उसी के अनुसार निर्धारित हो रहा है। पहले दलीय नेताओं की बात आ रही थी। वकार साहब मा0 सदस्य बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल से बोल रहे है इसके बाद क्रम आ जाएगा।

डा0 अनिल चौधरी–

कौकब साहब हमारे नेता है वह अनुपस्थित हैं, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं मैं उप नेता हूं अपने दल का। मान्यवर, दो दिन सदन बन्द भी रहा, मुझे इलाके में जाने का मौका मिला, मैं अपने इलाके में गया, लेकिन जो सबसे बढ़िया प्रतिकिया मुझे लगी वह मेरे इलाके के एक थे, नाम जसराज सिंह, जाने जाते हैं जस्सा बाबा के नाम से और जस्सा बाबा के गांव की सड़क बहुत दिन से टूटी हुई है, मैंने विधान सभा में भी उठाया, लोक निर्माण मंत्री जी का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ था, मैंने उनसे पूछा था यह सड़क क्षतिग्रस्त है उन्होंने कहा जी हां, हमने कहा

क्या इसकी मरम्मत पर शासन कोई विचार कर रहा है, उन्होंने कहा, जी हां, हमने कहा, कब तक ? उन्होंने कहा वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, वह उत्तर भी हमने जस्सा बाबा को बताया था, उनकी भाषा में तर्जुमा करके, बाबा ने सवाल किया कि यह पैसा कब आएगा लल्लू, हमने बाबा को यह भी बताया था कि जब बजट आएगा, और बाबा ने जब यह बात पूछी कि बजट कब आएगा, तो हमने कहा, बाबा, होली के पहले आ जाएगा, अब बाबा के नाती ने यह भी बता दिया कि बजट आ गया और चांस की बात कि दो दिन की छुट्टी में हम भी बाबा की पकड़ायी में आ गए। बाबा ने पूछा, सड़क की का भई, हमने कहा वो तो सरकार घाटे में चली गई है, घाटे का बजट है इसलिए सड़क की मरम्मत (हंसी) बाबा बोला, तू झूठ, तेरी सरकार झूठ, अब असंसदीय शब्द है, मा0 ओमप्रकाश सिंह जी नहीं हैं वरना टोक देते, लेकिन यह बाबा की बोली बोल रहा हूं, मेरी बोली नहीं है, बोले तू झूठ, तेरी सरकार झूठ, सरकार तो बहुत मुनाफे में जा रही है, हमने कहा कि कैसे जा रही है, बोले देख, तीन साल पहले थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएं तो 100 रुपये लगते थे। आज रेट एक हजार हो गया, दस गुनी आमदनी हो गई। आयकर प्रमाण-पत्र बनवाने जाते थे, जाति प्रमाण-पत्र बनवाने जाते थे, सौ रुपये में बन जाता था, आज पांच सौ रुपये से नीचे कोई हाथ नहीं डालने देता है। पहले इन्दिरा आवास के रेट दो हज़ार मात्र, आज सात से लेकर 12 हजार तक है, तब इन्दिरा आवास मिलेगा, वृद्धावस्था पेन्शन, विकलांग पेन्शन, लाइसेंस का रिन्युअल, नया लाइसेंस बनाना, हर चीज में दस-दस गुने की मंहगाई हो गई, बाबा बेचारा सीधा आदमी, उसकी समझ में सरकार की आमदनी के यही स्रोत होते है। जब हमने बाबा को सही करने की कोशिश करने का प्रयास किया तो बाबा बोला 'गलत' मायावती से मुलाकात होती हो तो उनको बता देना, बीच वाले खाये चले जा रहे है, उन तक शायद पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यह घाटा है। (हंसी) मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया प्रतिक्रिया और क्या हो सकती है और सरकार को चेत जाना चाहिए, इस तरह की प्रतिक्रिया से। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई नुक्कड़ बकाया नहीं है जहां 'ऐसे जस्सा बाबा' न बैठे हों और अगर उनकी तकलीफें नहीं सुनोगे, उनकी प्रतिक्रियाओं पर गौर नहीं करोगे तो आपको डूबने से बचाने वाला कोई पैदा नहीं है। हम जो यहां चर्चा में भाग लेते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ आपकी आलोचना करना नहीं होता, आपको चेतना भी होता है। आधा ही समय बीता है, अभी भी अगर संभल जाओगे और आम आदमी की तकलीफ पर सोचने का मौका निकालोगे तो कुछ न कुछ हो जायेगा। वरना क्या कारण है, आगरा से अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-93, दो मंत्री आते हैं, मेरा सौभाग्य है, ऊर्जा मंत्री जी और उद्यान मंत्री जी। दोनों के क्षेत्र उसी पर हैं, बीच में मेरा क्षेत्र है। झगड़े का रूप है, हाथरस जिले में, झगड़ा समझ रहे होंगे, सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता, जिसमें बैलगाड़ियां चलती हैं। ढाई साल हो गया है, मैंने वहां पर इंजीनियर से पूछा कि क्या कारण है, बोला कि इसकी क्रेस्ट की मोटाई केवल 20 सेमी है।

मान्यवर, जो हम लोग विधायक निधि से गांवों की सड़कें बनवाते हैं, जिन पर साइकिलें और बुग्गियां चलती हैं, उसकी भी क्रेस्ट की मोटाई 24 सेमी होती है और उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20 सेमी की मोटाई की क्रेस्ट डाली गई है। आज तक किसी ने उसके लिए कार्ययोजना बना कर नहीं दी। राष्ट्रीय राजमार्ग है, केन्द्र सरकार से पैसा आयेगा, लेकिन उसकी पैरोकारी तो ढंग से की जाए। झगड़ा बना पड़ा है, उस रास्ते का कोई पुरसा हाल नहीं है, यह स्थिति है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी भी उसी रास्ते से निकलते हैं, उनकी भी वही पीड़ा होगी लेकिन उनकी मज़बूरी है, यह कह नहीं सकते, मैं कह रहा हूं लेकिन सहमति इनकी भी है, इसमें मान्यवर, बजट आया, अब बात की जाए तो बजट के लिए किस चीज के लिए प्राविधान होगा ? 04 तारीख को प्रयास करके हमने नियम-51 में लगवाया, उससे पहले 12 जनवरी को मा0 मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा, जल निगम के अधिकारियों को भी लिखकर दिया, आगरा की गंगा पेयजल परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया और उस परियोजना के ऊपर भी जान लीजिए, वर्ष 2005-06 में आगरा को गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए परियोजना बनाई गई और उस परियोजना का आकार लगभग 360 करोड़ रुपये रखा गया। उसके 5 महीने बाद जाने क्या कारण हुआ, वही परियोजना, उसी का विस्तृत रुप बना करके 2006-2007 में एक डीपीआर तैयार की गई और उसमें उस परियोजना का आकार 1160 करोड़ रुपया कर दिया गया। हमारे कुछ मित्रों ने कोशिश की और इसी के समानांतर एक परियोजना बनी थी, राजस्थान में, धौलपुर, भरतपुर, चम्बल परियोजना के नाम से, चम्बल का पानी लिफ्ट करके भरतपुर पहुंचाना था, उस परियोजना का आकार, इस परियोजना से लगभग सवाया या ड्योढ़ा है, उस परियोजना का व्यय मात्र 650 करोड़ रुपया है। हमने 12 जनवरी को मा0 मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उनके पंचम तल पर रिसीव कराया और हमने कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाए, इसमें गंभीर भ्रष्टाचार की आशंका है। उस पत्र का असर यह हुआ कि उस परियोजना के लिए ही तुरन्त 300 करोड़ दे दिया। जिन चीजों की इस बजट में घोषणा हो जाती है तो जनता समझ लेती है कि लेनदेन फाइनल हो गया, इसलिए इसमें पैसा लिखकर चला आया। और क्या हो रहा है, यमुना एक्सप्रेस-वे जो बन रहा है, यह भी बात आई है कि 5 हाईटेक सिटी बनेंगी, एक-एक हजार करोड़ रुपये की प्राइवेट कंपनियों से उसके लिए पैसा आएगा। निवेश करेंगे और उसमें 500 करोड़ रुपये का इस वर्ष रख-रखाव है। उसकी सच्चाई बता देना चाहता हूं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 1191 गांव अधिसूचित कर 50 लाख हे0 जमीन ली जाएगी और केवल एक सेठ जी, जे0पी0 सेठ जी को वह सारी भूमि समर्पित कर दी जाएगी। पूरे देश में दूसरा कोई सेठ जी नहीं है। इनका जो जे0पी0 ग्रुप से यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 2007 में शासन का एग्रीमेंट हुआ है उसका भी मैंने अध्ययन किया। बड़ा शानदार एग्रीमेंट है, ऐसा मैंने कही नहीं देखा। उसमें एक पार्ट है कि यमुना एक्सप्रेस वे का निर्माण 160 किमी0 वैसे उसमें लिखा है लेकिन वैसे वह 165 किमी0 है, वह जे0पी0 ग्रुप कराएगा और वह उसके सहारे 5 हाईटेक सिटी डेवलप करेगा। उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने

का काम सरकार करेगी और उसमें एक कलाज यह भी दिया है कि अगर जे0पी0 ग्रुप अपनी कमी की वजह से अथवा शासन की कमी की वजह से इस एक्सप्रेस वे का निर्माण न भी कर पाये तब भी इन हाईटेक सिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी।

यह निवेश हो रहा है, यह इस प्रदेश की तरक्की हो रही है। किसान की बेशकीमती जमीन ले रहे हैं और उसके ऊपर वह भी उद्योग नहीं लगा रहे हैं। वह भी खेती करते हैं। नोएडा–ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस हाईवे है, उसके बगल में जे0पी0 की हजारों हे0 जमीन पड़ी हुयी है। कई साल पहले दे दिया गया था, आप चले जाएये, आज भी उसमें खेती हो रही है। मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर खेती करने के लिए ही जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो वह बेचारा गरीब किसान बेहतर खेती करेगा, कुछ लोगों के पेट भरने का काम करेगा और अपने परिवार को भी पाल लेगा। उसकी जमीन को इस तरह से छीनने का काम न किया जाय। मान्यवर, दो चार बातें और कहूंगा। बड़ी चिंता प्रकट की जाती है कि किसान की बड़ी चिंता है। अगर किसान की आपको वास्तविक चिंता है तो पूरे सूबे के अंदर भूगर्भ जलस्तर गिरने की वजह से जो डार्क ब्लाक बन गये हैं वह इसलिए बने हैं क्योंकि वह नहर की टेल पर आते हैं। आप नहरों की लाइनिंग के लिए पैसा दे दीजिए। पानी वहां तक पहुंचने लगेगा, उनका वाटर लेवल उठ जाएगा। बुंदेलखण्ड के लिए माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले साल घोषणा की थी। स्प्रिंकलर और ड्रिप ऐरिगेशन नई टेक्निक है सारे देश के अंदर यह चीज फैल रही है। पानी के कंजरवेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए एक आवश्यक बात है। खेती में इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखायी देगा। स्प्रिंकलर और ड्रिप ऐरिगेशन के लिए अगर आप पैसे का प्राविधान कर देंगे तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के किसान की शायद सच्ची सेवा हो पाएगी। मान्यवर, जितने विकसित देश हैं उनके अंदर सब्जी और फल, इनकी प्रोसेसिंग पूरे उत्पादन की 60 और 70 फीसदी हुआ करती है और हमारे देश के अंदर वह मात्र दो या चार फीसदी है। हमारा उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में पूरे देश में एक नम्बर पर है और पूरे राष्ट्र के आलू उत्पादन का 47 फीसदी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होता है।

मान्यवर, आगरा की जो बेल्ट है वह मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश के उत्पादन का आधा पैदा करती है लेकिन यह खेद का विषय है कि इससे पहले भी सरकार रही हैं, इसी सरकार से मुझे कोई खास चोट करने का शौक नहीं है। लेकिन क्योंकि माननीय उद्यान मंत्री जी उसी बेल्ट से आते हैं और खुद आलू के किसान हैं इसलिए इनसे मुझे अपेक्षाएं कुछ ज्यादा थी। वहां कम से कम अगर एक बड़ी आलू आधारित प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग जाएगी तो मैं समझता हूं कि हर तीसरे वर्ष किसान के सामने एक समस्या पैदा होती है कि बम्पर क्राप आ जाती है और उसका आलू फिकने लगता है। उसका आलू खेतों में सड़ जाता है, कोल्ड स्टोरेज से निकालकर फेंक दिया जाता है। अगर एक ऐसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग जाये जो साल में 20–25 लाख टन आलू प्रोसेस कर दिया करे तो मैं समझता हूं कि इससे देश का बहुत भला होगा, देश के अंदर स्टार्च की कमी भी है और आलू का जो

मेन प्रोड्यूस है वह स्टार्च है। यह भी सत्य है कि आलू का स्टार्च मक्का के स्टार्च के बजाये थोड़ा महंगा पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी, अब तो आपकी बातें आ गयी है।

डा0 अनिल चौधरी–

अभी मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, अधिष्ठाता जी। बस आखिरी बात है, आगे नहीं बढ़ाऊंगा बात को। अभी इन्दिरा आवास की बात आयी, मैं अपने हाथरस जनपद की एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में लाना चाहूंगा। अभी कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें निकला कि हाथरस जिले का इन्दिरा आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2700 घर बनाने का इसमें और घर बन पा रहे हैं केवल 2100, इसलिये अधिकारी बड़े पशोपेश में हैं कि यह 600 घरों का क्या किया जाये ? अगर सरकार को पैसा लौटायें तो उनके ऊपर हकतलफी होगी, इसलिये वे चाह रहे हैं कि लक्ष्य को घटाकर के ही घोषित कर दिया जाये और मान्यवर, यह हुआ क्यों ? यह इसलिये हुआ कि एक 21 अंक वाला आपने डेडलाइन बना दी कि जिस तक के लोगों को ही मकान दिया जायेगा। अरे कोई जरूरी है, यदि 21 अंक तक वाले लोग सैचुरेट हो गये हैं जनपद में तो उससे आगे वालों को लेना शुरू कर दीजिये लेकिन यह तो कही का तुक नहीं कि वह 600 लोगों का जो बजट है उसको सरकार वापस ले ले। सरासर नाइंसाफी है गरीब लोगों के साथ, आखिर बनाने तो उनके भी हैं और फिर सबसे बड़ी बात कि हमें पीड़ित की उनकी चिंता है जो आपके प्रिय हैं अधिकारी, हमारे यहां के सीडीओ और पी0डी0 कह रहे हैं कि वो लोग 6 परसेन्ट एक्सेपटेन्स देकर तो ये मकान लाये हैं और अब यह वापस चले जायेंगे तो हमारी तो रकम डूब गयी। मान्यवर, कम से कम उन गरीबों की ही सोच लीजिये जब इन गरीबों की चिंता नहीं है तो। अब मैं अपनी बात, अपनी वाणी को यही पर विराम देता हूं, पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष की बात पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट की सामान्य चर्चा में, आपने बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। माननीय नेता विरोधी दल जी ने, हुकुम सिंह जी ने, प्रदीप माथुर जी ने और अनिल चौधरी जी ने सामान्य चर्चा में जो बातें रखी हैं, मैं उनको अपने से सम्बद्ध करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सरकार का बजट जो है, वह पार्टनरशिप का, होर्डिंग लगाने वाला, कागजी बजट है। चूंकि जितनी भी योजनायें सरकार की पिछले बजट में बनी थी, सरकार के लोगों का पार्टनरशिप का काम है। कहीं भी कोई प्लान्ट लगना है तो पार्टनरशिप होना चाहिए, टाउनशिप बन रही है तो उसमें पार्टनरशिप होना चाहिए, बालू के ठेके होंगे तो उसमें पार्टनरशिप होना चाहिए, कोई भी सड़क बनेगी तो इन्हीं के ठेकेदार होंगे, इन्हीं के प्लान्ट होंगे तो यह हम कहेंगे कि पार्टनरशिप वाली इस सरकार का यह बजट है। यह केवल कागजी बजट है और होर्डिंग लगा देंगे, यदि प्रधान मंत्री जी

को पत्र लिखा गया तो उसकी एक होर्डिंग लगा देंगे। हम समझते हैं कि हम भी नेता सदन से सीख लें और सदन के समस्त सदस्य विपक्ष के सब लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिखें और अपने-अपने क्षेत्रों में होर्डिंग लगा दें कि हमने मांग किया मुख्यमंत्री से कि हमारे यहां यह काम कर दिया जाये। इस तरह की यह सरकार है कि जो जनता के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। फिजूल खर्चों पर ध्यान दिया है, मान्यवर, इस सरकार ने जो भी बजट में व्यवस्था की है, उसमें जैसे कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसके बावजूद न तो सिंचाई की व्यवस्था की गयी, न पानी की व्यवस्था की गयी है, न बिजली, न सड़क, न चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है और जहां तक निर्बल आय वर्ग के लोगों की यह हिमायती सरकार है।

मान्यवर, हम लोग पक्षधर है कि ठीक है, मान्यवर, कांशीराम शहरी योजना बनायी गयी है लेकिन माननीय सदस्यों ने बताया कि उसमें इस तरह से घपले हो रहे हैं, बिना पैसे के आवंटन नहीं हो रहा है और इसके अलावा मान्यवर, यह योजना कारगर नहीं है। गरीब आदमी 4 मंजिली, 6 मंजिली इमारतों में कैसे रहेगा ? उसके साथ भेड़ भी रहेगी, बकरी भी रहेगी, गाय भी रहे गी, सूअर भी रहेगा। कैसे सूअर 5 मंजिली पर चढ़कर जायेगा, बकरी जायेगी, गाय जायेगी, उसकी क्या व्यवस्था है ? गरीब आदमी तो बहुत कमजोर होता है, अपनी बकरी भी पाल लिया, गाय भी पाल लिया और उसी से अपना काम चलाता है और उसके पास कोई बाहरी आय का साधन नहीं होता हैं। इसके अलावा मान्यवर, जो भी बजट हमने पढ़ा, इन्होंने निर्बल आय वर्ग के लिये मछुवा आवास, हालांकि मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। प्रदेश में इतने मछुवा समाज के लोग नदियों के किनारे बसे हुये हैं जो कि घास की झोपड़ियों में रहते हैं, केवल मात्र 2500 आवास की व्यवस्था की गयी है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसके अलावा इन्होंने मान्यवर, बाल विकास पोषाहार योजना के अन्तर्गत जो कि केन्द्र सरकार की योजना है, हमने देखा है कि माननीय सदस्यगण चाहे पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के हों यह देखने में मिलता है। कि जो 2505 करोड़ की व्यवस्था की गई है मान्यवर, इसमें पका पकाया भोजन, सुबह का नाश्ता, हम नहीं समझते कि बाल विकास परियोजना में किसी भी गांव में आंगनवाड़ी द्वारा पकापकाया भोजन या नाश्ता मिलता है, यह केवल आंकड़ों का बजट है, इसको कागज में दिखा कर बन्दर बांट करने वाला, पार्टनरशिप वाला बजट है। इसी तरह हम देख रहे हैं, हमने सोचा था कि कारागार मंत्री अलग से रहेंगे तो शायद हो सकता है सुधार हो जाय कारागार का, आज हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कारागार मंत्री है, कारागार में न तो बैरकों की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है, दस से बीस गुना अधिक क्षमता से वहां कैदी हैं और पशुवत जिन्दगी जी रहे हैं, केवल बाथरूम जाने के लिए सुबह से लगा कर दोपहर तक लाईन लगाते हैं, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है मान्यवर। वहां पर कमान कटाने के नाम पर 51,000 प्रति बन्दी लिया जा रहा है, हम सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी के पास कारागार विभाग है इसलिए भ्रष्टाचार दूर होगा, कमान कटाने के नाम पर, मिलाई

के नाम पर एक हजार रुपया प्रति बन्दी से कम लिया जाता हो, बता दे कोई। चूंकि सभी माननीय पक्ष विपक्ष के सदस्य बैठे हैं तो इसमें सुधार होना चाहिए चूंकि यह मुख्य मंत्री जी के पास विभाग है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य संक्षेप करें, अभी और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। आप तो केवल पार्टनरशिप की बात पर ही अटके हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था हुई, हमने सोचा था कि यह सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय वाला बजट है, यह सरकार सबको तो कुछ नहीं दे पा रही है, लेकिन सभी लोगों को सर्वजन समाज को झाड़ू पकड़वाने का काम कर दिया है। आज देखने में मिलता है केवल बाल्मीकी समाज के अलावा कोई झाड़ू लगाने जाता हो, बता दे, कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाने ही जा रहा है यह केवल कागजी बजट है। हमने बताया कि यह केवल कागज मे बजट चल रहा है, इसमें किसी प्रकार को कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है, सरकारी आतंक से सिण्डीकेट बना कर गुण्डा टैक्स वसूला जा रहा है। बालू खनन को देखिये मान्यवर, अभी हमारे बांदा में कनवारा में गोली चल गई, ट्रक फूंके गये, लोग मर गये। अभी परसों की घटना है मान्यवर, इतना अवैध खनन हो रहा है, चाहे मिट्टी का खनन हो, या बालू का खनन हो मान्यवर, सिण्डीकेट बना दिया गया है। एक इन्दिरा आवास बनाने के लिए, महामाया आवास बनाने के लिए कैसे गरीब आदमी बनायेगा। पी0 डब्ल्यू0 डी0 गवर्नमेण्ट की दर से अधिक रु0 1,000 से 3,000 गुण्डा टैक्स लेकर मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

निषाद जी, आपकी बात आ गई।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, अभी तो हम केवल एक ही मिनट बोले हैं।

मान्यवर, एक हजार से लगा कर तीन हजार उसमें सिण्डीकेट टैक्स लगता है, इस तरह से तमाम इसमें घोटाले हैं, आप ज्यादा बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इनको चाहिए था इस समय शिक्षक कर्मचारी सब जगह पिट रहे हैं, इनकी सरकार में एक आई0 ए0 एस0, एक इन्जीनियर तथा पी0 सी0 एफ0 के प्रबन्धक की हत्या हो गई। मान्यवर, थाना पुलिस चौकी के लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मूर्ति पार्कों के लिए, अपने आवास की विशेष सुरक्षा बल के लिए करोड़ों का खर्च है। जिन्दा आदमी के लिए सुरक्षा के नाम पर कोई पुलिस नहीं है और मूर्तियों और पार्कों के लिए इस सरकार के पास पर्याप्त धन की व्यवस्था है

वहां उसमें घाटा नहीं आ रहा है। इसके अलावा मान्यवर, बताना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार बुन्देलखण्ड में माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं हजारों किसान जो हैं निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए चक्कर लगा रहे हैं परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी एक घटना हमारे पास आई थी, पुलिस भर्ती मामले में, जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं तो हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं जिन लोगों की भर्ती हुई पुलिस में उनको बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा।

श्री अधिष्ठाता–

निषाद जी आपकी बात आ गई।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में अभी 28 जनवरी, 2010 को मौर्या डाक्टर को केवल इसलिए मारा पीटा गया भर्ती बोर्ड में जाकर मारा पीटा गया, उससे कहा जा रहा था कि इसकी फर्जी डाक्टरी रिपोर्ट बनाओ, यह अपात्र व्यक्ति है, इसको पात्र करो, मुकदमा कायम है वहां 48/10 थाना कोतवाली प्रतापगढ में।

श्री अधिष्ठाता–

निषाद जी, थोड़ा संक्षेप करिये, आपकी पूरी बात आ गई है। मा0 सदस्य भगवान दास जी आप अपनी बात रखें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह बजट जो है, पूरी तरह से कमीशन खोरों का है और पूरी तरह से जैसा हमारे नेता विरोधी दल ने बताया और यह बजट पार्टनरशिप का बजट है, इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये बिन्दुओं पर बल देता हूं।

*श्री भगवान दास–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे 2010-2011 में माननीय वित्त मंत्री लालजी वर्मा द्वारा लाये गये बजट पर बोलने का मौका दिया, हम आपके प्रति आभारी हैं, धन्यवाद देते है। मान्यवर, यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित है। हमारी सरकार ने इसी नीति पर चलकर और विभिन्न योजनायें संचालित कर सभी वर्गों, सभी समुदायों एवं सभी क्षेत्रों को समुचित विकास का अवसर प्रदान करने का काम किया है और उसी संबंध में यह बजट लाया गया है। इस बजट के द्वारा हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों को लाभ मिले। समाज के उपेक्षित वर्गों और निर्बल लोगों का अल्पसंख्यक लोगों का उत्थान हो। छात्रों का उत्थान हो। इसके लिए बजट में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं। विपक्ष के साथी यहां पर यह कहते हैं कि उनके समय में सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कम किया जिसको द्वेषवश इस सरकार ने वापस लेने का काम किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बेरोजगार वह होता है जिसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो। यहां तो जो बी0ए0 पास था उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जा रहा था। मान्यवर, हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा पढ़ लिखकर आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0 बने, कलेक्ट्रेट बने और दूसरा बड़ा अधिकारी बने, इंजीनियर बने, डाक्टर बने। अगर उसी बच्चे को फालतू बिठा दिया जाये और उसे कुछ पैसा दे दिया जाये तो वह क्या करेगा शराब पियेगा, जुंआ खेलेगा। इस तरह से पुरानी सरकार ने उन लोगों को कटोरा थमाने का काम किया और नौकरी रोजगार के अवसर सृजित करने की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया है। चाहे, शिक्षा मित्र के पदों पर नियुक्ति हो, किसान मित्र हों, विज्ञान मित्र हों, पंचायत मित्र हो या फिर सफाई कर्मी हो, इन पदों पर बड़ी संख्या में लोगों को रखने का काम किया गया है। मान्यवर, यह सदन जानता है कि हमारी सरकार ने 78 हजार लोगों को शिक्षा मित्र के पदों पर भर्ती करके उनको रोजगार देने का काम किया। 1,88,000 लोगों को सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त करने का काम किया। यही नहीं यह सरकार जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके विशिष्ट बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग देकर के रोजगार देने का काम कर रही है। ऐसे 59 हजार लोगों को रोजगार देने का काम भी इस सरकार ने किया है। वर्तमान में 29 हजार लोग प्रशिक्षणाधीन हैं। मान्यवर, इस सरकार ने महिलाओं तथा विशेष तौर पर बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 'महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना' तथा 'सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना' जैसी महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की है। और इन योजनाओं को संचालित करके विकास के प्रति प्रतिबद्ध होने का परिचय देने का काम किया है।

मान्यवर, आज जो महिला पुरुष का अनुपात है वह घट रहा है इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, अगर ध्यान दिया तो बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। आज एक हजार लड़कों पर 900 लड़कियां है। आज जो वर्तमान युग है अगर यही स्थिति रही तो यह अनुपात 5 साल में घटकर 1000--700 रह जायेगा। इस अनुपात को रोकने के लिए हमारी सरकार ने यह कुछ महत्वाकांक्षी योजनायें बनायी हैं मान्यवर, आज विज्ञान का युग है तकनीकी का युग है लोग बच्चा पेट में होने पर पता लगा लेते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की है तो उसको गिरवाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लोग यह समझते हैं कि लड़कियों से वंश नहीं चल सकता है। लेकिन हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने साबित कर दिया है कि वह प्रदेश की मुख्य मंत्री हो सकती हैं और केन्द्र के लिए भी सोच रखती हैं। इस तरह से आज इस तथ्य को झुठलाने का काम किया जा रहा है कि क्या लड़कियों से वंश नहीं चल सकता है। अगर ये मॉ--बाप अपने ऊपर बोझ समझते हैं तो आज से हमारी सरकार, हमारी बहना ने 15 जनवरी, 2009 को निर्णय लिया कि आज से इन लड़कियों को हमारी सरकार गोद लेती है और उन लड़कियों के लिए व्यवस्था किया कि यह लड़कियां जिनका जन्मदर घट रहा है यह लड़कियां घटने न पाये और वह लड़कियां जिनकी बालिग होने से

पहले शादी कर दी जाती थी बालिग होने के बाद लोग शादी करें। ऐसी लड़कियों के लिए हमारी सरकार ने जो अब 15 जनवरी, 2009 के बाद पैदा होंगी के लिए 20 हजार रुपया उसके खाते में जमा किया जायेगा और 18 साल बाद जाकर के वह एक लाख रुपया होगा और किसी मॉ–बाप को उसकी चिन्ता नहीं होगी कि उसकी शादी कैसे करें। इतना ही नहीं महोदय, लड़कियां शिक्षित हो सके, उनकी पढ़ाई न रुके, हाई स्कूल पास होने पर उन्हें 15 हजार रुपया और विद्यालय आने-जाने के लिए 10 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं, ग्यारह पास करने पर उस लड़की के लिए 10 हजार की व्यवस्था की गयी, इतना ही नहीं गरीब परिवार में अगर कोई मुखिया मर जाता है तो मुखिया के मरने पर परिवार में संकट आ जाता है। परिवार पर संकट न आने पाये इसके लिए पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो पहले 10 हजार रुपया था उसको बढ़ाकर 20 हजार रुपया कर दिया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने जो गरीब हैं, मजदूर हैं, समय से पहले अगर इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो उनके बीमा के लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। मेरा कहने का यह आशय है कि यह बजट सर्वांगीण विकास के लिए चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे किंसान हो, चाहे समाज के उपेक्षित लोग हों उनके लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने जो मजदूरी 59.00 रुपये थी उसको बढ़ाकर 100 रुपया करने का काम किया हैं आज विरोधी लोग देख नहीं पा रहे हैं कहते हैं कि कहां विकास हो रहा है। अभी सड़क की बात कर रहे थे, पिछली सरकार में सारी सड़कें तोड़ दी गयी थी, 3–3 साल तक टूटा हुआ था। मैं सिद्धार्थनगर आता–जाता था कोर्डीनेटर बनाया गया था। गाड़ी में 4 पहिया होता है और पांचवा टायर स्टेपनी होती है पांचों का पांचों टायर उस 3 साल में खत्म हो गया, मुझे टायर बदलवाना पड़ा। होना यह चाहिए कि 10 कि0मी0 अगर बन रहा है तो वह जब बन जाय तब 10 कि0मी0 अगला तोड़ा जाना चाहिए लेकिन सारी की सारी सड़कें तोड़ दी गयी थीं और भारी कमीशन लिया गया उसमें।

श्री अधिष्ठाता–

भगवान दास जी बैठिये अब आपकी बात आ गयी। मैंने इमरान मसूद जी को बुला लिया है।

श्री भगवान दास–

मान्यवर, एक शेर पढ़कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ–

जिन्हें दो घूंट पीने का सलीका भी नहीं था,
वही कंजर्फ हर मैकदे पर छाये बैठे थे।
जिन्होंने जान देकर मैकदे की आबरू रख दी,
वह कतरे–कतरे के लिए तरसाये जाते थे।।

*श्री इमरान मसूद–

तो किस प्रकार से लोगों को महिमा मंडित करने का काम किया जा सके, महापुरुषों का महिमा मंडन होना चाहिए, लेकिन प्रदेश की सरकार प्रदेश की मुखिया न किसी वर्ग से ताल्लुक केवल एक वर्ग से ताल्लुक जोड़ सकती है, न केवल एक वर्ग की हो सकती है, पूरे प्रदेश की और प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों की है। अगर तमाम लोगों के महापुरुषों का ख्याल रखा जाये, अगर उन लोगों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाये, और मैंने 2007 के अंदर जब हम जीत कर आये थे, तब मैंने जिक्र किया था कि सर सैय्यद के नाम के ऊपर कोई योजना शुरू कर दी जाये, मौलाना आजाद के नाम कोई योजना, जिन्होंने इस देश को शिक्षा नीति देने का काम किया। डॉ0 जाकिर हुसैन साहब के नाम पर शुरू कर दी जाये लेकिन अफसोस की तीन साल के अंदर एक भी योजना इन महापुरुषों के नाम के ऊपर इस सरकार ने बनाने की न सोच सकी। हमें इस बात का कोई अफसोस और मलाल न होता कि अगर इस सरकार का बनाने के अंदर इन लोगों का योगदान न होता। अगर आज इस कुर्सी के ऊपर बैठी है इस कुर्सी के ऊपर बैठाने का अंदर इनका योगदान नहीं होता। मौलाना महमूद मौलाना मदनी ने हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल इसलिए काटी कि यह मुल्क आजाद हो जाये। मौलाना जौहर हिन्दुस्तान छोड़कर इसलिए चले गये कि जब तक हिन्दुस्तान के अंदर इनका और अंग्रेजों का राज्य रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप बजट की चर्चा पर आइये। आप दूर निकल जा रहे हैं।

श्री इमरान मसूद–

आ रहा हूं मान्यवर, आ रहा हूं। मान्यवर, आज आप यहां बैठे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनके हम सभी अनुयायी हैं, आप भी अनुयायी हैं और हम भी अनुयायी हैं। आप ज्यादा ढोल पीटते हो और हम कम ढोल पीटते हैं, बस फर्क इतना है। लेकिन बाबा साहब का सब सम्मान करते हैं। इस सरकार के लिये आप बैठे हैं आपको इसलिये बैठाया गया है कि आप प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के हित की बात कर सकें। केवल एक हित और एक सुख की बात न करें। मान्यवर, बजट पेश हो गया आज बड़ी खुशी हुयी कि हमारी तनख्वाहें भी बढ़ा दी गयीं। हमारी तनख्वाहें भी बढ़ा दी गयी और तनख्वाह से ताल्लुक नहीं मान्यवर। हमें तनख्वाह नहीं, हमारे क्षेत्र के अन्दर काम में हिस्सेदारी दे दी जाये। हमें नलों की घोषणा हो जाती है कि नल लग जायेंगे, सड़क घोषणा हो जाती है कि सड़क बन जायेगी। हमारे कहे हुये कुछ लोगों को पेंशन मिल जायेगी, किसी के छोटे–मोटे काम हो जायेंगे। मान्यवर, विपक्ष के विधायकों को तो ऐसा कर दिया कि जैसे इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, इनके कहे से कोई काम नहीं होना है, इनके कहे पर कोई अमल नहीं होना है, कोई नल नहीं लगना है कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लगना है, कोई चीज, कही खंभा नहीं लगना है मान्यवर। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, प्रदेश के अंदर सबसे भयंकर समस्या अभी हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी जिक्र कर रहे थे, यमुना के बारे में बता रहे थे। यमुना हमारे जनपद से होकर के निकलती है और आज यमुना की स्थिति यह हो गयी है कि यमुना के अंदर जनपद सहारनपुर की सीमा समाप्त कीजिये तो उसके अंदर एक क्रिकेट का मैदान बना हुआ है, एक बूंद पानी नहीं है। उसमें पानी कहां से आ रहा है ?

जो मथुरा पहुंच रहा है। उसमें सारा सीवेज पड़ रहा है, सारा सीवेज, सारी गन्दगी, सारी फैक्ट्रियों का मल सब कुछ यमुना के अंदर जाने का काम हो रहा है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। मान्यवर और यमुना के ऐक्शन प्लान के नाम पर, गंगा की सफाई के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया लेकिन न यमुना साफ हुयी न गंगा साफ हुयी। सीधे ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये गये लेकिन सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट कितनी कैपेसिटी है, वहां जितना मल उत्पादित हो रहा था, उसके अनुरूप न लगा। मान्यवर, सहारनपुर के अंदर मैं बता रहा हूं कि सहारनपुर में 77 एमएलटी का उत्पादन सीवेज का होता है लेकिन उसके सापेक्ष मात्र 38 एमएलटी का प्लाण्ट लगा और बाकी मल को सीधे ही नदी के अंदर हिण्डन नदी के अंदर डाला जा रहा है। इसी तरीके से हरिद्वार से लेकर बनारस और पूरे इलाहाबाद तक रास्ते के अंदर जितने भी नगर पड़ते हैं, गंगा के अंदर किस तरीके गंदा पानी डाला जा रहा है, उसकी कोई योजना केवल कागजों पर है, धरातल के ऊपर कोई योजना नहीं है। अंधाधुंध दोहन चल रहा है और अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण के ऊपर संकट के बादल छाये हुये हैं। अभी मैं मान्यवर, सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इम्पारटेंस अगर किसी की है तो वह स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य विभाग के अंदर इतना काम होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है और बजट रखा गया है मात्र 4758 करोड़ रुपया। और मैं पढ़ रहा था मान्यवर औषधि और रसायन के लिये 299 करोड रुपये का प्राविधान सरकार ने किया हैं यानि कि प्रति व्यक्ति लगभग 176 रुपये की औषधि आ रही है। मान्यवर, अगर किसी का एक्सीडेण्ट हो जाये, किसी के चोट लग जाये तो जरा सा चोट के अंदर दवाई हजारों रुपये की आती है, मात्र 176 रुपये के अंदर किस प्रकार से इलाज सरकार करा पायेगी। आपने लिख दिया कि हमने जो शहरी चिकित्सालय है उनके लिये 30 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। मान्यवर, शहर के अंदर तो प्राइवेट चिकित्सक भी मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जरूरत तो उन ग्रामीण अंचलों के अंदर देखने की है कि जहां सड़क नहीं है, जहां जाने का रास्ता नहीं है। जहां सड़कों की हालत इस कदर खराब है कि प्रसव के लिये आती हुयी औरतें सड़क के ऊपर प्रसव करने पर मजबूर हैं। उनके लिये कोई प्राविधान इस सरकार ने इस बजट के अंदर नहीं किया। जो सबसे ज्यादा आवश्यक और सबसे ज्यादा जरूरी था कि चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से देहात के अंदर, गांव के अन्दर, ग्रामीण अंचलों के अंदर जो पीएचसी खुली हुयी हैं उन पीएचसी में जाया जाये, मेरे यहां रण्डरौल गांव के अंदर सीएचसी बनायी गयी मान्यवर, और सीएचसी की हालत यह है कि सीएचसी के अंदर गोबर पथ रहा है, जानवर बंध रहे हैं .....

श्री अधिष्ठाता–

इमरान मसूद जी, कृपया संक्षेप करिये।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, दो मिनट बस, अभी 2–4 मिनट ही तो हुये हैं मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता–

कितने मिनट चाहिये।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, 2–3 मिनट और दे दीजिये। सारे उपकरण चोरी हो गये और सारे उपकरण चोरी होने के बाद आज उसके अंदर मान्यवर, जानवर बंध रहे हैं। मान्यवर, अभी दो दिन पहले सदन में चर्चा हो रही थी खेल नीति के ऊपर, आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर कोई खेल नीति नहीं है और खेल के प्रोत्साहन के नाम पर कुछ है ही नहीं। न स्टेडियम है और मेरे यहां स्पोर्ट्स कालेज की घोषणा पिछले साल की गयी थी। न आज तक जमीन का चयन हुआ, न पैसे का पता है। स्पोर्ट्स कालेज की घोषणा हो गयी थी कि स्पोर्ट्स कालेज बनाया जायेगा, माननीय मंत्री आज हैं नहीं, यह आज मेरे पास खाली आंकड़े मौजूद हैं, शूटिंग रेंज के लिये मैंने उस कहा था और मैंने यह कहा था कि धन की कमी नहीं है। यह केवल एक आज सवाल पूछा गया था और केवल बागपत जनपद की सूचना है कि बागपत के अंदर जिला रायफल क्लब, बागपत को लाइसेंसियों से स्वैच्छिक सेवा उद्यान के रूप में 20 लाख 29 हजार रुपये, 2009 में प्राप्त हुआ और यह पिछले कितने साल से प्राप्त हो रहा है ? सहारनपुर का तो मुझे पता है, करीब 2 करोड़ रुपया रायफल क्लब के पास पड़ा हुआ है। कोई जनपद ऐसा नहीं है जिसमें 70 लाख, 80 लाख, 85 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ न पड़ा हुआ हो लेकिन प्रतियोगिता आयोजन के नाम पर प्रतियोगिता आई द्वितीय जोड़ी एक क्लब है, जिसके शूटर अभी खेलने गये हुये हैं इण्टरनेशलन में, और इण्टरनेशनल मेडल लेकर आये, उसके ऊपर इन्होंने व्यय किया गया हुआ है 17 हजार 14 रुपये। वहां पर शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुयी इसमें 17 हजार 14 रुपये व्यय हुआ और कहां व्यय किया जा रहा है इस पैसे को। मान्यवर, इस पैसे को व्यय किया जा रहा है सबसे ज्यादा लोकसभा के सामान्य निर्वाचन, 2009 की डिजिटल वीडियोग्राफी के कैमरों पर व्यय, जिसका समायोजन बाद में कर लिया जायेगा, रायफल क्लब का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है ? कम्प्यूटर खरीदने पर, पुरामहादेव के मेले की तैयारी हेतु बिजली के खंभे लगवाने पर, इसी तरह मान्यवर, यह टोटल 8 लाख 65 हजार रुपये, 2009 के अंदर जिसका स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं जो पैसा स्पोर्ट्स पर खर्च होना चाहिऐ था, उसको किया गया। हमारे यहां के शूटर जाकर के दुनिया भर में नाम पैदा करेंगे, शामली का लड़का अनवर सुल्तान आपका जाकर के ओलम्पिक खेलकर आयेगा, आपके यहां मैंने लिखकर के भी दिया, बार–बार कहा कि इसका सम्मान होना चाहिए, आपने किया नहीं। और उसका नतीजा यह हुआ कि वह छत्तीसगढ़ चला गया। छत्तीसगढ़ से खेलकर आया। शायान मसूद 3 मेडल इण्टरनेशलन लेकर आया, बच्चा 13 साल का यंगेस्ट शूटर दुनिया के अंदर 13 साल का बच्चा हैं आप के यहां तो कुछ मिलना नहीं है इसलिये उसने दिल्ली से खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली से प्रोत्साहन मिल रहा है,

दिल्ली ने कोच मंगाया, इटली और आस्ट्रेलिया भेजकर के उसकी ट्रेनिंग करायी। उसमें 17 लड़के सहारनपुर से नेशलन खेलकर के आये लेकिन हमारे यहां कोई, मैं बार–बार कह रहा हूं कि पैसा आपके पास है, पैसे की अलग से व्यवस्था नहीं करनी, सरकार को केवल ध्यान देना है, आप शूटिंग रेंज बनवा दीजिये, आप हर जिले में न बनवाइये, मण्डल में बनवा दीजिये, आप मण्डल में बनवा करके आयोजन करिये। सारे रायफल को इकट्ठा करके आप कम से कम इस प्रकार की कोई योजना बना दें कि हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, युवाओं के प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, वह न हो।

श्री अधिष्ठाता–

इमरान जी रायफल और शूटिंग से भी आगे बढ़िये। आप शूटर तो पुराने हैं।

श्री इमरान मसूद–

ठीक है मान्यवर। दूसरी चीज मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सरकार, शहरों के अंदर जो गंदगी फैल रही है, उसकी समस्या है, उसके निराकरण के लिये कोई योजना सरकार के पास नहीं है। केन्द्र सरकार से पैसा आता है और पैसे का इस्तेमाल होता है गाड़ियां खरीदने में, लोडर खरीदने में, उपकरण खरीदने पर और चूंकि मैं चेयरमैन रहा हूं इसलिये मैं जानता हूं और मुझे जानकारी है कि वे केवल इसलिये खरीदना चाहते हैं कि इसके अंदर डीजल के ऊपर व्यय दिखाया जा सके, खर्चा दिखाया जा सके। जो कूड़े के निस्तारण की योजना है, कोई निस्तारण की योजना नहीं है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के लिये केन्द्र सरकार की गाइड लाइंस है उनके ऊपर प्रदेश में काम नहीं हो रहा है, पैसा वापस जा रहा है, पैसा लैप्स हो रहा है। मैं केवल लखनऊ .....

श्री अधिष्ठाता–

इमरान भाई आपकी बात आ गयी है।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, आपका आदेश मान लिया, बस समाप्त। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो सालिड वेस्ट की बात कर रहा था। यह जन समस्याओं से जुड़ा प्रश्न है, हमारे देश के अन्दर तीन लाख मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन उठ पाता है, उसका निस्तारण होना अलग की बात है और शहर गन्दगी में तब्दील हो रहे हैं। मैं एक एन0जी0ओ0 की रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि अगर 2030 तक यही स्थिति रही तो शहर गन्दगी में तब्दील हो जायेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उमेश पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2010–2011 के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विपक्ष के नेता मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने बजट पर चर्चा के

दौरान बजट को दिशाहीन, झूठ का पुलिन्दा कहा। घोटाला शब्द का प्रयोग उनके द्वारा बार–बार जब वह कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने कार्यकाल के साढ़े तीन साल इन्होंने केवल घोटाला ही घोटाला किया। आज घोटाला करने को इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए आज उनको याद आ रहा है। साढ़े तीन साल उत्तर प्रदेश जल रहा था, पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रही थी। मान्यवर, हमारा क्षेत्र जो शहीदी धरती के नाम से जाना जाता है नत्थूपुर। उस समय लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे उस समय इनके द्वारा जो सड़कें दी गयीं उसमें बिना काम कराये पैसा निकाल लिया गया। आज बात करते हैं, चिन्ता है बड़ी इस प्रदेश के बारे में, बड़े चिन्तनशील हैं, आज घोटाला के अलावा कोई और शब्द इनके पास नहीं है क्योंकि साढ़े तीन साल इन्होंने घोटाले के अलावा और कोई काम नहीं किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह गरीबों और मजलूमों की सरकार हैं गरीबों के विकास के लिए हमारी नेता ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने चाहे कृषि का क्षेत्र हो, किसान, मजदूर और चाहे मुस्लिम समाज के लोगों का हो, हर समाज के उत्थान के लिए काम किया है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से बधाई संदेश देने का काम करने की कृपा करें उन्होंने हमारे दोहरी घाट जैसे पिछड़े क्षेत्र में 1320 मेगावाट की विद्युत परियोजना को मंजूर करने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को क्योंकि आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल को 24 घण्टे बिजली मिने का काम होगा। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था जो जीर्ण–शीर्ण हो गई थी उसे आज आगे बढ़ाने का काम वह कर रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न ले करके प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठता–

मा0 सदस्य संजय कपूर जी।

(सदस्य के उपस्थित न होने पर)

श्री राजाराम त्यागी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में प्रदेश में नये उद्योग लगाने की कोई बात नहीं कही गयी है और न ही जर्जर तथा पुराने उद्योगों को खड़ा करने की बात कही गयी हैं मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद रायबरेली की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं क्योंकि मैं वहां से चुन करके आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की नन्दगंज सिरोही शुगर मिल थी। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलायी जा रही थी, वर्ष 2008–2009 में उत्तर प्रदेश सरकार ने धनाभाव के कारण बंद कर दिया है। मान्यवर, जहां बेरोजगारों को

रोजगार देने की बात करते हैं वहां जो पिछली सरकारें जिन मिलों को चलाती रही हैं उनको बंद करने का काम करते हैं तो बेरोजगारों को कहां से रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं इस सदन में मैं यह भी आरोप लगाता हूं कि यह सरकार, अगर केन्द्र की सरकार कोई नई योजना रायबरेली के लोगों के लिए प्रतापगढ़ के लोगों के लिए या पड़ोस के जनपद के लोगों को रोजगार देने का काम करती है तो वहां जमीन देने में अड़ंगेबाजी की जाती है। अगर रेल कोच कारखाना केन्द्र सरकार ने वहां दिया तो इस सरकार ने वहां पर जमीन देने में अड़ंगेबाजी की, बेरोजगार को और बेरोजगारी की ओर ले जाने का काम किया। यह तो उद्योग की बात हुई। अभी सत्तापक्ष के मा0 सदस्य कह रहे थे कि पारिवारिक लाभ का पैसा बढ़ाया गया हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर का मुखिया जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया जाता है उसमें 1/3 भाग उत्तर प्रदेश का होता है, बाकी केन्द्र सरकार देती हैं लेकिन उसमें भी मेरा सीधा आरोप है कि पूरा पैसा नहीं दिया जाता, पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति होगी। लेकिन मैं रायबरेली जनपद की बात करता हूं, जांच कराकर देख लीजिए, इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि अभी भी 2008 में पारिवारिक लाभ का पैसा उन गरीबों को नहीं मिला जिनके पति की मृत्यु हो गयी और उनके बच्चे 2008 में अनाथ हो गये, आज भी उनको पैसा इस सरकार के माध्यम से नहीं दिया गया है। जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा हैं एक बात और कहता हूं सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात सरकार कहती है। मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं कि शादी–ब्याह का पैसा जो उत्तर प्रदेश सरकार देती है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात झूठी इसलिए है कि अनुसूचित समाज के लिए पैसा तो दिया जाता है, आज भी पूरा पैसा अनुसूचित समाज के उन गरीबों को 2008 का पैसा नहीं दिया गया, न इस बजट में कोई व्यवस्था लगती है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की कि पिछड़े वर्ग के जो शादी-ब्याह करने वाले लोग हैं उनको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगाना पड़ता है और इस बात का स्टाम्प पेपर देना पड़ता है कि सरकार से जो पैसा हमें शादी के लिए मिलेगा, उसका मैं सदुपयोग करूंगा। स्टाम्प का पैसा तो ले लिया जाता है उस पर नोटरी लगा दी जाती है लेकिन जितने लोग शादी के पैसे का फार्म भरते हैं उसमें मुश्किल से 1/2 लोगों या उससे कम लोगों को पैसा मिलता हैं उन गरीबों पर स्टाम्प और नोटरी का भार यह सरकार डलवाती है लेकिन सबको इसका पैसा नहीं देती है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में इसकी जांच करा ली जाए, न तो कोई इस बजट में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हम सबको पैसा देंगे। इतना ही नहीं एक बात सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खराब सड़कें हैं उनके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि उन सड़कों की कहीं से मरम्मत कराऊंगा। लेकिन ऐसा बजट में नहीं हैं केन्द्र सरकार ने जो भी सड़कें या पुल दिया है उसमें रायबरेली में एक पुल बछरावां में दिया है। जो रायबरेली होकर के मा0 सदस्य, इलाहाबाद, बनारस जाते हैं वह देखते होंगे कि बछरावां में एक ओवर ब्रिज बन रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी 15 जनवरी को उस ओवर-ब्रिज का

शिलान्यास तो कर देती है जो केन्द्र सरकार का पैसा है लेकिन किसी नई योजना देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में अपराध नियंत्रण केवल पुलिस की भर्ती के बल पर नहीं होगा, पुलिस की भर्ती सत्ता में आने के बाद आपने 2008 में पुलिस सिपाहियों की भर्ती की है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं कहता हूं कि वर्ष 2009 का रिकार्ड उठाकर देख लीजिए अपराध बढ़े हैं, थानों में अपराध बढ़े हैं जनता इसमें पिसी जा रही है। तो ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गयी हैं मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी तरीके से यह बजट जनता को धोखा देने वाला है, गरीबों को धोखा देने वाला है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात नही आयी है। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं बिजली मंत्री जी बैठे हुए हैं। आज सवेरे पहला अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 लगा हुआ था उन्होंने जो उत्तर दिया था उतने घण्टे बिजली गॉवों में नहीं दे रहे हैं। रायबरेली में एन0 टी0 पी0 सी0 है, थर्मल पावर स्टेशन है ऐसा इसलिए किया गया कि यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकेंगे लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इसके पहले 24 घण्टे शहर में व 18 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती थी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अन्त में आपने साधारण चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर साधारण चर्चा में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो चर्चा की है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इस बजट में कोई भी नई चीज नहीं है जिससे गरीब मजलूमों का भला हो सके। खासतौर से अल्पसंख्यक समाज की पुत्रियों की शादी के लिए बजट की व्यवस्था की गई है वह नाममात्र की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी का 1/4 भाग मुस्लिम समाज का है। प्रदेश सरकार कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी जितनी आबादी है उतना बजट का पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन इस बजट को देखने के बाद जो पैसा मुस्लिम समाज के ऊपर 25 प्रतिशत खर्च होना चाहिए वह पैसा मात्र उसका एक प्रतिशत है। यानी मुस्लिम समाज के साथ इस सरकार ने 24 प्रतिशत का धोखा किया है। पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने एक शासनादेश किया था कि उत्तर प्रदेश के थानों में दबे कुचले समाज के लोगों को अनुसूचित और माइनारिटी लोगों को थानाध्यक्ष पद पर रखने का शासनादेश किया था।

श्री अधिष्ठाता–

बजट पर अपनी बात रखिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

बजट में सारी बातें लिखी है कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रही है। 8 प्रतिशत थानाध्यक्ष मुस्लिम समाज से रखने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह जी ने किया था उसको भी इस सरकार ने वापस ले लिया। सरकार ने तीसरा बजट पेश किया है इसमें भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इतना ही नहीं ज़ो मौअल्लिम की डिग्री लेकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो संसार भर में प्रसिद्ध है मौअल्लिम उर्दू डिग्री है उसके 15 हजार उर्दू टीचर पिछली सरकार ने रखने का काम किया था इस सरकार ने रखना तो दूर आम मुसलमानों के बच्चों को नौकरी देना तो दूर रहा उन बच्चों पर जो मौअल्लिम डिग्री धारक थे उन पर लाठियाँ चलाने का काम किया व इसकी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की। जो मुस्लिम समाज के बेरोजगार बच्चे हैं जो मौअल्लिम व कामिल उर्दू डिग्री धारक है जो प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त हैं उन पर रखने के लिए इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई हैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में 403 सदस्य जो जीतकर आते हैं उनके लिए पिछली सरकारों ने व्यवस्था की थी कि हर विधान सभा सदस्य को कम से कम 10 ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण कराने का प्रस्ताव देने का अधिकार मिला था उनके प्रस्ताव पर इन ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा। वह व्यवस्था खत्म कर दी गई इसी तरह से प्रत्येक सदस्य के प्रस्ताव पर कम से कम 10 कि0 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराने का प्राविधान था यह व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। इतना ही नहीं 225-225 हैण्डपम्प सदस्यों की सहमति पर लगाए जाते थे। उसको माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने यह कह कर खत्म कर दिया कि भारत सरकार की सरकार गाइड लाइन है। भारत सरकार की गाइड लाइन है कि माननीय जन प्रतिनिधियों के विचार लिये जायेंगे वे लिखकर देंगे, जो लिखकर देंगे उसको माना जायेगा। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष के विधायकों के साथ इस तरीके का इस बजट में सौतेला व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि हम विधान सभा में विधायकों के लिये बहुत अच्छी घोषणा करेंगे। कौन सी अच्छी घोषणा कर दी। मैंने तो यह सोचा था कि क्षेत्र के विकास के लिए जो सवा करोड़ रुपया विधायक निधि है, जिसमें माननीय सदस्यों के केवल प्रस्ताव जाते हैं वो किसी सदस्य के जेब में नहीं जाते हैं। सड़के बनती हैं, पुल बनते हैं, पुलिया बनती हैं, स्कूल बनते हैं। हम सोच रहे थे कि सवा करोड़ से बढ़ाकर उसको दो करोड़ कर देंगे कम से कम विधान सभा क्षेत्र का विकास होगा। वह भी घोषणा नहीं की गई। न ही इस बजट में इसके लिये कोई व्यवस्था की गई है। और तो और ग्राम्य विकास विभाग है उसमें तो बड़े पैमाने पर 200-225 हैण्ड पम्प जो माननीय विधायकों को दिये गये थे तो वह गरीब मजलूम बस्तियों में, माइनारिटी बस्तियों में जहां जरूरत थी वहां लगाये जाते थे लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने अधिशासी अभियंताओं को यह पावर दे दिया हैं उन्होंने पैसा ले लेकर के जो 70 मीटर की दूरी थी इंडिया मार्का हैंड पम्प लगने के लिये। दस-दस मीटर की दूरी पर हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में लगाने का

काम अधिशासी अभियंता ने किया हैं अगर आपको यकीन न हो तो आप चलकर देख लीजिये। इसकी भी इस बजट में व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में केवल 1 हजार प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में बनाये जायेंगे। 1 हजार उच्च प्राथमिक स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में बनाये जायेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक हजार प्राइमरी स्कूल बनाकर उत्तर प्रदेश के उन बच्चों को आप पढ़ा पायेंगे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। क्या उन बच्चों को जिनके ऊपर इस देश का भविष्य है, जो इस देश का कर्णधार बनने वाले हैं। उनके लिए एक हजार स्कूल आप उत्तर प्रदेश में बनायेंगे। एक हजार को आप 80 से डिवाइड कर दीजिये 12 स्कूल एक जिले में पड़े और एक जिले में आज की तारीख में कम से कम 200-250 स्कूलों की तुरन्त आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि बड़े पैमाने पर हो रही है। इतना ही नहीं मान्यवर, इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यता के लिये, हाई स्कूल की मान्यता के लिये लाखों लाख रुपये की घूस मांगी जा रही है अधिकारियों के द्वारा। डिग्री कालेज की मान्यता के लिये घूस मांगी जा रही हैं आज डिग्री कालेज की बड़े पैमाने पर कमी है, लेकिन इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं हैं जनपद लखीमपुर खीरी में कोई राजकीय डिग्री कालेज बनाने की कोई योजना नहीं है और उसमें भी या तो सरकार काम करे या अधिकारियों को ही दे दीजिये कि वो ही काम करे। सरकार एक शासनादेश जारी करती है कि डिग्री कालेज खोलने के लिये डिग्री कालेज के नाम भूमि होनी चाहिये या उसको संचालित करने वाली संस्था के नाम भूमि होनी चाहिए। यह शासनादेश जारी हुआ, मेरे पास शासनादेश भी रखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी एन0 ओ0 सी0 जारी करने का काम कमिश्नर को दे दिया गया। सारे पावर नौकरशाहों को दे दिये जायेंगे तो राजनीतिक लोग यहां बैठकर क्या करेंगे ? और जो लोग एन0 ओ0 सी0 जारी करते हैं अगर स्कूल की जमीन उस सोसाइटी को चलाने वाले के नाम है तो आयुक्त महोदय, उसमें लिखकर भेजते हैं कि इसको डिग्री कालेज के नाम करा दिया जाय। ऐसा कौन सा नियम है कि सोसाइटी की जमीन डिग्री कालेज के नाम हो जायेगी। डिग्री कालेज की जमीन तो सोसाइटी के नाम हो सकती है लेकिन सोसाइटी की जमीन डिग्री कालेज के नाम नहीं हो सकती हैं उसके बावजूद उसमें एक प्राविधान लगा देते हैं, शर्तें लगा देते हैं जो कि शासनादेश में नहीं है।

बजट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से वह पूछना चाहता हूं कि दबे, कुचले समाज के लोग, मजदूर लोग, मजदूरी पेशा लोग क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत किसान और नवजवान रहता है जो बेरोजगार है। किसान की खेती चली गई गन्ने की दुर्दशा हो गयी, पानी आप दे नहीं पाये, बिजली आप दे नहीं पा रहे हैं उनके बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो जूता बना रहे हैं, जो साइकिल बना रहे हैं, कोई बाइंडिग कर रहा है, कोई चमड़े का बैग बना रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ऐसे कमजोर गरीब मजदूर लोग हैं जो पढ़ लिखकर मजदूरी पेशा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं वो कितने

दिन मजदूरी करेंगे, कितने दिन वो रिक्शा चालयेंगे, कितने दिन वो साइकिल बनायेंगे, कितने दिन वो जूता बनायेंगे ? मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे कामगार लोगों के लिये सरकार को एक आयोग बनाना चाहिए। अगर किसी श्रमिक के पास 10 साल का अनुभव है, 5 साल का अनुभव है तो उसके आधार पर उसको उसकी डिग्री दे देनी चाहिए। तुम मकान बना सकते हो, तुम यह कर सकते हो। इसमें सरकार को पैसा नहीं देना पड़ेगा। मजदूरों को डिग्री मिल जायेगी, वह रोजी–रोटी यहां हिन्दुस्तान में नहीं कमा सकता है तो कम से कम दुबई, ईरान, इराक जाकर अपनी रोजी–रोटी कमा सकेगा।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई है। अजय तोमर जी आप अपनी बात रखें।

डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी–

आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

डॉ अजय तोमर–

मान्यवर, आज बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। बजट पेश किया गया, बजट देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, यह महसूस किया, अभी थोड़ा सा मनोरंजन के रूप में हो गया था, जिस तरह से चौधरी साहब ने जस्सा बाबा के नाम का जिक्र करके कहा, सचमुच में इस बजट में रोजगार परक योजनायें, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और बेरोजगारी के निदान के लिए, रोजगारपूरक योजनाओं के लिए कहीं कोई समावेश नहीं किया गया हैं, यह बजट केवल 35 हजार पुलिस की भर्ती के द्वारा, पूरे प्रदेश को एक वर्ष का रोजगार देने का सिम्बोलिक मात्र है। मान्यवर, जहां उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग के रूप में बहुत सारी, छोटी-छोटी इकाइयां लगाकर रोजगार दिया जा सकता है वह चाहे चर्म उद्योग के रूप में हो, वस्त्र उद्योग के रूप में हो, हथकरघा उद्योग के रूप में हो, चाहे वह कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाने के रूप में हो, बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ी संभावनायें, उत्तर प्रदेश में मान्यवर, लघु उद्योग को बढ़ावा देने की है, देखकर कहीं नहीं लगा कि इस बजट में लघु उद्योगों के द्वारा सरकारी नौकरी देने में सक्षम नहीं है, प्राइवेट पार्टनरशिप के युग की शुरुआत सरकार करने जा रही है और यह जो लघु उद्योग है यह पार्टनरशिप का छोटा हिस्सा है इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कुछ चुनिन्दा लोगों के विषय में सोचने का काम इस बजट में किया गया है। मान्यवर, कृषि नीति कोई कृषि नीति नहीं है।

कृषि को बढ़ावा देने की बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं लेकिन सरकार के पास कोई कृषि नीति है कृषि को बढ़ावा देने के क्या तरीके हैं। किसान के उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है, गन्ना किसानों के उत्थान के लिए कुछ करेगी ? क्या आलू किसान के लिए कुछ करेगी या दलहन–तिलहन के किसान की कोई

चिन्ता सरकार ने इस बजट में करने का काम किया है ? कहीं कुछ नजर नहीं आता है मान्यवर, अभी समाज कल्याण से जुड़ी बात कर रहे थे, प्रदेश के लाखों छात्र अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के छात्र, पिछड़ी जाति के छात्र, अल्पसंख्यक छात्र, प्रतिपूर्ति के लिए, अपने कालेजों में है, कालेज की संस्था वाले कहते हैं तुम्हारी फीस शासन से नहीं आई है, शासन प्रतिपूर्ति भेजने का काम नहीं कर रहा है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना को जबकि मार्च में परीक्षा होनी है, सरकार छात्रों की प्रतिपूर्ति भेजने का काम नही कर रही है। कितनी गम्भीर है इन दबे-कुचले लोगों को शिक्षा देने के लिए सरकार, इस बात का द्योतक है कि शायद ही किसी जनपद में छात्रों की प्रतिपूर्ति भेजी गई हो। मान्यवर, भू-जल स्तर गिरता जा रहा है, सरकार की चिन्ता बजट देखकर कहीं नहीं लगती है। हम लोग सुना करते थे पतित पावनी पवित्र गंगा, यमुना, सरस्वती, मान्यवर, नदी सरस्वती विलुप्त हो गई है केवल नाम रह गया है गंगा, यमुना, सरस्वती.....

(इस समय 5 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डॉ अजय तोमर–

मान्यवर, हमारी याद में हमारी पूरी की पूरी विधान सभा यमुना नदी के किनारे है। मान्यवर, पिछले 10 साल से यमुना नदी के अन्दर बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश से हरियाणा स्कूटर, मोटर साइकिल, गाड़ियों से यमुना के बीच से होकर जाने का काम हो रहा है, यह स्थिति यमुना की है और गंगा के लिए भी अनेकों वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इसके घटने का काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

डॉ साहब, आपकी चर्चा मैं जारी रख रहा हूं, कल आपसे शुरू होगी, शेष हमारे मा0 सदस्य, अनूप कुमार गुप्ता जी हैं, संजय कपूर जी हैं, इन्होंने नाम दिए हैं, इसके बाद आप लोगों की चर्चा शुरू करा दूंगा। अब समय हो चुका है। डॉ0 साहब, आपकी चर्चा जारी रहेगी। कल जीरो आवर के समय में तथा अन्य सूचनाओं के समय में कटौती करके और ज्यादा इस पर चर्चा कराऊंगा और कल थोड़ी देर तक बैठूंगा, आज कुछ लोगों को जाना है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हम अगला मद लेते हैं नियम 51 की सूचनाएँ।

आज दिनांक 8 फरवरी, 2010 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुई :–

पहली सूचना श्री राजीव कुमार सिंह की वाराणसी के थाना जसा के ग्राम सिहोरवां (उत्तरी) में दलितों के लिये कृषि हेतु आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के अशासकीय

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को समायोजित/विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंखा, बल्ब, कम्प्यूटर चलाये जाने की व्यवस्था करायी गयी है किन्तु बिजली के खम्भे न होने के कारण उक्त योजना चालू न होने के सम्बन्ध में है। यह तीनों सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौथी सूचना श्री शम्भू चौधरी की प्रदेश में खरवार जाति को तहसील से जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवी सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य निधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ न मिलने के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में पर्यटन स्थल व तहसील मुख्यालय को शहरी मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी स्थित दऊदपुर झील के विकास हेतु राज्य योजना के अधीन धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना डॉ आर0 ए0 उस्मानी की प्रदेश में मोअल्लिम-ए-उर्दू को जूनियर/सीनियर बेसिक परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के छतवारा से मेहनगर, पलहना से मेहनाजपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य मानक के अनुरूप न होने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची नियम विरुद्ध जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा ग्यारहवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईः–

1–श्री अशोक कंसल,
2–महेश चन्द्र गुप्ता,
3–श्री विद्यासागर गुप्ता,
4–श्री इमरान मसूद,
5–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
6–चौ0 धूराम लोधी,
7–श्री उदयभान करवरिया,
8–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
9–श्री लल्लू सिंह,

10–डॉ राधामोहन दास अग्रवाल,

11–श्री प्रजापालन वर्मा,

12–महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,

13– श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

14–श्री दीप नारायण सिंह यादव,

15–श्री जोखू लाल यादव,

16–श्री रमापति,

17–चौ0 सत्यपाल सिंह,

18–चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,

19–डॉ0 अनिल चौधरी,

20–श्री आलोक कुमार शाक्य,

21–श्री राधेश्याम जायसवाल,

22–श्री जगदीश सोनकर,

23–श्री बैजनाथ दुबे,

24–श्री शैलेन्द्र यादव ललई,

25–श्री राम विशुन आजाद,

26–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर), तथा

27–श्रीमती नन्दिता शुक्ला।

जनपद मथुरा स्थित गोकुल बैराज पर बने पुल पर वसूले जा रहे टैक्स को बन्द न किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी कि गोकुल बैराज, मथुरा के बनने के साथ . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[एम0ओ0यू0 यह साइन किया गया था कि इसके बनने की लागत राज्य सरकार को दे रही है, किन्तु इसके रखरखाव पर आने वाला व्यय बैराज से गुजरने

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाले कामर्शियल वाहनों से वसूले जाने वाली आय से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार पुलों के टैक्स समाप्त कर रही है, ऐसे में यदि इस बैराज पर बने पुल को भी शामिल कर दिया जायेगा तो नगर विकास विभाग इसके रखरखाव व इस पर आने वाला अन्य व्यय दे नहीं पायेगा। अतः मा. सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि जनपद मथुरा में गोकुल बैराज पर बने पुल पर गुजरने वाले व्यवसायिक वाहनों से टैक्स वसूला जाय, जिससे आय के सापेक्ष बैराज गेट व बैराज तथा अन्य रखरखाव के व्यय हो सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि बैराज तथा बैराज के गेटों के रखरखाव के लिये योजना तत्काल बनायी जाय तथा योजना बनाने में स्थानीय विधायक के भी विचार लिये जायें।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 81/23–दो–2010, दिनांक 19–01–2010 द्वारा प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर स्थित सेतुओं पर पथकर वसूली समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद मथुरा स्थित गोकुल बैराज पर बने पुल पर गुजरने वाले व्यवसायिक वाहनों से प्राप्त पथकर से बैराज के रखरखाव एवं संचालन तथा बैराज स्थित पेयजल शोधन संयंत्र के रखरखाव एवं संचालन का कार्य किया जाता है। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 19–01–2010 के क्रम में प्रकरण पर विचार किया जा रहा है।]

प्रदेश में अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नियमित किये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना उच्च शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

अनुरोध पर यह मद स्थगित है।

लखनऊ में चारबाग से आलमबाग मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि चारबाग लखनऊ . . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा–

[चारबाग लखनऊ से आलमबाग जाने वाला मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग का चौड़ीकरण कई माह पूर्व हो चुका है परन्तु डा0 भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के पहले नाले का मार्ग का चौड़ीकरण न हो पाने के कारण यहां पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग पर आवागमन का अधिक दबाव होने के कारण घंटों जाम लगा रहता है। जनहित में इस मार्ग के चौड़ीकरण के अनुसार नाले पर भी चौड़ीकरण करना आवश्यक है। लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये नाले के मार्ग को चौड़ा करने हेतु वक्तव्य की मांग की गई है।

उक्त मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया का चौड़ीकरण के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है–

लखनऊ–कानपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या 25 के किमी0 4 (चारबाग) से किमी0 6 (आलमबाग), लखनऊ महानगर के शहरी भाग में स्थित है। यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) के स्वामित्व में है। इस मार्ग के किमी0 6 में 1x3.2 मीटर की आर0सी0सी0 स्लैब की सकरी पुलिया डा0 भीमराव अम्बेडकर बस स्टेशन के समीप स्थित है। इस पुलिया की चौड़ाई कम होने के कारण कभी–कभी जाम की स्थिति रहती है। इस संकरी पुलिया के चौड़ीकरण हेतु प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) को सन्दर्भित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद जे0 पी0 नगर में मोहल्ला दानिस मन्दान निवासी मोहम्मद अजीम की नाबालिग पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जे0 पी0 नगर से प्राप्त आख्या . . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[दिनांक 3–2–10 के अनुसार दिनांक 28–1–10 को श्री अजीम अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद, निवासी तुर्क कालोनी, दानिश्समन्दान, थाना अमरोहा, जनपद जे0 पी0 नगर ने अपनी पुत्री कु0 सुमबुल उम्र 09 वर्ष के गुम होने की गुमशुदगी रपट नं0 63 समय 23.10 बजे अंकित करायी गयी। दिनांक 29–1–10 को सुबह

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10.00 बजे कु0 सुमबुल की लाश जी0आई0सी0 हास्टल के पास मिलने पर थाना अमरोहा पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 103/2010 धारा 364/302/201 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गयी। अभियुक्तों की तलाश हेतु पतारसी–सुरागकसी से अभियुक्त संजीव पुत्र मुन्ना बाल्मीकि, निवासी राजकीय इण्टर कालेज परिसर, कस्बा व थाना अमरोहा नगर, जनपद जे0 पी0 नगर प्रकाश में आया एवं घटना में संलिप्तता के संबंध में इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर दिनांक 2–2–10 को स्टेशन के पास माल गोदाम के निकट अभियुक्त संजीव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संजीव ने मृतका सुमबुल के पिता श्री अजीम अहमद, परिजन श्री इरफान अहमद व श्री अंसार अहमद, जिला पंचायत सदस्य, श्री शमीम अहमद एडवोकेट, श्री रियाजुल हसन, निवासी मो0 तुर्क कालोनी दानिस मन्दान, अमरोहा आदि जनता के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के सम्मुख मृतका कु0 सुमबुल की गला दबाकर हत्या करने का अपराध स्वीकार किया है कु0 सुमबुल की मृत्यु चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में चिकित्सकों द्वारा गला दबाकर (स्ट्रेग्यूलेशन) अंकित किया गया। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राईवेट पार्ट पर कोई चोट होना अंकित नहीं है। मृतका के परिजन व जनता में पुलिस कार्यवाही के प्रति पूर्ण विश्वास एवं सन्तुष्टि है। अभियुक्त संजीव को 2–2–2010 को चालान करके जेल भेजा जा चुका है।]

जनपद गोण्डा में सरजू नहर खण्ड–2 में निर्माण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नन्दिता शुक्ला द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

विधान सभा क्षेत्र मुजेहना, जनपद गोण्डा अन्तर्गत . . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[सरजू नहर खण्ड–2, गोण्डा द्वारा मछलीगांव स्क्रेप में हेड निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप खुदाई नहीं करायी गयी है। घटिया किस्म की गिट्टी, सफेद बालू एवं कम मात्रा में सीमेन्ट डाला गया है, खराब ईंटें लगायी गयी हैं, हेड का छत मानक के अनुरूप नहीं बना है। लोक महत्व के विषय पर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता है।

गोण्डा शाखा नहर के किमी0 93.550 पर मछलीगांव नानकार स्क्रेप के हेड रेगुलेटर के निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार प्राप्त निविदाओं में से मेसर्स करन कान्स्ट्रक्शन, मालवीय नगर गोण्डा की निविदा लागत प्रथम न्यूनतम एवं विभागीय लागत से कम होने की दशा में नियमानुसार स्वीकार की गयी।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–हेड के नींव क खुदाई स्वीकृत ड्राइंग में दी गयी गहराई तक नींव में गिट्टी (सी0सी0 1:3:6) डलवाई गयी है, जो अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप है। स्टीमेट में प्राविधानित स्थानों से मंगाई गयी गिट्टी एवं मोरंग के साथ सीमेन्ट के मिश्रण से मानक के अनुरूप कार्य कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण खण्ड गोण्डा एवं प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ, लखनऊ द्वारा की जा चुकी है। प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ, लखनऊ द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर कोई मुख्य कार्य क्षतिग्रस्त नहीं पाया, परन्तु दोनों तरफ ड्राई पिविंग वाल क्षतिग्रस्त पायी गयी जिसे ठेकेदार से बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के ठीक करा लिया गया है। कुछ स्थानों पर ब्रिक कार्य, कुछ स्थानों पर मानक के अनुरूप प्रथम श्रेणी की ईंटें नहीं पाये जाने तथा हेड रेगुलेटर की छत में आंशिक हानि काम्बिंग पाये जाने के कारण वसूली प्रस्तावित की गयी थी। ठेकेदार से वसूली पूर्ण कर ली गयी है कार्य में प्रयुक्त बालू की जांच समय–समय पर गुणनियंत्रण खण्ड से करायी गयी, जो मानक के अनुरूप पायी गयी। प्रमुख अभियन्ता (प्रा0जां0प्र0) को प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।]

प्रदेश में अनुदानित संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूची प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार . . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[हेतु ऐसे स्थायी मान्यता प्राप्त अनुदानित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है जो निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों की पूर्ति करते हों–

1–संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण कराया गया हो।

2–प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सोसाइटी उत्तर प्रदेश द्वारा विवादग्रस्त घोषित न किया गया हो।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3--उन्हीं महाविद्यालयों/विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाय, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2000 तक अथवा उसके पूर्व स्थायी मान्यता प्राप्त कर ली हो।

4–अनुदान सूची पर लिये जाने वाले प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं अधिकतम पांच अध्यापकों के पद अनुमन्य होंगे। "क" श्रेणी के संस्कृत महाविद्यालयों में एक लिपिक तथा एक अनुचर के पद भी अनुमन्य होंगे।

5–अनुदानित किये जाने वाले विद्यालयों में कार्यरत वही प्रधानाचार्य/शिक्षक, लिपिक तथा अनुचर सम्मिलित किये जायेंगे तो पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हों, निर्धारित योग्यता रखते हों एवं स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत हों।

6–विद्यालय में कुल छात्र संख्या 100 तथा प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या 15 से कम न हो।

7–विद्यालय में प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री एवं आचार्य का गत तीन वर्षों का औसत परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो।

8–विद्यालय में निर्धारित सुरक्षित कोष व प्राभूत कोष की व्यवस्था अवश्य हो, जिसे भविष्य में बेचे या अन्तरित न किये जाने का अनुबन्ध दिया गया हो।

9–विद्यालय का अपना निजी भवन हो एवं विद्यालय की स्थायी मान्यता के समय निर्धारित शर्तों के अनुसार शिक्षण कक्ष पर्याप्त हों।

10–प्रबंधतंत्र का इस आशय का प्रस्ताव हो कि विद्यालय को अनुदान सूची पर लिया जाय तथा उसे वर्तमान में तथा भविष्य में निर्धारित होने वाली सभी शर्तें मान्य होंगी।

उक्त के अतिरिक्त अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु विद्यालय की चयन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है–

1–शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी	सदस्य
3–सचिव, उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ	सदस्य
4–वित्त नियंत्रक, मा0 शि0 निदेशालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ	सदस्य
5–संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)	सदस्य
6–उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), इलाहाबाद	सदस्य

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को उपर्युक्त शर्तों के अधीन अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु संबंधित संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र पर उचित प्रक्रिया/माध्यम से प्राप्त आवेदन–पत्रों का सम्यक् परीक्षण कर स्थायी मान्यता की तिथि की वरिष्ठता क्रमानुसार संस्तुतियों/प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव में उल्लिखित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थायी मान्यता का सत्यापन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से करा लिया गया है। विश्वविद्यालय की सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्ताव एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।]

जनपद मुजफ्फरनगर में नरेगा के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03–02–2010 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह . . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[उल्लेख किया गया है कि जनपद मुजफ्फरनगर के रोजगार सेवक अपनी लम्बित मानदेय एवं नवीनीकरण की मांग के सम्बन्ध में दिनांक 26–10–2009 से कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना (नरेगा) के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर रखे गये 506 ग्राम रोजगार सेवकों एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मानदेय न मिलने के कारण अत्यन्त ही खराब हो गयी है। उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1799/38–07/2007–02 एन0आर0ई0जी0ए0/2005 टी0सी0–01, दिनांक 23–11–2007 के अनुसार प्रत्येक जनपद में नरेगा को ग्राम पंचायत स्तर पर चलाने के लिये रोजगार सेवक को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था तथा इनको निश्चित मानदेय 2000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर अनुबन्धित किया गया था।

नियुक्ति के दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत रोजगार सेवकों को केवल अब तक चार माह का ही वेतन दिया गया जबकि इसके सापेक्ष जनपद बरेली, सीतापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रायबरेली, बिजनौर व जे0 पी0 नगर में दिसम्बर 2009 तक का भुगतान व नवीनीकरण कर दिया गया है।

अतः जनपद मुजफ्फरनगर के रोजगार सेवकों का बकाया वेतन भुगतान व संविदा का नवीनीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1319/38–7–09–02 एन0आर0ई0जी0ए0/05 टी0सी0–1, दिनांक 27–5–09 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर संविदा पर रखे गये ग्राम

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोजगार सेवकों के मानदेय रु0 2000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 3000 निर्धारित करते हुये मानदेय भुगतान के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की गयी है–

"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय रु0 2000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 3000 इस शर्त के साथ किया जाता है कि ग्राम पंचायत के अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष 80 प्रतिशत से कम उपलब्धि होने की दशा में उस माह में मानदेय रु0 2500 ही दिया जाय तथा अनुमोदित श्रम बजट से अधिक मानव दिवस सृजित करने के स्थिति में प्रति मानव दिवस 25 पैसे अतिरिक्त मानदेय के रूप में ग्राम रोजगार सेवकों को दिया जायेगा, जिसे सम्मिलित करते हुये अधिकतम मानदेय रु0 5000 तक दिया जा सकता है। ग्राम रोजगार सेवकों के उपरोक्तानुसार मानदेय का निर्धारण प्रत्येक छमाही में स्वीकृत श्रम बजट के सापेक्ष सृजित मानव दिवस के आधार पर किया जाय।"

प्रारम्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल लेबर बजट का 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में अनुमन्य किया गया था, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 2479/38–7–08–एन0आर0ई0जी0ए0/08, दिनांक 14–10–08 द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि का जो बंटवारा कार्यदायी संस्थाओं ग्राम पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर के लिये किया गया है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर के लिये निर्धारित 2.5 रुपया प्रति मानव दिवस की सीमा के अन्दर जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम रोजगार सेवकों को कुल सृजित मानव दिवस के आधार पर भुगतान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल लेबर बजट के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय की सीमा को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर अब 6 प्रतिशत कर दिया गया है भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार अनुबन्ध 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की सीमा के अनुसार शासनादेश दिनांक 14–10–08 को संशोधित कर संशोधित आदेश निर्गत करने की कार्यवाही आयुक्त, ग्राम्य विकास से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त कर सुनिश्चित की जायेगी।

जहां तक राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत संविदा पर तैनात ग्राम रोजगार सेवको के नवीनीकरण का प्रश्न है, इस संबंध में शासनादेश संख्या 1799/38–7–07–02 एन0आर0ई0जी0ए0/05 टी0सी0–1 दिनांक 23–11–07 के प्रस्तर–7 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है–

"ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं एक वर्ष या रोजगार गारण्टी योजना लागू रहने तक जो भी पहले हो, की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा विधीक्षित प्रारूप में अनुबन्ध–पत्र पर हस्तक्षर किये जायेंगे। हस्ताक्षरित अनुबन्ध–पत्र की प्रति खण्ड विकास अधिकारी को रिकार्ड हेतु भेजी जायेगी। एक वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा साथ ही एक वर्ष तक कार्य करने वाले ग्राम रोजगार सेवक की सेवायें संतोषजनक पायी जाती है, तो ग्राम सभा की

खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिये किया जा सकेगा।"

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम रोजगार सेवकों के नवीनीकरण की समस्या शासन के संज्ञान में लाये जाने पर पुनः शासन के आदेश दिनांक 05–02–2010 द्वारा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुजफ्फरनगर को शासनादेश दिनांक 23–11–2007 में दी गयी व्यवस्था के अधीन ग्राम रोजगार सेवकों की संविदा के नवीनीकरण हेतु कार्यवाही का निर्देश निर्गत किया गया है।]

प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

डा0 आर0 ए0 उस्मानी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत

. . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[सूचना दी गयी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को उनके कार्य करने के बदले मात्र 1,220 रु0 मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है जिसमें हजारों किसान मित्रों के परिवारों का और उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। यह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, तीन–चार वर्षों से कार्यरत किसान मित्रों का वर्ष 2009 से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे पढ़े लिखे/स्नातकों को जो 80 प्रतिशत देश की जनता किसानों की सेवा करते हैं उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार खत्म कर देना चाहती है। जबकि किसान मित्रों के द्वारा लखनऊ में किये गये शान्तिपूर्ण आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उचित निर्णय करने का वादा किया था। इनको सेवा से निकालने से बावन हजार परिवारों एवं आश्रितों में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। इस सबको देखते हुये किसान मित्रों को परमानेन्ट कर उचित वेतन देना चाहिये।

2–इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ग्राम स्तर पर तकनीक प्रचार–प्रसार का कार्य निष्पादन हेतु समन्वय सूत्र न होने के कारण कृषकों की दैनिक समस्याओं का

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाधान कराने एवं तकनीकी परामर्श देने के लिये एक तकनीकी सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गयी। इसकी पूर्ति हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक ऐसे प्रगतिशील कृषक का चयन किसान मित्र के नाम से करने की योजना वर्ष 1998–99 से लागू की गयी। योजना में वर्ष 1998–99 में 50,000 किसान मित्रों का चयन किया गया। योजना में ऐसे किसान मित्रों का चयन किया गया जो उसी ग्राम पंचायत के कृषि स्नातक अथवा शिक्षित तथा कृषि कार्यों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो तथा अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर उन्नत कृषि तकनीक का प्रचार–प्रसार कर कृषि उत्पादन में प्रति इकाई वृद्धि में योगदान करे। इस योजना में किसान मित्रों को कोई मानदेय अनुमन्य नहीं था।

3–वर्ष 1999–2000, 2000–01, 2001–02 तथा 2002–03 में भी उक्तानुसार चयनित ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की गयी।

4–वर्ष 2003–04 में 5 समीपवर्ती ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर प्रत्येक किसान मित्र का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया। इस प्रकार पांच ग्राम पंचायतों की गठित समूह की एक ग्राम पंचायत जहां पर कृषि स्नातक/स्नातक एवं इन्टरमीडिएट कृषि की शैक्षिक योग्यता वाला व्यक्ति उपलब्ध था, को किसान मित्र के रूप में चयन किया गया। इस प्रकार वर्ष 2003–04 में 10,000 किसान मित्र चयनित किये गये। चयनित किसान मित्र को रु0 200 प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया गया।

5–वर्ष 2004–05 में वर्ष 2003–04 की भांति 10,000 किसान मित्रों का चयन किया गया और मानदेय रु0 275 प्रतिमाह दिया गया।

6–2005–06 में प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक प्रगतिशील कृषक का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 52,029 किसान मित्रों का चयन किया गया। इस वर्ष किसान मित्रों को कोई भी मानदेय नहीं दिया गया।

7–वर्ष 2006–07 में प्रत्येक न्याय पंचायत से 5–5 प्रगतिशील किसान चयन करते हुये कुल 40,675 कृषकों का चयन किया गया और उन्हें कोई भी मानदेय नहीं दिया गया।

8–वर्ष 2007–08 मे पहली बार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों (52,000) में यह योजना संचालित की गयी। रु0 1,000 प्रतिमाह मानदेय तथा रु0 200 नियत यात्रा भत्ता इस वर्ष किसान मित्रों को दिया गया।

9–वर्ष 2008–09 में उपरोक्तानुसार यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित की गई तथा किसान मित्रों को रु0 1,000 प्रतिमाह मानदेय तथा रु0 220 नियत भात्रा दिया गया।

10–किसान मित्रों का कार्य अपने कार्य के साथ–साथ अन्य किसानों को कृषि तकनीक एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा अनुमन्य मानदेय उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये दिया जाता है। इनका कार्य अंशकालिक एवं आवश्यकतानुरूप प्रकृति का है। किसान मित्रों का चयन किसी राज्य सेवा नियमावली के अन्तर्गत

नहीं किया गया है। इन्हें मात्र कृषि क्षेत्र में अंशकालिक योगदान के लिये मानदेय पर रखा गया है। ऐसी स्थिति में किसान मित्रों का स्थायीकरण नहीं किया जा सकता।

11–जहां तक किसान मित्रों केगत वर्ष के लम्बित मानदेय एवं चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के मानदेय के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। किसान मित्रों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार संवेदनशील है।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में ग्राम सभा निधि के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 3–2–2010 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद प्रतापगढ़ . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[के विकास खण्ड मंगरौरा की ग्राम पंचायत पूरब पट्टी, मदुरा रानीगंज, शाहपुर, मदाह, सराय जमुआरी, विकास खण्ड आसपुर देवसरा की ग्राम पंचायत गहबरा आहोपुर व मढ़रामऊ, विकास खण्ड पट्टी की ग्राम पंचायत रायचन्द्र पट्टी व नोही एवं विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम की ग्राम पंचायत पण्डरी जबर में ग्राम सभा निधि के दुरुपयोग किये जाने के मामले की उच्च स्तरीय समिति गठित कर शत–प्रतिशत कार्यों के मानकों, गुणवत्ता एवं राजकीय धन के उपयोग की जांच कराये जाने की मांग की गयी है।

प्रकरण में निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 4–2–2010 द्वारा उपरोक्त ग्राम पंचायतों की जांच हेतु जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रतापगढ़ व जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0द0 अधिकारी, प्रतापगढ़ की त्रिसदस्यीय समिति गठित कर दी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजीपुर के ग्राम तराय और देवकली के मध्य गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमेरिका प्रधान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 03–02–2010 को दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[कि विधान सभा क्षेत्र सादात जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड देवकली के ग्राम तराय और देवकली के मध्य गागी नदी बहती है। जिससे दोनों गांवों बीच एवं सड़कों गांवों का आवागमन है। पुल न होने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल जाने एवं व्यापारियों एवं किसानों को अपना माल मण्डी तक पहुंचाने में एवं गम्भीर रोगियों को अस्पताल तक पहुंचाने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुल न बनने से क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है एवं जन आन्दोलन का रूप ले सकती है तथा प्रश्नगत पुल बनाये जाने की मांग की गयी है।

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि जिस स्थान पर पुल की मांग की जा रही है, उससे 05 किमी अपस्ट्रीम में पुल निर्मित है, जिससे आवागमन सुगमतापूर्वक हो रहा है। इसके अतिरिक्त उस स्थल से लगभग 10 किमी0 नीचे की ओर (डाउनस्ट्रीम) पहाड़पुर–रामपुर–माझा मार्ग पर भी पुल पहले से निर्मित है। प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 02 पुलों के मध्य इतने नजदीक तीसरे पुल का निर्माण का कार्य स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। सामान्यतया नदियों के दोनों ओर ग्रामीण आबादी बसी हुई है, परन्तु प्रत्येक नदी पर प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के पुल का निर्माण कराया जाना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं प्रतीत होता है।]

जनपद आजमगढ़ में गयासपुर सहयदा मार्ग पर बने अधूरे पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

जनपद आजमगढ़ स्थित गयासपुर सैहदा मार्ग पर बने . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[अधूरे पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 02–02–2010 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना निम्नवत् है–

"सदन के माध्यम से अति लोक महत्व एवं अविलम्बनीय सूचना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद आजमगढ़ की परियोजना गयासपुर सैहदा मार्ग पर ड्रेन पर 3x6 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया एवं एप्रोच कार्य के पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–11 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु भेजा गया था जिसके सापेक्ष में विस्तृत कार्य स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा दिनांक 13–12–06 द्वारा 3x6 मी0 स्पान के स्थान पर 5x6 मी0 स्पान का स्वीकृत लागत रु0 24.73 लाख के स्थान पर लागत रु0 39.70 लाख का प्रेषित किया गया है। यदि उक्त आगणन पर पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गयी होती तो वर्तमान मे रु0 54.31 लाख का आगणन प्रेषित करने की आवश्यकता न होती। परन्तु आज तक अतिरिक्त आगणन स्वीकृति नहीं हुआ है जिससे निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण वर्ष 2007–08 में नाव से लौटते वक्त स्कूल के 11 छात्रों की डूब कर मौत हो गयी जिस समय बच्चे डूब गये थे उस समय भी अधूरा पुल पड़ा था अब वर्तमान में भी अधूरा है। इस तरह कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित मंत्री को पत्र भी लिखा और सदन में यह मामला मेरे द्वारा उठाया गया है परन्तु आज तक पुनरीक्षित धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुल अधूरा होने के कारण बाढ़ एवं बरसात के समय स्कूल जाने वाले बच्चों एवं महिलाओं को कठिनाई उठानी पड़ती है।

प्रकरण पर अधूरे पुल के निर्माण कराये जाने बावत पुनरीक्षित धन उपलब्ध कराकर अधूरे पुल को पूर्ण कराये जाने के लिये सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ की उक्त परियोजना "गयासपुर सैदहा मार्ग पर ड्रेन पर 5x6 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं एप्रोच मार्ग निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो गया है, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करा लिया गया है। परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।"]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवरिया के राम आसरे कुशवाहा के घर से आर0 एस0 एम0 कान्वेन्ट स्कूल तक विद्युत तार एवं पोल लगाने में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री दीना नाथ कुशवाहा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया ने . . . . .

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[अपने पत्र दिनांक 18–11–08 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् खण्ड देवरिया को अवगत कराया कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत मा0 विधायक श्री दीना नाथ कुशवाहा द्वारा बेलवनिया चौराहा (वि0 ख0 रामपुर कारखाना) में श्री राम आसरे कुशवाहा के घर से आर0एस0एम0 विद्यालय तक विद्युतीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके लिये प्राक्कलन तैयार किया जाय, परन्तु संबंधित अभियन्ता द्वारा बेलवनिया चौराहा से आर0एस0एम0 स्कूल तक का ही प्राक्कलन बनाया और श्री राम आसरे कुशवाहा के घर तक, तो बेलवनिया चौराहा से दूसरे छोर पर स्थित है, का प्राक्कलन छूट गया।

2–प्राक्कलन के अनुसार परियोजना निदेशक, जिला विकास प्राधिकरण, देवरिया द्वारा विद्युत विभाग को रु0 60305.00 के विरुद्ध मात्र रु0 50200.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसका सम्पूर्ण कार्य कराया जा चुका है।

3–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया द्वारा पुनः श्री राम आसरे कुशवाहा के घर तक विद्युतीकरण का कार्य कराने हेतु कुल रु0 47724.00 का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है, परन्तु भुगतान अभी शेष होने के कारण कार्य प्रारम्भ कराया जाना संभव नहीं हो पाया है। निधि प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रकरण में की गई लापरवाही की जांच मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।]

जनपद उन्नाव के देवराघाट में सई नदी पर निर्मित पुल का सम्पर्क मार्ग न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक . . . . .

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा–

[03–02–2010 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद उन्नाव में विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत सई नदी पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था कई बार पत्र लिखने के बाद भी आज तक बेलांका चौपाई मार्ग से देवराघाट तक लगभग 300 मीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है जिसके कारण एक तरफ शासन के द्वारा जो धन खर्च किया है। उसका उपयोग नहीं हो रहा है साथ ही क्षेत्र की जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण लगभग 50 ग्रामों के निवासियों का लगभग 25 किमी0 का चक्कर काटकर क्षेत्र पंचायत कार्यालय तथा तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, जनपद उन्नाव के पत्रांक 5898/वि0स0प्र0स0/विकास दिनांक 05–02–2010 के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित नहीं है, यह कार्य लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन एवं स्वामित्व में है। अतएव नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना का संबंध शासन के लोक निर्माण विभाग से होने के कारण प्रकरण के संबंध में दिनांक 08–02–2010 को निर्धारित वक्तव्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का अनुरोध मा0 अध्यक्ष, विधान सभा से किया गया है।]

जनपद जे0पी0 नगर के अमरोहा में सीवर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

नगरपालिका परिषद, अमरोहा की जल निकासी हेतु।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वक्तव्य पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा–

[वित्तीय वर्ष 2005-06 में शासनादेश संख्या यू0ओ0–186/नौ-9-2005-5 घोषणा/05, दिनांक 15 फरवरी, 2006 के द्वारा रु0 368.00 लाख की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत की गयी थी। परियोजनान्तर्गत 3600 मीटर आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसके सापेक्ष 1500 मीटर नाले का निर्माण कार्य दिनांक 10-07-2007 तक हो चुका था और रु0 177.86 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी थी। शासनादेश दिनांक 10-07-2007 के अनुपालन में परियोजना का निर्माण कार्य निकाय द्वारा रोक दिया गया।

2–चूंकि अपूर्ण योजना से जनता को लाभ न मिल पाता और अमरोहा की जल निकासी की समस्या बनी रहती। इसे दृष्टिगत रखते हुए अवशेष धनराशि व्यय कर नाला पूर्ण कराये जाने के संबंध में शासन स्तर पर धनात्मक कार्यवाही की जा रही है।]

अनुपस्थित सदस्यों की नियम–51 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–51 की सूचना में कई लोगों के नाम पढ़े गए हैं, जो अनुपस्थित हैं, उनकी सूचनाओं का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष–

नियम–51 की सूचनाओं में उपस्थित, अनुपस्थित को नहीं देखते हैं।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

दिनांक 8 फरवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ–59 पर)

क्रमांक	व्यय	व्यय का मद
1	2	3
01	850.00	दिनांक 01-04-2005 से 31-03-2006 तक की उत्तर प्रदेश राईफल एसोसिएशन से जिला राईफल एसोसिएशन की एफीलिएशन फीस।
02	60,000.00	दो कम्प्यूटर क्रय किये जाने पर व्यय।
03	20,000.00	पुरा महादेव मेले की तैयारी हेतु बिजली के खम्बे लगवाने पर व्यय।
04	2626.00	कम्प्यूटर क्रय करने हेतु कराए गये प्रकाशन पर व्यय।
05	1070.00	कम्प्यूटर क्रय करने हेतु कराए गये प्रकाशन पर व्यय।
06	41704.00	N.I.C. में I.V.R.S. हार्डवेयर व साफ्टवेयर स्थापित कराने पर व्यय।
07	795.00	जिला राईफल एसोसिएशन बागपत की रसीद बुक छपवाने पर व्यय।
08	10600.00	दो प्रिन्टर्स व यू0पी0एस0 खरीदने पर व्यय।
09	15000.00	कलेक्ट्रेट परिसर में प्लान्टेशन पर व्यय।
10	5000.00	N.I.C. में I.V.R.S. हार्डवेयर व साफ्टवेयर स्थापित कराने पर व्यय।
11	2000.00	15 अगस्त, 2006 को कराई गई क्रीड़ा प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण पर व्यय।
12	225274.00	एम्बुलेन्स क्रय करने पर व्यय।
13	2100.00	जिला राईफल एसोसिएशन बागपत की उ0प्र0 राईफल एसोसिएशन से दिनांक 01-04-06 से 31-03-07 तक की व 01-04-2007 से 31-03-2008 तक की एफीलिएशन फीस।
14	6890.00	राईफल क्लब से क्रय एम्बुलेन्स का इन्श्योरेन्स कराने पर व्यय।
15	4800.00	शस्त्र अभिलेखों की बाईडिन्ग का भुगतान।

1	2	3
16	900.00	रसीद बुकों की छपाई हेतु व्यय।
17	1100.00	जिला राईफल एसोसिएशन बागपत की उ0प्र0 राईफल एसोसिएशन से Affilation फीस (01-04-2008 से 31-03-2009)
18	10.00	बैंक द्वारा खाता इन्श्योरेन्स की कटौती।
19	5195.00	राईफल क्लब बागपत के खाते से क्रय एम्बुलेन्स के इन्श्योरेन्स पर व्यय।
20	5336.00	शस्त्र लाईसेन्सों के निरस्तीकरण हेतु प्रकाशन पर व्यय।
21	1,19,085.00	कम्प्यूटर प्रिन्टर व U.P.S. क्रय पर व्यय।
22	85,198.00	वीडियों कैमरे कैनन F.S.-100 के क्रय किये जाने पर व्यय।
23	1,00,000.00	लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2009 हेतु डिजिटल/ विडियोग्राफी कैमरों पर व्यय, जिसका समायोजन किया जाएगा।
24	50,000.00	दिनांक 22-11-2009 को आयोजित जिला शूटिंग प्रतियोगिता पर व्यय।
25	17,014.00	दिनांक 12-09-2009 से 13-09-2009 को ग्राम जौहडी में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता पर व्यय।
26	1100.00	जिला राईफल एसोसिएशन बागपत की उ0प्र0 राईफल एसोसिएशन से Affilation फीस (01-04-2009 से 31-03-2010) तक
27	81,676.00	N.R.I. से Pistal क्रय करने पर व्यय।
	8,65,323.00	

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ–62 पर)

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिनांक 1 मई, 2009 से 15 अक्टूबर, 2009 तक पंजीकृत किये गये अभियोगों का विवरण जनपद मेरठ

थाना	क्रम संख्या	मु0अ0सं0	धारा	परिणाम		
				सी0एस0	एफआर	पीआई
1	2	3	4	5	6	7
लिसाडीगेट	1	277/09	498ए, 323 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
लिसाडीगेट	2	374/09	498ए, 323 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
लिसाडीगेट	3	398/09	498ए, 323 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
ब्रम्हपुरी	4	295/09	363, 366, 376 भादंवि	✓		
टीपी नगर	5	285/09	279, 376, 338 भादंवि	✓		
टीपी नगर	6	292/09	363, 366 भादंवि		✓	
टीपी नगर	7	312/09	498ए, 323, 506 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
टीपी नगर	8	425/09	363, 366 भादंवि	✓		
टीपी नगर	9	517/09	406, 420 भादंवि	✓		
टीपी नगर	10	602/09	420, 406, 468, 471, 506 भादंवि व 3 (2) 5 एससी/एसटी अधि0		✓	
सदर बाजार	11	472/09	328, 506 भादंवि		✓	
सदर बाजार	12	633/09	147, 452, 506, 323 भादंवि		✓	

1	2	3	4	5	6	7
लाल कुर्ती	13	142/09	323, 504, 506, 452 भादंवि	✓		
लाल कुर्ती	14	261/09	147, 452, 380, 504, 427 भादंवि	✓		
लाल कुर्ती	15	344/09	379 भादंवि		✓	
सिविल लाइन	16	173/09	420, 467, 468, 471 भादंवि		✓	
सिविल लाइन	17	280/09	386, 504, 506 भादंवि			✓
नौचन्दी	18	405/09	498ए, 323 भादंवि 3/4 द0प्र0अ0		✓	
नौचन्दी	19	576/09	379 भादंवि			✓
मेडिकल	20	416/09	363, 366 भादंवि	✓		
मेडिकल	21	417/09	379 भादंवि		✓	
दौराला	22	447/09	498ए, 308, 307, 506, 120बी भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
कंकरखेडा	23	628/09	498ए, 323, 504, 506 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
मवाना	24	325/09	498ए, 323, 506 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0	✓		
बहसूमा	25	243/09	498ए, 307, 323, 506, भादंवि		✓	
परीक्षितगढ़	26	550/09	147, 336, 323, 504 भादंवि		✓	
इंचौली	27	293/09	279, 304ए भादंवि	✓		
इंचौली	28	316/09	498ए, 323 भादंवि व 3/4 द0प्र0अ0		✓	
इंचौली	29	427/09	7 भ्र0नि0अ0		✓	

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ–63–64 पर)

जनपद मुजफ्फरनगर के थाने	जनपद मुजफ्फरनगर के थानों पर तैनात पुलिस बल			शासनादेश सं0 4147/6-पु0-08-120/08, दि0 11-12-08 के अनुसार स्वीकृत पदों का निर्धारित मानक के अनुसार विभाजन		
	निरीक्षक	मुख्य आरक्षी	आरक्षी	निरीक्षक	मुख्य आरक्षी	आरक्षी
1	2	3	4	5	6	7
कोत0. नगर	11	06	88	27	87	462
नई मण्डी	11	09	64	16	51	248
सिविल लाईन	11	07	61	11	37	168
छपार	08	02	21	07	24	93
पुरकाजी	07	05	25	04	16	43
तितावी	07	03	16	06	20	66
चरथावल	06	04	29	08	29	130
खतौली	09	04	47	11	37	167
मन्सूरपुर	05	06	20	05	18	58
सिखेड़ा	06	02	12	05	19	60
जानसठ	05	03	20	09	31	125
मीरापुर	08	02	34	05	18	63
रामराज	05	02	22	05	17	51
भोपा	06	.	24	07	24	100
ककरौली	06	02	19	05	18	60
शामली	11	03	57	08	31	125
आदर्श मण्डी	04	01	27	06	21	83
भवन	08	04	31	07	27	113
बाबरी	05	01	17	05	20	63
बुढ़ाना	06	02	28	14	44	205

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
शाहपुर	05	02	25	01	25	105
फुगाना	03	02	15	07	23	93
भौराकलां	05	—	21	08	26	113
रतनपुरी	04	01	19	06	20	73
कैराना	08	03	43	09	30	118
कांधला	07	03	42	12	37	174
झिझांना	08	05	42	08	31	137
गढ़ीपुख्ता	04	05	18	05	17	56
महिला थाना	05	02	21	10	16	38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ–80 पर)

प्रदेश के नगर निगम/नगर पालिका परिषदों में संचालित चिकित्सालयों की सूची

क्र0	निकाय का नाम	संचालित चिकित्सालय
1	नगर निगम, मुरादाबाद	आयुर्वेदिक–1
2	नगर निगम, मेरठ	एलोपैथिक–1, होम्यों–1, आयुर्वेदिक–1
3	नगर निगम, आगरा	एलोपैथिक–2, आयुर्वेदिक–1
4	नगर निगम, कानपुर	एलोपैथिक–8, होम्यों–14, आयुर्वेदिक–12, यूनानी–2, अन्य–09
5	नगर निगम, इलाहाबाद	एलोपैथिक–2, होम्यों–2, आयुर्वेदिक–2, यूनानी–2
6	नगर निगम, लखनऊ	एलोपैथिक–5, आयुर्वेदिक–2, यूनानी–2
7	नगर निगम, गोरखपुर	एलोपैथिक–1
8	नगर निगम, वाराणसी	एलोपैथिक–2, होम्यों–1, आयुर्वेदिक–7, यूनानी–5
9	नगर निगम, गाजियाबाद	एलोपैथिक–1
10	नगर निगम, सहारनपुर	आयुर्वेदिक–1, यूनानी–1
11	नगर पालिका परिषद्, मुरादनगर	एलोपैथिक–1
12	नगर पालिका परिषद्, हापुड़	एलोपैथिक–1
13	नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर	होम्यों–1
14	नगर पालिका परिषद्, कोसीकलां	एलोपैथिक–1
15	नगर पालिका परिषद्, सोरा	एलोपैथिक–1
16	नगर पालिका परिषद्, बांदा	आयुर्वेदिक–1
17	नगर पालिका परिषद्, रांठ	होम्यों–1
18	नगर पालिका परिषद्, सुल्तानपुर	एलोपैथिक–1

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ–88 पर)

वर्ष 2004-05 में आवंटित इन्दिरा आवास की सूची

ग्राम–लखनीमुबारकपुर जनपद–मऊ

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	आवंटित धनराशि	आवास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तेतरी	श्री किशुन	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
2	आशा	फूलचन्द	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
3	गुडिया	बालचन्द्र	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
4	शारदा	सुबेदार	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
5	रामरती	जगधारी	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
6	विमला	रामनिवास	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
7	उमरावती	श्रीपत	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
8	माला	सुभाषचन्द्र	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
9	रमावती	रामभवन	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
10	लालमति	श्रवण	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
11	अल्हरी	कैलाश	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
12	शलिन्ता	टननु	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
13	तारादेवी	गोपाल	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
14	मराछी	गनेश	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
15	ज्ञानती	छोटेलाल	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
16	विद्यावती	विरेन्दर	सा0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
17	रामरती	गनपत	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
18	रेशमी	लालचन्द्र	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
19	लक्ष्मीना	गिरिजा शंकर	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
20	शीला	लालमनी	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
21	उर्मिला	विन्दु	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
22	सहदेईया	सिधारी	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
23	फूलमति	चांद	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
24	रमावती	गुलाब	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
25	उर्मिला	रमेश	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण
26	महेन्द्रनाथ	धर्मराज	अनु0	लखनीमुबारकपुर	घोसी	25,000.00	पूर्ण

वर्ष 2008-09

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	अवमुक्त की तिथि	प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त में अवमुक्त धनराशि	आवास की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शिव प्रसाद	महेश	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
2	सुरेन्द्र	शिव शंकर	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
3	मुन्नर	जगेसर	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
4	रामजनम	सतिराम	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	मरछिया	चंद्रिका	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
6	रामजनम	मंगल	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
7	रामरूप	खरपत्तू	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
8	मदराज	चंद्रिका	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
9	बुचिया	छांगुर	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
10	हंसा	भृगुनाथ	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
11	चमेली	शिवकुमार	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
12	बहादुर	गंगा	अनु0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
13	सुल्तान	कुददूस	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
14	मंझारी	शिवसरन	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
15	धनवती	गुलजार	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
16	इसरावती	नन्हू	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
17	हरिहर	हरदेव	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
18	मुरलीधर	केदारनाथ	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
19	कमलावती	शिवदयाल	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
20	रामानन्द	जगदेव	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
21	रामकुमार	शिव	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
22	दुखरन	जमुना	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
23	खलील	साहबली	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
24	बृजभान	रामचन्द्र	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
25	रामचन्द्र	रामनरेश	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
26	लालचन्द्र	रामनरेश	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	नजिया	शिवप्रसाद	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
28	मुन्ना	बनवारी	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
29	रामकृत	बेचू	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
30	स्वामीनाथ	अकलू	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
31	भुनेश्वरी	रामराज	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
32	गजरी	दुधई	सामान्य	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
33	जयराम	साधू	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
34	केशव	झुलई	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
35	रामनाथ	बुद्धू	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
36	कमला	शिवराज	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
37	मोहन	सदाफल	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
38	स्वामीनाथ	अवतार	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
39	भुखन	झुनखुन	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
40	जयश्री	शिवनाथ	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
41	बालचन्द्र	अलगू	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
42	सुबेदार	खुरचन	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
43	धर्मेन्द्र	इन्द्रदेव	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
44	रामासरे	इन्द्रदेव	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण
45	धनई	करिया	अनु0 जा0	लखनीमुबारकपुर	लखनीमुबारकपुर	घोसी	12/7/2008	26,250	8,750	पूर्ण

ह0/
परियोजना निदेशक,
जि0ग्रा0वि0अभि0,
मऊ।

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ–103 पर)

दिनांक 1-1-09 से 31-10-09 तक महिलाओं के साथ चेन लूट की घटनाओं का विवरण जनपद मेरठ

थाना	संख्या अभियोग	लूटी गयी चैन की संख्या	बराबद चैन की संख्या	कार्यवाही अभियुक्त						परिणाम		
				नामित/ प्रकाश में आये	गलत पाये	गिरफ्तार	हाजिर	मारे गये	कुर्की	सी0एस0	एफआर	पीआई
दहेली गेट	1	1	1	3		3				1		
सदर बाजार	1	1	1	2		2				1		
लाल कुर्ती	5	5	4	10		9	1			4	1	
रेलवे रोड	1	1									1	
सिविल लाईन	1	1									1	
मेडिकल	5	5		4		4				4	1	
नौचन्दी	6	6	4	10		9	1			5	1	
टीपी नगर	1	1	1	2		2				1		
इंचौली	2	2	1	2		2				2		
दौराला	1	1		2		2				1		
कंकरखेड़ा	1	1	1	2		2				1		
योग	**25**	**25**	**13**	**37**	**0**	**35**	**2**	**0**	**0**	**20**	**5**	**0**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 1-1-09 से 31-10-09 तक महिलाओं के साथ पर्स लूट की घटनाओं का विवरण जनपद मेरठ

थाना	संख्या अभियोग	लूटी गयी चैन की संख्या	बराबद चैन की संख्या	कार्यवाही अभियुक्त						परिणाम		
				नामित / प्रकाश में आये	गलत पाये	गिरफ्तार	हाजिर	मारे गये	कुर्की	सी0एस0	एफआर	पीआई
सदर बाजार	1	1	1	2		2				1		
लाल कुर्ती	2	2	1	1		1				1		1
सिविल लाईन	3	3		2		2				2	1	
मेडिकल	3	3	2	6		5	1			3		
नौचन्दी	8	8	5	10		7	3			5	1	2
योग . .	**17**	**17**	**9**	**21**	**0**	**17**	**4**	**0**	**0**	**12**	**2**	**3**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 162 का उत्तर पीछे पृष्ठ–113 पर)

वर्तमान में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त पाये गये ग्रामों/मजरों का विवरण (जिस हेतु प्राक्कलन शासन को अनु0 लागत रु0 335.72 लाख धनावंटन हेतु प्रेषित है)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम/मजरे का नाम	किस गुणता से प्रभावित है
1	2	3	4
1	सादाबाद	नगला काठ	खारा जल
2	सादाबाद	नगला ध्यान मिठास, अनगदा	खारा जल
3	सादाबाद	भदूरी	खारा जल
4	सादाबाद	नगला मोहन नगला सदारी	खारा जल
5	सादाबाद	गढ़ी आशा	खारा जल
6	सादाबाद	नगला चांद	खारा जल
7	सादाबाद	कजरौठी खेड़ा	खारा जल
8	सादाबाद	नगला पलावत	खारा जल
9	सादाबाद	नगला भूतिया	खारा जल
10	सादाबाद	गिजरौला	खारा जल
11	सादाबाद	जंगला	खारा जल
12	सादाबाद	पोदा	खारा जल
13	सादाबाद	गोविन्दपुर	खारा जल
14	सादाबाद	गोविन्दपुर	खारा जल
15	सादाबाद	नगला नाला	खारा जल
16	सादाबाद	नसीरपुर, रसमई, नगला मियां	खारा जल
17	सादाबाद	पचावरी	खारा जल
18	सादाबाद	नगला मोहकम, सूमरा	खारा जल
19	सादाबाद	नगला छत्ती	खारा जल
20	सादाबाद	नगला छत्ती	खारा जल
21	सादाबाद	नगला गूलर	खारा जल
22	सादाबाद	गढ़ी अन्ता	खारा जल
23	सादाबाद	मिढ़ावली	खारा जल
24	सादाबाद	गढ़ी हरिया	खारा जल
25	सादाबाद	गढ़ी बैरू	खारा जल
26	सादाबाद	नगला दुर्जिया	खारा जल
27	सादाबाद	निवारी	खारा जल
28	सादाबाद	नगला अड्डा	खारा जल
29	सादांब्राद	नगला बबूल	खारा जल

1	2	3	4
30	सादाबाद	नगला नत्थू	खारा जल
31	सादाबाद	नगला रोज	खारा जल
32	सादाबाद	नगला रद्दू	खारा जल
33	सादाबाद	नगला हीरा	खारा जल
34	सादाबाद	नगला हरिया	खारा जल
35	सादाबाद	नगला चौधरी	खारा जल
36	सादाबाद	नगला धनी	खारा जल
37	सादाबाद	टीकैत	खारा जल
38	सादाबाद	ढकरई	खारा जल
39	सादाबाद	नगला कल्हू	खारा जल
40	सादाबाद	नगला कुशल	खारा जल
41	सादाबाद	गढ़ उमराव	खारा जल
42	सादाबाद	गढ़ उमराव	खारा जल
43	सादाबाद	बिलारा	खारा जल
44	सादाबाद	नगला भूत	खारा जल
45	सादाबाद	गाजीगढ़ी	खारा जल
46	सादाबाद	बनका	खारा जल
47	सादाबाद	कदम्बखण्डी	खारा जल
48	सादाबाद	जैतई	खारा जल
49	सादाबाद	जैतई	खारा जल
50	सादाबाद	गढ़ी नौकस	खारा जल
51	सादाबाद	लालगढ़ी	खारा जल
52	सादाबाद	वेदई	खारा जल
53	सादाबाद	वेदई	खारा जल
54	सादाबाद	नगला मोहकम	खारा जल
55	सादाबाद	नगला अपरवल	खारा जल
56	सादाबाद	अन्धपुरा	खारा जल
57	सादाबाद	गढ़वै	खारा जल

अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–19 विधान सभा (25)–21-4-2010–813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।